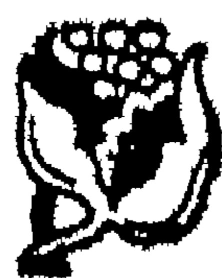
मध्यप्रदेशका इतिहास

और

नागपुरके भोंसले



—प्रयागदत्त शुक्ल

मध्यप्रदेशका इतिहास
और
नागपुरके भोंसले

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर



हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर-सीरीजका ७१ वाँ ग्रन्थ

मध्यप्रदेशका इतिहास

और

नागपुरके भोंसले



लेखक—

पं० प्रयागदत्त शुक्ल



प्रकाशक—

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,

हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई।



प्रथम बार] अगस्त, १९३० [मूल्य १॥)

श्रावण, वि० सं० १९८७।

सजिल्दका २

प्रकाशक—
नाथूराम प्रेमी, प्रोप्रायटर
हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय,
हीराबाग, पो० गिरगाँव–बम्बई



मुद्रक—
मं० ना० कुळकर्णी,
कर्नाटक प्रेस,
३१८ए, ठाकुरद्वार, बम्बई २

दो शब्द



परमात्माकी कृपासे इस छोटेसे ग्रन्थको पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है। यद्यपि इसमें त्रुटियोंकी कमी न होगी; परन्तु आशा है कि पाठकगण उनकी ओर लक्ष्य न देकर इसमें जो कुछ गुण हैं उनसे लाभ उठानेका प्रयत्न करेंगे।

इसके लिए सामग्री एकत्र करनेमें मुझे सी० पी० सरकारके पुस्तकालय तथा रेकार्ड-ऑफिससे बहुत कुछ सहायता मिली है। इस लिए उसके प्रति धन्यवाद प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। साथ ही उन ग्रन्थकारोंके प्रति भी मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिनके ग्रन्थोंसे अन्वेषण करनेमें मुझे यथेष्ट सहायता मिली है।

मैं अपने मित्र श्रीयुत यादव माधव काले बी० ए०, एल एल० बी०, वकील, एम० एल० सी० का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके इस ग्रन्थकी महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना लिखनेका कष्ट उठाया है। आप मराठीके प्रसिद्ध लेखक हैं और आपने 'वराडचा इतिहास,' 'गोंडाचा इतिहास' आदि कई ऐतिहासिक ग्रन्थोंकी रचना की है।

सीताबर्डी, नागपुर
१५–१–१९३०

—प्रयागदत्त शुक्ल

प्रस्तावना।



हिन्दीमें मध्यप्रदेश या नागपुर-राज्यका कोई सुसंगत और क्रमबद्ध इतिहास न था। इस कमीको पूरा करके पं० प्रयागदत्त शुक्लने बड़ा काम किया है। इसके लिए मध्यप्रान्तके निवासियोंको पण्डितजीका कृतज्ञ होना चाहिए।

इस ग्रन्थमें मध्ययुगीन इतिहासकी प्रायः सभी बातोंका परिश्रमपूर्वक संकलन किया गया है। भिन्न भिन्न शिलालेखों, ताम्रपत्रों और प्रसिद्ध ग्रन्थोंसे सहायता लेकर भिन्न भिन्न राजवंशोंका जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उससे ग्रन्थकी उपयोगिता और भी बढ़ गई है।

ग्रन्थकी प्रायः सभी बातें साधार लिखी गई हैं और अनेक स्थानोंमें वे आधार भी उद्धृत कर दिये गये हैं जिनसे पाठकोंको छान-बीन करनेका अवसर मिलता है। इस बातके प्रमाण सर्वत्र ही मिलते हैं कि ग्रन्थकारने इसे समतोलतासे लिखा है।

ग्रन्थकारने न तो संशोधन-क्षेत्रपर आक्रमण ही किया है और न उसका अतिक्रमण ही। यह एक दृष्टिसे अच्छा ही है। इस पद्धतिसे सर्वमान्य सिद्धान्तोंको ही सम्मुख उपस्थित करनेसे वाद-विवादका भय बहुत कम रहता है और इस प्रकारके छोटे ग्रन्थोंमें वाद-विवादको स्थान भी नहीं रहना चाहिए। मेरी समझमें यह ग्रन्थ हिन्दी पाठशालाओंमें पढ़ाये जाने योग्य है और इसलिए इसमें सर्वमान्य सिद्धान्तोंका ही समावेश होना उचित हुआ है।

ग्रन्थकर्त्ताने मुझसे इस बातपर प्रकाश डालनेका आग्रह किया है कि भोंसलोंका राज्य क्यों नष्ट हुआ और उसकी अवनति कैसे हुई? यद्यपि इन प्रश्नोंकी मीमांसा करना सरल नहीं है; किन्तु पहलेकी गल्तियोंसे आगेके लिए सावधान करना इतिहासका मुख्य काम है, इसलिए यहाँपर उनका संक्षिप्त दिग्दर्शन कराया जाता है।

१ उस युगकी परिस्थितिमें स्वयं राजाकी वीरता और राजनीतिज्ञतापर ही राज्यकी दृढ़ता अवलम्बित थी। शिवाजी, अकबर, हैदर, निजामुल्मुल्क, बाजी-

राव (प्रथम), महादजी सिन्धिया और रघोजी भोंसले (प्रथम), प्रथम श्रेणीके शूर, पराक्रमी और राजनीतिज्ञ थे । आश्रित सरदारों और मुत्सद्दियोंपर उनका काफी प्रभाव था, इस कारण उनके सब कार्य एकतंत्रतासे चलते थे और उनका अनुकरण करके, उन्हें आदर्श मानके, अनेक छोटे बड़े पुरुष उक्त गुणोंसे युक्त निर्माण होते रहते थे । इसके विपरीत यदि राजा दुर्बल, विलासी और डरपोंक होता था, तो उसका प्रधान-मंडल तथा दूसरे सरदार भी उसी प्रकारके हो जाते थे। राजा शाहुके पश्चात् महाराष्ट्रके सभी राजा—बाजीराव (द्वितीय), आपा-साहब भोंसले और औरंगजेबके बादके मुगल-बादशाह—सभी उक्त द्वितीय श्रेणीके शासनकर्त्ता हुए।

सन् १८०३ के युद्धमें जब रघोजी भोंसले (द्वितीय) का पराजय हुआ, तब उसे विश्वास हो गया कि अँग्रेजोंकी फौजी ताक़त ज़बर्दस्त है, उससे कोई टक्कर नहीं ले सकता; परन्तु उसने अपनी फौजी ताक़त बढ़ानेका जैसा चाहिए वैसा कोई प्रयत्न नहीं किया। जिस तरह महादजी सिन्धियाने यूरोपियन अफसर रखकर अपनी सेनाको नवीन अस्त्र-शस्त्रोंसे सुसज्जित और नवीन पद्धतिसे संचालित करनेका यत्न किया था, उस तरह रघोजीने नहीं किया। यद्यपि भोंसला, पेशवा, सिन्धिया और होल्करके मनमें यह भावना उत्पन्न हुई थी कि सब एक साथ मिलकर अँग्रेजोंसे मोर्चा लेवें और इसके लिए उक्त तीनों रियासतोंके प्रतिनिधि नागपुरमें एकत्र भी हुए थे; वास्तवमें मराठा साम्राज्यके लिए इसके सिवाय और कोई तरणोपाय भी न था; परन्तु एक दूसरेके अविश्वासने इस मंत्रणाको सफल न होने दिया । एक दृष्टिसे देखा जाय तो रघोजीने यह ठीक ही किया था; क्योंकि द्वितीय बाजीराव पेशवा, यशवन्तराव होल्कर और दौलतराव सिन्धिया, इन तीनोंका कर्तृत्व तथा प्रामाण्य इतने नीचे दर्जेका था कि यदि रघोजीने उनपर विश्वास करके यह कार्य किया होता, तो बहुत संभव था कि अँग्रेजोंकी आफ़त अकेले उसके ही सिर पड़ती और नागपुर-राज्यको बहुत क्षतिग्रस्त होना पड़ता । क्योंकि उस समय अँग्रेजोंके पैर भारतके सभी नाकोंपर मज़बूतीके साथ जम चुके थे और भारतीय राजाओंमें एक दूसरेकी सहायता करनेकी प्रवृत्ति बहुत ही कम थी ।

इस स्थितिपर विचार करके रघोजी (द्वितीय) ने अँग्रेजोंसे प्रकटरूपमें कोई विरोध नहीं किया। इतना ही नहीं बल्कि जितना जितना वे दबाते गये, उतना

उतना वह दबता गया। किन्तु उसकी बुद्धिमानी इसी बातसे प्रकट होती है कि अँग्रेजोंके अनेक यत्न करनेपर भी उसने उनकी सब-सीडियरी सेना अपने यहाँ रखना मंजूर न किया। उसे इस बातका विश्वास था कि जिस दिन अँग्रेजोंकी सेना अपने यहाँ रख ली जायगी, उसी दिन नागपुरकी स्वतंत्रता नष्ट हो जायगी।

रघोजीके मरते ही आपासाहबने सब-सीडियरी सेनाके लिए अँग्रेजोंसे सुलह कर ली और अपने खर्चसे अँग्रेजी सेना रख ली। वास्तवमें उसी दिन अर्थात् सन् १८१६ की २८ वीं मईकी मध्यरात्रिके समय नागपुरकी स्वाधीनता जाती रही। इसके आगेका काल सूर्यास्तके पश्चातका सन्धि-प्रकाश है। आपासाहबने स्वार्थवश राज्यका नफा-नुकसान नहीं देखा। उसे डर था कि मेरे विपक्षमें बकाबाई और दूसरे सरदार हैं, वे मुझे राज्य करनेमें बाधक होंगे, इसलिए उसने अँग्रेजोंको अपने पक्षमें रखना आवश्यक समझा और इसीलिए उसने तथा उसके अदूरदृष्टि साथियोंने अँग्रेजोंके स्वार्थके होमकुंडमें नागपुर-राज्यकी सम्पत्तिकी आहुति कर दी। इसका फल यह हुआ कि नागपुरका सैनिक बल नष्ट होकर उसके स्थानमें अँग्रेजोंका सैनिक बल स्थायी हो गया। साथ ही आपासाहबको अँग्रेज-रेसीडेण्टके हाथका कठपुतला बन जाना पड़ा। इस हीनावस्थामें उसे उचित था कि वह निजामके समान अँग्रेजोंका सर्वथा आश्रित बनकर रहता और रेसीडेण्टकी इच्छाके विरुद्ध एक इंच भी इधर उधर न हिलता; परन्तु अपनी चंचलबुद्धिके वशवर्ती होकर उसने बाजीराव पेशवासे गुप्त मंत्रणा की, जिसका फल यह हुआ कि उसे अपने राज्यसे हाथ धो लेना पड़ा। राज्यके चले जानेपर यद्यपि उसने कुछ करामात दिखलाई; परन्तु बूँदसे गई हौजसे नहीं आया करती।

रघोजी द्वितीयने रेसीडेंटके हाथकी कठपुतली बनकर राज्य किया। उसके मरनेपर किसी भी कारण या निमित्तके न होते हुए भी गद्दीके हकदारका अभाव बतलाकर डलहौसी-पद्धतिके अनुसार नागपुर-राज्य खालसा कर लिया गया। उस समय न्याय अन्याय कौन देखता था? अँग्रेज जो कुछ करते थे, वही न्याय था। जरासा निमित्त मिलते ही रियासतें खालसा कर ली जाती थीं। सतारा आदि अन्य राज्योंके समान नागपुर-राज्य भी लार्ड डलहौसीने खालसा कर लिया।

२ राजाके साथ ही साथ नौकर-चाकर, प्रधान-मण्डलके सभ्य आदि भी अयोग्य हो जाते हैं। वे राजाके या राज्यके कल्याणकी अपेक्षा अपने कल्याणकी ओर अधिक दृष्टि रखते हैं। नागपुर और पूना-दरबारोंमें यही हुआ। नागपुरके

बहुतसे मुत्सद्दी गुप्तरूपसे अँग्रेजोंसे मिले रहते थे। इसके अनेक प्रमाण मिले हैं। इसके विरुद्ध अँग्रेजोंके नौकर या मुत्सद्दी अपने मालिक और अपने देशके प्रति पूरे प्रामाणिक और नेकनीयत थे। वे सब प्रकारके प्रलोभनोंके जालसे बचकर अपने प्राणोंकी परवा न करते हुए अपने कर्तव्यका पालन करते थे। भारतीय मुत्सद्दियोंके समान उनकी दृष्टि आकुंचित न थी।

३ भोंसला-दरबारके खजानेकी व्यवस्था ठीक न थी। सैनिकोंको समयपर वेतन नहीं मिलता था। साहूकार लोग भी उसे कर्ज देनेसे डरते थे। क्योंकि उन्हें उसे अदा करनेमें बड़ी कठिनाई होती थी। उधर अँग्रेज लोग भारतीय साहूकारका कर्ज समयपर पटा देते थे, इससे उनकी शाख अच्छी थी और इसीलिए उन्हें मनमानी रकम समयपर मिल जाती थी। भोंसलोंने नागपुरके व्यंकोजी नायक पिदड़ी, और उदयपुरी गुसाईं आदि साहूकारोंका कर्ज किस तरह हड़पना चाहा था, यह सभी जानते हैं। अन्तमें उन्हें जो कुछ हाथ लगा उसे लेकर बनारस चले जाना पड़ा।

४ रघोजी द्वितीय और तृतीयके पास निजी खजाना भी काफी था; परन्तु राज्यप्रबन्धमें पैसेकी तंगी होनेपर भी वे उसमें हाथ न लगाते थे। एक बार रघोजी तृतीयको रेसीडेंटके तंग करनेपर अपने निजी खजानेसे सैनिकोंका बकाया वेतन चुकाना पड़ा था। प्रजासे प्राप्त किया हुआ धन प्रजाके ही सुखके लिए है और समयपर उसका उपयोग होना चाहिए, इस भावनाका उस समयके भारतीय नरेशोंमें प्रायः अभाव था और अब भी है।

५ प्रजामें राज्यप्रबन्धकी ओर लक्ष्य देनेकी उत्सुकता न थी और न राज्यकी ओर अपनेपनकी भावना थी। नागपुरका राज्य कलमकी एक लकीरसे नष्ट कर दिया गया; परन्तु प्रजाने प्रकट रूपसे कोई हलचल नहीं की। राजाने भी प्रजाको अपनानेके लिए कोई यत्न नहीं किया।

६ उन्नतिके समयके सरदारोंके नाम—रघुजी करांडा, विट्ठल बल्लाल, भवानी काल्ह, भवानी मुंशी, देवाजी पन्त, चोरघोडे, महिपतराव दिनकर और जमादार बेनीसिंह।

अवनतिके समयके सरदारोंके नाम—मनभट, रामचंद्र वाघ, बकाबाई, यशवंतराव रामचंद्र, नागोपंत, नारायण पंडित, गुजाब-दादा गुजर, धर्माजी भोंसले।

यहाँपर उक्त सरदारोंके गुण-दोषोंकी चर्चा करना अनावश्यक है। यह नहीं कहा जा सकता कि अवनतिके समयके सरदार सर्वथा अयोग्य थे; परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि उनमें दूरदृष्टि और स्वार्थत्याग कम था, व्यक्तिगत स्वार्थ ही अधिक था।

भोंसला-राज्यकी अवनतिके यही मुख्य कारण हैं। इनके अतिरिक्त आरंभसे ही नागपुरके राजाओंकी शासन-पद्धति ग़लत रास्तेपर थी; परन्तु इस विषयपर विचार करनेका यह स्थान नहीं है।

पंडित प्रयागदत्तजीने नागपुरराज्यका सिलसिलेवार संक्षिप्त इतिहास लिखनेका कार्य बड़ी उत्तमतासे किया है और भावी विस्तृत इतिहासकी नीव डाल दी है। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देकर मैं यह प्रस्तावना समाप्त करता हूँ।

बुलडाना
१-१-१९३०

—यादव माधव काले
(बी० ए०, एलएल० बी०)



इतिहास और जीवन-चरित



(विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य)

कोलम्बस (अमेरिकाको खोजनेवाला) ... ॥।)
महादजी सिन्धिया (ग्वालियर-नरेश) ... ॥।=)
कावूर (इटलीका उद्धारकर्ता) ... ... १)
कर्नेल सुरेश विश्वास (अद्भुत बंगालीका चरित) ... ... ॥)
जान स्टुअर्ट मिल (प्रसिद्ध ग्रन्थकर्ता) ... ॥=)
आयर्लैण्डका इतिहास .... २।)
कठिनाईमें विद्याभ्यास (तकलीफोंमें भी विद्या पढ़नेवाले अनेक पुरुषोंके चरित्र) ... ॥≈)

संचालक—हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर
हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई।

विषय-सूची



१ विषय-प्रवेश—(पृ० १ से ४७)

२ गोंडोंका जमाना (४८ से ६९)

३ मुसलमानोंका प्रभाव (७० से ७४)

४ बुन्देलोंका प्रभाव (७५ से ७९)

४ नागपुरके भोंसले (८० से २०५)

मध्यप्रदेशका इतिहास

और

नागपुरके भोंसले



१ विषय-प्रवेश।

यद्यपि हमारे यहाँका कोई सिलसिलेवार प्राचीन इतिहास नहीं मिलता है; फिर भी अनेक विद्वानोंके अन्वेषणोंसे पिछले दो हज़ार वर्षोंके इतिहासका बहुत कुछ पता लग चुका है, जो परिश्रमपूर्वक संग्रह किया जा सकता है। नागपुरके भोंसलोंका इतिहास लिखनेके पूर्व हमें मध्यप्रदेशके इतिहासका संक्षिप्त परिचय कराना आवश्यक प्रतीत होता है, इसलिए विषयारंभके पहले हम इसीका प्रयत्न करते हैं—

मौर्यवंश।

महाभारत-काल और बौद्धकालके मध्यका (ईस्वीसन्‌के ३०० वर्ष पूर्वतकका) इतिहास नहीं मिलता। प्राचीन ध्वंसावशेषों, पुराणों और शिलालेखोंसे पता चलता है कि इस प्रदेशपर बौद्ध राजाओंका आधिपत्य था। इस प्रान्तका इतिहास स्वावलम्बी न होकर बहुत कुछ परावलम्बी है। क्योंकि यहाँ बहुधा ऐसे ही लोगोंने राज्य किया है जिनकी राजधानियाँ अन्यत्र थीं। जबलपुरसे ३५ मील, बहुरीबन्दके निकट, रूपना-

थमें, ईसासे २३२ वर्ष पूर्वका सम्राट् अशोकका जो एक शिलानुशासन * मिला है, उससे जान पड़ता है कि उस समय यहाँ मौर्योंका अधिकार था। यह लेख इस प्रान्तमें सबसे पुराना है।

इस प्रान्तके चारों ओर बौद्ध-धर्मका प्रचार था। महाकोशलकी प्राचीन राजधानी भद्रावती या भद्रपत्तन×का राजा सूर्यघोष बौद्धोंका आश्रयदाता था, जिसका वर्णन भांदकके लेखमें मिलता है।

---

* Descriptive List of Inscriptions in the C. P. and Berar No. 25, Page 20 अनुशासन इस प्रकार है—

देवताओंके प्रिय इस तरह कहते हैं—(देवानां पिये हेवं आहा [:]) ढाई वर्षसे अधिक हुए कि मैं उपासक हुआ पर मैंने अधिक नहीं किया, किन्तु एक वर्षसे अधिक हुआ जबसे मैं संघमें आया हूँ तबसे मैंने अच्छी तरह उद्योग किया है। इस बीच जम्बूद्वीपमें जो देवता सच्चे माने जाते थे वे अब झूठे सिद्ध कर दिये गये हैं। यह उद्योगका फल है। यह (उद्योगका फल) केवल बड़े ही लोग पा सकें ऐसी बात नहीं हैं, क्योंकि छोटे लोग भी उद्योग करें तो महान् स्वर्गसुख पा सकते हैं। इसलिए यह अनुशासन लिखा गया कि छोटे और बड़े उद्योग करें। मेरे पड़ोसी राजा भी इस अनुशासनको जानें और मेरा उद्योग चिरस्थित रहे। इस बातका विस्तार होगा और अच्छा विस्तार होगा, कमसे कम डेढ़ गुना विस्तार होगा। यह अनुशासन यहाँ और दूरके प्रान्तोंमें पर्वतोंकी शिलाओंपर लिखा जाना चाहिए। जहाँ कहीं शिलास्तंभ हों वहाँ यह अनुशासन शिलास्तंभपर भी लिखा जाना चाहिए। इस अनुशासनके अनुसार जहाँतक आप लोगोंका अधिकार हो वहाँ आप लोग सर्वत्र इसका प्रचार करें। यह अनुशासन मैंने उस समय लिखा जब मैं प्रवास कर रहा था और अपने प्रवासके २५६ वें पड़ावमें था।

× भद्रावती (वर्तमान भांदक) चाँदासे १६ मीलपर है। यहाँके प्राचीन किलेमें एक शिलालेख मिला था; जो इस समय नागपुरके अजायबघरमें है और जिसका वर्णन रा० ब० बाबू हीरालालजीकृत Descriptive Lists of Inscriptions in the C. P. and Berar (मध्यप्रान्त और बरारके

ईसाके १८४ वर्ष पूर्व मौर्यसेनापति पुष्यमित्र (राज्यलोभवश हो) अपने स्वामीका नाश करके स्वयं राज्याधिकारी बन बैठा था।† महाकवि बाणने हर्षचरितके छठे उच्छ्वासमें लिखा है—

"प्रतिज्ञादुर्बलं च बलदर्शनव्यपदेशदर्शिताशेषसैन्यः सेनानीरनार्यो मौर्यं बृहद्रथं पिपेश पुष्यमित्रः स्वामिनं।"

अर्थात् पुष्यमित्रने प्रतिज्ञामें दुर्बल अपने स्वामी बृहद्रथको मार डाला। राज्य प्राप्त होनेपर पुष्यमित्रने अपने पुत्र अग्निमित्रको विदिशा (भिलसा)

लेख) नामक ग्रन्थके १३ वें पृष्ठमें पूर्णरूपसे है। यह लेख **"ओम् नमः जिनधनुर्धरा"**से आरंभ होता है—

आसीत् क्षितौ क्षितिपतिर्नृपमौलिमाला—
माणिक्यभृंगपरिचुम्बितपादपद्मः।
श्रीसूर्यघोष......................

सूर्यघोषका नाम इस प्रान्तके अन्य किसी भी लेखमें नहीं मिलता; लेकिन इस लेखसे पता चलता है कि उसका पुत्र राजमहलसे गिरकर मर गया था, जिसके कारण उसने संसारसे विरक्त होकर बुद्धका मन्दिर बनवाया था। कुछ समय व्यतीत होनेपर पाण्डववंशमें उदयन राजा हुआ; जिसने अपने शत्रुसमूहका नाश कर डाला था।—

गच्छति भूयसि काले भूमिपतिः क्षपितसकलरिपुपक्षः।
पाण्डववंशाद्गुणवानुदयननामा समुत्पन्नः॥ १६॥

१७ वे श्लोकके प्रायः सभी अक्षर नष्ट हो गये हैं, किन्तु "स्य तनुजन्मा" बच गये हैं। १८ वाँ श्लोक पूरा है। इन्द्रबलके छोटे भाईका नाम—**ज्येष्ठं चानुतयाबलं**—यही होगा, ऐसा डॉ० कीलहार्न कहते हैं। इंद्रबलके छोटे भाईके चार पुत्रोंमें कनिष्ठपुत्र भवदेव रणकेसरीका नाम १९ और २० वें श्लोकमें आता है।

† विष्णुपुराणके २४ वें अध्यायमें भी लिखा है—

तेषामन्ते पृथिवीं दशशुङ्गा भोक्ष्यन्ति॥ ३३॥
पुष्यमित्रस्सेनापतिः स्वामिनं हत्वा राज्यं करिष्यति।

का सूबेदार नियत किया था। उस समय विदर्भका राजा यज्ञसेन मौर्योंका पक्षपाती होनेसे सहज ही शुङ्गोंका शत्रु था। इसलिए उसकी इच्छा यह न थी कि चचाकी पुत्री मालविकाका विवाह अग्निमित्रसे हो; किन्तु मालविकाका भाई माधवसेन इस सम्बधको दृढ़ करना चाहता था। इस आपसी झगड़ेमें अग्निमित्रने माधवसेनका पक्ष लेकर यज्ञसेनका आधा राज्य अपने भावी सालेको दिलवा दिया। इसी कथाके आधारपर महाकवि कालिदासने 'मालविकाग्निमित्र' नाटक रचा है*। शुङ्गोंका इसके अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध यहाँपर नहीं मिलता। अन्तमें १० वाँ राजा देवभूति अपने ब्राह्मणमंत्री वसुदेव काण्वके षड्यंत्रसे ईसाके ७३ वर्ष पूर्व मारा गया। यह राजकुल ११२ वर्ष तक कायम रहा।

आन्ध्रवंश।

ईसाके पूर्व इस प्रान्तमें भी आन्ध्रोंकी प्रबलताका प्रमाण मिलता है। उनके राजत्वकालके विषयमें बड़ी गड़बड़-सी है। ऐतरेय ब्राह्मणमें इस वंशके लिए शूद्रोंकी उपमा दी गई है। उसमें लिखा है विश्वामित्रके १०० पुत्रोंमेंसे बड़े ५० पुत्रोंने शुनःशेफको अपना भाई मानना ठीक नहीं समझा। इसपर पिताने उन पुत्रोंको शाप दिया कि उनकी सन्तान शूद्र होगी। वे ही आंध्र, पुंड्र, शबर, पुलिंद आदि दस्यु हैं। ये लोग भी सम्राट् अशोककी आज्ञाका पालन करते थे†। इस वंशकी वंशावली भी

* तौ (यज्ञसेनमाधवसेनौ) पृथग्वरदाकूले शिष्टामुत्तरदक्षिणे।
नक्तं दिवं विभज्योभौ शीतोष्णकिरणाविव ॥—मालविकाग्निमित्र ४—१३।

† सम्राट अशोककी खुदवाई हुई १४ आज्ञाओंमेंसे १३ वीं आज्ञामें इस प्रकार लिखा है:—**विशवाजे योनकंबोजेपु नाभके नाभंपतिपु भोजपतिनिक्येपु अंधपलदेपु पवता देवानां पियषांधमानुपधि अनुवंतति।**" अर्थात् विषव्रज, यवन, कम्बोज, नाभक, नाभपंक्ति, भोज, पितिनिकि, आन्ध्र और पुलिन्द अशोककी धर्माज्ञाओंका पालन करते थे।

पुराणोंमें मिलती है। मत्स्यपुराणमें ३० राजाओंके नाम मिलते हैं; परन्तु ब्रह्माण्डपुराणमें २४, वायुपुराणमें १८, विष्णुपुराणमें २४ और भागवतमें २३ नाम मिलते हैं। इन पुराणोंके अनुसार इनके ४६० वर्षके राजत्वकालका पता चलता है। आन्ध्रोंका मूल प्रान्त तिलंगाना और राजधानी धन्यकटक थी।

आन्ध्रोंके नाम भी एकाधिक हैं—अर्थात् आन्ध्र, आन्ध्रभृत्य, शालिवाहन, शतवाहन और शातकर्णी। भागवतसे पता चलता है कि काण्ववंशीय सुशर्माको मारकर उसका आन्ध्र जातिका नीच सेवक 'बली' कुछ काल तक पृथ्वीको भोगेगा*। स्वर्गीय सर रामकृष्ण भांडारकरने कृष्ण, शातकर्णी, शक्तिश्री, वासिष्ठीपुत्र पुलमायी, गौतमीपुत्र यज्ञश्री, मांढरीपुत्र शकसेन, शिमुक शातवाहन आदिके नाम शिलालेखोंमें पाये हैं। नाशिककी कन्दरामें † जो लेख मिला है, उससे पता चलता है कि विदर्भ (बरार) और अनूपदेश ¶ पर गौतमीपुत्र शातकर्णीका राज्य वर्तमान था।

निदान आन्ध्रोंका प्रभाव इस प्रान्तसे ई० स० ४२२ के लगभग अस्त हो गया×। अबतक उनके सम्बन्धका एक भी स्मारक इस प्रान्तमें नहीं मिला है।

---

* हत्वा कण्वं सुशर्माणं तद्भृत्यो वृषलो बली।
गां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कञ्चित्कालमसत्तमः॥२०॥ भागवत स्कन्ध १२, अ० १

† "राज रञो गोतमीपुतस्य हिमवतमेरुमंदरपर्वतसमसारस असिक-असक-मुलक-सुरठ-कुकुर-आपरंत-अनुप-विदभ-अकरावंतिराजस............सातवाहन-कुलयसपतिथापनकरस।"

¶ नर्मदाका उत्तरीय (कछारका) प्रान्त अनूप कहलाता था, जिसमें वर्तमान जबलपुर कमिश्नरीका अधिकांश भाग सम्मिलित है।

× विंसेण्ट स्मिथके अनुसार उनका समय ईसाके पूर्व २३२ (विक्रम संवत्के पूर्व १७५ वर्ष) के निकटसे ई० स० २२५ (वि० सम्वत् २८२) तक था।

गुप्तवंश।

आन्ध्रोंका बल घटते ही गुप्तवंशीय राजाओंका ऐश्वर्य मौर्योंकी भाँति इस प्रान्तके उत्तरीय भागपर छा गया। ई० स० ३२० में चंद्रगुप्तने अपना सम्वत् चलाया जो 'गुप्तसम्वत्' कहलाता था। उसके पिताका नाम घटोत्कच और पुत्रका नाम 'लिच्छवि-दौहित्र समुद्रगुप्त' था। जब समुद्रगुप्त दिग्विजयको निकला, तो सागरसे प्रवेशकर दमोह, जबलपुर, मण्डला और छत्तीसगढ़के इलाकेसे होता हुआ दक्षिणकी ओर गया। प्रयागकी प्रशस्तिसे पता चलता है कि उसने सैकड़ों युद्धोंमें विजय प्राप्त किया। कोटवंशीय राजाको उसने पकड़ लिया। कोशलके * राजा महेन्द्र, महाकान्तारके राजा व्याघ्रराज और केरल-नरेश मन्नराजको परास्त करके उन्हें फिरसे उनका राज्य वापिस कर दिया। बटियागढ़के ‡ लेखसे पता लगता है कि समुद्रगुप्तने इस प्रान्तकी खरपरिक जातिको अपने अधीन कर लिया था।

समुद्रगुप्तका एक टूटा हुआ लेख सागर जिलेके एरण × नामक ग्राममें मिला है, जिसमें मकान बनवानेका और सुवर्णदानका वर्णन है। जान

* वर्तमान छत्तीसगढ़ कमिश्नरीका नाम कोशल या महाकोशल था।

‡ दमोह जिलेके बटियागढ़ ग्राममें ई० स० १३२८ का एक लेख मिला है, उसमें इस जातिका नाम खर्पर लिखा है। (It states that Jallala was the representative of Hisamuddin, son of Julachi, who was appointed commander of the खर्पर armies and Governor of Chedi country by Sultan Mahmud of Delhi. ये लोग अब खपरिया कहलाते हैं और भैंसोंका रोजगार करते हैं।

× देखो फ्लीट-सम्पादित गुप्तोंके सम्बन्धके लेख, पृष्ठ १८।

पड़ता है कि यह दान अश्वमेधके अवसरपर दिया गया था। इससे अनुमान होता है कि यह लेख उसके राज्यके अंतिम समयमें लिखा गया होगा।

समुद्रगुप्तके पश्चात् उसके निम्नलिखित उत्तराधिकारियोंने राज्य किया¶—चन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य ई० स० ३८०–४१३), कुमारगुप्त (महेन्द्रादित्य ई० स० ४१३–४५५), स्कन्दगुप्त (ई० स० ४५५–४६९), कुमारगुप्त द्वितीय (ई० स० ४६९–४७६), बुधगुप्त (ई० स० ४७६-५०५) और भानुगुप्त (ई० स० ५०५-५३३)।

बुद्धगुप्तके समयका एक लेख एरणके † ध्वजस्तम्भपर है, जो गुप्त-सम्वत् १६५ (ई० स० ४८४–८५) का है। उसमें बुद्धगुप्तके शासन-कालमें ब्राह्मणवंशीय मातृविष्णु और भाई दयितविष्णुद्वारा ध्वजस्तम्भ स्थापित करनेका वर्णन है। उससे यह भी पता चलता है कि उस समय महाराजा सुरश्मिचन्द्र यमुना और नर्मदाके मध्यवर्ती प्रान्तका शासक था। यह सुरश्मिचन्द्र गुप्तोंका आश्रित था और संभव है कि उसके कर्मचारी के रूपमें एरणमें रहकर वहाँका राजा कहलाता हो।

¶ A Peep into the Early History of India नामक ग्रंथमें स्व० सर भांडारकरने इस प्रकार लिखा है:—These Inscriptions show that the domimons of the Guptas embraced in the time of Chandra Gupta II the whole of North Western Province, Malwa and Central Provinces.

† फ्लीटके कार्पस इन्सक्रिपशन इन्डिकेरं जिल्द ३ नं० २० में एरणका उल्लेख समुद्रगुप्तके लेखमें 'ऐरिकिण' नामसे आया है और उसीका उल्लेख तोरमाणके लेखमें भी है।

यहींपर एक लेख तोरमाणके (हूणवंशीय) राज्यके पहले वर्षका मिला है, जिसमें स्वर्गवासी मातृविष्णुके छोटे भाई दयितविष्णुके एक मन्दिर बनवानेका उल्लेख है। यह मन्दिर महाराजाधिराज तोरमाणशाहके शासनकालमें बना था। यद्यपि इस लेखसे सम्वत् आदिका पता नहीं चलता, तथापि बुधगुप्तके लेखमें वर्णित मातृविष्णुके स्वर्गवासके पश्चात् उसके भाई दयितविष्णुके उक्त मन्दिरके निर्माणका उल्लेख होनेसे स्पष्ट है कि ई० स० ४८४–८५ में यहाँपर गुप्तोंका अधिकार था और उसके बाद हूणवंशीय तोरमाणके आक्रमणसे इस प्रान्तसे गुप्तोंका अधिकार जाता रहा।

हूणोंके आक्रमणसे सारा भारत काँप उठा था। जान पड़ता है कि ५ वीं सदीके अन्तमें मध्य एशियाके श्वेत हूणोंके मुखिया तोरमाण शाहने सागरजिले तक अपना राज्य जमा लिया था; किन्तु उसका शासन यहाँपर स्थिर न रहा।

बुद्धगुप्तके उत्तराधिकारी भानुगुप्तके समयका भी एक लेख एरणमें मिला है। उसमें गुप्त सं० १९१ (ई० स० ५१०–११) में प्रतापी राजा भानुगुप्तके साथ गोपराजका इस स्थानपर आना और युद्धमें मारा जाना लिखा है। इसमें विपक्षीके नामका पता नहीं लगता, संभव है कि वे लोग हूण ही हों। गुप्तोंकी शिथिलतासे प्रान्तीय शासकोंको स्वतंत्रता-पूर्वक विचरनेका मौका मिल गया, जिसका वर्णन अन्यत्र किया जायगा।

परिव्राजक और उच्छकल्प।

खोहके * ताम्रपत्रोंमें गुप्तसम्वत् १६३ ई० स० ४८२-८३ का परिव्राजक महाराजा हस्तीका उल्लेख मिलता है, जो 'गुप्तनृपराजभुक्तौ'

* खोह नामक ग्राम बघेलखण्डमें है।

‡ लिखा होनेसे बुधगुप्तका सामन्त जान पड़ता है। इसी सम्बन्धका एक लेख बैतूलमें † मिला है, जिसमें इस वंशकी वंशावली दी है। सुशर्माके वंशमें महाप्रतापी देवाढ्य हुआ जिसका पुत्र प्रभंजन और पौत्र दामोदर था। दामोदरका पुत्र पराक्रमी हस्ती था। उसका पुत्र संक्षोभ, दाभाला (डाहल) × और उसके आसपासके १८ गढ़ोंपर हुकूमत करता था। उसकी राजधानी विजयराघवगढ़के निकट थी। लेखोंसे सिद्ध होता है कि ये लोग गुप्तोंके माण्डलिक थे। इसी प्रकार उच्छकल्प वंशकी राजधानी उचेहरामें + थी। कारीं तलाईमें ¶ गुप्त सम्वत् १७४ (ई० स० ४९३-९४) का ताम्रपत्र महाराज जयनाथका मिला है। उसमें गुप्त सम्वत्का उल्लेख होनेसे श्री बसाक-बाबू इसे भी बुधगुप्तका सामन्त अनुमान करते हैं।

---

‡ मझगाँवमें मिले हुए गु० सं० १९१ (ई० स० ५१०-११) के महाराजा हस्तीके ताम्रपत्रोंमें और खोहसे मिले हुए उसके पुत्र संक्षोभके ताम्रपत्रोंमें 'गुप्तनृपराजभुक्तौ' लिखा है।

† Betul plates of Samkshoba, see Epigraphia Indica Vol. 8, page 284 इस लेखद्वारा संक्षोभने एक ब्राह्मणको त्रिपुरी-अन्तर्गत द्वारवाटिका और प्रस्तरवाटक ग्रामोंकी भूमि प्रदान की थी। इस सनदकी तिथि गुप्त सम्वत् ११९ के कार्तिक मासकी दशमी (ई० स० ५१८) है।

× डाहल (दाभाला) वर्तमान जबलपुर और उसके आसपासका प्रान्त कहलाता था।

+ उचेहरा नामक स्थान बघेलखण्डमें रेलवे-स्टेशन है।

¶ Descriptive List of Inscriptions in C. P. and Berar page 21 (Karitalai plate of Maharaja Jainath) This Inscription records the grant of a village Chhandāpallika in the Nagadeya Santaka by Maharaja जयनाथ son of महाराजा व्याघ्रनाथ and महादेवी अजिता देवी। the grandson of जयस्वामिन and great grandson of कुमारदेव and जयस्वामिनी and रामदेवी the great great grandson of ओघदेव and कुमारदेवी।

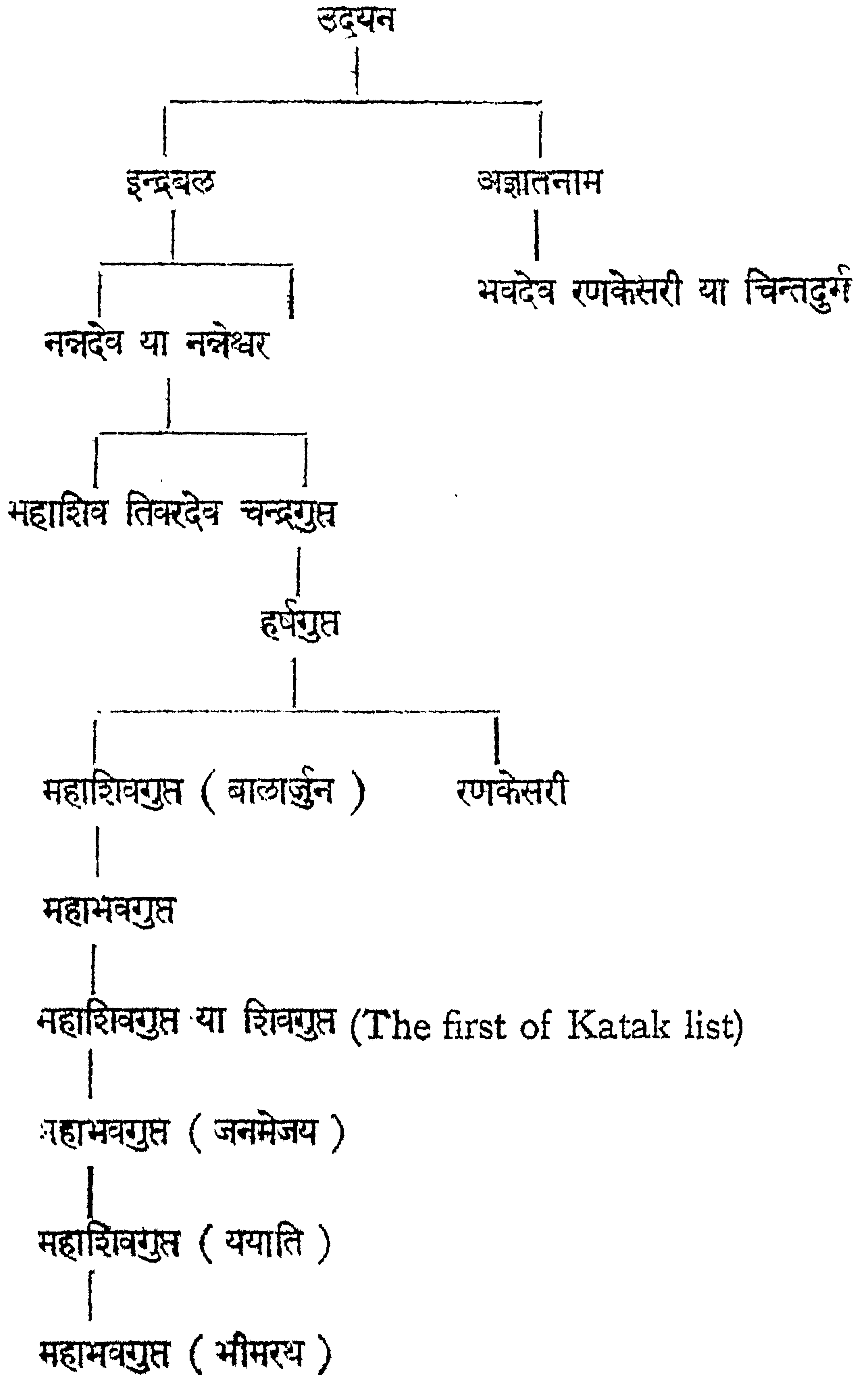
जयसिंहका पिता व्याघ्रराज भी गुप्तोंका आश्रित सामन्त था। जयनाथका पुत्र सर्वनाथ था, जिसके सम्बन्धका एक ताम्रपत्र गुप्त सम्वत् १९३ (ई० स० ५१२-१३) का और दो लेख गुप्त सम्वत् १९७ और २१४ के मिले हैं। उनसे अनुमान होता है कि यह भी भानुगुप्तका समकालीन और सामन्त था।

राजर्षितुल्य कुल और सिरपुरके सोमवंशी।

आरंगमें* गुप्तसम्वत् २८२ (ई० स० ६०१) का जो ताम्रपत्र मिला है, उससे राजर्षितुल्यकुलके भीमसेन द्वितीयका पता चलता है। उसके पिताका नाम द्वितीय दयितवर्मा था। दयितके पिताका नाम भीमसेन प्रथम और उसके पिताका नाम बिभीषण और उसके पिताका नाम दयितवर्मा (प्रथम) था। दयितके पिताका नाम सर्वभद्राजर्षितुल्यकुलप्रभावकीर्तिः श्रीमहाराज शूर था। अर्थात् महाराज शूरसे इस वंशकी वंशावली आरंभ होती है। संभव है कि ये समुद्रगुप्तके लेखमें वर्णित महेन्द्रके वंशज हों; किन्तु इसका पता इस लेखसे नहीं चलता।

भद्रावतीके किसी राजाने अपनी राजधानी स्थानान्तरित कर रायपुर जिलेमें महानदीके तटपर श्रीपुर या सिरपुरमें रक्खी थी। इस राजाके वंशके कुछ नामोंके पीछे 'गुप्त' उपपद लगता है; किन्तु पटनाके आदि गुप्तोंसे ये लोग भिन्न हैं। इन सोमवंशी पाण्डवोंका पता उदयनसे लगता है, जो भांदकमें राज्य करता था और जिसका उल्लेख भांदकके लेखमें भी आया है। सिरपुरके लेखमें इस वंशकी वंशावलीका पता पूर्णरूपसे चलता है, जिसके अनुसार यह वंशवृक्ष तयार किया गया है—

* आरंग रायपुरसे २२ मीलपर है। यहाँके लेखका वर्णन Epigraphia Indica, Vol. 9, page 342 में है। इस लेख द्वारा 'दौण्डा वैषियकवटपल्लिकायां' एक ग्राम दो ब्राह्मणोंको प्रदान किया गया था। इस लेखकी तिथि गुप्तनामसंवत्सरशते २८४ भाद्र दि १०—८।


उदयन
इन्द्रबल
अज्ञातनाम
भवदेव रणकेसरी या चिन्तदुर्ग
नन्नदेव या नन्नेश्वर
महाशिव तिवरदेव चन्द्रगुप्त
हर्षगुप्त
महाशिवगुप्त (बालार्जुन)
रणकेसरी
महाभवगुप्त
महाशिवगुप्त या शिवगुप्त (The first of Katak list)
महाभवगुप्त (जनमेजय)
महाशिवगुप्त (ययाति)
महाभवगुप्त (भीमरथ)

इस वंशके विषयमें कई लेख मिले हैं। * चन्द्रवंशीय इन्द्रबल (उदयनका पुत्र—ई० स० ३१९) का पुत्र नन्नदेव या नन्नेश्वर (ई० स० ३५०) और पौत्र महाशिवगुप्त तिवरदेव और चन्द्रगुप्त थे। तिवरदेवके लेख बलोदा और राजिममें मिले हैं। बलोदाके † लेखसे पता चलता है कि तिवरदेवने समस्त कोशलपर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। वह विष्णुका भक्त था और (सुन्दरिका मार्ग) मेङ्किडके × ग्राम उसने ब्राह्मणोंको प्रदान किया था। इस लेखकी मुहरमें निम्नलिखित श्लोक लिखा हुआ है:—

श्रीमत्तीवरदेवस्य कोसल [ा] धिपतेरि [दं]।
शासनं ध [र्म्म] वृद्ध्यर्थं स्थितमाचन्द्रत [ा] र [कं]॥

राजिमके लेखसे + पता लगता है कि तीवरदेवने पिम्परिपद्रक ¶ (पेण्ठमभुक्तिके अन्तर्गत) ग्राम प्रदान किया था। यह लेख उसके शासनके ७ वें वर्षकी कार्तिकी अष्टमीको लिखा गया था।

चन्द्रगुप्तके पुत्र हर्षगुप्त (ई० स० ४००) का अधिकांश समय सुसंगतिमें व्यतीत होता था। याचकगण उसके पाससे विमुख होकर नहीं लौटे थे। उसके महाशिवगुप्त और रणकेसरी दो पुत्र थे। जिस प्रकार

* इसके सम्बन्धके लेख निम्नलिखित स्थानोंमें प्राप्त हुए हैं। सिरपुर, खरोद, भांदक, राजिम, और बलोदा।

† Epigraphia Indica, Vol. 7, page 106 नामक ग्रन्थमें पूर्णरूपसे है।

× इस स्थानका पता नहीं लगता है।

+ Descriptive List of Inscription in C. P. and Berar नामक ग्रन्थमें इसका विवरण मिलता है।

¶ इस स्थानका भी पता नहीं चलता है।

पार्थने अपने भ्राता भीमका साथ दिया था, या बलरामने कृष्णका, उसीप्रकार रणकेसरीने अपने भाई महाशिवगुप्तका साथ दिया था। इसलिए शत्रुसमूह महाशिवगुप्तको बालार्जुन कहता था। उसकी माता वासटा (?) और नाना मगधका राजा सूर्यवर्मा था।

महाशिवगुप्तके पुत्र महाभवगुप्तके लेखमें उसके नामके पूर्वमें इस प्रकार लिखा जाता था—"परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-श्रीशिवगुप्तदेवपादानुध्यात् परममाहेश्वरपरमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-सोमकुलतिलकत्रिकलिंगाधिपतिश्रीमहादेवगुप्तदेवः।" जान पड़ता है कि बालार्जुनके पश्चात् श्रीपुर विपत्तिग्रस्त हुआ और उसका उत्तराधिकारी यहाँसे उठकर विनीतपुरमें* जा बसा। इस वंशके दो नाम चलते थे। यदि पिता शिवगुप्त हुआ तो पुत्र भवगुप्त होता था। संभव है कि इसी वंशके राजा ययातिने विनीतपुरका नाम बदलकर ययातिपुर रक्खा हो। उसका पुत्र भीमरथ हुआ, जिसके पश्चात्का इतिहास नहीं मिलता। संभवतः उनका राज्य दूसरोंके हाथ चला गया होगा।

शरभपुरवंशीय।

जब श्रीपुर सोमवंशके हाथसे निकल गया, तब शरभपुरीय उनके स्थानापन्न हुए। इस वंशके ताम्रपत्रोंमें महासुदेवराज और महाजयराजके नाम मिलते हैं; किन्तु वंशावलीका पता नहीं लगता। खैरियारमें जो तीन ताम्रपत्र मिले हैं; वे ८ वीं सदीके लगभगके हैं। उनमेंसे एक ताम्र-

* This capital Sarabhapur of these kings has not yet been indentified. Apparently it was a name imposed on Sirpur when the later Guptas were ousted from there by the dynasty to which Jairaj belonged."

पत्रमें क्षितिसंदहारमें सम्बलिकके निकट नवण्णक ग्रामको दानका उल्लेख है। इस प्रशस्तिका समय उसके शासनका दूसरा वर्ष और श्रावणमासकी २९ वीं तिथि है। मुहरछापमें निम्नलिखित श्लोक अङ्कित है—

प्रसन्नार्णवसम्भूतमानमातेन्दुजन्मनः।
श्रीमद्देवस्य राज्यस्य स्थिरं जगति शासनम्॥

दूसरा लेख रायपुरमें मिला है। उसमें भी वंशावलीका पता नहीं लगता। महाराज जयराजके सम्बन्धका एक ताम्रपत्र आरंगमें मिला है। उसमें पूर्वराष्ट्रके पमवाग्रामके दानका उल्लेख है। मुहरमें निम्नलिखित श्लोक मिलता है—

प्रसन्नहृदयस्यैव विक्रमाक्रान्तविद्विषः।
श्रीमत्सुदेवराजस्य शासनं रिपुशासनम्॥

ये सनदें शरभपुरसे प्रदान की गई थीं; किन्तु इसका निश्चयात्मक पता नहीं चलता कि शरभपुर कहाँ था। डा० राजेन्द्रलाल मित्रने आधुनिक सम्बलपुरको प्राचीन शरभपुर माना है। संभव है कि सिरपुर ही शरभपुर कहलाता हो। जान पड़ता है कि इस वंशका राज्य बहुत दिनोंतक स्थिर न रहा।

वाकाटकवंश।

आन्ध्रोंके पश्चात् ईसाकी चौथी सदीसे छठी सदी तक विदर्भ, सतपुड़ा और नागपुर प्रान्तमें वाकाटकोंका शासन स्थिर रहा। मेजर कनिंगहाम् इस वंशका समय ई० स० २९४ से ५२५ तकका अनुमान करते हैं। ये लोग दक्षिण कोशलके गुप्त राजाओंके समकालीन थे। इस

† प्रशस्तियोंमें जिन स्थानोंका उल्लेख है, उनका पता नहीं लगता।

वंशका पता अजण्टाके लेख नंबर १६ से लगता है। मध्यप्रदेशमें भी इसके† सम्बन्धकी ४ प्रशस्तियाँ मिली हैं। इस वंशका आदि पुरुष 'विन्ध्यशक्तिः' था, जिसने (स्वबाहुवीर्याजितसर्वलोकः) अपने बाहुबलसे पृथ्वी प्राप्त की थी। इस वंशमें प्रथम प्रवरसेन अवतीर्ण हुआ। जान पड़ता है कि वाकाटकवंशीय राजा लोग ब्राह्मण थे और उनकी राजधानी प्रवरपुरमें* थी। उनके नामके पीछे सेन उपपद लगता है। मालूम होता है कि प्रवरसेनने अश्वमेध यज्ञ किया था। उसका पुत्र गोतमीपुत्र था, जिसका विवाह गंगातटके भारशिवके राजा भवनाथकी कन्यासे हुआ था; किन्तु जान पड़ता है कि उसका स्वर्गवास पिताकी जीवित अवस्थामें हो चुका था। इसलिए प्रवरसेनके पश्चात् रुद्रसेन (प्रथम) गद्दीपर बैठा; किन्तु उसके विषयमें कोई विवरण नहीं मिलता। उसके पुत्र पृथ्वीसेनने कुंतल देशके राजाको पराजित किया था। पृथ्वीसेनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीयका विवाह मगधदेशाधिपति देवगुप्तकी कन्या प्रभावतीके साथ हुआ था। उसका पुत्र प्रवरसेन द्वितीय था। उसके समयके तीन ताम्रपत्र इस प्रान्तमें मिले हैं, जिनमें दानोंका उल्लेख है। इन ताम्रपत्रोंमें राजमुद्रा इस प्रकार अङ्कित है:—

वाकाटकललामस्य क्रमप्राप्तनृपश्रियः।
राज्ञः प्रवरसेनस्य शासनं रिपुशासनम्॥

प्रशस्तियोंसे पता चलता है कि उसने कुंतल, कलिङ्ग, त्रिकूट, लाट और आन्ध्र देशोंपर अपना प्रभुत्व जमाया था। उसके देवषेण¶ और

---

† वाकाटकोंके सम्बन्धके ताम्रपत्र पिंडरई (सिवनी), दूदिया, चम्पक और बालाघाटमें मिले हैं।

* प्रवरपुर कहाँ था, इसका पता नहीं लगता।

¶ डॉ० कीलहार्नने इस प्रकार लिखा है:—Narendrasena probably ousted his elder brother and was consequently

नरेन्द्रसेन नामक दो पुत्र थे। नरेन्द्रसेनका विवाह कुन्तलदेशकी राजकन्या अजित भट्टारिकाके साथ हुआ था। उसका पुत्र पृथ्वीसेन द्वितीय हुआ, जिसकी आज्ञाका पालन कोशल, मालवा और मेकलके नरेश करते थे। उसके शासनकालका एक लेख बालाघाटमें मिला है। नाचनाके लेखसे पता चलता है कि उच्छकल्पवंशीय जयनाथका पिता व्याघ्रराज उसका आश्रित सामन्त था। "वाकाटकानां महाराजश्रीपृथ्वीसेनपादानुध्यातव्याघ्रराजः" यही व्याघ्रराज आदिगुप्तोंका सामन्त था; किन्तु गुप्तोंका बल घटते ही उसने वाकाटकोंकी अधीनता स्वीकृत कर ली थी।

पृथ्वीसेनके पश्चात् वाकाटक-वंशधरोंका पता नहीं लगता; किन्तु जान पड़ता है कि उनके अस्त होते ही हैहय, कलचुरि, राष्ट्रकूट तथा चालुक्योंका उदयकाल प्रारंभ हुआ, जिनका उल्लेख अन्यत्र किया जायगा। इस वंशका तीसरी सदी तक दक्षिण भारतमें खासा प्रभुत्व रहा और इस बीचमें उन्होंने उत्तरी भारतकी संस्कृतिका यथेष्ट प्रचार किया। *वाकाटकोंके

succeeded by his son Prithivisena II. This would lead to the conclusion that Devasena was a nephew of Narendrasena and had some part of the Kingdom left to him to which he and his son Harisena succeeded.

* The Vakatakas reigned over an Empire that occupied a very central position, and it is through this dynasty that the high civilization of the Gupta Empire and Sanskrit culture in particular spread throughout the Deccan. Between 400 and 500 A. D. the Vakatakas occupied a predominent position and we say that "In the History of Deccan the 5th Century is the Century of the Vakatakas."

(Dubreuil, page 75.)

राज्यके उत्तरमें उज्जैनके कुमारगुप्तका राज्य, पूर्वमें शरभपुरका राज्य, पश्चिममें अपरान्तके त्रैकूटोंका राज्य और दक्षिणमें गोदावरी नदीका तट था ।

हैहयवंश । †

मध्यप्रान्तका पूर्वीय हिस्सा महाभारतकालमें 'महाकोशल' कहलाता था और यहाँके शासक हैहयवंशी थे। पुराणोंमें इस वंशका विवरण विस्तारसे मिलता है। ब्रह्माके पुत्र अत्रि और पौत्र सोमसे यह वंश सोमवंशी कहलाया। सोमका पुत्र बुध और बुधका पुत्र पुरूरवा हुआ, जिसके ७ पुत्र थे। उनमेंसे ययातिका पुत्र यदु, उसका पुत्र सहस्त्रद और सहस्त्रदका पुत्र हैहय था, जिसने नर्मदाके तटपर राज्य स्थापित करके अपना वंश चलाया। हैहयका प्रतापी पुत्र धर्मनेत्र था और पौत्र कीर्ति और कान्त थे। कीर्तिका पुत्र भद्रसेन और उसका पुत्र दुर्मद था। दुर्मदका पुत्र कनक जिसके कृतवीर्य, कृतौजा, कृतवर्मा और कृताग्नि नामक चार पुत्र थे। कृतवीर्यका पुत्र कार्तवीर्य या सहस्त्रबाहु था, जिसका उल्लेख इस वंशके शिलालेखों तथा ताम्रपत्रोंमें सगर्व किया गया है।

इसी हैहयवंशमें कोकल्लदेव नामक चेदिदेशका प्रबल राजा हुआ; जिसके वंशज कलचुरि कहलाते थे। महाकोशलके हैहयवंशियोंकी शक्तिके घटनेसे यह शाखा स्वतंत्र हो गई थी। ये लोग भी गुप्तोंकी सेवामें थे और इनका भी सम्वत् विक्रमीय सम्वत् ३०६ से एक सहस्त्र वर्षतक जारी था । सम्वत् ६४८ में प्रायः १७ वर्ष राज्य करनेवाला चालुक्य-

† स्व० श्रीरेवारामजी कृत अप्रकाशित 'रतनपुरका इतिहास'।

नरेश मंगलीश चेदिपति बुद्धवर्मनको * पराजित करनेका अभिमान रखता था। उसी समयके बृहत्संहिता नामक ग्रन्थमें लिखा है कि चेदिनरेश महत्तायुक्त थे।

ताम्रपत्रोंमें सबसे प्राचीन उल्लेख ई० सन् ५८० का मिलता है। उस समय बुद्धराजका शासन स्थित था। उसके पीछे ई० सन् ८७५ तक विश्वासयोग्य इतिहासका पता नहीं लगता। कलचुरियोंकी वंशावली कोकल्ल-देवसे आरंभ होती है, जिसका कि समय ई० स० ८७५ के लगभग स्थिर किया जाता है। उसका विवाह चंदेलोंके यहाँ और पुत्रीका विवाह राष्ट्रकूटवंशीय कृष्णके साथ हुआ था। उसकी प्राचीन राजधानी 'त्रित-सौर्य' में थी। उसी सम्बन्धके एक लेखमें इस प्रकार लिखा है—

तेषां हैहयभूभुजां समभवद्वंशे स चेदीश्वरः।
श्रीकोकल्ल इति स्मरप्रतिकृतिर्विश्वप्रमोदो यतः॥
येनायं त्रितसौर्य [ ] मेनमातुं यशः।
स्वायं प्रेषितमुच्चकैः कियदिति ब्रह्माण्डमंशः क्षितिः॥ ४॥
प्राप्ते तस्य कलिङ्गराजनृपतेर्वंशः क्रमादानुजः।
पुत्रं शत्रुकलत्रनेत्रसलिलस्फीतं प्रतापद्रुमम्॥

---

* रा० ब० गौरीशंकरजी ओझाकृत सोलंकियोंका इतिहास पृ० २३। मंगलीशने पूर्वी और पश्चिमी समुद्रतटोंपर अपनी अश्वसेना रक्खी थी तलवारके बलसे हस्तिसमूहको नष्ट करके कलचुरि-राज्य-लक्ष्मीको छीन लिया था और रेवती द्वीपको पादाक्रान्त किया था। सावंतवाडीके नेरूर ग्राममें जो लेख मिला था, उसमें चेदि-नरेश बुद्धराजके पिताका नाम शंकरगण लिखा है। उसी प्रकार आनंदपुर (गुज-रात) के दानपत्रमें उसके पितामहका नाम कृष्णराज मिलता है। बुद्धराज चेदिके कलचुरि राजाओंका पूर्वज और गुजरातके लाट प्रदेशका राजा था। अतएव चालुक्यवंशीय मंगलीशने लाट देशतक अपने राज्यकी सीमा बढ़ाई होगी।

येनायं त्रितसौर्यकोशमकृशीकर्त्तुं विहायान्वय-
क्षोणीं दक्षिणकोशलो जनपदो बाहुद्वयेनार्जितः ॥ ६ ॥

[अर्थात् हैहयवंशमें श्रीकोकल्ल नामक चेदि देशका शासक हुआ और जिसने त्रितसौर्यकी फौजको उसकी विपुलताद्वारा अपने यशको स्पष्ट नापनेके लिए भेजा। कोकल्लका वंशज कलिंगराज त्रितसौर्यका कोश क्षीण न करके अपने बांधवोंकी सेना छोड़कर दक्षिण कोशलकी ओर चला गया।] इससे अनुमान होता है कि त्रितसौर्य हैहयवंशकी प्रमुख राजधानी थी। उनमेंसे एकने त्रिपुरीमें राजगद्दी स्थापित की। कोकल्लके १८ पुत्र थे, उनमेंसे ज्येष्ठ मुग्धतुंग गद्दीपर बैठा और उसके अन्य भाई मण्डलाधिपति बन बैठे। उसने पूर्वी समुद्रतक धावा करके दक्षिण कोशलके राजासे पाली छीन ली थी। मुग्धतुंगका शासनकाल ई० स० ९०० से ९२५ तक स्थिर किया गया है। उसके दो पुत्र बालहर्ष और केयूरवर्ष युवराजदेव थे। ये दोनों भाई एकके पश्चात् एक गद्दीपर बैठे। युवराजदेवने चालुक्यनरेश अवनिवर्मनकी पुत्री नोहलदेवीके साथ अपना विवाह किया था। उसने गोलकी मठके महन्त सद्भाव शंभुको राज्यमेंसे तीन लक्ष ग्रामोंकी जागीर दी थी। ज्ञात होता है कि उस समय यमुना और नर्मदाके मध्यवर्ती डाहल प्रान्तमें ९ लाख ग्राम थे।

युवराजदेवका पुत्र लक्ष्मणराज ई० स० ९५० के लगभग सिंहासनपर बैठा। उसने कोशल प्रान्तके राजाको परास्त करके समुद्रपर्यन्त धावा किया और गुजरातमें पहुँचकर सोमनाथ महादेवका पूजन किया। उसने अपनी कन्या बोंथादेवी चालुक्यवंशीय चतुर्थ विक्रमादित्यको व्याही थी†।

---

† कैथूमग्रामके शिलालेखमें इस प्रकार है—

चेदीशवंशतिलकां लक्ष्मणराजस्य नंदिनीं शीलां ।
बोंथादेवीं विधिवत्परिणिन्ये विक्रमादित्यः ॥

बोंथादेवीका प्रतापी पुत्र तैलप था; जिसने अपने वंशका पुनरुत्थान किया। लक्ष्मणराजके समयका एक लेख कारीतलाईमें * मिला है। लक्ष्मणराजके दो पुत्र थे—शंकरगण और युवराजदेव द्वितीय। इन दोनों भाइयोंने क्रमशः राज्य किया। युवराजदेवके समयमें मालवाके राजा मुंजने त्रिपुरीपर चढ़ाई की और उसे हरा दिया। इसी मुंजने उसके भानजे तैलपको १६ बार हराया था; किन्तु १७ वीं बार तैलपने उसका सिर काट लिया। तैलपने अपने मामा युवराजदेवपर चढ़ाई करके उसे हरा दिया था। × उसका पुत्र कोकल्ल द्वितीय था; जिसका कि शासनकाल ई० सन् १०१५ के लगभग समाप्त होता है।

कोकल्ल द्वितीयका पुत्र गांगेयदेव विक्रमादित्य ॐ कहलाता था। वह पांड्य, कुंतल, बंग, कीर, हूण, कलिंगके नरेशोंको अपने प्रभुत्वके नीचे ले आया था। उसके शत्रु चंदेले भी उसे विश्वविजयी मानते थे। उसने उत्तर भारतका आधिपत्य प्राप्त करनेका उद्योग किया और ई० सन् १०१९ तक उसने नेपाल और तिरहुततक अपना आतंक बैठा दिया। दक्षिणमें कर्नाटकके निकटस्थ कुंतल देशपर आक्रमण करके वहाँके राजाको उसका जीता हुआ राज्य उसने लौटा दिया। अरब-यात्री अलबेरूनीने उसकी प्रशंसा की है। जब वह भारतमें आया था उस समय डाहलका राजा गांगेयदेव वर्तमान था। उसके नामके सिक्के भी मिलते हैं। उसने मरनेके पूर्व ही कर्णदेवको ¶ राज्यसिंहासन सौंप दिया था और आप

* कारीतलाई ग्राम जबलपुर ज़िलेकी मुड़वारा तहसीलमें है।

× कैथूमके ताम्रपत्रोंमें हूण, मालव तथा चेदिके राजाओंको जीतनेका उल्लेख है।

ॐ यशःकर्णदेवके ताम्रपत्रोंमें उसे 'विक्रमादित्यश्री' उपाधिसे सम्बोधित किया है।

¶ डॉ० फ्लीटके अनुसार गांगेयदेवकी अन्तकालकी तिथि फागुन वदी २ अर्थात् २२ जनवरी ई० स० १०४१ होती है।

अपनी १०० रानियोंके सहित प्रयाग चला गया था। वहींपर अक्षयवटके पास ई० सन् १०४१ में वह स्वर्गको सिधारा।

कर्णदेवका शासनकाल ई० सन् १०४० से १०८० तक है। उसने पितासे अधिक प्रताप दिखलाया, पांड्य, मुरल, कुङ्ग, कलिंग, कीर, चोड़, गौड़, और हूणोंको अपने अधीन कर लिया, और मगधके पाल-राजाओंको तथा उत्तरके कई नरेशोंको युद्धमें पराजित किया। चंदेल राजा कीर्तिवर्मा एक बार कर्णसे जीत गया था और इस जीतकी खुशीमें उसने 'प्रबोध-चंद्रोदय' नाटक बनवाकर उसका अभिनय कराया था। उसने राजा भोजसे भी लड़ाई की थी। तिलंगाना जीतनेके कारण वह त्रिकलिङ्गाधिपति कहलाया। जान पड़ता है कि कर्णदेव चालुक्यवंशीय सोमेश्वर (आहवमल्ल) से भी हार गया था। उसने अपना विवाह हूणकुमारी आवल्लादेवीसे किया था जिसका पुत्र यशःकर्णदेव था। कर्णने यशः-कर्णका राज्याभिषेक अपनी जीवित अवस्थामें कर दिया था और अपने नामपर कर्णावती नगरी * और काशीमें कर्णमेरु नामका विशाल मंदिर बनवाया था।

यशःकर्णदेवने चम्पारण्यको † नष्ट करके गोदावरीतटके आन्ध्र राजाको हराया था। तिलंगाना लूटनेमें उसे जो सम्पत्ति मिली थी, उसे उसने वहींके भीमेश्वर शिवालयको अर्पण कर दिया था। कन्नौजके गोविन्दच-न्द्रने इसके राज्यके कुछ अंशपर अपना अधिकार जमा लिया था ×।

---

* कर्णावती नगरी वर्तमान 'करनबेल' जबलपुरसे ६ मीलपर वर्तमान तेवर (त्रिपुरी) के निकट है।

† Epigraphia Indica Vol. 2 page 1 ग्रन्थमें वर्णित यशः कर्णदेवका ताम्रपत्र।

× कन्नौजके गोविन्दचन्द्रके लेखोंमें इस बातकी उल्लेख सगर्व किया गया है।

ई० सन् ११२२ का एक लेख यशःकर्णके सम्बन्धका जबलपुरमें मिला है।* उसका राज्यावसान कब हुआ और पुत्र गयकर्ण कब गद्दीपर बैठा; इसका पता नहीं लगता। तेवरके लेखसे ※ सिद्ध होता है कि ई० स० ११५१ में गयकर्णदेव त्रिपुरीकी गद्दीपर वर्तमान था।

गयकर्णदेवने अपना विवाह मेवाड़के गुहिलवंशीय विजयसिंहकी पुत्री अल्हणदेवीके साथ किया था। इस रानीके समयका अर्थात् चेदि संवत् ९०७ (ई० सन् ११५५) का एक लेख भेड़ाघाटमें मिला है ¶ जिससे पता चलता है कि उस समय गयकर्णका पुत्र नरसिंहदेव त्रिपुरीका शासन कर रहा था। उसकी माताने वैधव्यावस्थामें शिवमंदिर, मठ और व्याख्यानशाला बनवाकर एक उद्यान लगवाया था ‡ और उसके खर्चके लिये जाबालिपट्टणान्तर्गत (जबलपुर अन्तर्गत) नाम्णोदी और मकरपाठक नाम दो ग्राम प्रदान किये थे।

नरसिंहदेवके पश्चात् उसका भाई जयसिंहदेव गद्दीपर बैठा। उसके समयका एक लेख बिना तिथिका मिला है जिसमें अन्य लेखोंकी भाँति कलचुरिवंशकी वंशावली मिलती है। एक और शिलालेख इसी

* According to Dr. Kielhorn, the details work out to Monday 25th December 1122 A. D.

※ गयकर्णके शासनकालमें भवनामक ब्राह्मणने शिवमन्दिर बनवाया था। यह लेख चेदि सम्वत् ९०२ का है और इस समय नागपुरके अजायबघरमें है।

¶ Epigraphia Indica Vol. 2 page 7 नामक ग्रन्थ देखो।

‡ **अकारयन्मन्दिरमिन्दुमौलेरिदम्मठेनाद्भुतभूमिकेन।**
सहामुना श्रीनरसिंहदेवप्रसूरसावल्हणदेव्युदारा॥
व्याख्यानशालामुद्यानमालामविकलाममूम्।
अकारयत् स्वयं शम्भुप्रासादालीढ्यभ्निजैः॥

राजाके समयका—चेदि सम्वत् ९२८, ई० सन् ११७७ जुलाईकी ३ री तारीखका—मिला है। जयसिंहदेवकी रानी गोसलदेवीका पुत्र विजयसिंह था—जिसके सम्बन्धका एक लेख जबलपुरसे १० मीलके फासलेपर गोसलपुरमें मिला है। वह ई० स० ११८० के लगभग त्रिपुरीकी गद्दीपर वर्तमान था। गोसलपुरवाले लेखसे पता चलता है कि किसीने विष्णुका मन्दिर बनवाकर उसमें एक शिलालेख लगा दिया था जिसमें विजयसिंहकी पाँच पीढ़ीके नाम मिलते हैं *। इस लेखके अतिरिक्त एक ताम्रपत्र रानी गोसलदेवीके समयमें (चेदि सम्वत् ९३२ ई०, वि० स० ११८०) लिखा गया था, जिसमें चोरलाई ग्राम प्रदान करनेकी सनद है †।

विजयसिंहका पुत्र अजयसिंह था, जिसके राजत्वकालका कोई लेख नहीं मिलता। जान पड़ता है कि उस समयमें कलचुरियोंका बल बहुत कुछ घट गया था। एक ओरसे चन्देलोंने, दूसरी ओरसे मालवेके पवाँरोंने और घर भीतर गोंड़ोंने गड़बड़ मचा दी, जिससे राज्य-सूत्र टूट गया और जहाँ तहाँ स्थानीय राजालोग स्वतंत्र बन बैठे। परिणाम यह हुआ कि कलचुरियोंका अस्त और राज-गोंड़ोंका उदयकाल प्रारंभ हो गया।

राष्ट्रकूट या राठौर।

सम्राट् अशोकके दक्षिणी लेखोंमें राष्ट्रकूटोंके विषयमें रट्रिक, राष्ट्रिक

---

* Epigrahia Indica Vol. 2 page 7

† „ „ „ „ „ 17-18

आदि शब्दोंका प्रयोग मिलता है। विक्रमकी ७ वीं× सदीका एक ताम्र-पत्र इस प्रान्तमें राष्ट्रकूटवंशीय अभिमन्युका मिला है, जिसमें मानपुरके अभिमन्युकी ४ पुश्तोंका पता चलता है। *

ॐ स्वस्तिरनेकगुणगणालंकृतयशसां राष्ट्रकूटानां तिलकभूतो मानांक इति राजा बभूव।

राष्ट्रकूटतिलक मानांकका पुत्र देवराज, उसका पुत्र भविष्य और भविष्यका पुत्र अभिमन्यु था, जिसने शिवजीके पूजनार्थ दक्षिण शिवके मन्दिरको उंदिष्क वाटिका ¶ ग्राम इस सनदद्वारा राजधानी मानपुरसे प्रदान किया था। मानपुरके राष्ट्रकूटोंका यही एक स्मारक इस प्रान्तमें मिलता है। इस वंशके सम्बन्धमें जितने ताम्रपत्र मिले हैं, उनमें सबसे प्राचीन प्रशस्ति यही है। इसमें जो मुहर लगी है, उसमें सिंहपर विराजमान अम्बिकाकी मूर्त्ति है; किन्तु पिछले ताम्रपत्रोंमें सिंहका स्थान गरुड़ने ले लिया है।

बैतूल जिलेकी मुलताई तहसीलमें राष्ट्रकूटोंकी दो प्रशस्तियाँ मिली हैं। उनमेंसे तिवरखेड़वाली प्रशस्तिसे* नन्नराजकी ४ पीढ़ियोंका पता चलता है—(१) दुर्गराज, (२) गोविन्दराज, (३) स्वामिकराज और (४)

× डाक्टर भगवानलालजी इसे पाँचवीं सदीका अनुमान करते हैं।

* Epigraphia Indica Vol. 7 page 276 में पूरा विवरण है।

¶ उंदिष्कवाटिकाः—ऊंटिया नामक ग्राम पचमढ़ीसे ३० मील पर है। डॉ० फ्लीटका अनुमान है कि दक्षिण शिवका तात्पर्य पचमढ़ीके महादेवसे है। कुछ लोग मऊसे १२ मीलपर जो मानपुर है उसको प्राचीन मानपुर मानते हैं। कुछ लोग बांधवगढ़के निकटके मानपुरको बतलाते हैं।

* Epigraphia Indica Vol. 9 page 276 नामक ग्रन्थ।

नन्नराज। यह सनद अचलपुरसे† शके ५५३, ई० स० ६३१ में प्रदान की गई थी, जिसमें तिवरखेट और घुइखेट ÷ नामक ग्रामोंकी १० निवर्तन (एक नाप) भूमिका दान किया गया था। दूसरी प्रशस्ति शके ६३१, ई० सन् ७०९–१० की है। इसकी वंशावली भी उपयुक्त वंशावलीसे मिलती जुलती है; केवल नन्नराजके स्थानमें नंदराज लिखा है। संवतोंका विचार करनेसे अनुमान होता है कि दूसरी प्रशस्तिका नन्दराज शायद पहली प्रशस्तिका नन्नराजका छोटा भाई हो और वह नन्नराजके पश्चात् उसका उत्तराधिकारी हुआ हो। इससे अधिक इस वंशका पता नहीं मिलता है। नन्दराज 'युद्धशूर' कहलाता था। इन प्रशस्तियोंकी मुहरमें गरुड़की आकृति बनी है। अनुमान होता है कि दुर्गराज दक्षिणके प्रसिद्ध दन्तिवर्माका ही दूसरा नाम हो। यदि उसको ठीक मान लिया जाय, तो प्रशस्तिका गोविन्दराज राजा इन्द्रराजका छोटा भाई होगा।

एक प्रशस्ति मान्यखेटके × राष्ट्रकूटवंशीय कृष्ण तृतीयकी वर्धा ज़िलेके देवली ग्राममें मिली है, जिसमें मान्यखेटके राष्ट्रकूटोंकी पूर्ण वंशावली मिलती है। इतना ही नहीं, वरन् उसमें मुख्य मुख्य घटनाओंका भी उल्लेख है। लेखके अनुसार यदुवंशीय सात्यकीके वंशमें रट्ट नामक राजा हुआ जिससे इस वंशके राजा रट्टवंशोद्भव कहलाये। इसी वंशका प्रसिद्ध राजा दन्तिदुर्ग था, जिसके हाथी माही महानदी और नर्मदा तक पहुँचे थे—

---

† इलिचपुरका प्राचीन नाम अचलपुर था। यथा—
अचलपुरे वरणयरे, ईसाने मेढगिरिसिहरे ॥ (–निर्वाणभक्ति या निर्वाणकाण्ड)

÷ तिवरखेड मुलताईसे १४ मीलपर है और घुईखेड तिवरखेडसे ४० मीलपर है।

× Epigraphia Indica Vol. 5 page 188

माही-महानदी-रेवाधोभित्तिविदारणं ।※

इसी प्रकार उसने कलिङ्ग, कोशल, श्रीशैल, मालव, लाट, शेषों (नागों) और टंकोंको जीता था, तथा चालुक्यवंशीय कीतिवर्मा द्वितीयके राज्यपर भी अधिकार कर लिया था। उसका राज्य गुजरात और मालवेकी उत्तरीय सीमासे लेकर दक्षिणमें रामेश्वर तक था। उसके पश्चात् दन्तिदुर्गका चचा या इन्द्रराजका लघुभ्राता कृष्णराज प्रथम (श्रीकृष्णराज-नृपतिः) गद्दीपर बैठा। उसने चालुक्यवंशसे वहाँकी राज्य-लक्ष्मीको ¶ खींच लिया। एलोराकी प्रसिद्ध गुफाओंके कैलास-भवनका निर्माता यही कृष्णराज था।

कृष्णराजका पुत्र गोविन्दराज द्वितीय था, जिसके छोटे भाई ध्रुवराज (निरुपम या कलिवल्लभ) ने गोविन्दराजको गद्दीसे हटाकर स्वयं राज्याधिकार प्राप्त कर लिया। नवसारीके दानपत्रसे पता चलता है कि उसने कोशलके राजासे एक छत्र छीना था, जिसका प्रमाण हमारे प्रान्तकी प्रशस्ति है। उसका पुत्र गोविन्दराज तृतीय था, जिसको स्वर्गीय सर भांडारकर द्वितीय कृष्णराज अनुमान करते हैं। *

गोविन्दका पुत्र नृपतुंग या अमोघवर्ष प्रथम था, जिसकी सेवामें अंग, वंग, मगध, मालवा, कोशल, त्रिकूट और वेंगीके नरेश थे। वह दिगंबर-जैनसाधु जिनसेनका शिष्य था। उसने मान्यखेटमें † अपनी राजधानी

※ देखो इंडियन एण्टिक्वेरी, जिल्द ११, पृ० १११ सामनगढ़का दानपत्र।

¶ ,, ,, ,, ,, १५७ नासिक जिलेके ताम्रपत्र।

* कृष्णराजका राज्यारोहण ई० स० ७९३ के लगभग होना चाहिए।

† मान्यखेट वर्तमान शोलापुरके निकट निजामस्टेटमें मालखेड़ कहलाता है।

कायम की। गोविन्दका पुत्र कृष्णराज द्वितीय था। उसने चेदिके हैहयवंशी राजा कोकल्लकी कन्या महादेवीके साथ अपना विवाह किया और उसके पुत्र जगत्तुंगका विवाह शंकरगणकी पुत्री लक्ष्मीके साथ हुआ; किन्तु पिताकी जीवित अवस्थामें ही वह स्वर्गवासी हो गया;× इसलिए कृष्णराजके पश्चात् उसका नाती इन्द्रराज तृतीय गद्दीपर बैठा, जिसका विवाह कलचुरि राजकन्याके साथ हुआ ÷। इन्द्रराजका उत्तराधिकारी अमोघवर्ष द्वितीय था; किन्तु शीघ्र ही अंतकाल हो जानेसे उसका छोटा भाई गोविन्दराज गद्दीपर बैठा +। देवलीके ताम्रपत्रोंसे विदित होता है कि चतुर्थ गोविन्दराज विषयासक्त होनेके कारण शीघ्र ही मर गया।‡

× अभूज्जगत्तुंग इति प्रसिद्धस्तदंगजः श्रीनयनामृतांशुः।
अलब्धराज्यः सदिवं विनिन्ये दिव्यांगनाप्रार्थनयेव धात्रा॥

÷ करडासे मिले हुए दानपत्रमें लिखा हैः—

चेद्यां मातुलशंकरगणात्मजायामभूज्जगत्तुंगात्।
श्रीमानमोघवर्षो गोविन्दाम्बाभिधानायाम्॥

+ Epigraphia Indica Vol. 5, page 188 यह ताम्रपत्र ई० स० ९४० का है।

‡ राज्यं दधे मदनसौख्यविलासकन्दो। गोविन्दराज इति विश्रुतनामधेयः॥१७॥
सोप्यङ्गनानयनपाशनिरुद्धबुद्धिरुन्मार्गसंगविमुखीकृतसर्वसत्त्वः।
दोषप्रकोपविषमप्रकृतिश्लथांगः प्रापत्क्षयं सहजतेजसि जातजाड्ये॥ १८॥

सामन्तैरथ रट्टराज्यमहिलालम्बार्थमभ्यर्थितो
देवेनापि पिनाकिना हरिकुलोल्लासैषिणा प्रेरितः।
अध्यास्त प्रथमो विवेकिषु जगत्तुंगात्मजोऽमोघवा-
क्पीयूषाब्धिरमोघवर्षनृपतिः श्रीवीरसिंहासनम्॥ १९॥

गोविन्दराजके मरनेपर द्वितीय कृष्णराजका पौत्र तृतीय अमोघवर्ष गद्दी-पर बैठा, जिसकी माता गोविन्दाम्बा कलचुरि-राजकन्या थी। शिलाले-खोंसे पता चलता है कि रट्टराज्यकी रक्षाके लिए सामन्तोंने जगत्तुंगके पुत्र अमोघवर्षसे राज्यभार ग्रहण करनेकी प्रार्थना की थी। यह बड़ा चाणाक्ष तथा वीर था। इसका विवाह कलचुरिवंशीय युवराजदेवकी कन्या कुन्दकदेवीके साथ हुआ था, जिसका पुत्र तृतीय कृष्णराज था, जिसके सम्बन्धके ताम्रपत्र देवलीमें मिले हैं। उस प्रशस्तिमें कृष्णराजके नामके पूर्व निम्नलिखित उपाधियाँ अङ्कित हैं—परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परममाहेश्वर-श्रीमदकालवर्षदेव-पृथ्वीवल्लभ-श्रीसर्वप्रिय-नरेन्द्रदेवः। उसने कांचीके राजा दन्तिग और वप्पुकको मारा, पल्लववंशीय अन्तिगको हराया और गुर्जरोंके आक्रमणसे कलचुरियोंकी रक्षा की।

देवलीके दानपत्रद्वारा उसने जगत्तुंगकी यादगारमें नागपुर-नंदिवर्धना-न्तर्गत तालपुरुष नामक ग्राम प्रदान किया था, जिसकी सीमाका भी उल्लेख प्रशस्तिमें है *। इसके समयके १४ लेख और २ ताम्रपत्र अब तक मिल चुके हैं। कृष्णराजके पश्चात् उसका छोटा भाई खोट्टिग गद्दी-पर बैठा; किन्तु उसके समयमें राष्ट्रकूटोंका प्रभावशाली सूर्य अस्ताचलकी तरफ मुड़ गया। उदयपुर (ग्वालियर) की प्रशस्तिमें लिखा है कि श्रीह-र्षने (मालवाके परमारवंशीय राजा सीयकने) खोट्टिगदेवकी राज्यलक्ष्मी छीन ली थी—

* यस्य पूर्वतः मादावटवरनामा ग्रामः दक्षिणतः कन्दनानदी (कन्हान) पश्चिमतः मोहमग्रामः (मोहगाँव) उत्तरतः ब्रधीरग्रामः (बेरडी)।

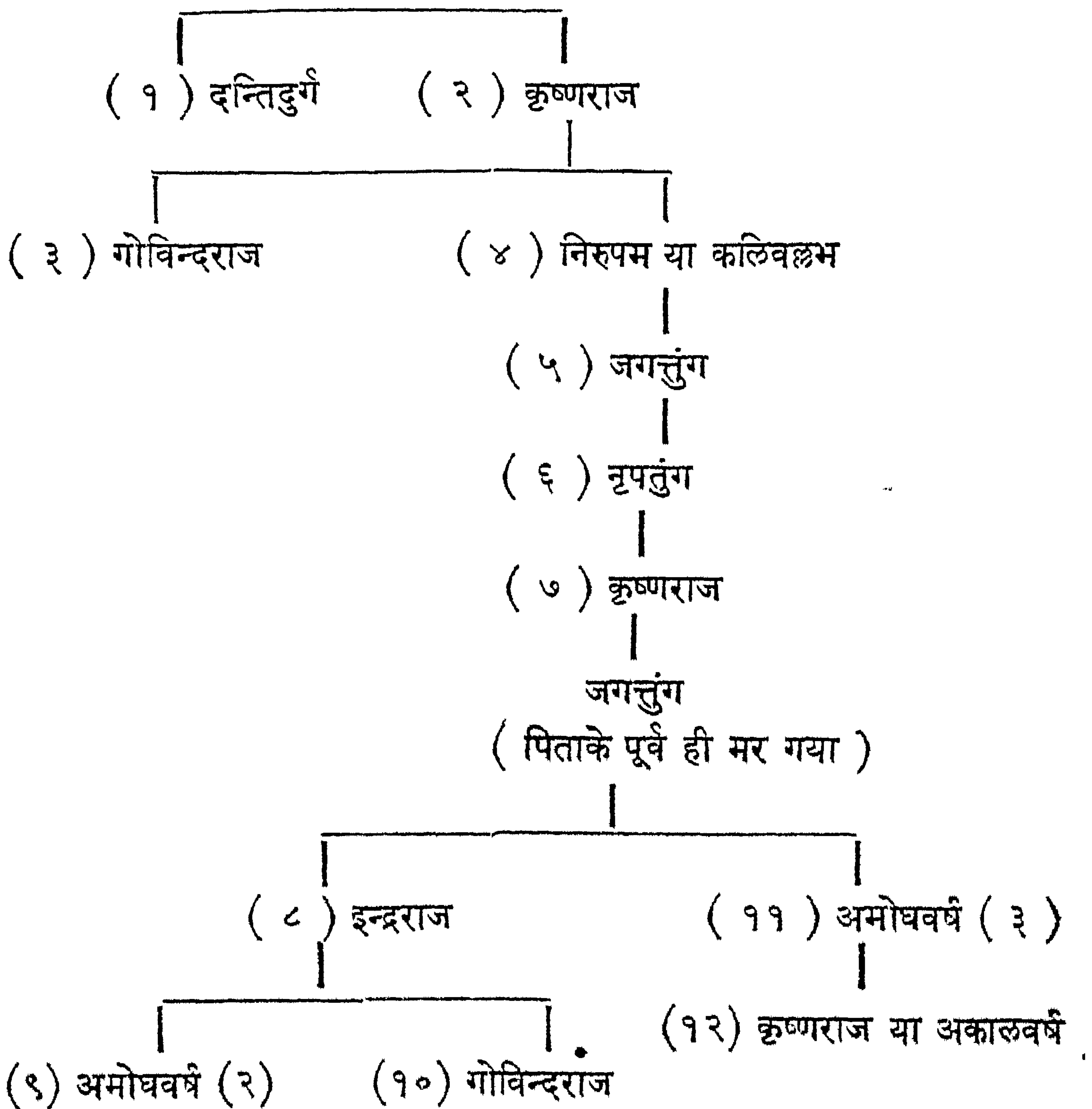
श्रीहर्षदेव इति खोट्टिगदेवलक्ष्मीं
जग्राह यो युधि नगादसमप्रतापः ॥ १२ ॥†

यह घटना सम्वत् १०२९ के लगभगकी है ।

---

† विक्कमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि ।
मालवनरिंदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥ २७६ ॥—कवि धनपालका पाइअलच्छी (प्राकृतलक्ष्मी) नामक कोश ।

देवली प्रशस्तिके अनुसार राष्ट्रकूटोंकी वंशावली इस प्रकार है:—



पश्चिमी सोलंकी वंश ।

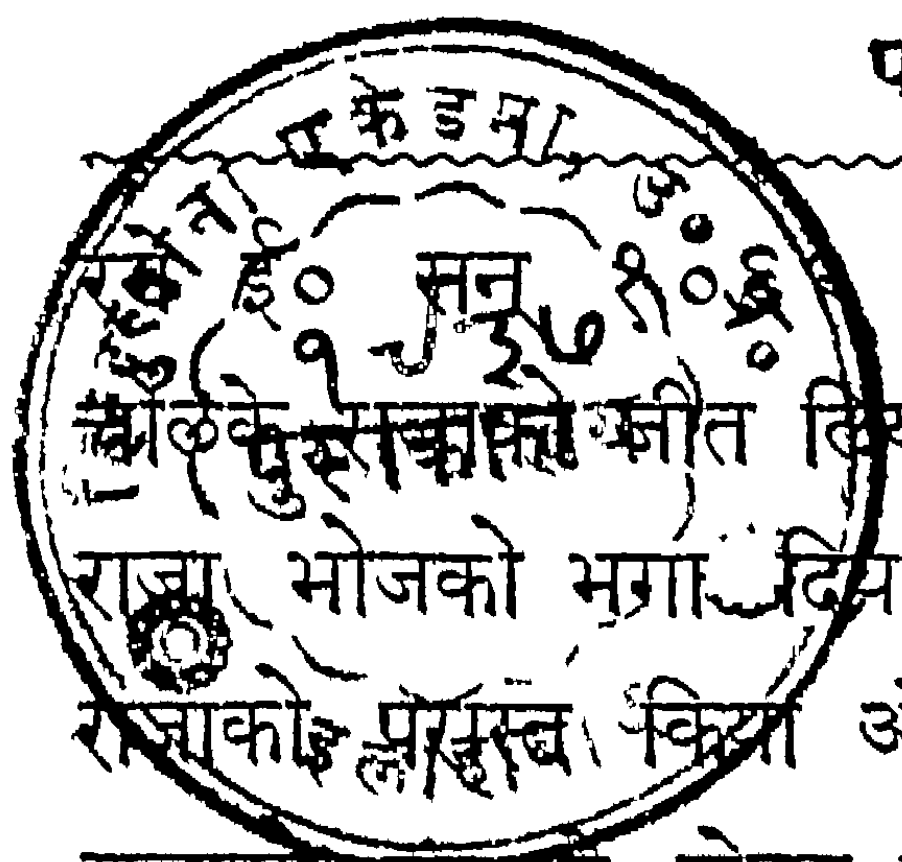
राष्ट्रकूटवंशीय राजा दन्तिदुर्गने कीर्तिवर्मासे सोलंकियोंका साम्राज्य छीना और १३ वें राजा खोट्टिगसे कीर्तिवर्माके वंशज तैलप चालुक्यने * गया हुआ राज्य हस्तगत करके पश्चिमी सोलंकी राज्यकी पुनः स्थापना की। इस वंशकी एक प्रशस्ति विक्रमादित्य छठेकी हमारे प्रान्तमें मिली है। इसके अतिरिक्त अन्यान्य प्रशस्तियोंसे जान पड़ता है कि इस प्रान्तका पश्चिमी हिस्सा अवश्य ही कल्याणके सोलंकियोंके अधिकारमें रहा होगा। महाकवि बिह्लणद्वारा रचित 'विक्रमांकदेव-चरित 'से पता चलता है कि हैहयवंशी सोलंकियोंके राज्यप्रतिनिधि थे।

तैलपके पश्चात् सत्याश्रयने ई०स० ९९७ से १००८ तक राज्य किया। उसके पुत्र न होनेसे उसका छोटा भाई दशवर्माका ज्येष्ठ कुँवर विक्रमादित्य गद्दीपर बैठा। उसके भी पुत्र न था, इसलिए उसका छोटा भाई उसका क्रमानुयायी बना। जयसिंहका शासनकाल ई० स० १०४० के लगभगका है। उसने भी डाहलके राजाको हराया। उसके पुत्र सोमेश्व-

---

* रा० ब० गौरीशंकर हीराचंद ओझाकृत सोलंकियोंका इतिहास।

जबलपुरके निकट बिलहरीमें मिले हुए राजा युवराजदेव (द्वितीय)के समयके लेखमें चालुक्य या चौलुक्य शब्दकी उत्पत्ति लिखते हुए प्रशस्तिके कविने यह कल्पना की है कि भरद्वाजके वीर्यसे भारद्वाज उत्पन्न हुआ, जिसने अपना अपमान करनेवाले द्रुपदको शाप देनेके लिए ज्यों ही चुलुक (चुल्लू)में जल लिया, त्यों ही उसमेंसे एक पुरुष पैदा हुआ जिससे आगे चलकर उसके वंशज चालुक्य कहलाये। (जहाँपर रानी नोहलाका उल्लेख आया है वहींपर उसके पिताके वंशकी उत्पत्ति दी गई है।)



उसने ई० सन् १०६[illegible] तक राज्य किया। सोमेश्वर या आहवमल्लने चोलके राजाको जीत लिया, धारानगरीपर आक्रमण करके परमारवंशीय राजा भोजको भगा दिया, डाहलके राजा कर्णको हराकर द्रविड देशके राजाको परास्त किया और चोलोंकी राजधानी कांचीको छीनकर वहाँके राजाको जंगलमें खेदड़ दिया। सोमेश्वरने समुद्रतटपर अपना जयस्तंभ भी स्थापित किया।

सोमेश्वर द्वितीयके पश्चात् उसका भाई विक्रमादित्य ई० सन् १०७६ के लगभग गद्दीपर बैठा, जिसके सम्बन्धका एक लेख नागपुरमें मिल चुका है।¶ इस लेखमें उसके विरुद इस प्रकार हैं—समस्तभुवनाश्रय-श्रीपृथ्वीवल्लभ-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परमभट्टारक-सत्याश्रयकुलतिलक-चालुक्याभरण-त्रिभुवनमल्लदेव। इस प्रशस्तिसे माळूम होता है कि महाराष्ट्रकूट महासामन्त धाडीदेव राणकने (धाड़ी भांडकने) वत्सगोत्रीय कण्व शाखाके पंचप्रवरीय भट्टको कुछ भूमि प्रदान की थी। इसकी तिथि शाके १००८ वैशाख शुद्ध ३ (८ अप्रैल ई० स० १०८७) है। विक्रमादित्यके पश्चात् सोमेश्वर तृतीयने ई० स० ११३८ तक और उसके पुत्र जगमल्लदेवने ई० स० ११५० तक राज्य किया। उसके बाद तैलपके समयमें चालुक्य राज्य नष्ट हो गया, अर्थात् ई० स० ११८९ में पश्चिमी सोलंकियोंके साम्राज्यकी इतिश्री हो गई और उसके स्थानमें देवगिरिके यादवोंका प्रबल राज्य कायम हो गया, जिसका उल्लेख अन्यत्र किया जायगा।

¶ देखो Epigraphia Indica Vol. 3 page 304

शैलवंश।

अबसे लगभग २० वर्ष पूर्व ८ वीं सदीके ३ ताम्रपत्र बालाघाट जिलेके रघोली ग्राममें शैलवंशी जयवर्द्धनदेवके * सम्बन्धमें मिले थे। उनकी प्रशस्तियोंसे यह अनुमान होता है कि जिस समय श्रीपुरके सोमवंशी राजाओंका अधः-पतन हुआ और शरभपुरीय उनके स्थानापन्न हुए, उस समय कोशलके पश्चिमी भागपर शैलवंशी राजाओंका आधिपत्य स्थिर हुआ होगा। इस वंशमें "प्रख्यातो भुवि शैलवंशतिलकः श्रीवर्द्धनो यो नृपः" का पुत्र पृथुवर्द्धन था, जिसने गुर्जर देशको जीता था। उसका पुत्र सौवर्द्धन था।

तेषामूर्जितवैरिदारुणपटुं पौंड्राधिपं स्थापितं।
हत्वैको विषयं तमेव सकलं जग्राह शौर्यान्वितः ॥ २ ॥
ताभ्यामन्यतमो विहत्य सहसा दर्पोद्धतं दारुणं
काशीं काशिनराधिपं सितगुणो जग्राह जेता द्विषाम्।
तत्पुत्रो जयवर्द्धनेति वचसा ख्यातो वरो भूभृतां–
विन्ध्ये विन्ध्यनरेशमेव सुचिरं हत्वा चकार स्थितिम् ॥३॥

....

विन्ध्येश्वरो विंध्य इवाचलश्रीः श्रीवर्द्धनस्तस्य सुतो बभूव ॥ ४ ॥
तस्यात्मजः सकलवैरिविनाशदक्षो जातो महागुणनिधिर्जयवर्द्धनाख्यः

....

जयवर्द्धनने विंध्यके राजाको मारकर विंध्यमें ही अपनी राजधानी कायम की, जिसका पुत्र श्रीवर्द्धन विंध्येश्वर कहलाता था। उसके पुत्र

* Epigraphia Indica Vol. 9. page 41.

जयवर्द्धन द्वितीयकी ही उक्त प्रशस्ति है। संभव है कि नंदिवर्द्धनमें † इस वंशकी राजधानी रही हो; किन्तु इस अनुमानके लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता।

रतनपुरका हैहयवंश।

नागपुरके अजायबघरमें जो हैहयवंशी जाजल्लदेवके सम्बन्धका शिला-लेख है, उससे उसकी वंशावलीका पता भी पूर्णतया चलता है। ई० स० ८७५ के लगभग चेदि देशका राजा कोकल्ल था। उसके १८ पुत्रोंमेंसे कलिंगराज राजधानी त्रितसौर्यको त्यागकर दक्षिण कोशलमें पहुँचा और तुम्माणमें * उसने स्वतंत्र राजधानी स्थापित की।

प्राप्ते तस्य कलिंगराजनृपतेर्वंशक्रमादानुजः ।....
क्षोणीं दक्षिणकोशलो जनपदो बाहुद्वयेनार्जितः ॥ ६ ॥

कलिंगराजका पुत्र कमलराज था; जिसका पुत्र रत्नराज या रत्नदेव था। उसने अपने राज्यमें बड़े बड़े तालाब और मन्दिर बनवाये। इतना ही नहीं, वरन् ई० स० १०५० के लगभग रतनपुर नगरकी नींव डाली, जो आगे चलकर इस वंशकी राजधानी बन गया। उसने कोमो मण्डलेश्वर वज्जूककी पुत्री नोहल्लाके साथ विवाह किया जिससे पृथ्वीदेव नामक पुत्र हुआ। पृथ्वीदेवके (ई० स० १०९०) विषयमें सिवाय इसके कि उसने तुम्माणमें एक शिवालय और रतनपुरमें एक बड़ा तालाब बनवाया था और कोई हाल नहीं जाना जाता। उसकी रानीका नाम राजल्ला था, जिसका कि पुत्र जाजल्लदेव हुआ। उसके समयका

† नंदिवर्द्धन रामटेकके समीप है।

* तुम्माण—विलासपुरसे ६० मील पर है।

(ई० स० १११४ का) एक लेख¶ रतनपुरमें मिला है, जिससे पता लगता है कि कन्नौज और बुन्देलखंडके राजाओंसे उसने मित्रता कर ली थी। उसका दौरदौरा सारे महाकोशलपर था। गंजाम जिलेके आंध्र, खिमडी, वैरागढ़, लांजी, भानारा (भंडारा), तिलहारी, दण्डकपुर, नंदावली और कुक्कुटके मण्डलेश्वरोंसे वह कर लिया करता था। बड़हरके राजा जगपालकी सहायतासे उसने रायगढ़का उत्तरीय प्रान्त, दुर्ग, सिहावा, कांकेर, वृंदावनगढ़के दक्षिणमें कांदाडोंगर और बस्तर आदिके मण्डलेश्वरोंको अपना आश्रित बना लिया था। तुम्माण और रतनपुरके बीच पाली नामक गाँवमें जो शिवाजीका प्रसिद्ध मन्दिर और तालाब है, जान पड़ता है वह इसीका बनवाया है।

जाजल्लदेवका पुत्र द्वितीय रत्नदेव † था, जिसने कलिंगके राजाको हराकर त्रिकालिंगाधिपति पदवी धारण की। उसका महाप्रतापी पुत्र द्वितीय पृथ्वीदेव था, जिसके सम्बन्धका लेख (चेदि सम्वत् ९०१–ई० स० ११५० का) रतनपुरमें मिला है। उसका पुत्र जाजल्लदेव द्वितीय था। उसके सम्बन्धका एक लेख चेदि सम्वत् ९१९ का मलार ग्राममें मिला है। उसकी रानी सोमलादेवीसे रत्नदेव (तृतीय) नामक पुत्र था। खरोदके लखनेश्वरके मन्दिरमें (चेदि सं० ९३३–ई० स० ११८१–८२

¶ Epigraphia Indica Vol. 1 page 32

तस्यात्मजः सकलकोशलमंडनश्रीः–श्रीमान्समादृतसमस्तनराधिपश्रीः ॥
सर्वक्षितीश्वरशिरोविहितांघ्रिसेव-सेवाभृतां निधिरसौ भुवि रत्नदेवः ॥
(चेदि संवत् ९३३, ई० सन् ११८१–८२ का खरोदका लेख)

† यश्चोड्गंगनृपतिं कलिंगदेशाधिपं—देखो Indian Antiquary Vol. 22 page 82.

का) एक लेख रत्नदेव तृतीयके शासन-समयका है। उसमें उसके पूर्वजोंकी भी वंशावली मिलती है। रत्नदेवका पुत्र पृथ्वीदेव तृतीय था, जिसके सम्बन्धका एक लेख रतनपुरमें विक्रमसम्वत् १२४७ (ई० स० ११८९-९०) का मिला है। पृथ्वीदेवके* पश्चात् भानुसिंहने ई० स० १२०० के करीबतक और उसके पुत्र नरसिंहदेवने ई० स० १२२१ तक राज्य किया। नरसिंहदेवका पुत्र भूसिंह ई० स० १२५० के लगभग रतनपुरकी गद्दीपर वर्तमान था, जिसके पुत्र प्रतापसिंहने 'प्रतापनगर' बसाया था और जो अन्तमें पुत्र जयसिंहको राज्य सौंपकर काशी चला गया। उसके पश्चात् रतनपुरमें निम्नलिखित राजाओंने राज्य किया—

नाम	शासन—काल
जयसिंहदेव	१३१९ सन् ई०
धर्मसिंहदेव	१३४७ ,,
जगन्नाथसिंहदेव	१३६९ ,,
वीरसिंहदेव +	१४०७ ,,
कमलदेव	१४३६ ,,
शंकरसहाय	१४३६ ,,
मोहनसहाय	१४५४ ,,
दादूसहाय	१४७२ ,,
पुरुषोत्तमसहाय	१४९७ ,,

* Epigraphia Indica Vol. 1 page 32

+ इसके पिताको दिल्लीके सम्राटसे खिलत मिली थी; परन्तु इसका भाई देवनाथसिंह रायपुरमें अलग रहने लगा जिससे राज्यके दो भाग हो गये।

नाम	शासन-काल
बाहरसहाय (या) बाहरेन्द्र	१५१९ सन् ईसवी
कल्याणसहाय *	१५४६ ,,
लक्ष्मणसहाय	१५८३ ,,
शंकरसहाय	१५९१ ,,
मुकुन्दसहाय	१६०६ ,,
त्रिभुवनसहाय	१६१७ ,,
जगमोहनसहाय	१६२२ ,,
अदितिसहाय	१६४५ ,,
रणजीतसहाय	१६५९ ,,
तख्तसिंह	१६८५ ,,
राजसिंह	१६९९ ,,
सरदारसिंह	१७२० ,,
रघुनाथसिंह	१७३२ ,,

रायपुरी शाखा।

जिस प्रकार प्रबंधके लिए त्रिपुरीकी एक शाखा तुम्माणमें बैठाई गई थी, उसी प्रकार तुम्माणकी एक शाखाकी एक डाल प्रौढ़ होनेपर

* रतनपुर राज्यका विस्तृत इतिहास इस राजाके जमानेसे शुरू होता है। मुसलमानोंका प्रभाव भी इस राज्यपर पड़ गया था। यह राजा स्वयं जहाँगीरसे मिलनेके लिए दिल्ली गया था और वहाँ वह आठ वर्ष रहा था। मुसलमानोंके ग्रन्थोंसे पता लगता है कि रतनपुर राज्यका (जिसको पीछेसे छत्तीसगढ़ कहने लगे) राजस्व ९ लाख रुपये था। इस समय पटना, खरियार, बस्तर, सम्बलपुर, खरोंद, सारंगढ़, सोनपुर, शक्ति, चन्द्रपुर आदिके राजा मांडलिक थे। राजाके पास १४२०० सैनिक और ११६ हाथी थे।

खलारीमें जमाई गई। खलारी गाँव रायपुर जिलेमें है। एक लेखसे पता लगता है कि १४ वीं सदीमें रतनपुरके राजाका नातेदार लक्ष्मीदेव खलारीमें रहता था। उसके लड़के सिंहणने १९ गढ़ जीत लिये थे। जान पड़ता है कि सिंहण स्वतंत्र था, अर्थात् वह रतनपुरका आश्रित न था। उसने रायपुरमें अपनी गद्दी स्थापित की। उसका पुत्र रामचन्द्र था जिसका ब्रह्मदेव नामक पुत्र हुआ। खलारी और रायपुरके लेख ब्रह्मदेवके समयके हैं, परन्तु रायपुरी शाखाकी जो सूची मिली है उसमें इसके नामका पता नहीं लगता। तथापि उन दोनों सूचियोंमें जो पिछले दो-चार पीढ़ियोंके नाम हैं, वे ऐतिहासिक हैं। इसलिए जबतक प्रामाणिक सूची न मिल जाय, तबतक वर्तमान वंशावलीका संशोधन नहीं हो सकता। रायपुरकी वंशावली केशवदेवसे आरंभ होती है। रतनपुरके राजा वीरसिंहदेवके जमानेमें उसका भाई देवनाथसिंह अलग होकर रायपुरमें राज्य करने लगा। इसके पश्चात् निम्नलिखित राजाओंने राज्य किया—

नाम	शासन-काल	
केशवदेव	१४०७	सन् ई०
भुवनेश्वरदेव	१४३८	,,
मानसिंहदेव	१४६३	,,
संतोषसिंहदेव	१४७८	,,
सूरतसिंहदेव	१४९८	,,
सन्मानसिंहदेव	१५१८	,,
चामुंडसिंहदेव	१५२८	,,
बंशीसिंहदेव	१५६३	,,
धनसिंहदेव	१५८२	,,

नाम	शासन-काल
जैतसिंहदेव	१६०३ सन् ई०
फत्तेहसिंहदेव	१६१५ ,,
यादवदेव	१६३३ ,,
सोमदत्तदेव	१६५० ,,
बलदेवसिंहदेव	१६६३ ,,
उमेदसिंहदेव	१६८५ ,,
बनवीरसिंहदेव	१७०५ ,,
अमरसिंहदेव	१७४१ ,,

रतनपुरके रघुनाथसिंह और रायपुरके अमरसिह देवके समयमें सारे मध्यप्रान्तपर नागपुरके भोंसलोंका अधिकार हो गया था। उस समय मराठोंसे टक्कर लेनेमें प्रायः सभी काँपते थे। जिस समय भोंसलोंने रतनपुर और रायपुरमें प्रवेश किया, उस समय किसीने चूँ तक न किया। इसका उल्लेख भोंसलोंके प्रकरणमें किया जायगा।

मालवेके परमार।

परमारोंके सम्बन्धमें जो प्रशस्तियाँ मिली हैं, उनसे पता लगता है कि इस प्रान्तके हुशंगाबाद, नागपुर, और नीमारपर मालवेके परमारोंका अधिकार था। नागपुरके शिलालेखमें वैरिसिंहसे लक्ष्मणदेवतककी वंशावली मिलती है। यह लेख सम्वत् ११६१ (ई० स० ११०४-५) का है। वैरिसिंहका पुत्र सीयक था, जिसके मुंजराज और सिन्धुराज दो पुत्र थे। मुंजने चालुक्यवंशीय तैलपको ६ बार हराया था; किन्तु ७ वीं बार वह काम आया। उस समय सिन्धुराजका पुत्र भोज गद्दीपर बैठा। भोजके उत्तराधिकारी उदयादित्यने चेदिके राजा कर्णदेवसे अपने राज्यकी वह भूमि

हस्तगत कर ली, जो भोजदेवके समयमें त्रिपुरीके अन्तर्गत चली गई थी। उदयादित्यके पुत्र लक्ष्मणदेवने त्रिपुरीपर भी अक्रमण किया था। जान पड़ता है कि उसने तुरुष्कोंसे भी युद्ध किया था।

उदयादित्यके पूर्व जयसिंहके नामका पता मांधाताके * लेखसे लगता है। इन ताम्रपत्रोंमें 'श्रीवाक्पति-सिन्धुराज-भोजदेवपादानुध्यात........ श्रीजयसिंहदेव'के नाम मिलते हैं। इस प्रशस्तिद्वारा पट्टशालाके ब्राह्मणोंको अमरेश्वरमें † पूर्णापथक मण्डलान्तर्गत भीमग्राम (मक्तुला ४२) सम्वत् १११२ (ई० स० १०५५) की आषाढ़ वदी १३ को दिया गया।

हरसूद × और मांधातामें देवपालके सम्बन्धकी प्रशस्तियाँ मिली हैं। मांधाताकी प्रशस्तिमें देवपालकी वंशावली भोजदेवसे प्रारंभ होती है। उदयादित्यका पुत्र नरवर्मा था। उसका यशोवर्मा और यशोवर्माका सुभटवर्मा था। सुभटवर्माके पुत्र अर्जुनने अपनी युवावस्थामें गुर्जरनरेश जयसिंहको युद्धसे खदेड़ दिया था। उसका पुत्र देवपाल था जिसकी अनेक प्रशस्तियाँ मिली हैं। देवपालने माहिष्मतीमें (मांधातामें) निवास करके रेवातटपर, चन्द्रग्रहणके पर्वपर पूर्णिमा भाद्र सम्वत् १२८२, (ई० स० १२२५ अगस्त २५) को स्नान करके सताजुना (महोड़ प्रति जागरण) * ग्राम ब्राह्मणोंको प्रदान किया था।

---

* Epigraphia Indica Vol. 3 page 64.

† मांधातामें अमरेश्वरका प्राचीन शिवालय है। अन्य स्थानोंका पता अबतक नहीं चला है।

× हरसूद खण्डवासे ३३ मीलपर है। इस लेखका वर्णन Indian Antiquary इंडियन एण्टीक्वेरीकी जिल्द २०, पृष्ठ ३१० में है।

* मांधातासे १३ मीलपर सताजुना नामक ग्राम है और महोड़ २५ मीलपर।

अन्तिम ताम्रपत्र जयवर्मा द्वितीयका मांधातामें मिला है। यह विक्रम सम्वत् १३१७-१८ (ई० स० १२६०-६१) का है। इस प्रशस्तिकी वंशावली देवपालके लेखसे मिलती जुलती है; किन्तु अन्तिम दो नाम अधिक हैं। अर्थात् देवपालका पुत्र जैतुगिदेव और पौत्र जयवर्मा। इसके अतिरिक्त मालवाके परमारोंके विषयमें हमारे प्रान्तमें कोई प्रशस्ति नहीं मिलती। इसी समय परमारोंका राज्य नष्ट करके मुसलमानोंने मालवापर अपना अधिकार जमाया। ÷

चन्देले।

९ वीं सदीके लगभग चन्देलोंने अपना सिलसिला जमाया था। जान पड़ता है कि पड़िहार पहले कलचुरियोंके माण्डलिक थे, जिन्होंने जबलपुर जिलेकी पश्चिमी सीमापर सिंगोरगढ़का क़िला बनवाया था। उसका नाम श्रीगौरीगढ़ था। जब चन्देलोंने कलचुरियोंपर आक्रमण किया, तब पाड़िहारोंको उनके अधीन होना पड़ा। ई० स० १३०० और १३०९ के कई सती-चीरे मिले हैं, जिनमें महाराजकुमार बाघदेवके राजत्वकालका उल्लेख है। दमोह ज़िलेके बम्हनी ग्रामके एक पत्थरमें इस प्रकार लिखा है—"कालिंजराधिपतिश्रीमद्हंमीरदेवविजयराज्ये सम्वत् १३६५ समये महाराजपुत्रबाघदेवभुञ्जमाने।" यह हम्मीर कालिंजरका चंदेल राजा था। इसी प्रकारका सम्वत् १३६१ का पाटनका भी सती-चीरा है। बाघदेव पड़िहार था और उसका अधिकार सिंगोरगढ़, सलैय और पाटनकी ओर फैला हुआ था। चन्देलोंने दमोह जिलेके नोहटा ग्राममें तथा जबलपुर जिलेके बिलहरी स्थानमें अपने कर्मचारी रख दिये थे। चन्देलवंशके १२ राजाओंके नाम प्रशस्तियोंमें मिलते हैं। उस समय उनकी

÷ मिश्रबन्धुकृत भारतवर्षका इतिहास।

राजधानी खजुराहेमें थी । इसी वंशके १६ वें राजा मदनमर्दनने कलचुरियोंको दोनों किनारोंसे खदेड़ दिया था । ई० सन् १३०९ में दिल्लीसम्राट् अलाउद्दीन खिलजीने चन्देलोंको राज्यच्युत कर दिया—

चन्द्रात्रेयनरेन्द्राणां वंशश्चंद्र इवोज्ज्वलः ।
खिल्जीवंशशकेन्द्राणामन्धेन तमसावृतः ॥

अन्तमें इस प्रान्तके अधिकांश भागपर राजगोंड़ोंका अधिकार हो गया ।

आर्य-शासनप्रणाली ।

मध्यप्रान्तके भिन्न भिन्न राजवंशोंकी शासनप्रणाली उच्च कोटिकी थी । यद्यपि उनके राज्यका अब इतना विस्मरण हो गया है कि स्थानीय लोग उनका नामतक नहीं जानते, तथापि वे जो अनेकों शिलालेख और ताम्रपत्र छोड़ गये हैं उनसे उनकी शासनप्रणालीका बहुत कुछ पता लग सकता है ।

आर्य-शासनप्रणाली राष्ट्रके आठ अंग मानती है । यथा राष्ट्रस्वामी राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना, मित्रराष्ट्र और पौरश्रेणी । इन अष्टांगोंकी सहायतासे उस समय जाति और समाजका शासन होता था । जान पड़ता है कि प्रारंभकालमें राजाका चुनाव प्रजाके द्वारा होता था; किन्तु आगे चलकर वे लोग वंशपरम्परागत ईश्वररूप बन बैठे—नाविष्णुः पृथिवीपतिः ।

ऐसा होनेपर भी राजाकी अनियंत्रित सत्ताको रोकनेके लिए व्यवहार-धर्म और राजकर्त्तव्यको भी आर्योंने ईश्वरप्रणीत ठहराया था । श्रुति और स्मृतिमें हस्तक्षेप करनेका किसीको अधिकार नहीं था । राज-काजमें राजाको ब्राह्मणों और तथा जानपदोंकी सहायता लेनी पड़ती थी; किन्तु धीरे धीरे

राजवंशकी प्रबलतासे मनमाना शासन होने लगा और प्रजा भी अपने स्वत्वोंको भूल गई।

मंत्रिमण्डल। राज्यशासनमें राजाको हरप्रकारकी सहायता देना मंत्रिमण्डलका कार्य था। कलचुरिवंशीय यशःकर्णदेवके ताम्रपत्रसे राजसभाके कर्मचारियोंका पता लगता है। "स च परमभट्टारकमहाराजाधिराज-परमेश्वरश्रीवामदेवपादानुध्यात-परमभट्टारक-महाराजाधिराज-परमेश्वर-परममहेश्वर-त्रिकलिङ्गधिपति-निजभुजोपार्जिताश्वपति-गजपति-नरपति-राजत्रयाधिपतिश्रीमद्यशःकर्णदेवः श्रीमहादेवी, महाराजपुत्रः, महामंत्री, महामात्यः, महासामन्तः, महापुरोहितः, महाप्रतिहारः, महाक्षपटलिकः, महाप्रमात्रः, महाश्वसाधनिकः, महाभाण्डागारिकः, महाध्यक्षः एतान्यांश्च...."

उक्त लेखसे स्पष्ट है कि प्राचीनकालमें दान देते समय राजा, रानी और युवराजके अतिरिक्त राजसभाके १० मुख्य अधिकारी और ग्रामनिवासी उपस्थित रहते थे। उक्त दस विभागोंके पृथक् पृथक् कर्मचारी थे। सबसे प्रमुख अधिकारी महामंत्री था। दूसरे दर्जेका अधिकारी राजसभाका प्रमुख महामात्य कहलाता था। सेनाका स्वामी महासामन्त, धर्मका महापुरोहित, राजमहलका महाप्रतीहार, लेखविभागका महाक्षपटलिक, व्यवहारपद्धतिका महाप्रमात्र, घोड़ोंका प्रमुख महाश्वसाधनिक, कोषका अध्यक्ष महाभाण्डागारिक और अन्य विभागोंकी देखरेख करनेवाला महाध्यक्ष कहलाता था। उनका वेतन तथा कार्यपद्धतिका विवरण स्मृति आदि ग्रंथोंमें मिलता है। इन कर्मचारियोंके अतिरिक्त सेनापति, दण्डनायक, महासंगताधिपति, शान्तिमंत्री, संधिविग्रहक, दुर्गपाल, महासामन्त आदि कर्मचारियोंका पता भी लगता है।

पौर जानपद और नैगम। राजाको शासनमें सलाह देनेके लिए स्थान स्थानपर जानपद, पौर, और नैगम संस्थाएँ वर्तमान थीं। पौर राजधानीके मुखियोंकी सभा थी, उसी प्रकार जानपद ग्रामीण मुखियोंकी और नैगमसे जातीय पंचायतोंका सम्बन्ध था। पौरका मुखिया 'श्रेष्ठी' कहलाता था। इन संस्थाओंके कार्यके नियम भी बहुत कुछ मिलते हैं।

शासन-प्रबंध। राज्यप्रबंधकी सुविधाके लिए देशके जो पृथक् पृथक् विभाग बनाये जाते थे, उनको 'मण्डल' संज्ञा थी, जैसा कि प्रशस्तियोंसे सिद्ध होता है। प्रत्येक मण्डल या भुक्तिमें कई विषय रहते थे और प्रत्येक विषयमें कई ग्राम सम्मिलित थे। जैसा कि दानपत्रोंमें लिखा मिलता है कि अमुक विषयान्तर्गत अमुक ग्राम।

राजा लोग जो ग्राम ब्राह्मणोंको देते थे, उनकी सनदोंमें सीमाका भी उल्लेख रहता था; किन्तु जहाँ स्वाभाविक सीमा नहीं रहती थी, वहाँ खाइयाँ खोदकर सीमाएँ बनाई जाती थीं। इन प्रशस्तियोंमें जल, स्थल, महुवा, आम, गड्ढे, खदान, नमक, बालुभूमि, गोचर, जंगल, कछार, बाग, तथा घास आदिके उल्लेखके अतिरिक्त ग्राममें आने जानेके रास्तोंका भी अधिकार लिखा जाता था। इतनी बारीकी आज कल भी नहीं होती। ग्रामका पटेल या मुखिया अक्षपटलिक या करणिक कहलाता था।

अक्षपटलमध्यक्षः प्रत्यङ्मुखमुदङ्मुखं वा विभक्तो स्थापनं निबंधपुस्तकस्थाने कारयेत्।

यही बात कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें लिखी है। प्रत्येक गाँवका हिसाब किताब तथा राजस्वके लेन देनका हिसाब महाक्षपटलिक करता था। अक्षपटलिकके अधीन अन्य कर्मचारी रहते थे जैसा कि कुछ लेखोंमें 'सकलकरणिपरिकरः' का उल्लेख आया है। दान दिये हुए

ग्रामके प्रबंधमें राजाका कोई अधिकार न था । राजस्वके विषयमें एकसा मत नहीं दीख पड़ता । संभवतः राजा लोग आयके १० वें हिस्सेसे छट्ठे हिस्सेतक वसूल करते थे । अन्य पदार्थोंकी विक्रीपर भी कर लेनेकी परिपाटी उस समय प्रचलित थी; जैसा कि मनुस्मृतिके सातवें अध्यायमें लिखा है—

आददीताथ षड्भागं द्रुमांसमधुसर्पिषाम् ।
गंधौषधिरसानां च पुष्पमूलफलस्य च ॥ १३१ ॥
पत्रशाकतृणानां च चर्मणां वैदलस्य च ।
मृण्मयानां च भाण्डानां सर्वस्याश्ममयस्य च ॥ १३२ ॥

मनुके अनुसार राजाको १७ पदार्थोंपर कर लेनी चाहिए । चम्पककी प्रशस्तिमें इसका उल्लेख आया है—

अकरादायि अभटछात्रप्रवेश्यः अपारंपरगोबलीवर्दः अपुष्पक्षीरसंदोहः अचरासनचर्माङ्गः अलवणक्लिन्नक्रेणिखनकः सर्वविष्टिः परिहारपरिहृतः सनिधिः सोपनिधिः सक्लृप्तोऽसोमलक्षः ।
अर्थात् जो ग्राम दानमें दिया गया है, उससे लगान न लिया जाय, उस गाँवमें पुलिस तथा सैनिक प्रवेश न करें । गोचरभूमि, फल, चमड़ा, दूध, कोयला, खनिजपदार्थ, नमक तथा, क्रय विक्रय आदि करोंसे मुक्त किया गया ।

उद्रंग (जमीनका लगान) किस ढंगसे निश्चित होता था, इसका पता प्रशस्तियोंसे नहीं लगता; किन्तु जमीनकी पैमाइशका पता लगता है । वाकाटकवंशीय प्रवरसेनके दानपत्रसे पता लगता है कि भूमि नापनेकी विधि राजमान कहलाती थी; किन्तु वह राजमान कितना बड़ा था इसका पता नहीं लगता । राजमाणिकभूमिसहस्रैरष्टाभिः, अर्थात् ८००० राजमाणिक भूमि एक सहस्र ब्राह्मणोंको दी गई । संभवतः यह राजमान

बीघेके बराबर होता हो। राष्ट्रकूटोंकी प्रशस्तियोंमें १० निवर्तन शब्द आया है और परमारोंके लेखमें पूर्णापथक मण्डलान्तर्गत भीमाग्राम 'मक्तुला ४२' का उल्लेख आया है। निवर्तनका प्रमाण कौटिल्यके अर्थशास्त्रमें मिलता है—४ हाथका एक दंड, १० दंडका एक रज्जु और ३ रज्जुका एक निवर्तन। राजस्व प्रायः अनाजके रूपमें वसूल होता था और उसका संग्रह कोष्ठागाराध्यक्ष करता था।

राजप्रबंधके लिए जो अधिकारी नियुक्त थे, उनके लिए संभवतः वेतन भूमिके रूपमें दिया जाता हो; जैसा कि चीनी यात्री हुएनसंगने लिखा है। उसका स्पष्टीकरण मनुने भी किया है—राज्यके ग्रामकी प्रति दिनकी आय ही पटेलकी वार्षिक आय होती थी। प्रतिशत ग्रामके अधिकारीको १ ग्रामकी आय, और सहस्र ग्रामाधिपतिको एक नगरकी आमदनी दी जाती थी।

न्यायका आदर्श उस समय स्मृति और श्रुतिमें वर्णित धर्म, शिष्टोंके व्यवहार, तथा चरित्रपर स्थित था। छोटे मोटे मामलोंका निर्णय पंचायतोंद्वारा होता था; केवल अपीलका निर्णय राजसभामें होता था। इस विभागका संचालन दण्डनायक तथा महादण्डनायक करते थे।

सेना तथा युद्ध-सामग्रीके विषयमें प्राचीन ग्रन्थोंमें बहुत कुछ लिखा है। मौर्योंके शासनकालमें फौजी विभागके ३० सभ्य ६ दलोंमें विभक्त थे। उन्हीं सभ्योंके अधिकारमें गज, पदाति, रथ, नाव और रसद इन ६ विभागोंका प्रबंध था। आन्ध्रोंके समयमें प्रधान सेनापतिके अधिकारमें सभी विभागोंका निरीक्षण था। एक दलके अफसरको पदिक, १० पदिकके अफसरको सेनापति, १० सेनापतियोंपर एक नायक रहता था। इसके अतिरिक्त सामन्त लोग भी युद्धके अवसरपर अपनी सेनासहित सेवामें आते थे।

सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्था।

ई० स० ८०० के लगभग इस प्रान्तमें बौद्धधर्मका खासा प्रचार था। उस समय बहुतसे मठ तथा गुफाएँ थीं। धर्मसम्बन्धी विभ्राट् प्रायः देखनेमें आता था। चालुक्योंके समयमें वैदिक मतके साथ पौराणिक धर्मकी प्रधानता हुई थी। द्वितीय पुलकेशी बौद्धधर्मका संरक्षक था। गुप्तवंशीय-नरेश वैष्णव थे; किन्तु अन्य धर्मावलंबियोंपर भी उनकी कृपा रहा करती थी। समुद्रगुप्त तथा उसके पौत्र कुमारगुप्तने अश्वमेध यज्ञ किये थे। शुङ्ग तथा कण्व वंशीय राजाओंने वैदिक सनातन धर्मकी रक्षा की थी। आंध्रोंकी अवनतिके बाद बौद्धधर्मका न्हास होता गया। कलचुरि शैव थे और धर्मपर उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने पाशुपत सम्प्रदायके * महन्तको तीन लाख ग्रामोंकी† जागीर दी थी; किन्तु महन्त सद्भावशंभुने उस जायदादको अपने पास न रखकर मठको सौंप दिया था। इसी गद्दीपर एक महन्त सोमशंभु हुए जिनका बनाया हुआ सोमशंभु ग्रन्थ है। उनके शिष्य वामशम्भुके सहस्रों शिष्य थे। महन्त विमलशिव केरलदेशमें पैदा हुए थे; जिनका शिष्य धर्मशिव था। ई० स० १२५० के लगभग इस मठकी महन्तीपर विश्वेश्वरशम्भु वर्तमान थे।

चालुक्यवंशीय तैलपसे राज्य छीनकर हैहयवंशी विज्जल नामक एक

---

* पाशुपत कालामुख सम्प्रदायवाले मुक्तिके ६ मार्ग बताते हैं—(१) खोपड़ीमें भोजन करना, (२) स्मशानकी राख लगाना, (३) राख खाना, (४) दंड धारण करना, (५) मदिरा पीना, (६) योनिस्थित देवका पूजन करना।

† तस्मै निस्पृहचेतसे कलचुरिक्ष्मापालचूडामणिः।
ग्रामाणां युवराजदेवनृपतिः भिक्षां त्रिलक्षं ददौ॥

सरदार कल्याणकी गद्दीपर बैठा था× । उसके अधीन पश्चिमी सोलंकियोंका राज्य था। कनड़ी भाषाके बसवपुराणसे पता लगता है कि विज्जलके समयमें बसव नामक ब्राह्मणने जैनधर्मको नष्ट करके शैवमतको दृढ़ करनेकी इच्छासे वीरशैव या लिंगायत* नामक नवीन पन्थ चलाया था। राजा विज्जल जैनमतानुयायी था; किन्तु उसका मन्त्री बसव वीरशैवमतका प्रवर्तक था। कुछ काल पश्चात् राजा और मन्त्रीमें विरोध हो गया और बसवके जयदेव नामक एक शिष्यके द्वारा विज्जल मारा गया। ई० स० ११६८ में सोमेश्वर चतुर्थ सोलंकियोंकी गद्दीपर बैठा और उसके साथ ही इस वंशाकी इतिश्री हो गई।

कहा जाता है कि ई० स० ८०० के लगभग तामिल देशके स्वामी शंकराचार्यजीने बौद्ध धर्मको भारतसे निर्वासित किया। उन्होंने सारे भारतमें भ्रमण करके बौद्ध, जैन, पाशुपत, तथा पूर्व मीमांसकोंको शास्त्रार्थमें पराजित करके वैदिक धर्मकी ध्वजा फहराई। कृष्णराजके शासनकालमें (ई० स० १२४७–६०) विदर्भ (बरार) से महानुभाव नामक एक नया पंथ निकला; जिसका प्रवर्तक दक्षिणी ब्राह्मण था। इस पन्थके मठ काबुल और पञ्जाबतकमें विद्यमान थे।

× देखो सोलंकियोंका इतिहास।

* लिंगायत पंथके लोग शिवलिंगको गलेमें पहिनते हैं।

२ गोंडोंका जमाना।



ये राजगोंड़ कलचुरियोंके घरभेदिए थे; किन्तु षड्यंत्र रचनेवाले सेनापति पुष्यमित्र शुङ्ग या वसुदेव कण्वके समान सुरभी पाठक एक ब्राह्मण ही था। उसने स्वयं राज्य हड़पनेका यत्न तो न किया; किन्तु राजगोंड़ जादोरायसे नर्मदाके तटपर यह प्रतिज्ञा करा ली कि राजमंत्रीका पद सदैव उसके वंशजोंके अधीन रहेगा। इस प्रकार पाठकजीने युद्ध तथा झगड़ोंकी झंझटोंको गोंड़ोंके माथे मढ़कर यथार्थ राजत्व अपने वंशजोंके हाथ कर लिया। इस नूतन गोंड़ राजाने जबलपुर और त्रिपुरीके मध्यमें गढ़* प्रस्तुत कर वहीं राजधानी कायम की। समीप ही कटंगाका पहाड़ होनेसे कई वर्षोंतक गढ़ाका नाम 'गढ़ाकटंगा' चलता रहा। मुसलमानी ग्रंथोंमें भी यही नाम मिलता है।† इसके बाद जब उन्होंने मण्डलामें राजधानी बनाई तब गढ़ामण्डला कहलाने लगा।

गढ़ाके प्रथम राजाके विषयमें अभीतक निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता। दन्तकथाके अनुसार इस राजवंशका आदि पुरुष जादोराय माना

---

* गढ़ाका जिक्र १२ वीं सदीके पूर्व नहीं मिलता। पृथ्वीराज रासोमें इसका उल्लेख आया है; किन्तु जान पड़ता है कि यह क्षेपक है—

कानन सुनि चहुवान कहै बरदाय मंत्रगति।
प्रथम देश परमाल रह्यो जसराज सेनपति॥
गढ़ा जाय नृप लागि परी गोंडनसे जंगह।
पऱ्यो जाल चंदेल दली धरनीधर अंगह॥

† मलिक मुहम्मद जायसीने पद्मावतमें लिखा है—

दक्खिन दहिने रहे तिलंगा—उतरमाँझ होय गढ़ा कटंगा।

जाता है। सिपहगीरी-करनेको जब वह घरसे चलकर गढ़ा आया, तब वहाँका राजा कोई नागदेव था। उसके पुत्र न होनेसे राज्याधिकारियोंकी सलाहसे यह निश्चय किया गया कि नर्मदाके तटपर प्रजा एकत्रित की जाय और एक नीलकंठ छोड़ा जाय। जिसके सिरपर वह पक्षी बैठं जाय, उसे 'ईश्वरी इच्छा' समझकर राज्याधिकारी बना दिया जाय। कहते हैं कि वह पक्षी जादोरायके सिरपर बैठ गया; इसलिए प्रतिज्ञानुसार नागदेवने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर कन्या रत्नावलीके साथ ब्याह दिया।

जादोरायके वर्तमान वंशज सीलापरी गाँवके मालगुज़ार अपने वंशकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाते हैं कि कटंगानिवासी सकतू गोंडका नाती× धारूशाह प्रथम राजा था; किन्तु वंशवृक्षसे जादोराय ही इस वंशका आदि राजा माना जा सकता है और वह गोदावरी नदीके २० कोस पार सहल-गाँवके पटेलका पुत्र था। सिलापरीके वंशवृक्षमें जादोरायका निवासस्थान महोड़खेरा और पिताका नाम भोजसिंह बतलाया गया है। इन कथाओंसे अनुमान होता है कि वह राजवंश किसी परप्रान्तीय आगन्तुककी सन्तान है और उसे कलचुरियोंकी क्षीणावस्थामें सुरभी पाठककी सहायतासे राज्य प्राप्त हो गया था। इसी वंशके राजा हृदयशाहने ई० स० १६६७ में अपनेको ५२वीं पीढ़ीमें रखकर अपनी वंशावलीको* शिलाङ्कित करवाकर चिरस्थायी कर दिया है। उसके अनुसार वह वंशावली इस प्रकार है—

× कहते हैं कि सकतूकी कुमारी कन्या गौरीसे एक नागने नरदेह धारण करके संभोग किया; जिससे धारूशाह पैदा हुआ और उसी नागदेवके वरदानसे उसे राजत्व प्राप्त हुआ।

* Cunnigham's :Archaelogical Reports Vol. 17 page 46.

नं०	ई० सन्	नाम	नं०	ई० सन्	नाम
१	३८२	यादवराव	२४	९४३	गोविन्दसिंह
२	३८७	माधवसिंह	२५	९६८	रामश्चन्द्र
३	४२०	जगन्नाथ	२६	९८९	कर्णोथरत्नसेन
४	४२५	रघुनाथ	२७	१०२६	कमलनारायण
५	५०९	रुद्रदेव	२८	१०३२	नरहरिदेव
६	५३७	बिहारीसिंह	२९	१०३९	वीरसिंह
७	५६८	नृसिंहदेव	३०	१०६५	त्रिभुवनराय
८	६०१	सूर्यभानु	३१	१०९३	पृथ्वीराज
९	६३०	वासुदेव	३२	१११४	भारतीचन्द्र
१०	६४८	गोपालसहाय	३३	१११६	मदनसिंह
११	६६९	भूपालसहाय	३४	११५४	उग्रसेन
१२	६७९	गोपीनाथ	३५	११९२	रामसहाय
१३	७२६	रामचन्द्र	३६	१२१६	ताराचन्द
१४	७२९	सुरतनसिंह	३७	१२५०	उदयसिंह
१५	७५८	हरिहरदेव	३८	१२६५	भानुमित्र
१६	७७५	कृष्णदेव	३९	१२८१	भवानीदास
१७	७८९	जगतसिंह	४०	१२९३	शिवसिंह
१८	७९८	महासिंह	४१	१३१९	हरिनारायण
१९	८२१	दुर्जनमल्ल	४२	१३२५	सबलसिंह
२०	८४०	यशःकर्ण	४३	१३५४	राजसिंह
२१	८७६	प्रतापादित्य	४४	१३८५	दादीराय
२२	९००	यशश्चन्द्र	४५	१४२२	गोरखदास
२३	९१४	मनोहरसिंह	४६	१४४८	अर्जुनसिंह
			४७	१४८०	संग्रामसहाय

नं०	ई० सन्	नाम	नं०	ई० सन्	नाम
४८	१५३०	दलपतसहाय	५६	१६९१	नरेन्द्रसहाय
४९	१५४८	वीरनारायण	५७	१७३१	महाराजसहाय
५०	१५६३	चन्द्रसहाय	५८	१७४२	शिवराजसहाय
५१	१५७५	मधुकरसहाय	५९	१७४९	दुर्जनसहाय
५२	१५९९	प्रेमनारायण	६०	१७७१	निजामसहाय
५३	१६१०	हृदयनारायण	६१	१७७८	नरिहरिसहाय
५४	१६८१	छत्रसहाय	६२	१७८१	सुमेरसहाय
५५	१६८८	केसरीसहाय			(मारा गया)

रायबहादुर बाबू हीरालालजी इस वंशावलीके ३३ नाम कल्पित† बतलाते हैं। ३३ वीं पीढ़ीमें मदनसिंहका नाम आता है। सोनेके सिक्कोंपरसे यह निश्चित किया गया है कि संग्रामसिंह ई० स० १५१३ के लगभग विद्यमान था। दमोह जिलेके ठर्रकाग्रामकी सती-प्रशस्तिमें* संग्रामसिंहका नाम अमाणदास मिलता है। मुसलमानी इतिहासकारोंने भी यही नाम लिखा है। इस वंशने अपनी कुलीनता प्रकाश करनेके हेतु यथावश्यक नाम बनाकर रख लिये हैं। मदनसिंह और संग्रामसिंहमें १४ पीढ़ीका अन्तर है और प्रति पीढ़ीके लिए २० वर्षकी औसत लें तो २८० वर्षका अन्तर बैठता है। संग्रामशाहका राजत्वकाल ई० स० १४८० से १५३० तक ठहराया गया है। यदि १४८० में २८० वर्ष घटाये जायँ, तो ई० स० १२०० का काल आता है, जो कलचुरियोंके अन्त और गोंड़ोंके उदयका समय है। उससे यह अनुमान बँधता है कि उस वंशका मूल पुरुष मदनसिंह था, जिसने अनगढ़ चट्टा-

† रायबहादुर बाबू हीरालालजीकृत 'जबलपुर-ज्योति'नामक ग्रन्थ पृष्ठ ३२।

* ठर्रकाके सती लेखमें जो दमोहसे १५ मीलपर है और सम्वत् १५७० का लिखा हुआ है, 'श्रीगौरीगढ़विषयदुर्गे महाराजश्रीआम्हणदासदेव' लिखा है।

नोंपर गढ़ाके निकट मदन-महल बनवाया था जिसका जीर्णोद्धार आगे चलकर संग्रामशाहने कराया था। मदन-संग्रामके मध्यमें १३ राजाओंके नाम मिलते हैं; किन्तु उनके शासन या घटनाओंकी कोई प्रशस्ति प्राप्य नहीं है।

संग्रामशाह।

अर्जुनदासका पुत्र आम्हणदास था, जिसने आगे चलकर अपना नाम संग्रामशाह रक्खा था। बाल्यकालसे यह नटखटी और क्रूर था। पिताने उसे कई बार शिक्षा दी; किन्तु उसने अपनी चालें न छोड़ीं। एक बार रुष्ट होकर वह बघेलखण्डके राजा वीरसिंहदेवके यहाँ भाग गया। इसपर अर्जुनदासने उसे युवराजपदसे च्युत कर दिया; किन्तु वहाँसे वापिस आनेपर उसने अपने पिताको मारकर स्वयं गद्दी प्राप्त कर ली। उसने अपने राज्यकी वृद्धि की। उसके राज्यके अन्तर्गत ५२ गढ़† थे।

† संग्रामसिंहके ५२ गढ़—१ गढ़ा, २ मारूगढ़, ३ पचेलगढ़, ४ सिंगौरगढ़, ५ अमोदा, ६ कनौजा, ७ बगसरा, ८ टीपागढ़, ९ रायगढ़, १० प्रतापगढ़, ११ अमरगढ़, १२ देवगढ़, १३ पाटनगढ़, १४ फतेहपुर, १५ निमुआगढ़, १६ बरगी, १७ घुनसौर, १८ चांवड़ी (सिवनी), १९ डोंगरताल (रामटेक), २० कोरवा, २१ झंझनगढ़, २२ लाफागढ़, २३ सौंटागढ़, २४ दियागढ़, २५ बांकागढ़, २६ पवई करहिया, २७ शाहनगर, २८ धामोनी, २९ हटा, ३० मड़ियादो, ३१ गढ़ाकोटा, ३२ शाहगढ़, ३३ गढ़पहरा, ३४ दमोह, ३५ रहली, ३६ इटावा, ३७ खिमलासा, ३८ भँवरगढ़, ३९ गढ़ गन्नौर, ४० बारीगढ़, ४१ चौकीगढ़, ४२ राहतगढ़, ४३ मकड़ाई, ४४ कारुबाग, ४५ कुरवाई, ४६ रायसेन, ४७ भौंरासो, ४८ भोपाल, ४९ उपतगढ़, ५० पनागर, ५१ देवरी और ५२ गौरझामर।

स्लीमन साहबके लेखानुसार प्रत्येक बड़े गढ़में ७५० मौजे थे। अमोदामें केवल ७६० ग्राम थे। नं० ४, १२, २४ और २५ के गढ़ोंमें ३५० गाँव थे और नं० १३, १६, १९, ३१, ३२, ३४, ३६, ४१ और ४२ के प्रत्येक गढ़में ३६० मौजे थे। कुल ग्रामसंख्या ३५६८० थी। अबुलफजलने आईन अकबरीमें ८० सहस्र ग्रामोंकी संख्या दी है, जो संभवतः ठीक नहीं जँचती है।

वज्रप्रायैः पर्वतप्रौढ़गाढ़ैः सुप्राकारैरम्बुभिश्चाक्षयाणि।
द्वापञ्चाशद्येन दुर्गाणि राज्ञां निवृतानि क्षोणिचक्रं विजित्य॥

पता लगता है कि उसने माढ़ोगढ़के सुलतानको हराया था और गुजरातके बहादुरशाहकी लड़ाईमें वीरसिंहदेवकी सहायता की थी। उसने गढ़के आसपास कई तालाब, मन्दिर और मठ बनवाये थे। जीर्ण स्थानोंकी मरम्मत करवाई थी और नवीन ग्राम बसाकर परप्रान्तीय लोगोंको ग्रामोंमें बसनेके लिए उत्साहित किया था। गढ़ाका संग्राम-सागर तथा चौरागढ़* का प्रख्यात किला इसीने बनवाया था। इसके सुवर्णके सिक्कोंमें यह विशेषता मिलती है कि उनपर हिन्दीके साथ तिलंगी अक्षर भी हैं, जो उसके मातृभाषाके स्नेहके द्योतक है। संग्रामसिंहके ५० वर्ष राज्य करनेपर ई० स० १५३० के लगभग दलपतशाह गद्दीपर बैठा, जिसने सिंगोरगढ़ † में रहना पसंद किया।

दलपतशाह और रानी दुर्गावती।

दलपतशाहने हथियारके बलसे अपना विवाह चन्देल-राजकन्या दुर्गावतीके साथ किया था। जान पड़ता है कि दुर्गावतीका पिता इस सम्बन्धसे अप्रसन्न था; उस कालमें क्षत्रिय लोग राजगोंड़ोंसे सम्बन्ध करना अपमानास्पद समझते थे; किन्तु चन्देलराजको अपनी कमज़ोरीके कारण इस सम्बन्धको मंजूर करना पड़ा होगा। देखा जाता है कि हलके

---

* गाडरवारा स्टेशनसे २० मीलपर चौरागढ़का किला घने जंगलके बीच एक पहाड़ीपर है।

† दमोहसे २८ मीलपर राजा वेणुका बनाया हुआ सिंगोरगढ़का किला है, जिसकी मरम्मत संग्रामसिंहने की थी। वहाँसे ४ मीलपर संग्रामपुर है।

समझे जानेवाले क्षत्रियोंने तलवारके बलपर अपना सम्बन्ध उच्च घरानोंसे किया है।

विवाह होनेके ४ वर्ष पश्चात् ही दुर्गावतीका सौभाग्यसूर्य अस्त हो गया; किन्तु इसी बीचमें उसके 'वीरनारायण' नामका एक पुत्र हो गया था जिसके नामपर रानीने राजप्रबंधका सारा भार लेकर १५ वर्ष तक बड़ी योग्यतासे शासन किया। परन्तु दुर्गावतीका ऐश्वर्य निकटवर्ती मुसलमान शासकोंसे न देखा गया और वे लोग गढ़ाके ऐश्वर्यको हड़पनेकी इच्छा करने लगे। ई० स० १५६४ में सम्राट् अकबरके सामन्त कड़ा माणिकपुरके सूबेदार आसफखाँने ६ हजार सवार और १२ हजार पैदल सैनिकोंको साथ लेकर सिंगोरगढ़पर आक्रमण कर दिया×। उस समय सेनाकी तयारी न रहनेपर भी रानीने तुरंत अव्यवस्थित गोंड़ोंको लेकर सामना किया। किलेके घिर जानेसे रानीने गढ़ा पहुँचकर युद्ध करनेका विचार किया; किन्तु शत्रुदलने पीछा न छोड़ा। इसलिए गढ़ा पहुँचकर भी कुछ प्रबंध न हो सका। तब रानीने मण्डलेके लिए कूच किया और १२ मील चलकर रास्तेमें घाटियोंके बीच एक सकरी जगहमें मोर्चा लगाकर लड़ाई करना तय किया। गोंड़ोंके पास तीर, बरछी, भाले, कुल्हाड़ी आदि हथियार थे। उधर आसफखाँ अपने साथ तोपखाना भी लाया था। इस स्थानपर जो युद्ध हुआ उसमें रानी स्वयं हाथीपर बैठकर सैनिकोंको उत्ते-

---

× आसफखाँकी चढ़ाईका कारण गढ़ाराज्य नष्ट करके दुर्गावतीको अपने या सम्राट्-अकबरके जनानखानेमें प्रवेश करनेका होना चाहिए। कहते हैं कि पहले आसफखाँने सम्राट्की ओरसे एक सोनेका चर्खा इस हेतुसे भेजा था कि स्त्रियोंका काम सूत कातनेका है न कि राज्य करनेका। उसके प्रत्युत्तरमें रानीने एक पींजन भेज दिया। अर्थात् यदि स्त्रीका काम सूत कातनेका है, तो नवाबका काम पींजनसे रुई धुनकनेका है। इससे रुष्ट होकर आसफखाँने चढ़ाई कर दी।

जना देती थी और तीरोंकी वर्षा करती थी। इतनेमें एक तीर आकर उसकी आँखमें लगा और ज्यों ही उसने निकालना चाहा, त्योंही उसकी नोक टूट गई। इसपर भी वह पीछे न हटी। गोंड़ोंकी छावनीके पीछे जो नदी थी, उसमें उसी रोज ऐसी बाढ़ आ गई कि हाथी भी पार न जा सकता था। आगेसे तोपोंकी मार, पीछेसे नदीकी बाढ़ और शस्त्रोंके आघातसे शारीरिक कष्ट, इन आपदाओंमें भी रानीका उत्साह भंग न हुआ। महाबतने रानीको सलाह दी कि वह हाथीद्वारा रानीको नदी पार ले जा सकता है; किन्तु उसने सैनिकोंको छोड़ देना उचित न समझा। ऐसी दशामें रानीने अपने प्रियपुत्रको कुछ विश्वासपात्र सरदारोंके साथ चौरागढ़के किलेमें भिजवा दिया। उधर आसफखाँसे विजय पाना असंभव जान गोंड-सेना तितर बितर होने लगी। महाबतने दुबारा भाग चलनेकी सलाह दी। वीर दुर्गावती इस समय साक्षात् दुर्गा थी। उसने उत्तर दिया कि या तो मैं स्वयं रणक्षेत्रमें मरूँगी या शत्रुको मार भगाऊँगी। इस समय वह चारों ओर शत्रुओंसे घिर गई थी। जब रानीने जान लिया कि शत्रुओंके पंजेमें फँसनेसे अपनी विटंबना होगी, तब उसने समीप ही बैठे हुए अधार नामक सेवकसे कटार छीनकर वीरगतिका अवलंबन किया। बरेलाके निकट जिस स्थानमें वह हाथीसे गिरी थीं; वहींपर स्मारकके हेतु चबूतरा बना है।

आसफखाँने गोंड़ोंको पूर्णतया पराजित करके चौरागढ़पर आक्रमण किया; क्योंकि उसे माळूम था कि गोंड़ोंका खजाना वहींपर है। ऐसे प्रबल शत्रुके सम्मुख बेचारा वीरनारायण कितनी देर ठहर सकता था। वह भी अपनी वीर मातासे मिलनेके लिए वीर-भूमिमें वीर-लीला दिखाकर वीर—लोकके लिए प्रस्थान कर गया। रनवासकी जो औरतें वहाँ मौजूद थीं वे आग लगाकर जल गईं। केवल दुर्गावतीकी बहिन कमला-

वती और वीरनारायणकी भावी पत्नी आसफखाँके द्वारा जीवित पकड़ी गईं, जिन्होंने आगे चलकर सम्राट् अकबरका जनानखाना सुशोभित किया। चौरागढ़को लूटकर वह स्वयं गढ़ामें स्वतंत्र होनेका उपाय करने लगा; किन्तु सफलता न होनेसे वह वापिस अपनी पुरानी जगहपर लौट गया।

ई० स० १५६४ में अकबरने गढ़ाराज्यको अपनी सल्तनतमें मिला लिया; किन्तु इसके बाद दलपतशाहके भाई चन्द्रशाहको १० गढ़ नज़र करनेपर वह राज्य वापिस सौंप दिया। चन्द्रशाहके मरनेपर उसका द्वितीय पुत्र मधुकरशाह अपने बड़े भाईको मारकर गद्दीपर बैठा। पीछेसे उसे अपने अघोर कृत्यका इतना पश्चात्ताप हुआ कि उसने उसके प्रायश्चित्तमें स्वयं पीपलके खोखलेमें बैठकर आग लगाकर अपनी जान दे दी।

ई० स० १५९९ में प्रेमशाह और उसका पुत्र हृदयशाह दिल्लीमें थे। प्रेमशाहने पिताके स्वर्गवासका समाचार ज्यों ही सुना त्यों ही सम्राट्की अनुमतिसे वह गढ़ा वापिस लौटकर गद्दीपर बैठा। ओड़छेके राजा वीरसिंहदेवके पुत्र जुझारसिंहने गढ़ा-मण्डलापर आक्रमण किया *। जुझार-सिंहसे सामना करना उचित न जानकर प्रेमशाह चौरागढ़के आश्रयमें

* कहते हैं कि प्रेमशाह पिताके मरनेकी खबर पाते ही दिल्लीसे ओड़छाके राजा वीरसिंहदेवसे बिना मुलाकात किये ही चला आया था। इसलिए उसने इसे अपना अपमान समझा और मरनेके समय अपने पुत्र जुझारसिंहसे यह प्रतिज्ञा करवा ली कि वह इसका बदला अवश्य लेगा। कोई कोई कहते हैं कि गोंड़लोग हलमें गाय भी जोतते थे, जिससे नाराज होकर जुझारसिंहने गढ़ापर चढ़ाई की थी। इसी सम्बन्धके एक कवित्तका अन्तिम पद इस प्रकार है—

वीरसिंहदेवके प्रबल पहाड़सिंह, तेरी बाट जोहती हैं गौएँ गोंड़वानेकी।

चला गया; किन्तु वहाँपर भी ओड़छेकी सेनाने उसका पीछा न छोड़ा। बहुत दिनों तक चौरागढ़में घेरा पड़ा रहा। अन्तमें जुझारसिंहने प्रेमशाहको किलेके नीचे सुलह करनेके लिए बुलवाया। प्रेमशाहने उसपर विश्वासकर मंत्री जयदेव वाजपेयीको साथ लेकर जुझारसिंहसे मुलाकात की और वहींपर प्रेमशाह अपने मंत्रीके सहित मारा गया। पश्चात् किलेकी सम्पत्तिको लूटकर जुझारसिंह वापिस ओड़छेको लौट गया।

प्रेमशाहके मारे जानेपर उसके पुत्र हृदयशाहने मुगल-दरबारमें फर्याद की। उसपर यह हुक्म हुआ कि जुझारसिंह चौरागढ़ फौरन लौटा देवे और शाही खजानेमें १० लाख रुपये दाखिल करे। इसपर जुझारसिंहने हुक्म माननेके बदले लड़ाईका प्रबंध किया। तब सम्राट्ने २० हजार सैनिक उसके दमनके लिए ओड़छे भेजे। सेना पहुँचनेके पूर्व ही वह भागकर धामोनीके † किलेमें जा छिपा; किन्तु शाही सैन्यने पीछा न छोड़ा। तब वह वहाँसे भागकर चौरागढ़में आ घुसा। सम्राट्ने अबदुल्लाखाँ और खानेदौराँको चौरागढ़पर चढ़ाईके लिए भेज दिया। तब जुझारसिंह वहाँसे सम्पत्ति लेकर और तोपोंको तोड़ फोड़कर किलेमें आग लगाकर चाँदाकी ओर भाग निकला।

मुगलसेनाने इतनेपर भी उसका पीछा न छोड़ा। अन्तमें जुझारसिंहको मुगलोंसे युद्ध करना आवश्यक हो गया, उसके अतिरिक्त उसे दूसरा रास्ता ही न रहा। युद्धमें परास्त होते ही वह साथकी स्त्रियोंको मारकर जंगलोंमें भाग निकला और उसका पुत्र ८ हाथियोंपर सम्पत्ति लाद-

---

† सागरसे २९ मीलपर धामोनीका किला है। यह किला १५ वीं सदीमें सुरतानशाहने बनवाया था, जिसकी मरम्मत वीरसिंहदेवने करवाई थी। कहते हैं कि यहाँके बालजतीशाह प्रसिद्ध अबुलफज़लके गुरु थे।

कर गोवलकुण्डाकी ओर भाग गया; किन्तु रास्तेमें पकड़ा गया। जुझारसिंह जंगलोंमें भटकता हुआ गोंड़ोंके द्वारा मारा गया। उधर उसका पुत्र दुर्गभानु और पौत्र दुर्जनसाल सम्राट्के पास बन्दी बनाकर दिल्ली भेज दिये गये, जहाँपर वे सम्राटकी प्रसन्नताके लिए मुसलमान हो गये।

हृदयशाह अपनी राजधानीको गढ़ासे उठाकर मण्डलाके समीप रामनगरमें ले गया और वहींपर उसने महल और क़िला बनवाया। यही एक गोंड़ राजा है जिसने अपने पूर्वजोंकी वंशावलीको शिलाङ्कित करवाया था। उसने ७० वर्ष तक शांतिपूर्वक राज्य किया। पश्चात् उसके पुत्र छत्रशाहने ७ वर्ष राज्य किया। उसके मरनेपर केसरीसिंह गद्दीपर बैठा; किन्तु उसका चचा हरीसिंह अपने भतीजेको मारकर गद्दीपर बैठ गया। शीघ्र ही वह पण्डित रामकृष्ण वाजपेयीके यत्नसे मारा गया। तब ७ वर्षका बालक नरेन्द्रशाह गद्दीपर बिठाया गया।

उधर हरीसिंहका पुत्र पहाड़सिंह औरंगजेबकी सहायता लेकर मुगलोंको मण्डलापर चढ़ा लाया। लेकिन वह इसी युद्धमें मारा गया और उसके दोनों पुत्र भागकर दिल्ली चले गये। उन्होंने फिरसे सम्राटकी सहायताकी अपेक्षा की, किन्तु उनका प्रयास निष्फल गया। तब उन्होंने मुसलमान होकर सम्राट्की सहायता प्राप्त की। वे लोग मुगलोंको साथ लेकर पुनः मण्डलापर चढ़ आये; किन्तु अभाग्यवश दोनों भाई मारे गये। इस प्रकार नरेन्द्रशाह निश्चिन्त हो गया।

ई० स० १७३१ में नरेन्द्रशाहका स्वर्गवास हो गया और उसका पुत्र महाराजसिंह गद्दीपर बैठा। उससमय उसके पास २९ गढ़ रह गये थे। ई० स० १७४२ में पूनाके पेशवाने मण्डलापर चढ़ाई करके उसे

मार डाला और उसके पुत्र शिवराजसिंहको ४ लाख चौथ लेकर राज्य वापिस कर दिया। † नागपुरके भोंसले भी चौथके बहानेसे ६ गढ़ हड़प गये।

ई० स० १७४९ में शिवराजसिंहका अन्तकाल हो जानेसे उसका पुत्र दुर्जनशाह गद्दीपर बैठा। यह बड़ा क्रूर और दुष्ट था। इसके चचा निज़ामशाहने मौका पा इसकी सौतेली माँ विलासकुँवरिसे मिलकर उसके द्वारा इसे (दुर्जनशाहको) राज्यमें दौरा करनेके लिए बाहर भेज दिया और एक षड्यंत्र रचकर तुरन्त ही मण्डला लौट आनेके लिए यह समाचार भेज दिया कि तुम्हारे चचा निजामशाह किसी अपमानके कारण नाराज हो गये है उन्हें आकर मना लो। यह समाचार पाते ही वह तुरंत वापिस लौट आया और निजामशाहके महलमें सीधा चला गया। ज्यों ही वह घोड़ेसे उतरकर भीतर पहुँचा, त्यों ही एकदम दरवाजा बन्द कर दिया गया। साथमें लक्ष्मण पासवान था, वह चिल्लाया और उसने राजाको उठाकर दीवालके बाहर आँगनमें फेंक देना चाहा; किन्तु उसके हाथ तलवारसे काट डाले गये और राजा भी कत्ल कर डाला गया। इसके बाद निजामशाह गद्दीपर

---

† Another opportunity, however soon presented itself to Baskar Pant of carrying his arms to the eastward; and no sooner had he set out on his expedition, than the Peshwa, eager to establish his power over these territories for which the authority obtained from the Raja was, as usual, assumed as a right, marched through late in season towards Hindustan.

(History of the Marathas)

बैठ गया। उसने अपने राज्यकी खासी उन्नति की। यह हिन्दीमें कविता † करता था।

निजामशाहके मरनेपर गद्दीके लिए फिर बखेड़ा उत्पन्न हुआ। आखिरमें उसका भतीजा नरहरशाह गद्दीपर बैठा; किन्तु नागपुरके भोंसलोंने उसे उतारकर निजामशाहके पुत्र सुमेरशाहको गद्दीपर बिठलाया। यह बात सागरके पण्डितरावको पसंद न आई; तब उन्होंने सुमेरशाहको निकालनेकी कोशिश की। सुमेरशाहने अपना पाया उखड़ता देख कुछ शर्तोंपर राज्याधिकार नरहरशाहको सौंपनेकी बातचीत चलाई। इसपर सागरवालोंसे शर्तें ठहरानेके लिए वह स्वयं सागर गया; किन्तु मराठोंने दगा करके उसे किलेमें कैद कर दिया और नरहरशाहको गद्दीपर बिठा दिया। लेकिन वह शीघ्र ही खुरईके किलेमें ¶ कैद किया गया और वहींपर ई० स० १७८९ में उसने मृत्यु पा गढ़ामण्डलाके गोंड़-राज्यकी लीला समाप्त कर दी। सुमेरशाहके वंशजोंको पेशवाकी ओरसे कुछ जागीर दी गई थी।

देवगढ़का राजवंश।

ई० स० १५६४ तक देवगढ़का गोंडवंश गढ़ामण्डलाके अन्तर्गत था; किन्तु उसकी शक्तिके घटते ही गढ़ाधिपतियोंसे स्वतंत्र होनेका अव-

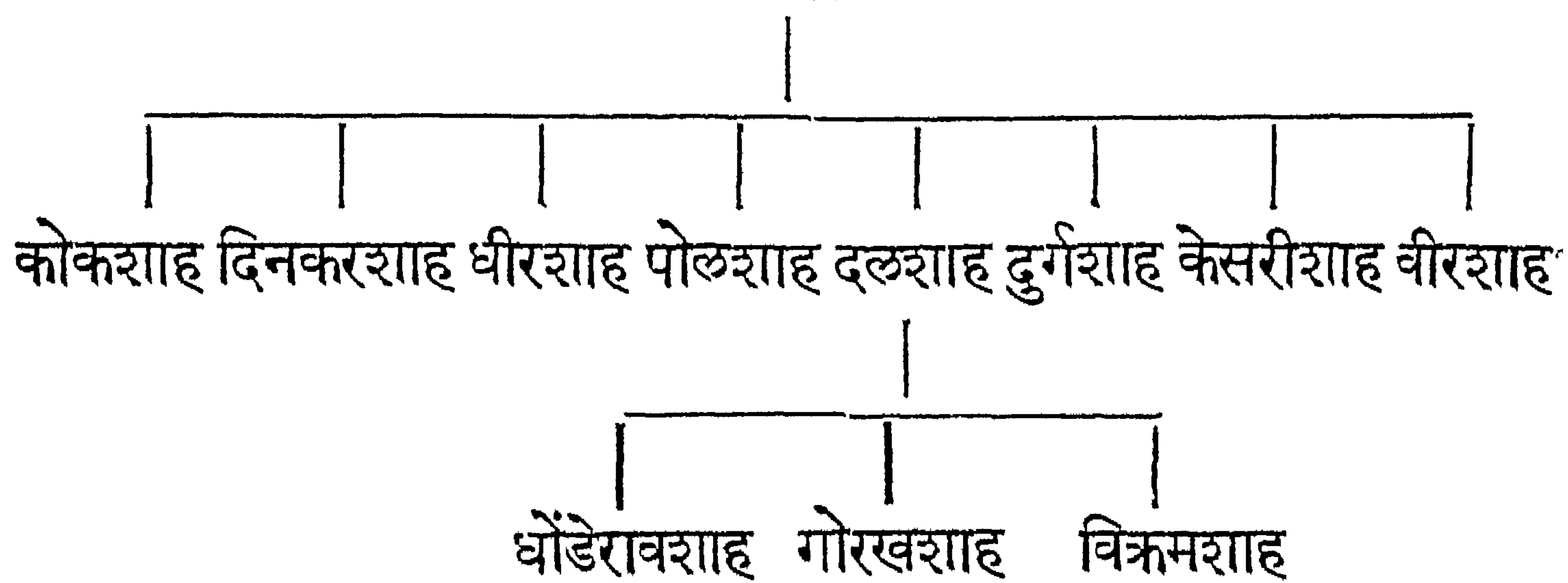
---

† निजामशाहकी कविता—

फरकन लागे अंग होन ये सगुन लागे, जागे अब भाग अनुरागके समाजसों।
तोरन बंधावें सखी कलस धरावें पौरि, पांवड़े डरावें ले सुगंधनके साजसों॥
आवें प्राणप्यारे उठ आदर करोंगी आज, सादर विलोकि मनभाए सिरताजसों।
आनंद उलेलिनसों हिलिहों निसंक आली, मिलहौं री आजु ही निजाम महाराजसों॥

¶ सागरसे ३३ मील पर है। यहाँका किला खेमचंद दांगीने बनवाया था।

सर मिलता गया। उस समय देवगढ़का जाटबा*वंश स्वतंत्र कहलाता था। कहते हैं कि जाटबाके पिता वीरभानशाहसे देवगढ़का राज्य हतियागढ़के रणशूर और घनसूर नामक गवली (ग्वाल?) राजाओंने छीन लिया था; किन्तु जाटबाने ७० वर्षके पश्चात् उनसे अपना राज्य लौटा लिया था। आईन-अकबरी ग्रन्थसे पता चलता है कि जाटबा स्वतंत्र शासक था, जिसके पास २ हजार घुड़सवार, ५ हजार पदाति सैनिक और १० हाथी थे। जान पड़ता है कि यह प्रान्त मालवाके हाकिमके अधीन था। जहाँगीरनामेसे पता लगता है कि जाटबाने २ हाथी नज़रानेमें भेजे थे। उस समयके प्रचलित सिक्कोंमें जाटबाको महाराजाके नामसे सम्बोधित किया है। उसका शासनकाल ई० स० १५८० से १६२० तकका† निश्चित किया जाता है। जाटबाके ८ पुत्र थे, जिनकी वंशावली इस प्रकार है—

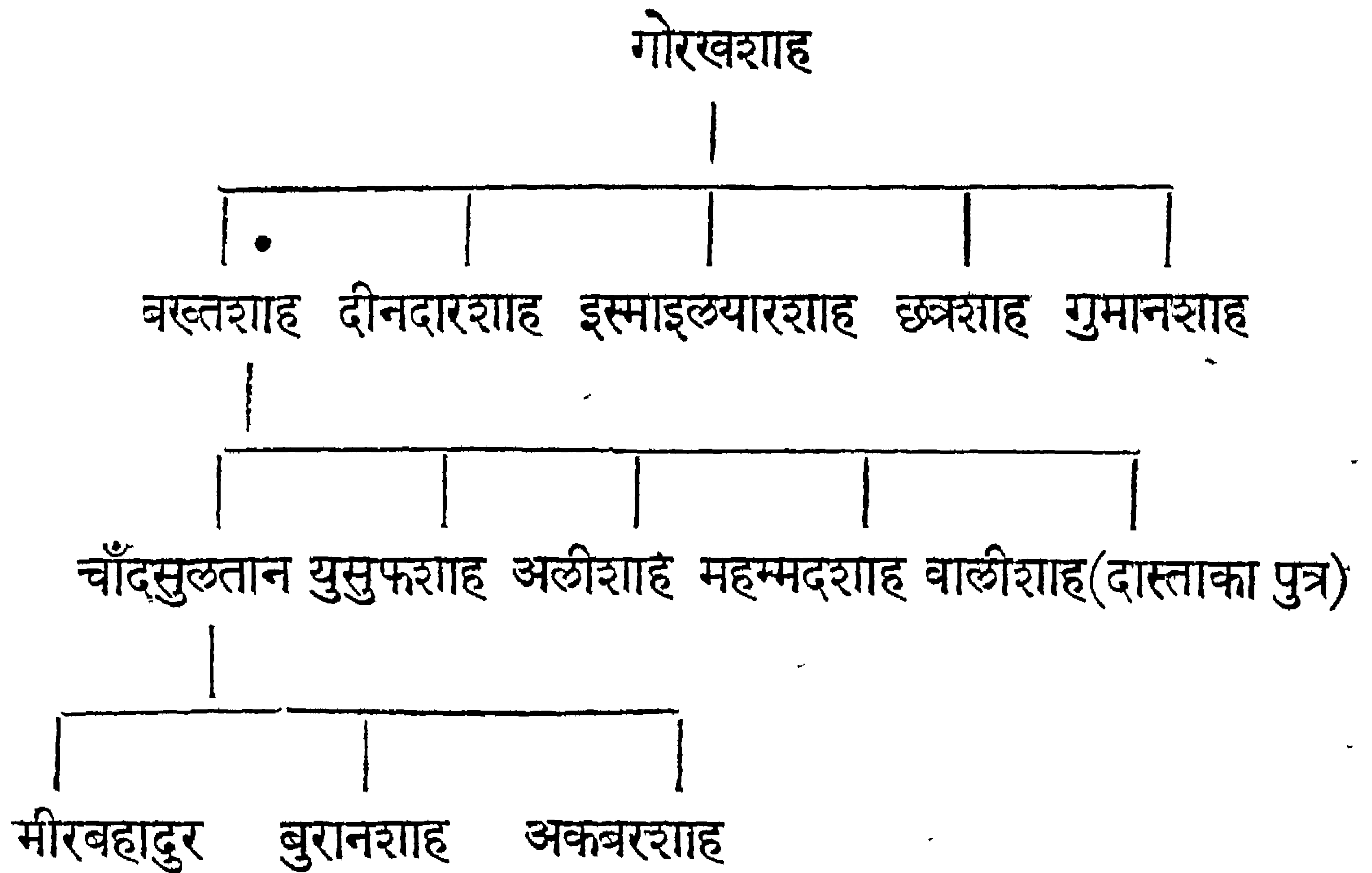


* जाटबाके वंशकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई जाती है—

महाभारतमें वर्णित कर्ण एक समय भ्रमण करता हुआ पचमढ़ीके निकट पनहालगढ़के नाग-राज्यमें पहुँचा। वहाँपर नागकन्यासे गंधर्व विवाह हो जानेसे उसके भूरदेव नामक एक पुत्र हुआ, जिसकी ३५ वीं पीढ़ीमें शरभशाह हुआ जिसने देवगढ़ प्राप्त किया। शरभशाहकी ५ वीं पीढ़ीमें जाटबाका पिता वीरभानशाह था।

† मि० विल्सरचित ग्रन्थके आधारसे।

÷ यह वंशावली इस समय नागपुरके वर्तमान गोंड राजा अज़मशाहके पास है।



जाटबाके पश्चात् उसका पुत्र कोकशाह ई० स० १६०० के लगभग देवगढ़की गद्दीपर बैठा। उसने सम्राट् शाहजहाँको कर देना बन्द कर दिया। इसलिए मुग़ल सेनापति खानेदौराँने ई० स० १६३७ में नागपुरका घेरा डाला। उस समय कोकशाहने देवगढ़से आकर उससे सुलह की। कोकशाहने १॥ लाख रुपया नक्द और १७५ हाथी दिये। ११ वर्षके पश्चात् शाहनवाजखाँ नामक शाहजहाँके एक सरदारने देवगढ़पर चढ़ाई की; किन्तु कोई विशेष लाभ न हुआ। शाहजादा औरंगजेब जिस समय दक्षिणका सूबेदार था, उस समय उसने देवगढ़के राजासे नजरानेकी बाकी माँगी थी; किन्तु खजाना खाली होनेसे उसे २० हाथी लेकर ही संतुष्ट रहना पड़ा। इस सम्बन्धके स्वयं औरंगजेबके लिखे हुए पत्र उपलब्ध हैं।

सम्राट् औरंगजेबके शासनकालमें ई० स० १६६७ में दिलेरखाँने इस राज्यसे १५ लाख रुपये नज़रानेकी बाकी वसूल की थी।

कोकशाहके पश्चात् दलशाहका पुत्र बख्तशाह गद्दीपर बैठा। ई० स० १६६८ में भाइयोंके आपसी झगड़ेके कारण बख्तशाह सम्राट् औरंगजेबसे सहायता लेनेके लिए दिल्ली गया। उस समय मुसलमान हो जानेपर सम्राटने सहायता देनेकी शर्त रक्खी। उसे मंजूर करनेपर* वह मुगलोंकी सहायतासे देवगढ़में आकर बख्तबुलन्दके नामसे राज्य करने लगा। उसने अपने जमानेमें कई इमारतें बनवाई। ई० स० १७०६ में बख्तबुलन्दका अन्तकाल हो गया और उसका जेष्ठ पुत्र चाँदसुलतान गद्दीपर बैठा। इसके आगेका इतिहास भोंसलोंके प्रकरणमें दिया गया है।

चाँदाका राजवंश।

हम आगे लिख चुके हैं कि चाँदा × जिलेपर वाकाटकोंका आधिपत्य था। वैरागढ़के मानाराजा रतनपुरके माण्डलिक थे, जिनके सम्बन्धी बस्तरराज्यके नागवंशीय नरेश थे। चाँदाके राजगोंड़वंशका आदि पुरुष भीमबल्लालसिंह माना जाता है, जिसने ई० स० १२४० के लगभग वर्धानदीके तटपर एक छोटासा राज्य स्थापित किया था। उस समय

---

* कहते हैं कि बख्तशाह जिस समय मुसलमान हुआ था, उस समय उसने यह शर्त की थी कि "मैं भातमें (खाने पीनेमें) शामिल हो जाऊँगा; किन्तु साथ (बेटी-व्यवहार) न करूँगा।"

× कहते हैं कि वर्तमान चाँदा कृतयुगमें लोकपुरके नामसे प्रसिद्ध था। वहींपर महाकाली देवी रहा करती थी, जिसका एक भूतनाथ नामक सुन्दर पुत्र था। उसने देवांगनाओंको फुसलानेका यत्न किया। इससे रुष्ट होकर महाकालीने झटपट नदीके किनारे अचल स्थापित कर दिया और वही अचलेश्वर हैं। त्रेतायुगमें इसका नाम इन्द्रपुर था। कलियुगके आरंभमें भद्रावती था, जिसका विस्तार मीलोंमें था। यहींके यौवनाश्व राजाके पास श्यामकर्ण अश्व था; जिसका वर्णन जैमिनी-अश्वमेधमें है।

उसकी राजधानी सिरपुरमें थी। ५११ वर्ष तक (अर्थात् ई० स० १७५१ तक) इस वंशके १८ राजाओंने राज्य किया है। उनकी नामावली इस प्रकार है—

१ भीमबल्लालशाह, २ खुर्जाबल्लालशाह, ३ हीरसिंह, ४ बल्लालसिंह, ५ तलवारसिंह, ६ केसरसिंह, ७ दिनकरसिंह, ८ रामसिंह, ९ सुर्जाबल्लालसिंह, १० खांडकी बल्लालशाह, ११ हीरशाह, १२ भूमा और लोकवा, १३ कोंडियाशाह, १४ ढुंडिया बल्लालशाह, १५ कृष्णशाह, १६ वीरशाह, १७ रामशाह, १८ नीलकंठशाह।

खुर्जाबल्लालशाहका पुत्र हीरशाह या हीरसिंह राजकाजमें चतुर और युद्धकलामें निष्णात था। उसने प्रथमतः गोंड़ काश्तकारोंसे जमीनका राजस्व लेना प्रारंभ किया। उसके पौत्र तलवारसिंहकी प्रकृति चंचल होनेसे प्रजाने उसे राजच्युत करनेका षड्यंत्र रचा था; किन्तु सौभाग्यवश इसी अवसरपर वह स्वर्ग सिधार गया। पश्चात् उसका कनिष्ठ पुत्र केसरसिंह गद्दीपर बैठा। उसने राज्यकी भीतरी अशान्तिको मिटाकर भीलोंके राज्यपर भी अपना हाथ फैलाया। उसके पुत्र दिनकरसिंहने मराठीभाषाके कवियोंको अपनी राजधानीमें रहनेके लिए प्रोत्साहन दिया।

दिनकरसिंहके पुत्र रामसिंहने अपनी सीमाको बढ़ाकर कई किले बनवाये। उसका पुत्र सुर्जाबल्लालसिंह था जो स्वयं संगीत तथा राजकाज सीखनेके लिए दिल्ली तथा लखनौ रहा था। पता लगता है कि वह दिल्लीमें सम्राट् फीरोजशाह (ई० स० १३५१–१३८८) के यहाँ कैद था, जिसको छुड़ानेके लिए जरवा नामक गोंड सैनिकके सेनापतित्वमें चाँदासे गोंड़-सेना गई थी; किन्तु उधर इसी समय फीरोजशाह कैबरके ठाकुर मोहनसिंहकी कुँमारी कन्याको अपनी बेगम बनाना चाहता

था; किन्तु ठाकुर इसे स्वीकार न करता था, इस कारण सौभाग्यवश कन्या-हरणका कार्य सुर्जाको ही सौंपा गया, क्योंकि उसने अपनी संगीत-कलासे शाहज़ादोंको प्रसन्न कर लिया था। चाँदासे जो गोंड़ सैनिक सुर्जाको छुड़ानेके लिए गये थे, वे भी इसी अवसरपर दिल्ली पहुँच गये। अतएव सुर्जाने सम्राटकी आज्ञासे अपने गोंड़ सैनिकोंको लेकर कैबरपर आक्रमण कर दिया। ११ दिन लड़नेके उपरान्त मोहनसिंह मारा गया, तब उसकी ठकुरानीने सुर्जाकी शरणमें जाकर प्रार्थना की कि आप मेरी कन्याकी लाज बचाइए। इसपर उस वीर राज-गोंड़ने रानीको अभिवचन दे दिया और वह राज-कन्याको साथ लेकर दिल्ली लौट गया।

वहाँपर पहुँचते ही उसने पहले तो यह अफ़वाह फैला दी कि मोहनसिंहका पुत्र भी यहाँपर लाया गया है और फिर उस राज-कन्याको राजकुमारकी पोशाक पहनाकर सम्राट्के सन्मुख पेश कर दिया। सम्राट्ने प्रसन्न होकर उसे प्यारसे 'बेटा' कह कर जाँघपर बिठा लिया और सुर्जासे पूछा कि "विजयका फल कहाँ है?" उसने प्रत्युत्तरमें कहा कि "शाहसलामत उसे अपनी गोदमें लिये हैं। हुजूरने इसे 'बेटा' कहा है, इसलिए अब वह और कुछ नहीं हो सकता।" इस चतुराईपर प्रसन्न हो सम्राट्ने उस कन्याको उसकी माताके पास भिजवा दिया और सुर्जाको उपहारके सहित घर जानेकी आज्ञा दे दी। कहते हैं कि उसे दिल्लीके सम्राट्से 'शेरशाह' की पदवी भी मय ख़िलतके मिली थी और तभीसे चाँदाके राजाओंके नामके पीछे 'शाह' शब्द लगने लगा है।

सुर्जाके पश्चात् खांडकी बल्लालशाहने ई० स० १४३७ से ६२ तक राज्य किया। उसने अपनी रानीकी इच्छासे बल्लालपुर नामक नगर बसाया। कहते हैं कि एक दिन राजा शिकारके निमित्त राजमहलसे निकला और रास्ता भूल जानेसे चाँदाके निकट झरमट नदीके किनारे पहुँच गया।

प्यास लगनेके कारण उसने एक झरनेपर हाथ पैर धोकर मनमाना पानी पिया, जिसके प्रभावसे उसका चर्मरोग (खांडक) जाता रहा । उसी रात्रिको स्वप्नमें अचलेश्वर महादेवका साक्षात्कार होनेसे उसने अचलेश्वरका मन्दिर भी बनवाया। एक दिन राजा मन्दिरका काम-काज देखकर लौट रहा था कि रास्तेमें उसने अद्भुत दृश्य देखा। एक खरगोश कुत्तेका पीछा कर रहा है। बहुत कुछ पीछा करनेके उपरान्त जब वह जिस स्थानपर राजा खड़ा होकर यह तमाशा देख रहा था, उसके निकट पहुँचा, तब कुत्तेने फिरकर खरगोशपर आक्रमण किया और उसे मार डाला। इस दृश्यपर विचार करते हुए राजाने घर पहुँचकर रानीको सारा हाल कह सुनाया। रानीने उस खरगोशकी दौड़के घेरेके भीतर एक ऐसे नगरके बसानेकी सम्मति दी जिसके चारों ओर परकोटा बना हो। इस प्रकार ई० स० १४५० में चाँदा नगरकी नींव डाली गई। कहते हैं कि खरगोशके मस्तकपर चाँदका चिह्न होनेसे इस नगरका नाम चन्द्रपुर (चाँदा) रक्खा-गया था।

बल्लालशाहके मरनेपर उसका पुत्र हीरशाह या हरशाह गद्दीपर बैठा। उसने यह प्रबंध किया था कि जो मनुष्य जंगल काटकर गाँव बसायगा, उससे कर न लिया जायगा और जो कोई तालाब खुदवायगा, उसे उससे जितनी सींची जायगी उतनी ज़मीन माफ़ीमें दी जायगी। इस प्रकारकी उसने कई रियायतें प्रजाको दीं। किसानोंको प्रतिवर्ष दरबारमें बुलाकर किसानीकी उन्नतिके लिए पुरस्कार आदि देकर भी वह उत्तेजन दिया करता था। उसके समयमें चाँदाका परकोटा, द्वार, किला और महल बनकर तैयार हो गया और वह स्वयं वहाँ निवास करनेके लिए चला आया। जान पड़ता है कि अभीतक यहाँके राजा रतनपुरके आश्रित थे; किन्तु इस राजाने उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं रक्खा ।

हीरशाहके पश्चात् उसके दोनों पुत्रोंने (लोकबा और भूमाने) मिलकर शासन किया । उनके समयमें रियासतके ज़मींदार ग्रीष्म कालमें चाँदामें नजरानोंके सहित एकत्रित होते थे । वहाँपर वे नानाप्रकारके स्वाँग बनाकर भेंट करते थे । बादमें उनको राजाकी ओरसे दावत दी जाती थी ।

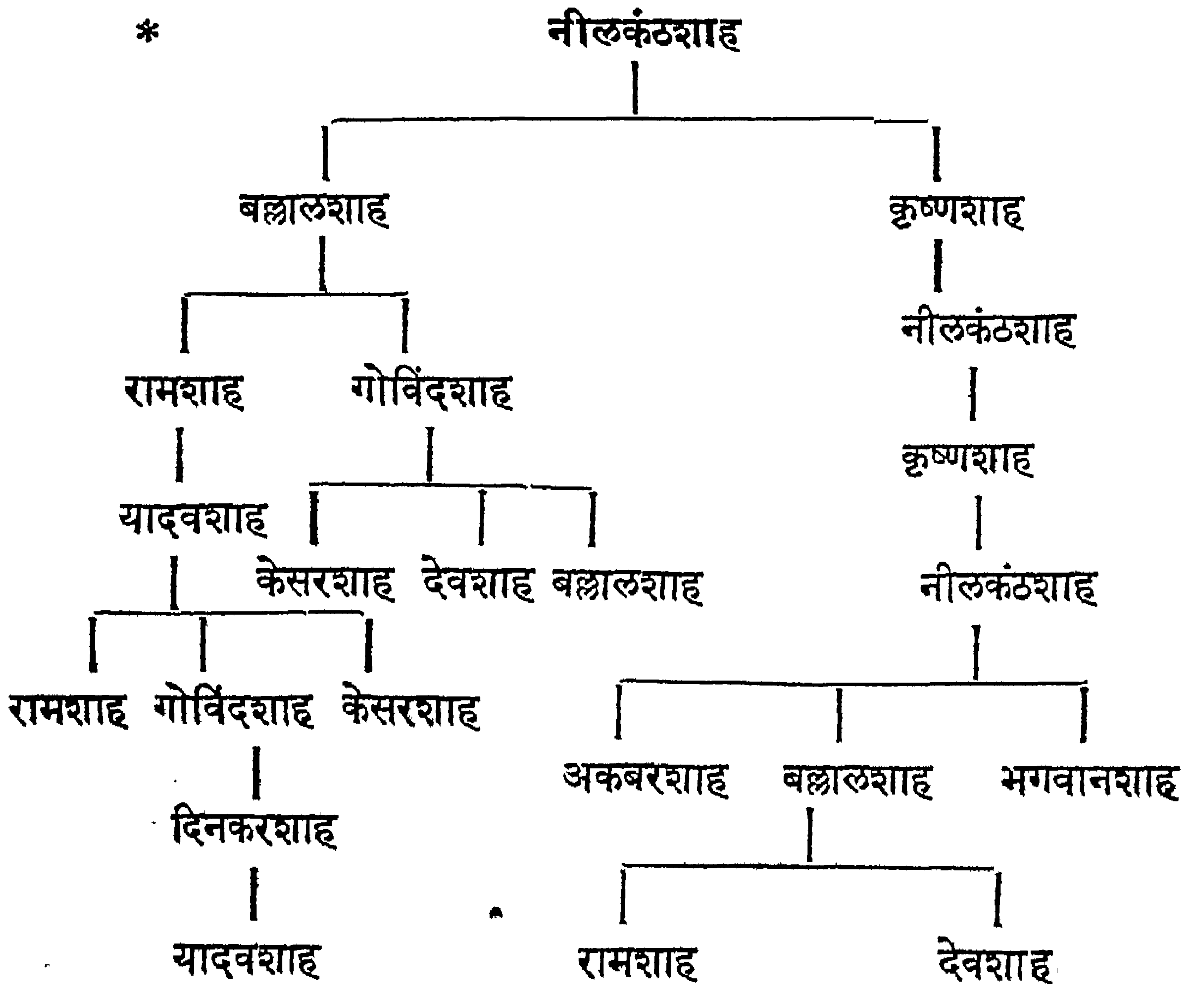
इनके पश्चात् कर्णशाह गद्दीपर बैठा । धर्म तथा साहित्यका आश्रयदाता होनेसे यह राजा स्वयं हिन्दू पद्धतिका अनुसरण करता था । उसने राज्यमें बहुतसे तेलगु ब्राह्मणोंको बुलाकर बसाया था । शिवका परमभक्त होनेसे उसने कई नवीन शिवालय बनवाये और बहुतोंका जीर्णोद्धार करवाया । इतना ही नहीं, वरन् उसने उनके खर्चेका प्रबंध भी बाँध दिया । उसका शासन प्रजाहितकारी होनेसे तेलंगानाके हज़ारों लोग उसके राज्यमें आकर बस गये । वह न्याय भी स्वयं ही करता था ।

कर्णशाहके मरनेपर उसका पुत्र बाबाजी बल्लालशाह गद्दीपर बैठा । आईन अकबरीसे पता चलता है कि "वह स्वतंत्र था और दिल्लीके सम्राट्को किसी प्रकारका कर नहीं देता था । उसके पास १० हज़ार घुड़सवार और ४० हज़ार पदाति थे ।" उसने एल्मा जातिसे वैरागढ़ छीन लिया था । उसके पुत्र रामशाहके शासन-समयमें चाँदाका परकोटा बनकर तैयार हो गया था, जिसके उद्घाटन-समारंभके अवसरपर कई ग्राम ब्राह्मणोंको दिये गये थे । रामशाहके पुत्र कृष्णशाहने देवगढ़के गोंड़-राजाकी स्वतंत्रता सुलहके द्वारा मंजूर की । दूसरी महत्त्वकी बात यह की कि अभीतक इस वंशमें गोंड़-देवता 'परसापेन' के नामसे गायकी कुर्बानी की जाती थी; किन्तु इसने गायकी कुर्बानी बन्द करके बकरेकी कुर्बानी कायम की ।

कृष्णशाहका पुत्र वीरशाह हुआ । यह बड़ा बहादुर था । इसने अपनी कन्या देवगढ़के राजकुमार दुर्गशाहको ब्याही थी; किन्तु दामाद दुर्गशाहने एक समय अपनी स्त्रीका अपमान किया, जिससे क्रुद्ध होकर इसने अपने दामादका सिर काट कर महाकालीको अर्पण कर दिया ! महाकालीका

वर्तमान मन्दिर रानी हिराईने बनवाया था। वीरशाहके पास उसका संरक्षक हीरामन नामी एक राजपूत था। कहते हैं कि उसके पास एक जादूकी लकड़ी थी। इस लकड़ीके सम्बन्धमें राजाने कई बार पूछा; किन्तु उसने कोई पता न दिया। एक समय राजाके द्वितीय विवाहोत्सवपर पुन: इसी बातकी चर्चा छिड़ी और राजाने तलवार दे देनेके विषयमें उससे कुछ अपशब्द कह डाले। इसपर क्रुद्ध होकर हीरामन उसी समारंभमें राजाका सिर काटकर भाग गया। तब रानीने चंदनखेड़ा घरानेके रामशाह नामक एक लड़केको गोद लेकर उसे राज्यका उत्तराधिकारी बना लिया।

रामशाहको उसकी प्रजा देवतातुल्य मानती थी। उसका ई० स० १७३५ में स्वर्गवास हो गया। तब उसका पुत्र नीलकंठशाह गद्दीपर बैठा, जिसके आगेका वर्णन नागपुरके भोंसलोंके इतिहासमें दिया जायगा।*



खेरलाका नरसिंहराय।

इस वंशके विषयमें अधिक पता नहीं लगता। यह घराना राजपूत था या नहीं, इसमें भी मतभेद है। बैतूल ज़िलेके खेरला नामक स्थानमें स्वामी मुकुंदराजकी समाधि है। यह समाधि विवेकसिन्धु ग्रन्थके कर्ता मुकुंदराजकी है, ऐसा माना जाता है; किन्तु निश्चयात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुमान होता है कि नरसिंहरायके पूर्वज खेरलाके स्थानीय कर्मचारी रहे होंगे। ई० स० १३९८ में मालवा और खानदेशके नवाबोंकी प्रेरणासे खेरलाके नरसिंहरायने बहामनी राज्यके बरार इलाकेपर आक्रमण किया था; किन्तु जब सहायताका मौका आया तब नवाबोंने चुप्पी साध ली। अन्तमें इस युद्धसे छुटकारा पानेके लिए नरसिंहरायने बहुतसा द्रव्य, ४५ हाथी और अपनी कन्या देकर सुलतान फ़ीरोजशाहसे सुलह कर ली।

बरारके अहमदशाहके ज़मानेमें मालवेके सूबेदार होशंगशाहने खेरलापर आक्रमण किया; किन्तु नरसिंहरायने उसे हरा दिया। कुछ दिन ठहरकर नवाबने दुबारा आक्रमण किया। इस समय नरसिंहरायकी सहायता अहमदशाहने की, इसलिए यह भी असफल हो गया। ई० स० १४३३ में मालवेके नवाबने पुनः खेरलापर चढ़ाई करके नरसिंहरायको मार डाला और उसके राज्यपर अधिकार जमा लिया। इससे रुष्ट होकर अहमदशाहने होशंगशाहपर आक्रमण किया; किन्तु उस समय खानदेशके नासिरख़ाँने बीचमें पड़कर आपसमें फैसला करा दिया। इस फैसलेके अनुसार खेरला-राज्यको तीनोंने आपसमें बाँट लिया।

(पृष्ठ ६८ की टिप्पणीका शेषांश)—इस वंशकी वर्तमान साम्पत्तिक दशा बिगड़ी हुई है। इसके वंशज राजा यादवशाह हैं। इन्हें वार्षिक ५०० रुपये पोलिटिकल पेन्शन मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक गोंड-विवाहके अवसरपर १।) और प्रत्येक परिवारसे १) रु० मिलता है।

३ मुसलमानोंका प्रभाव।



कुम्हारी (जिला दमोह) इलाकेके बीरान मौजा बटियागढ़के सम्वत् १३६७ के सती-लेखसे प्रकट होता है कि उस समय अलाउद्दीन खिलजीका शासन था। ई० स० १३०९ में उसने दक्षिण भारतपर तृतीय आक्रमण किया था। संभव है कि तभी इस प्रान्तके उत्तरीय जिलोंपर उसका आधिपत्य हो गया हो। खिलजियोंके पश्चात् तुग़लक घरानेके सुलतानोंका उल्लेख कई लेखोंमें पाया जाता है। गयासुदीन तुग़लकके ज़मानेका भी एक लेख बटियागढ़में मिला है, जिसमें उसका राजत्वकाल ७२५ हिजरी अङ्कित है। *

"ब अहद शुद गयासुद्दीन ब दुनिया बिनाई खै़र मैमूगश्त मनसूब"

उसका पुत्र महमूदशाह था, जिसका उल्लेख बटियागढ़के † संवत् १३८५ के संस्कृत लेखमें है।

आसीत् कलियुगे राजा शकेन्द्रो वसुधाधिपः।
योगिनीपुरमास्थाय यो भुंक्ते सकलां महीम्॥
सर्वसागरपर्यन्तं वशीचक्रे नराधिपान्।
महमूदसुरत्राणो नाम्ना शूरोऽभिनन्दतु॥

तुग़लकोंका राज्य यहाँपर कबतक रहा, इसका पता नहीं लगता।

---

* Batiagarh stone Inscription (Persian) फारसी लेख।
† Epigraphia Indica, Vol. 12, Page 44

नीमाड़का फरुखी-वंश ।

ई० स० १३७०में तापीके निकटवर्ती प्रान्तमें मलिक फरुखको सम्राट् फीरोजशाहसे एक सनदद्वारा अधिकार मिल गया था। यह खानदेशका एक साधारण सैनिक था; किन्तु तालनेरके युद्धसे इसका भाग्य चमक उठा था। फरिश्ताके अनुसार यह गढ़ामण्डला तकके राजाओंसे कर वसूल करता था। मलिक फरुखके पश्चात् नासिरखाँ गद्दीपर बैठा। उसने असीरगढ़को×जीतकर बुरहानपुर और जैनाबाद दो नगर बसाये। इस वंशकी वंशावली बुरहानपुरकी जुम्मा मसजिदमें शिलाङ्कित है। वह इस प्रकार है—÷

अव्यक्तं व्यापकं नित्यं गुणातीतं चिदात्मकम् ।
व्यक्तस्य कारणं वंदे व्यक्ताव्यक्तं तमीश्वरम् ॥१॥
यावच्चन्द्रार्कतारादि क्षितिः स्यादंबरांगणे ।
तावत्फारुकिवंशोऽसौ चिरं नंदतु भूतले ॥ २ ॥

× असीरगढ़ और माण्डूपर प्राचीन कालमें चौहानोंका राज्य था; परन्तु इस वंशकी एक भी प्रशस्ति नहीं मिलती है। पृथ्वीराज रासोमें लिखा है कि उस समय असीरका राजा ताक़ था, जिसने ई० स० ११९१ में कन्नौज-रणक्षेत्रमें गोरीसे युद्ध किया था। इसके अतिरिक्त कोई उल्लेख नहीं मिलता। ताक़के पश्चात् १०० वर्षोंतक चौहानोंका राज्य कायम था। ई० स० १२९१ में अल्लाउद्दीन खिलजीने दौलताबादसे लौटते समय असीरगढ़पर आक्रमण किया था। उसमें रायसीको छोड़ सम्पूर्ण राजवंश नष्ट हो गया था। रायसीके वंशज वर्तमान पिपलौदाके राणा हैं।

÷ Epigraphia Indica, Vol. 9, Page 306 ।

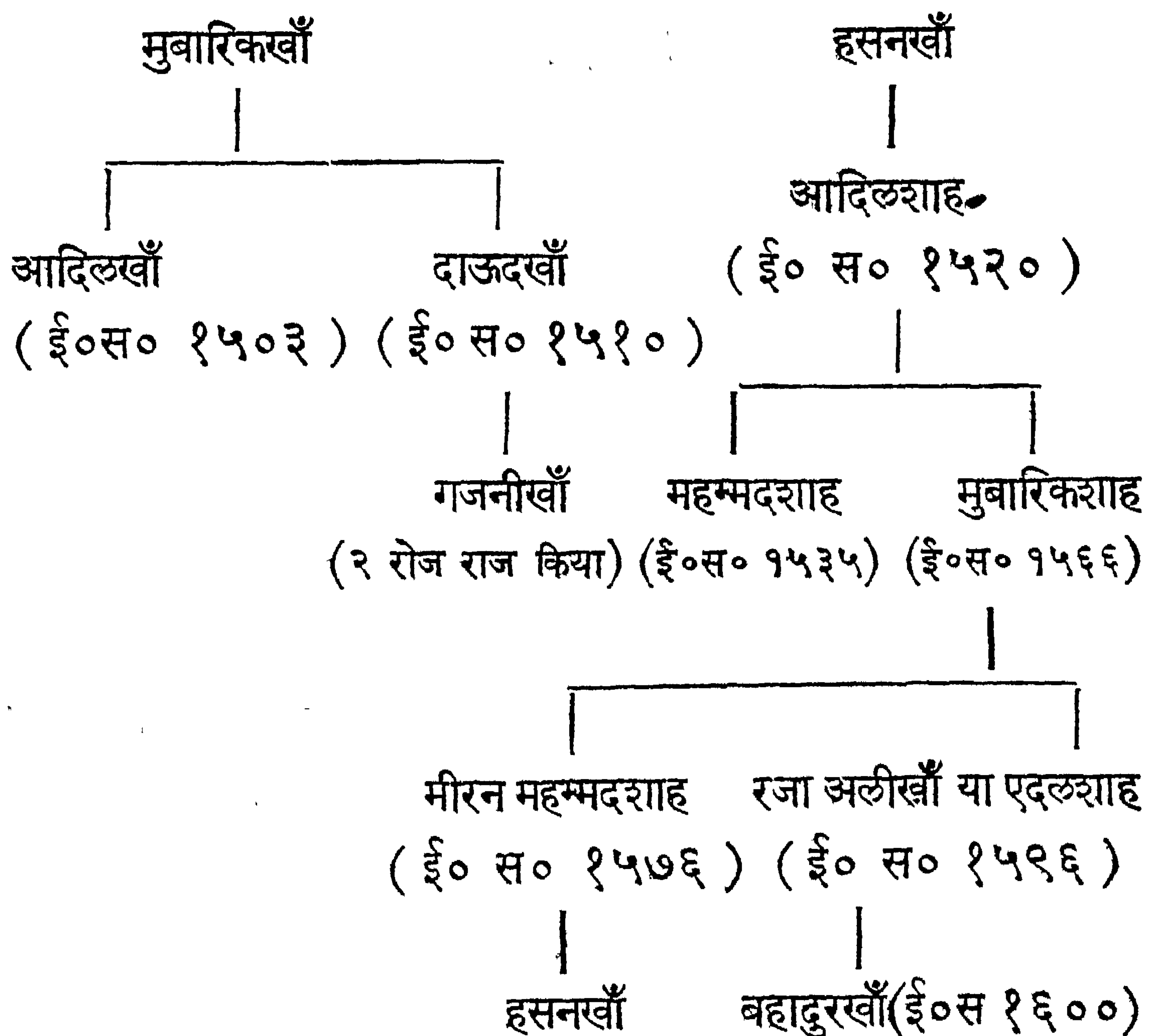
वंशेऽथ तस्मिन्किल फारुकीन्द्रो बभूव राजा मलिकाभिधानः।
तस्याभवत्सूनुरुदारचेतः कुलावंतसो गजनीनरेशः ॥ ३ ॥
तस्माद्भूत्केसरखानवीरः पुत्रस्तदीयो हसनक्षितीशः।
तस्माद्भूदेदलशाहभूपः पुत्रोऽभवत्तस्य मुबारिखेन्द्रः ॥ ४ ॥
तत्सूनुः क्षितिपालमौलिमुकुटव्याघृष्टपादाम्बुजः
सत्कीर्तिर्विलसत्प्रतापवशगामित्रः क्षितीशेश्वरः।
यस्याहर्निशमानतिर्गुणगुणातीते परे ब्रह्मणि।
श्रीमानेदलभूपतिर्विजयते भूपालचूडामणिः ॥ ५ ॥

यह लेख सम्वत् १६४६ (ई० स० १५९०) का है।

उक्त लेखकी वंशावलीमें तथा फरिश्ता और आईन अकबरीमें जो वंशावली मिलती है, उसके नामोंमें कुछ भिन्नता है। रा० ब० हीरालाल साहबने जो वंशावली तैयार की है, वही इस समय प्रमाणयुक्त मानी जाती है।*

मलिक फरुख (ई० स० १३७०-१३९९)
|
गजनीखाँ या नासिरखाँ (ई० स० १४३७)
|
मीरन आदिलखाँ (ई० स० १४४१) — केसरखाँ
| |
मुबारिकखाँ (ई० स० १४५७) — हसनखाँ

* देखो Inscription in C. p. 8 Berar नामक ग्रन्थ, पृष्ठ ७०।



इस वंशके पाँचवें नवाब आदिलखाँने असीरगढ़ किलेकी मरम्मत करवाकर बुरहानपुरमें कई इमारतें बनवाई थीं। गजनीखाँके मारे जाने-पर गुजरातके सुलतान महम्मदशाहने केसरखाँके पौत्र आदिलशाहको गद्दी-पर बिठलाया और उसको अपनी कन्या ब्याह दी। ई० स० १५२० में बुरहानपुरकी गद्दीपर महम्मदशाह बैठा। उसने गुजरातके नवाबकी सहा-यतासे मालवा जीता। ई० स० १५३५ में मुबारकशाहने गुजरातपर अधिकार जमाना चाहा; किन्तु अन्तमें उसे असीरगढ़ भाग जाना पड़ा। उसका पुत्र रज़ाअलीखाँ मुगल-सम्राट् अकबरकी अधीनता स्वीकृत करके मुगल सेनाके साथ बहमनी राज्यके सुलतानके साथ लड़नेके

लिए गया और वहींपर ई० स० १५९६ में मारा गया। तब बहादुर-शाह गद्दीपर बैठा। वह भी सम्राट् अकबरसे मिलनेके लिए दिल्ली होता हुआ लाहोर गया, क्योंकि उस समय अकबर पंजाबमें भ्रमण कर रहा था और अभाग्यवश वहींपर मर गया। इस वंशने २३० वर्षतक नीमाड़पर राज्य किया।

अकबरने इस सूबेको मालवेके अन्तर्गत कर दिया। इसमें हण्डिया, माण्डू और बीजागढ़ ये तीन परगने थे। अकबरके पुत्र दानियालका देहान्त ई० स० १६०५ में बुरहानपुरमें ही हुआ था *। ई० स० १६४१ में अँग्रेज-वणिक-दूत 'सर टामस रो' शाहजादा परवेजसे मिलनेके लिए बुरहानपुर आया था। जहाँगीरके जमानेमें उसके पुत्रने जो विद्रोह किया था, उसका दमन हाड़ोतीके राव रतनसिंहने किया था। इसलिए बुरहानपुरकी सूबेदारी उसे मिली थी; किन्तु वह शीघ्र ही मारा गया। ई० स० १६७० में शिवाजीके प्रमुख सरदार प्रतापराव गूजरने खानदेशको लूटा था। ई० स० १६८४ में यहाँपर औरंगजेबकी छावनी थी और कुछ दिन रहकर वह मराठोंसे लड़नेके लिए औरंगाबादकी ओर गया था। ई० स० १७१६ से मराठोंने यहाँसे 'चौथ' लेना शुरू कर दिया था, जो 'आफत-सुलतानी'के नामसे मशहूर है।

---

* Inscriptions in C. P. & Berar नामक ग्रन्थ, पृष्ठ ६६।

४ बुन्देलोंका प्रभाव ।†



कई प्रमाणोंसे पता चलता है कि जबलपुर कमिश्नरीका उत्तरीय भाग महाराजा छत्रसालके अधिकारमें था। सम्वत् १७३५ के संग्रामपुरकी बावड़ीके लेखमें छत्रसालके शासनका उल्लेख है। कुण्डलपुर (जिला दमोह) के बर्द्धमान-मन्दिरके लेखमें 'महाराजाधिराज छत्रसाल' लिखा है। उसके पिता चम्पतरायके पास केवल ३५० रुपये वार्षिक आयकी जागीर थी। छत्रप्रकाश ग्रंथसे पता चलता है कि सम्राट् औरंगजेबसे अनबन हो जानेके कारण उस पन्द्रह आने रोज पाने वाले वीरने सारे बुन्देलखण्डपर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। उस समय चम्पत-

† बुन्देलोंका आदि पुरुष पंचमसिंह (हेमकर्ण) था। उसने घरेलू झगड़ोंसे घर त्यागकर विंध्याचलमें विंध्यवासिनी देवीको प्रसन्न किया, इसलिए उसके वंशज विंध्येल कहलाये। यही विंध्येल या विंधेल शब्द बिगड़कर बुन्देला हो गया है। पंचमसिंहने खंगारोंको नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया। पश्चात् जिन जिन राजाओंने राज्य किया, उनकी सूची इस प्रकार है—१ वीरभद्र, (ई० स० १०७१) २ कर्णपाल, ३ कन्हारशाह, ४ सौनकदेव (कर्णपालका द्वितीय पुत्र), ५ नानकदेव (कर्णपालका तृतीय पुत्र), ६ मोहनपति (नानकदेवका भतीजा, ई० स० ११६९), ७ मोहनपतिका भाई अभय, ८ अभयका पुत्र अर्जुनपाल, ९ सोहनपाल, १० सहजेन्द्र, ११ सहजेन्द्रका भाई नानकदेव, १२ नानकका पुत्र पृथ्वीराज (ई० स० १३०७), १३ रामसिंह, १४ मेदिनीपाल, १५ अर्जुनदेव, १६ मलखानसिंह, १७ रुद्रप्रताप। ओड़छावाले राजा रुद्रप्रतापके १२ पुत्रोंमें उदयाजितके पास महेबाकी जागीर थी, जिसका पुत्र प्रेमचंद्र और पौत्र कुँवरसेन था। कुँवरसेनका पुत्र मानसिंह, उसका पुत्र भगवंतराय, उसका पुत्र कुलनंदन था। कुलनंदनका पुत्र चम्पतराय था, जिसने बुन्देलखण्डमें स्वतंत्रताकी नींव डाली थी।

रायके भाई-बन्द ओड़छावालों तकने मुगलोंका साथ दिया था। एक दिन लड़ते झगड़ते चम्पतराय इतना घायल हो चुका था कि उसके जीवनकी कोई आशा न रही थी। उसका पुत्र छत्रसाल उस समय कहीं दूर ग्रामके अधिपतिके पास रक्षित था। ऐसी अवस्थामें मुगलोंके शिविरसे कुछ फासलेपर होनेपर भी महरमपट्टी नहीं हो सकती थी। अतएव शत्रुओंके हाथसे माराजाना अपमानास्पद जानकर उसकी रानी स्वयं अपना और पतिका सिर काटकर सती हो गई।

माता-पिताकी मृत्युका दुःखमय समाचार पाकर वीरवर छत्रसालने किशोर अवस्थामें ही सम्राट् औरंगजेबसे झगड़ना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, वरन् उसके उपद्रवोंसे सम्राटको सुखकी नींद सोना दुश्वार हो गया। * उसपर मुगलोंके कई बार आक्रमण हुए; किन्तु प्रत्येक अवसरपर वह अपने बुद्धिबल, पराक्रम, तथा क्षात्र धर्मका परिच्य देता रहा और सदा औरंगजेबी जालसे बचता रहा। अन्तमें उस वीरने सारे बुन्देलखण्डपर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया †। वह स्वयं दानी तथा कवि था। उसकी वृद्धावस्थामें उसके दोनों पुत्र अलग अलग हो गये थे। ज्येष्ठ पुत्र हृदयशाह सागर-जिलेके गढ़ाकोटामें राज्य करता था और जगतराज अपने पिताके साथ जैतपुरमें।

* कविवर भूषणने छत्रसालके विषयमें इस प्रकार कहा है—

एक हाड़ा बूँदीधनी, मर्द महेबा-वाल।
सालत नौरंगशाहको, ये दोनों छतसाल॥

† छत्रसालके प्रभावके विषयमें कविवर भूषणने ठीक कहा है—

चाक चक चमूके अचाकचक चहूँ ओर, चाकसी फिरत धाक चम्पतके लालकी।
भूषन भनत पातशाही मार जेर कीन्हीं, काहू उमराव ना करे री करवालकी॥
सुनि सुनि रीति विरदैतके बड़प्पनकी, थप्पन उथप्पनकी बानि छत्रसालकी।
जंग जीतलेवा ते वै ह्वैके दाम देवा भूप, सेवा लागे करन महेबा-महीपालकी॥

ई० स० १७२६ में फर्रुखाबादके नवाब महम्मदशाह बंगसने छत्रसालको परास्त करनेके उद्देशसे जैतपुरपर चढ़ाई की। उस समय छत्रसालकी अवस्था ७७ वर्षके लगभग थी। इस अवसरपर दोनों भाइयोंने मुसलमानोंसे अच्छी तरह मुकाबिला किया; किन्तु बंगसको हराना कोई सहज न था। ऐसी दशामें स्वयं छत्रसालने पेशवा बाजीरावको सहायता करनेके लिए × पत्र लिखा और पेशवाने छत्रपति शाहूकी आज्ञा लेकर छत्रसालका साथ दिया तथा मुगलोंको अच्छी तरह परास्त करके भगा दिया। इससे प्रसन्न होकर महाराजा छत्रसालने उसे अपने राज्यका तीसरा हिस्सा सौंप दिया। कहते हैं कि इसी समय छत्रसालकी दासीकी परम सुन्दरी कन्या मस्तानीपर मोहित होकर पेशवा उसको अपने साथ पूना ले गया*। बाजीराव पूनेको लौटते समय अपनी इस मिली हुई जागीरका प्रबंध गोविन्दरावको सौंप गया † और सागरका

× देखो ' पेशव्यांची बखर 'नामक ग्रंथ पृष्ठ २७। इस बखरसे पता चला है कि छत्रसालने पेशवाको जो पत्र भेजा था, उसमें १०० पद्य थे और उनके प्रति चौथे चरणके अन्तमें " **ऐसे राव बाजी राखें बुन्देलकी बाजी,** " यह पद था। निबंधमाला (मराठी)के २१वें अंकमें इसी सम्बन्धका एक दोहा मिलता है, किन्तु पूरे पत्रका पता नहीं चलता। वह दोहा यह है—

जो गति भई गजेन्द्रकी, सो गति पहुँची आय।
बाजी जात बुँदेलकी, राखो बाजीराय॥

* मस्तानीपर बाजीरावका अतिशय प्रेम था। उसे उससे एक पुत्र भी हुआ था जो हिम्मत बहादुरके नामसे प्रसिद्ध था। उसके वंशज इस समय भी बाँदामें हैं।

† गोविन्दराव नेवालकरका पता मराठोंके इतिहासमें गोविन्दराव बुन्देलेके नामसे मिलता है। झाँसीका सूबा खालसा होनेतक यहाँका प्रबंध उसके वंशके अधिकारमें रहा।

इलाका इस प्रकार पेशवोंकें अधिकारमें आ गया। छत्रसालका स्वर्गवास ई० स० १७३१ के लगभग हुआ। छत्रसालके समयके जो कागज़ात मिले हैं, इनमें उसकी राजमुद्रा इस प्रकार है—

जगति विदितमुद्रो शासनो ह्यासमुद्रो।
सुजनजनसुहृद्यो छत्रसालाभिधानम्।

ई० स० १७३२ में हृदयशाहने अपना राज्य अपने दोनों पुत्रोंमें विभक्त कर दिया था। अर्थात् ज्येष्ठ पुत्र सभासिंहको पन्नाका और पृथ्वी-सिंहको गढ़ाकोटाका राज सौंप दिया था। पन्नाका सम्बन्ध इस प्रान्तसे न होनेके कारण हम यहाँपर केवल गढ़ाकोटाके सम्बन्धमें लिखेंगे।

पृथ्वीसिंहके पश्चात् किसनसिंहने थोड़े दिन राज्य किया। ई० स० १७७२ में उसका पुत्र हरीसिंह गद्दीपर बैठा। उसके शासनकालमें ई० स० १७८५ में सागरके पण्डित गोविन्दरावने सीमाके सम्बन्धमें कुछ झगड़ा करना चाहा; किन्तु सेनापति जालिमसिंहने पण्डितकी सेनाको परास्त कर दिया। इसके बाद हरीसिंहके पुत्र अर्जुनसिंहके समयमें (ई० स० १८१० में) नागपुरके भोंसलेके बख्शीने चढ़ाई कर दी, जिसका विवरण भोंसलोंके प्रकरणमें आवेगा। ई० स० १८१८ में सागरका इलाका ब्रिटिश कम्प-नीके अधिकारमें चला गया; किन्तु गढ़ाकोटाका राज्य पूर्ववत् कायम रहा। ई० स० १८२१ में अर्जुनसिंहने कम्पनीसे युद्ध किया; किन्तु १३ मार्चको सुलह हो गई; जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं—(१) गढ़ाकोटापर कम्पनीका अधिकार रहे और (२) अर्जुनसिंहकी राजधानी शाहगढ़में कायम की जावे। अर्जुनसिंहके पश्चात् बख्तबली गद्दीपर बैठा। उसके आगेका इतिहास अन्यत्र दिया जायगा।

सागरके पण्डित।

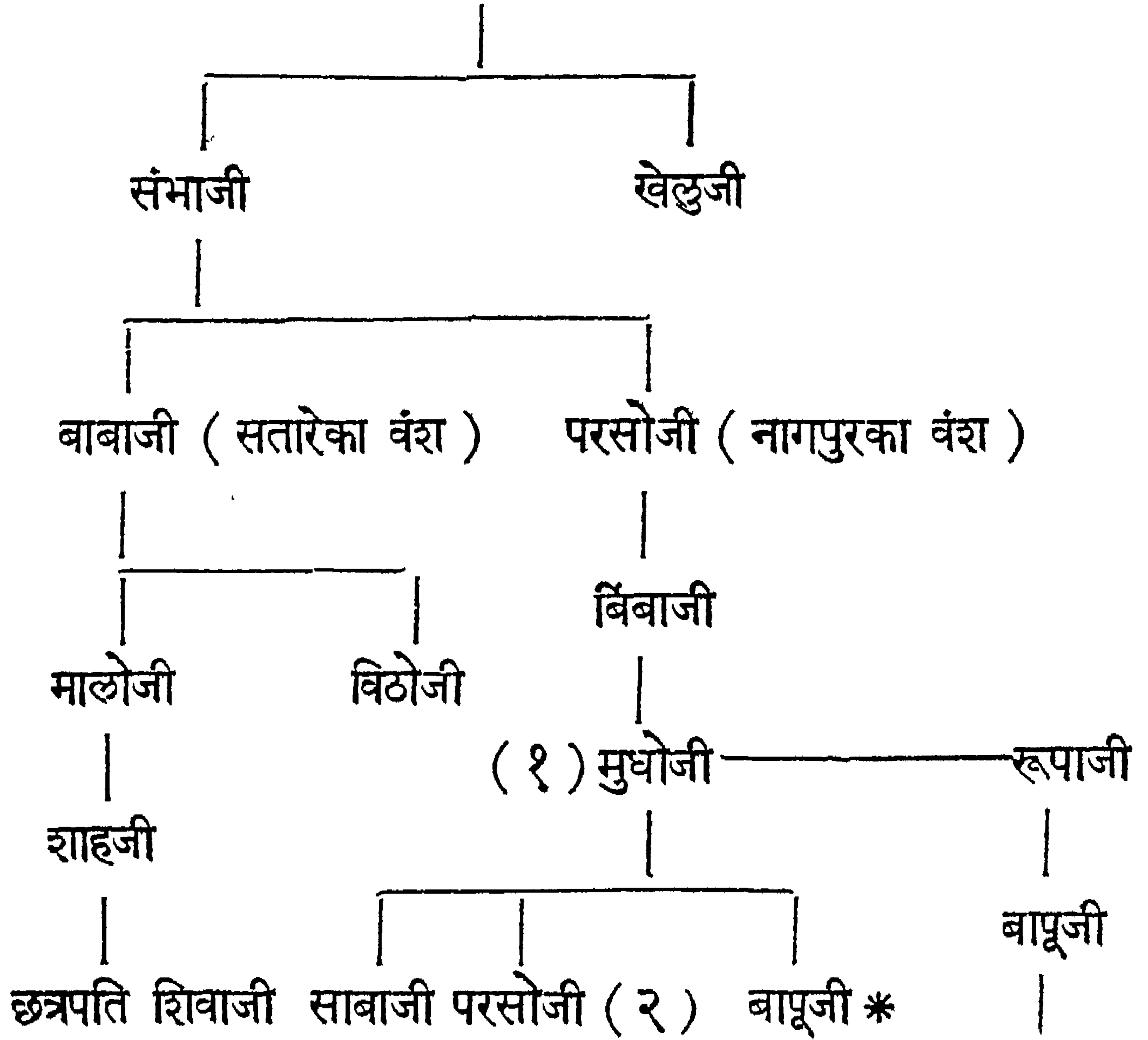
सागरका प्रबंध पेशवाकी ओरसे गोविन्दरावके अधीन था, किन्तु वह पानीपतके रणक्षेत्रमें मारा गया। तब पेशवाने उसके पुत्र पण्डित रघुनाथ-रावको सागरका शासक बना दिया। ई० स० १७९८ में मण्डला और जबलपुर भोंसलोंको दिये गये। ई० स० १८०२ में रघुनाथरावका अन्तकाल हो गया, तब उसकी विधवाओंने (राधाबाई और रुक्माबाईने) मुख्तार विनायकरावके मार्फत प्रबंधका कार्य किया। ई० स० १८१८ में पेशवाका सम्पूर्ण राज्य जब्त किया गया, इसलिए सागरका इलाका भी कम्पनी सरकारने ले लिया और राजा रघुनाथरावकी विधवाओंको ढाई लाख रुपयोंकी पेन्शन नियत कर दी। राधाबाई और रुक्माबाईने अपने निकटके सम्बन्धी बलवंतरावको दत्तक लिया। परन्तु उसको सागर छोड़ कर जबलपुरमें रहनेके लिए कम्पनीने मजबूर किया। राजा बलवन्तरावने अपनी कन्याके पुत्र वर्तमान राजा रघुनाथरावको अपना उत्तराधिकारी बनाया और उनको इस समय पाँच हजार रुपये वार्षिक पेंशन मिलती है।



५ नागपुरके भोंसले ।



भोंसलोंका वंशवृक्ष ।



* 'नागपुरकर भोसल्यांची बखर' नामक ग्रंथमें मुधोजीके ७ पुत्रोंके नाम मिलते हैं—१ परसोजी, २-साबाजी, ३ बापूजी, ४ कान्होजी, ५ दुर्गोजी, ६ आबाजी, ७ ह्वाबाजी ।

परसोजी (२) — काान्होजी ¶

बापूजी — बिंबाजी — (३) रघोजीराव भोंसले (प्रथम)

बापूजी — संताजी, राणोजी

(३) रघोजीराव भोंसले (प्रथम)
- (४) जानोजी
- मुधोजी
- साबाजी
- बिंबाजी

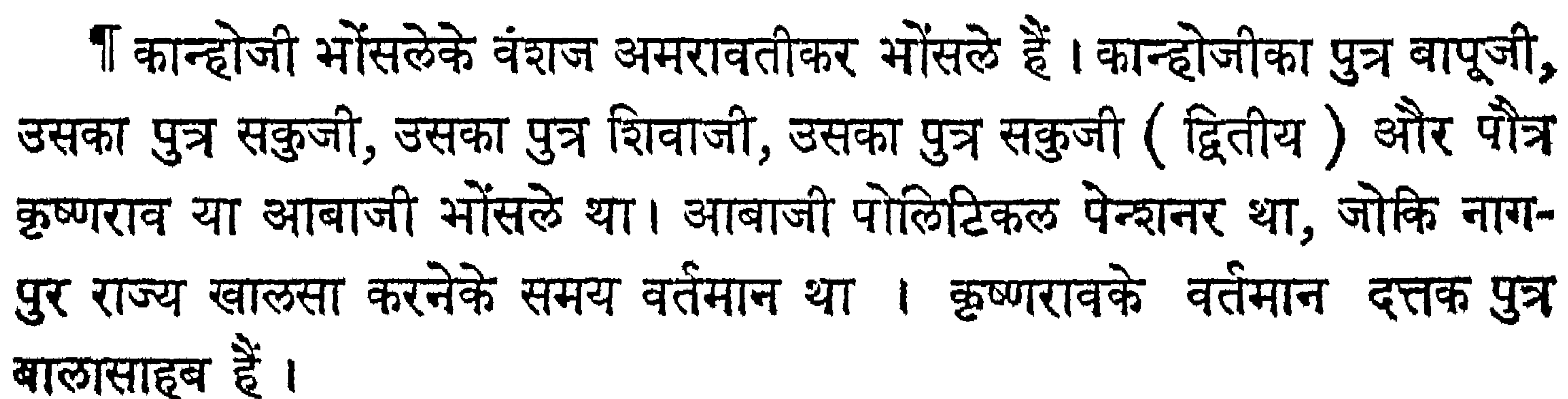
मुधोजी
- (५) रघोजीराव (द्वितीय)
- खंडोजी (चिमणाबापू)
- व्यंकोजी (नानासाहेब)
- व्यंकूबाई (गूजरघरानेमें ब्याही गई)
- झिंगराबाई (मोहिते)
- बालाबाई (मोहिते)

(५) रघोजीराव (द्वितीय)
- परसोजी (निपुत्रिक)
- (६)साल्हबाई (मोहिते)
- पणूबाई (नाना गुजरको ब्याही गई)

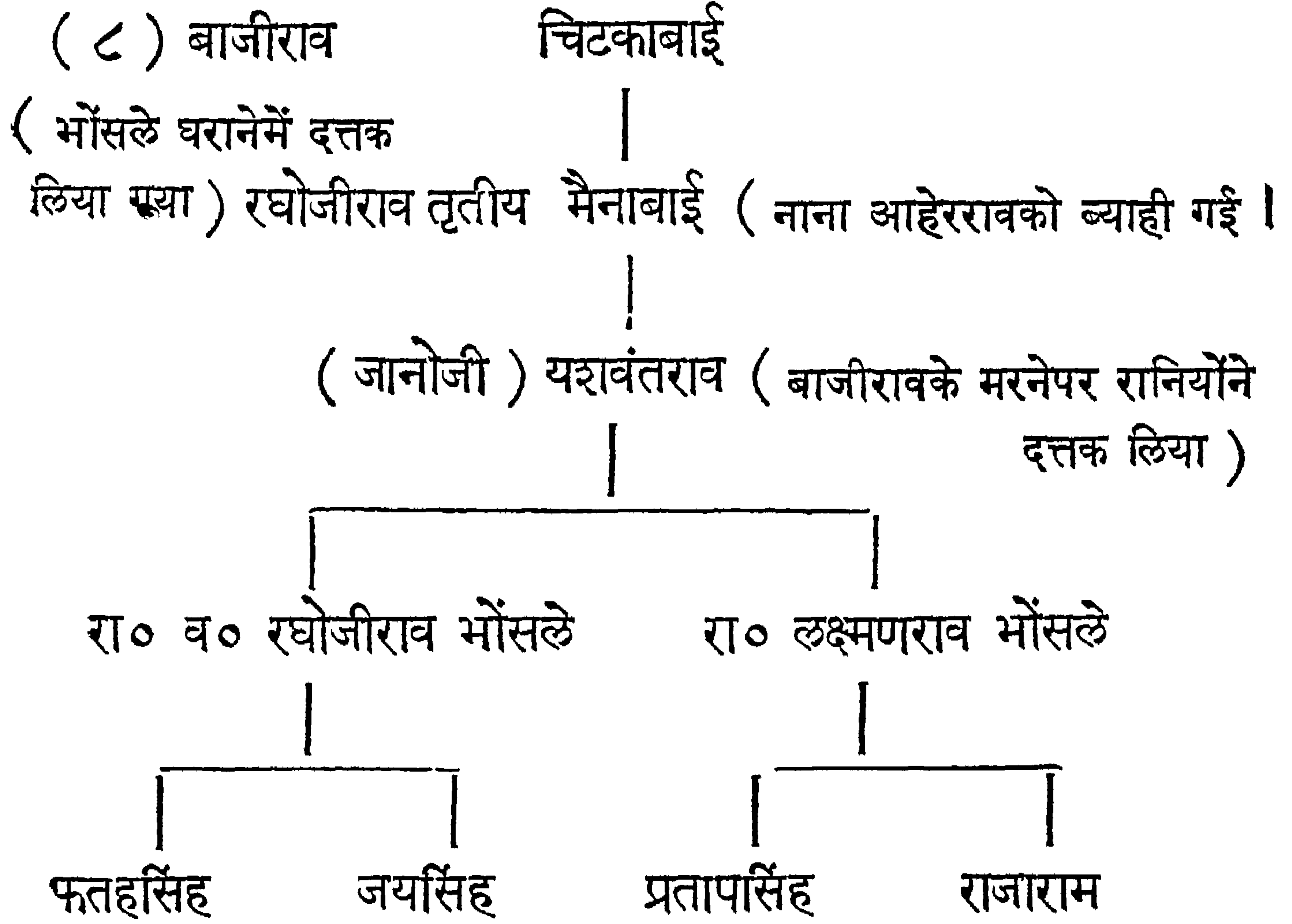
व्यंकोजी (नानासाहेब) — (७) आपासाहब (मुधोजी) (निपुत्रिक)

गुजाबादादा गुजर — यशवन्तराव गुजर

(६)साल्हबाई
- (८) बाजीराव
- चिटकाबाई



¶ कान्होजी भोंसलेके वंशज अमरावतीकर भोंसले हैं। कान्होजीका पुत्र बापूजी, उसका पुत्र सकुजी, उसका पुत्र शिवाजी, उसका पुत्र सकुजी (द्वितीय) और पौत्र कृष्णराव या आबाजी भोंसले था। आबाजी पोलिटिकल पेन्शनर था, जोकि नागपुर राज्य खालसा करनेके समय वर्तमान था । कृष्णरावके वर्तमान दत्तक पुत्र बालासाहब हैं ।



भोंसले-वंशकी उत्पत्ति ।

भोंसले-वंशकी उत्पत्ति चितौड़के 'सीसोदिया' वंशसे है, यह बात प्रायः सभी विद्वान् तथा भोंसले मानते आ रहे हैं। राजस्थानके भिन्न भिन्न इतिहासकारोंने भी इसका आजतक समर्थन किया है। फिर भी किसी किसीने नागपुरके भोंसलोंके विषयमें कुछ विसंगत विवरण लिखा है, जिसका स्पष्टीकरण करना हम आवश्यक समझते हैं। मारवाड़के प्रसिद्ध कविराजा मुरारीदानके द्वारा संलिखित 'वंश-भास्कर' नामक बृहद्ग्रन्थमें * भोंसलोंकी उत्पत्ति इस प्रकार बतलाई गई है—

सूर भतीजहिं प्रभु[1] समझि, दै गद्दीरु उदास।
भव भजि भाव विरक्त[2] भजि, अप्प लह्यो अविनास॥

---

* वंशभास्कर नामक ग्रन्थ, पृष्ठ १७६१।

१ स्वामी जानकर। २ संसारको छोड़ मोक्षको प्राप्त किया।

नृपति राम[1] लिक्खहु नियत, कलिमज्झहु कृतकर्म।
अजयसिंह सीसोदसम, होत अबहु ध्रुव धर्म॥
जनमे ताके तोके[2] जुग, पहिलो सज्जन पुत्त।
अनुजा[3] तासु प्रभावती, जो कन्या गुणजुत्त॥
अजयसिंह तनुजात[4] वह, सज्जन हुव बुध[5] सूर।
देन लगो हम्मीर इहिं, पटा उचित बसुपूर॥
जदपि रान हम्मीरहठ, कर थक्किय विधिकोर।
पटा लक्ख रुप्पय प्रमित[6], न लयो तदपि निहोर॥
वीर सुतजि मेवार बलि, दक्खिन स्वबल दिखाइ।
जित्ति सितारा बैर जहँ, प्रतप्यो वैभव पाइ॥
याहीके कुलके अबहुँ, हुते सितारा हन्त।
पै अब गोरन[7] प्रबलपन, स्वत्वहिं छोरि[8] सुसन्त॥

नागपुरके भोंसलोंके विषयमें खास करके कर्नल टाडने † अँग्रेज़ी राजस्थानके इतिहासमें भ्रम फैलानेका यत्न किया है। उन्होंने सतारेके वंशसे नागपुरवंशकी भिन्नता दर्शानेकी चेष्टा की है। सतारावंशकी वंशावलीको वे सज्जनसिंहसे आरंभ करके बाबाजी (मालोजीके पिता) तक समाप्त करते हैं; किन्तु आगे चलकर जहाँ अजयसिंहके पश्चात् (१२ पीढ़ी या २४१ वर्ष बीत जानेपर) मेवाड़की गद्दीपर दासीपुत्र बनवीर बैठा, वहाँ

---

१ हे राजा रामसिंह। २ बालक। ३ छोटी बहन। ४ अजयसिंहके पुत्र सज्जनसिंह। ५ पण्डित और शूर। ६ प्रमाण। ७ अँग्रेजोंने। ८ हकको छुड़ा लिया।

† कर्नल टाडकी दी हुई वंशावली—१ सज्जनसिंह, २ दिलीपसिंह, ३ शिवजी, ४ भैरवजी, ५ देवराज, ६ उग्रसेन, ७ माहुलजी, ८ खेलोजी, ९ जनकोजी, १० सत्तूजी, ११ भोंसाजी, १२ शिवजी या बावाजी।

वे लिखते हैं कि "उसके राजच्युत होनेपर वह दक्षिणकी ओर चला गया, जिसकी संतानमें नागपुरके भोंसले हैं।" इसका खण्डन रा० ब० गौरीशंकरजी ओझाने अपने 'राजस्थानके इतिहास' में प्रमाणोंसहित किया है *। मारवाड़ी ख्यातमें बनवीरके विषयमें लिखा है कि "कोई कहे छे बनवीर मारयो—कोई कहे छे बनवीर भाग्यो ने उदयसिंह चितौड़धणी हुओ।"

बड़वा भाटोंने तथा 'वीर-विनोद' नामक बृहद्ग्रन्थके लेखक महामहोपाध्याय कविवर शामलदासजीने लिखा है कि "अजयसिंहने अपने बड़े भाई अरिसिंहके पुत्र हमीरसिंहको राज्यका उत्तराधिकारी बनाया और उसके पुत्र सज्जनसिंह और क्षेमसिंह नाराज होकर दक्षिणकी ओर चले गये, जिनके वंशज भोंसले कहलाते हैं और जिनमें सतारा, कोल्हापुर, तंजावर, नागपुर, सावंतवाड़ीके राजवंश प्रमुख हैं।"†

खफ़ीखाँ और गुलाममुहम्मद हुसेनने भी अपने ग्रन्थोंमें चित्तौड़के राजाओंकी शाखा बयान करके भोंसलोंको 'पैबन्दी वंश' लिखा है। एक कुर्सीनामा पं० शिवानंद शास्त्रीका लिखा हुआ है, जो उदयपुरके

---

* राजस्थानका इतिहास, खण्ड १, रायबहादुर गौरीशंकरजी हीराचंद ओझाकृत।

† महकमा तवारीख़ उदयपुरके अध्यक्ष, स्वर्गीय कविराजा शामिलदासजीने 'वीर-विनोद' नामक एक ग्रन्थ कई बरस पहले लिखा था और वह राज्यके यंत्रालयमें छप भी रहा था; परन्तु कई सौ पृष्ठोंके छप जानेपर किसी कारण दरबारने उसका प्रकाशन रोक दिया। इस अधूरे ग्रन्थकी केवल २-४ कापियाँ ही बाहिर निकलने पाई हैं। हमने ओझाजीके पास इस ग्रन्थकी हस्तलिखित प्रति देखी थी।

पुरोहित पद्मनाथके पाससे कविवर शामलदासजीको मिला था ×। उसमें महाराणा अजयसिंहसे लेकर छत्रपति प्रतापसिंह (सताराके अन्तिम नरेश) तक २४ पीढ़ियोंका उल्लेख है।

तंजावरके 'बृहदीश्वरालय' की शिलाप्रशस्तिमें बाबाजीके पूर्व पुरुषोंका जो वर्णन मिलता है, उसका मिलान ¶ इतिहासिक प्रमाणोंसे नहीं होता। इसलिए उसमें वर्णित वंशावलीको महाराष्ट्रके इतिहासकारोंने कोई महत्त्व नहीं दिया। हम भी बाबाजीके पूर्वकी प्रशस्तिकी वंशावलीको कल्पित मानते हैं।

छत्रपति शिवाजीके समकालीन तथा आश्रित कविवर भूषणने शिवराज-भूषण नामक ग्रन्थमें उन्हें स्पष्ट रूपसे सीसोदिया लिखा है *। भोंसले

×वीरविनोदका कुर्सीनामा—१ महाराणा अजयसिंह, २ सज्जनसिंह, ३ दुलीसिंह, ४ सिंह, ५ घोंसला, ६ देवराज, ७ इन्द्रसेन, ८ शुभकृष्ण, ९ रूपसिंह, १० भूमीन्द्र, ११ रायाजी, १२ बारहट, १३ खेलोजी, १४ कर्णसिंह, १५ शंभाजी, १६ बाबाजी, १७ मालोजी, १८ शाहूजी, १९ शिवाजी, २० संभाजी, २१ शाहू द्वितीय, २२ रामराजा, २३ शाहू तृतीय, २४ प्रतापसिंह।

¶ तंजावरकी प्रशस्तिको ई० स० १८०३ में पं० विट्ठलराजके द्वारा तंजावरके सरफोजी भोंसलेने लिखवाया था। "या वंशात कलियुगमध्यें शंभुपर्वतप्रदेशीं महाराष्ट्रदेशाधिपति राजा शंभु म्हणून अवतरला..........कित्येक दिवसानीं त्या शंभु राजाच्या जठर-समुद्रीं गुणरत्न प्रथम येकोजी राजे संभवले।" इसको मूल पुरुष मानकर प्रशस्तिकी वंशावली आरंभ होती है। येकोजीका पुत्र शरभराजे, उसका पुत्र महासेन, फिर येक शिवराज, रामचंद्र, भीमराज, येकोजी, वराह, येकोजी ब्रह्माजी, अंबाजी और बाबाजी क्रमशः हुए।

* भूषण-ग्रंथावलीसे शिवाजी भोंसलेके गोत्रका पता नहीं चलता, किन्तु कहीं कहींपर ये लोग अपना गोत्र 'कौशिक' बतलाते हैं। नागपुरके घरानेमें 'वैजपायेन' गोत्रका प्रचार है और यही गोत्र चितौड़के राजवंशका है। संभव है कि दक्षिणमें आनेपर कुछ पुश्तोंके बाद पूर्व गोत्रका विस्मरण हो जानेसे या पुरोहितोंके गोत्र अंगीकृत कर लेनेसे यह भिन्नता हो गई हो; क्योंकि निर्णयसिन्धुमें लिखा है—

क्षत्रियवैश्ययोस्तु पुरोहितगोत्रप्रवरावेति सर्वसिद्धान्तः।

वंशमें भोंसाजी बड़े प्रतापी हुए, जिनसे यह जाते या खाँप¶ भोंसले नामसे प्रख्यात हुई। मराठी इतिहासकार लिखते हैं कि चितौड़ त्यागने-पर इस सीसोदिया शाखाने 'भोंसे' या 'भोंसवत' नामक ग्राममें अपनी बस्ती कायम की थी, जिससे वे भोंसले कहलाये। दोनों ही कारण सयुक्तिक जान पड़ते हैं।

देवराजके पश्चात् उसकी संतानने हिंगणी, बेरडी, खानवट, बाबी, देऊर आदि ग्रामोंकी पटेलकी या मालगुजारी प्राप्त की। सिंगणापुरके महादेव और तुलजापुरकी भवानी इनकी कुलदेवता है। नागपुर या अम-रावतीके भोंसलोंके पूर्वज प्रथम परसोजी 'हिंगणापुरकर भोंसले' कह लाते थे। शिवाजीके प्रपितामह बाबाजीके वे भतीजे थे। उनके विषयमें कुछ प्रमाण मिलते हैं ×। हमारे मतानुसार परसोजीका समय ई० स० १५३० के लगभग होना चाहिए। शिवाजीके समकालीन परसोजी बापूजी और साबाजी तीनों भाई थे। परसोजी शिवाजीके घुड़सवारोंके पागेका एक सरदार था +। साबाजीको÷ छत्रपति शिवाजीने मौजा राक्षस-

---

¶ जिस प्रकार मेवाड़में चांपावत, राणावत, शक्तावत, आदि खाँपें हैं, उसी प्रकार संभव है कि यह खाँप भोंसाजीसे भोंसावत या भोंसले कहलाई हो।

× मराठी विविधज्ञानविस्तारमें आचार्य कालगाँवकरका लेख।

+ कृष्णाजी अनंत विरचित 'शिव छत्रपतीचें चरित्र' पृष्ठ ८०।

÷ छत्रपति शिवाजीके मरनेपर उनकी अन्तिम क्रिया साबाजी भोंसले हिंगणी-करने की थी। यह कर्म केवल भैयाचारके द्वारा हो सकता है। इससे सिद्ध होता है कि सतारा और नागपुरके भोंसले एक ही शाखाके हैं। देखो, सरदेसाईकृत 'हिन्दुस्थानचा अर्वाचीन इतिहास,' भाग २, पृ० ५४१, (मराठी रियासत)।

वाड़ी और पिपरी इन दोनों ग्रामोंकी जागीर वंशपरम्पराके लिए प्रदान की थी ‡। इनकी स्वराज्यसेवाका भी उल्लेख मराठी बखरोंमें मिलता है।

परसोजी भोंसले।

नागपुरके भोंसलोंका सविस्तर इतिहास इसी पुरुषसे प्रारंभ होता है। जान पड़ता है कि शिवाजीके समयमें परसोजी बरारमें पहुँचकर लूट मार किया करते थे। ई० स० १६९९ में इनको बरार और खानदेशसे कुछ हक़ वसूल करनेकी सनद मिली थी।¶

ई० स० १७०७ में सम्राट् औरंगजेबके उत्तराधिकारीने छत्रपति संभाजीके पुत्र शाहूको स्वराज्यका सम्पूर्ण हक़ तथा दक्षिणी प्रान्तोंसे 'चौथ' लेनेका हक़ सौंपकर स्वदेश जानेकी सहूलियत प्रदान की थी। संभाजीके साथ ही उसका पुत्र भी पकड़ा गया था। यद्यपि संभाजी कत्ल करवा गया, तो भी उसका पुत्र दिल्लीमें सुव्यवस्थासे रक्खा गया था। दिल्लीसे वापिस लौटते समय ज्यों ही शाहू नर्मदा पार करके खानदेशके समीप पहुँचा, त्यों ही परसोजी भोंसले १५ सहस्र सवारोंके सहित उससे जाकर मिल गया*। यह वृत्तान्त ज्यों ही सतारामें पहुँचा कि छत्रपति शाहू वापिस आ रहे हैं, त्यों ही उनकी चाची महारानी ताराबाईने शाहूकी असलियतके विषयमें संशय प्रकट किया। शाहू असली है या बनावटी,

‡ यह सनद अमरावतीकर भोंसलेके पास है, जिसकी नकल हमने करा ली है। इसका आशय यह है कि शके १५९६ आनंदनाम संवत्सर, आश्विन, बहुल दशमी, मंदवासरे, क्षत्रियकुलावंतस श्रीराजा शिवछत्रपतिने राजेश्री साबाजीको राक्षसवाडी और पिपरी गाँवोंकी जागीर वंशपरम्पराके लिए (इनामपत्र) प्रदान की।

¶ इस विषयकी कोई सनद नहीं मिलती।

* थोरल्या शाहूमहाराजांचें चरित्र पृ० १०।

इसकी जाँचके लिए खंडेराव बल्लाल ५०० सैनिकोंके साथ भेजा गया। उसने अष्ट प्रधानोंको तथा महारानीको पत्रद्वारा सूचित किया कि यह शाहू असली है। इसपर भी जब उसने अपना हठ न छोड़ा, तब परशुराम पन्त प्रतिनिधिने सलाह दी कि इसकी जाँचके लिए पुनः बापूजी भोंसले हिंगणीकर भेजे जायँ और वे जो कुछ निर्णय दें, वही सही समझा जाय। बापूजीके पहुँचनेपर उन्हें भी यह विश्वास हो गया कि वह नकली या बनावटी नहीं है। इसलिए बापूजी और परसोजी दोनों भाइयोंने मिलकर शाहूके साथ एक थालमें भोजन किया। तब तो ताराबाईके लिए कोई बहाना न रह गया। दरबारके अधिकांश सामन्त भी शाहूके अनुकूल थे। अतएव सतारेकी गद्दीका हक शाहूका होनेसे ताराबाईने लड़-झगड़कर अपनी संतानके लिए कोल्हापुरमें स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की। भोंसले तथा धनाजी जाधवके बलसे ही शाहूको सताराका राजसिंहासन (शके १६२९ में) प्राप्त हो सका।

मुधोजीके बन्धु रूपाजीके वंशधर राणोजी और संताजी ¶ दोनों भाइयोंने भी मराठा-स्वराज्यके इतिहासमें अच्छा नाम कमाया था, इसका

¶ (ई०स०१८११में) मुधोजीकी रानी चिमाबाईकी घरेलू वृत्तान्तकी कथा—Cheema Bai in conversation with people of her household has often mentioned the following particuler—Ranoji Bhosnle Patel of Hinganbardi was in service of Rajah Shaoo who promoted him to the Command of his Pagah and created him 'Sena Sahab Subha" Raghoji and Canoji Bhonsle his first cousin by the father's side were in service of Nizam-ool-mulk Assof Jah and enjoyed Omraoti and Bham in jagheer from that Chief."

वर्णन अन्यत्र मिलता है। शाहूको सतारेकी गद्दी प्राप्त होनेपर उसने परसोजी भोंसलेको सेनासाहबसूबाका खिताब मय सनदके × दिया। उसमें निम्नलिखित इलाकोंका वर्णन था—

(१) प्रान्त रीथपुर व सरकार गाविल प्रान्त, बरारप्रान्त, देवगढ़, चाँदा गोंड़वाना।

(२) आनागोंदी आदि बरारप्रान्तके महाल (वि० तफसील)

१	,,	सरकार गाविल	....	महाल	४६
१	,,	नरनाला	....	,,	३७
१	,,	माहूर	....	,,	१९
१	,,	खेलडा	....	,,	२१
१	,,	पवनार	....	,,	५
१	,,	कलंब	....	,,	१९
					१४७ *

कहते हैं कि पहले परसोजीको 'सेनापतिका पद' देनेका विचार था; परन्तु वह पद धनाजी जाधवको प्रथमसे प्राप्त होनेके कारण शाहूने 'सेनासाहब सूबा' नामक नवीन पद निर्माण करके परसोजीको प्रदान किया; साथमें पोशाक जरी-पटका, चौघड़ा आदि भी दिया गया। † परसोजीके अन्तकालके विषयमें भी कुछ गड़बड़ सी है। जेकिन्स साहब अपनी रिपोर्टमें लिखते हैं कि उसका अन्तकाल ई० स० १७०९ में

× श्री यादव माधव काळेकृत 'वऱ्हाड़चा इतिहास' पृ० १८० और काशीराव गुप्ते कृत 'भोंसल्यांची बखर' (मराठी)।

* एकूण सरकार ६ दर शेंकड़ा ९॥≶) मोकाशाचे अकारास असे।—(भोंसल्यांची बखर)।

† मल्हार रामरावकृत 'राजारामाचें चरित्र' पृष्ठ ३६, ३८।

हुआ था; किन्तु कुछ प्रमाणोंसे यह समय ई० स० १७१५ के लगभग निश्चित होता है। यही बात मि० विल्स भी लिखते हैं÷।

कान्होजी भोंसले।

परसोजीके पश्चात् कान्होजीने भाममें अपना निवासस्थान कायम करके रीथपुर और दारव्हापर अपना अधिकार जमा लिया था। इसी समय पास ही, पड़ोसमें, निजामवंशकी स्थापना हुई थी। जान पड़ता है कि पेशवा बालाजी विश्वनाथकी सलाहसे कान्होजी भोंसले अपनी सेनासहित निजाम-उल्-मुल्कसे लड़नेके लिए मुगल-सेनाके साथ गये थे।

मराठोंके इतिहाससे पता चलता है कि जिस समय दिल्लीके सम्राट्का पक्ष लेकर पेशवाने सैयद बन्धुओंसे लड़ाई की थी, उस समय राणोजी और संताजी भी पेशवाके साथ थे। इस झगड़ेमें संताजी मारा गया; किन्तु उसके पराक्रमको देखकर सभी आश्चर्यसे चकित हो गये थे। इस लिए उसके भाई राणोजीको सवाई संताजीकी पदवी दी गई, × क्योंकि बहादुरीमें वह भी कम न था। बाजीरावके भाई चिमनाजी आप्पाने पोर्तुगीजोंके साथ जो युद्ध किया था, उसमें भी सवाई संताजीने प्रमुख भाग लिया था और उसका उल्लेख चिमनाजी आप्पाके पत्रमें प्रमुखतासे था।‡ वसईका रणसंग्राम अद्वितीय रणोत्साह और अपार स्वाभिमान गुण व्यक्त करता है। आगे मालवेके कई प्रकरणोंमें भी राणोजीकी कर्तव्य-शीलताका पूरा परिचय मिलता है।

÷ Jenkin's says he died about 1709.

× मल्हार रामरावकृत शाहूचें चरित्र पृष्ठ ४०, ४२।

‡ ब्रह्मेंद्रस्वामी धावडशीकर यांचें चरित्र। लेखांक ४९, पृष्ठ ८२।

कान्होजीने वरारके कुछ हिस्सेपर अपना प्रभुत्व जमा लिया था। जान पड़ता है कि उसने गोंड़वाना और कटककी ओर भी अपना हाथ फैलाया था। इस समय नागपुरके भोंसलोंकी तीन शाखायें वर्तमान थीं—१ कान्होजी, २ रूपाजीके नाती राणोजी और ३ बापूजीके नाती रघोजी।* साबाजी भोंसलेकी स्त्री रमाबाईकी जागीर कान्होजीके अधिकारमें थी। रघोजीको कुछ दिनों तक रमाबाईने पाला। पश्चात् १२ वर्षकी अवस्थामें कान्होजीने उसे अपने पास बुलवा लिया और उसका पुत्रवत् पालन किया, क्योंकि उसके संतान न थी। रघोजी स्वयं कान्होजीकी देखरेखमें फौजी कार्य करता था। दैवयोगसे कान्होजीके पुत्र हो जानेसे स्वभावतः रघोजीके प्रति उसके प्रेममें परिवर्तन हो गया। इसलिए चचाके पास रहना अब ठीक न समझकर वह १०० सैनिकोंके सहित देवगढ़के राजा चाँद सुलतानके यहाँ चला गया। वहाँके राजाने उसे अपने यहाँ आदरके साथ रख लिया, किन्तु वहाँ वह अधिक दिन न रहा और इलिचपुर होता हुआ सताराको चला आया।

जान पड़ता है कि भोंसलोंकी तीनों शाखाओंमें ‘सरंजाम’ के सम्बन्धमें भी आपसी झगड़े होते रहते थे। इसलिए छत्रपति शाहूने ‘सरंजामकी तकसीमी’ बराबर कर दी थी।¶ इतना ही नहीं वरन् एक दूसरेके महालोंमें कोई उपद्रव न करे, यह भी तय कर दिया था।

---

* **रघोजीराव भोंसले** (जन्म ई० स० १६९८ के लगभग)। यह बापूजी हिंगणीकरका पौत्र तथा बिंबाजीका पुत्र था। इसका जन्म पांडववाड़ी नामक ग्राममें हुआ था। कहते हैं कि वहींके सत्पुरुष रामजी पन्तके प्रसादसे इसका उत्कर्ष हुआ था और इसलिए जिस समय इसे वैभव प्राप्त हुआ, उस समय इसने रामजीके वंशधर बाबू कान्हेररामको अपना दीवान बनाया। भास्करपन्त कोल्हटकर भी कान्हेररामका रिश्तेदार था।

¶ इतिहास-संग्रह वर्ष ६, अङ्क १०, ११, १२।

सतारामें रहकर रघोजीने छत्रपति शाहूको प्रसन्न कर लिया। कहते हैं कि एक समय शेरकी शिकारमें उसने शाहूके प्राण बचाये और तबसे शाहूजीका उसपर अधिक प्रेम हो गया। इतना ही नहीं वरन् उसने रघोजीका विवाह शिर्के घरानेमें अपनी सालीके साथ करवाकर साढूपनका निकट सम्बन्ध भी जोड़ लिया। ई० स० १७३४ के लगभग कान्होजी-पर शाहूकी अकृपा हो गई और इससे सेनासाहब सूबाका सम्पूर्ण अधि-कार भी रघोजीको सौंपा गया। भोंसलोंकी बखरमें छुआछूतका÷ जो कारण बतलाया गया है, वह कहाँतक सत्य है, यह कहना कठिन है। जान पड़ता है कि छत्रपतिकी आज्ञासे तथा उसकी सहायतासे रघोजीने वणीके निकट मंदार नामक ग्राममें अपने चचाको पकड़कर सतारा भेज दिया और वह स्वयं भाममें रहकर अपने सूबेका प्रबंध करता रहा। भोंस-लोंका सदर मुकाम भाममें होनेसे ही नागपुरके भोंसले ई० स० १८०३ तक 'बरारके राजा' कहलाते थे।

÷ कहते हैं कि कान्होजीका छुआछूतकी ओर अधिक लक्ष्य था। यहाँ तक कि ब्राह्मणोंके अतिरिक्त वह स्वजातीय तकका स्पर्श किया हुआ भोजन नहीं करता था! जिस समय वह सातारा गया, उस समय किसीने यह बात शाहूपर प्रकट कर दी और यह भी बताया कि वह स्वयं राजाके साथ भी भोजन नहीं करेगा। इसलिए शाहूने उसे खास करके एक थालमें भोजन करनेके लिए निमंत्रित किया। तब यद्यपि उसने राजाकी आज्ञा मानकर एक साथ भोजन कर लिया; किन्तु डेरेपर आकर किसी उपायसे वमन कर दिया! यह कृत्य भी किसीने प्रकट कर दिया। इसे शाहूने अपना अपमान समझा और कान्होजीको जब इस बातका पता लगा तब वह बिनाबिदागीके ही सतारासे वापिस चुपचाप लौट गया। इसपर क्रुद्ध होकर शाहूने कान्होजीको पकड़कर सतारा भिजवानेकी आज्ञा दी। शाहूकी नाराज़गीका यही कारण अब तक उपलब्ध है।



सेनासाहब सूबा रघोजीराव भोंसले (प्रथम)　[पृ० ९३

रघोजीराव भोंसले।

रघोजीको जिस समय 'सेनासाहब सूबा'का पद सौंपा गया, उस समय उससे यह शर्त करा ली गई थी कि वह प्रतिवर्ष ९ लाखका नजराना और साम्राज्यसेवाके लिए १५ सहस्र सिपाहियोंसे सहायता दिया करेगा। * कहते हैं कि उसने महाराजासे इसी समय अपने परिवारके लिए सतारा जिलेका देऊर गाँव भी माँग लिया था, जो इस समयतक नागपुरके भोंसलोंके अधिकारमें है।

देवगढ़में प्रवेश। रघोजीने भाममें रहकर अपना लक्ष्य देवगढ़ राज्यकी ओर दिया। ई० स० १७३८ में देवगढ़के राजा चाँदसुलतानका अन्तकाल हो गया। उस समय वालीशाहने¶ ज्येष्ठ राजकुमार मीरशाह (मीरबहादुर) को मारकर स्वयं राज्यको हड़पना चाहा। इसपर रानी रतनकुँवरिने अपने पुत्र बुरानशाह और अकबर शाहकी रक्षाके लिए पूर्व-परिचित रघोजीको भामसे बुलवाया। इस बुलावेके अनुसार रघोजीने

---

* On receiving the Sanad ofa ppointment for Berar, Raghoji gave a bond to maintain a body of 5000 horse for the service of the State to pay an annual sum of nine lacks of rupees towards the expenses of the Satara Raja's establishment, and to remit to the head of the Government the half of all tribute, a prize-property and collections, exclusive of Ghasdana which came into his hands. He also bound himself to raise, when required a body of 10,000 horse with which to accompany the Pashwa or proceed on any other service. (इस प्रकार अँग्रेजी इतिहासकारोंने लिखा है।)

¶ वालीशाह बख्तबुलन्दकी दासीका पुत्र था।

देवगढ़ राज्यमें प्रवेश किया। बखरसे पता चलता है कि इस झगड़ेमें वाली-शाह मारा गया। तब रघोजीने रानीकी सलाहसे अकबरशाह और बुरान-शाहको नागपुरमें लाकर सब प्रकारकी व्यवस्था कर दी और आप भामको वापिस लौट आया; किन्तु साथ ही साथ वह इस राजवंशकी शक्तिको भी धीरे धीरे घटाता गया। पता चलता है कि इस सहायताके लिए रानीने राज्यका पश्चिमी हिस्सा तथा ९–१० लाख रुपये रघोजीको दिये थे।

कर्नाटकपर चढ़ाई करनेके पूर्व रघोजीने नर्मदाके उत्तरीय प्रांतसे भी चौथ वसूल करनेका उपक्रम किया। ई० स० १७४० के पूर्व उसने अलाहाबाद तकके प्रान्तको लूटकर सूबेदार सुजाखाँको मार डाला। उधर उत्तर भारतमें पेशवा बाजीरावकी राजनीतिक हलचल चल रही थी और वह नहीं चाहता था कि भोंसले स्वतंत्र होकर मनमानी करें। इसलिए उसने भोंसलेका शासन करनेके लिए आबाजी कावरे नामक एक सरदारके अधीन अपनी सेना भेज दी; किन्तु उसे सफलता नहीं मिली और न फिर पेशवाको ही इस ओर लक्ष्य देनेका अवकाश मिला; क्यों कि इसी समयपर नादिरशाहके आक्रमणसे भारतकी परिस्थिति डाँवाडोल हो गई थी।

कर्नाटकपर आक्रमण। इसी समय कर्नाटकपर आक्रमण करनेके लिए प्रायः सभी मराठे सामन्त एकत्रित हुए थे और पेशवा बाजीराव स्वयं उत्तर भारत (दिल्ली) पर अधिकार जमानेके लिए तैयारी किये बैठा था। उसे यह डर था कि कहीं रघोजी भोंसले इस कार्यमें हस्तक्षेप न करे, संभवतः इसी विचारसे उसने भोंसलेको कर्नाटककी ओर फँसा रखनेका

उपाय सोचकर उसे पचास हज़ार सेनाका सेनापति बनानेके विषयमें अपनी राय प्रकट की। कारण जो कुछ भी हो, इस विशाल सेनाका भार महाराजा शाहूने भोंसलेको सौंप दिया और प्रतिनिधि श्रीपतराव तथा अक्कलकोटके फतेहसिंह भोंसलेको भी साथ कर दिया।

इस सेनाको कर्नाटककी ओर रवाना कर चुकनेपर पेशवाने उत्तर भारतके लिए प्रस्थान किया; किन्तु नर्मदाके तटपर पहुँचते ही ई० स० १८४० में रावेरी* ग्राममें उसका अन्त हो गया† ।

उधर रघोजीने कर्नाटकके नवाब दोस्त अलीपर आक्रमण कर दिया। घोर युद्ध हुआ, नवाब मारा गया और उसका वज़ीर मीर असद पकड़ लिया गया; किन्तु नवाबके उत्तराधिकारी सफदरजंगने किसी तरह मराठोंके साथ समझौता कर लिया। जिस समय रघोजी कर्नाटकसे आगे बढ़नेकी तैयारीमें था; उसी समय उसे पेशवाके अन्तकालका समाचार मिला। अतएव सेनाको शिवगंगाके तटपर छोड़ कर वह स्वयं सतारा चला आया; क्योंकि उस अवसरपर दरबारमें पेशवाके उत्तराधिकारित्वके विषयमें चर्चा चल रही थी। रघोजी यह चाहता था कि 'पेशवाई' बाजीरावके वंशजको प्राप्त न हो। उसने 'बापूजी नाइक बारामतीकर' नामक साहूकारको× इस पदके लिए खड़ा किया; किन्तु शाहूने किसीकी भी सलाह न मानकर बाजीरावके पुत्र बालाजीरावको पेशवाई सौंप दी। पेशवाईका निर्णय हो जानेपर रघोजी

* रावेरी नीमाड़ जिलेमें नर्मदाके तटपर एक छोटासा ग्राम है। यहाँपर पेशवा बाजीरावकी 'छत्री' है।

† पेशवाकी मृत्युतिथि—वैशाख शुक्ला १३ शके १६६२।

× पेशवा स्वयं बापूजी नाइक बारामतीकरका कर्ज़दार था।

पुनः कर्नाटककी ओर वापिस लौट गया और वहाँसे आगे बढ़कर २६ मार्च सन् १८४१ को त्रिचनापल्ली हस्तगत करके नबाब चंदासाहबको पकड़कर सतारा ले आया। कहते हैं कि यह चन्दा ७ वर्ष तक सतारेमें भोंसलेके एक कर्मचारीकी अधीनतामें रखा गया था। अन्तमें यह तय पाया कि पेशवाको २० हजार रुपये प्रतिवर्ष अर्काटसे मिला करेगा।

बंगालपर आक्रमण। जिस समय रघोजी कर्नाटककी ओर फँसा था, उस समय उसके सूबेका प्रबंध भास्करपन्तके अधीन था। ई० स० १८४० के लगभग नवाब अलावर्दीखाँने ❀ उड़ीसासे मुर्शिद कुलीखाँको भगा दिया, इससे उसके नायब मीर हबीबने दीवान भास्करपन्तको बंगालपर आक्रमण करनेके लिए उत्तेजित किया। यद्यपि उस समय मालिककी अनुपस्थितिके कारण भास्करपन्तने आक्रमण करना उचित न समझा; परन्तु जब उसने देखा कि पेशवा पूर्वीय प्रान्तोंपर अपना हक़ स्थापित करनेके लिए उद्योग कर रहा है और गढ़ामण्डलाको पादाक्रान्त करके उससे ४ लाख रु० चौथ लेना निश्चित

❀ नबाब अलीवर्दीखाँ। यह पहले बिहारमें नायबके पदपर तैनात था। बंगालके नवाब सुजाउद्दीनके मरनेपर उसके उत्तराधिकारी सर्फराजखाँको नवाबीका सारा हक था; किन्तु इसने विद्रोह मचा दिया और सर्फराजखाँको मारकर स्वयँ ही बंगालका नवाब बन बैठा। इसने सम्राटको खुश करनेके लिए पूर्व नवाबकी कुछ सम्पत्ति उसे अर्पण कर दी; और तब सम्राटकी अनुमतिका कोई झगड़ा न रहा। पूर्व नवाबका दामाद मुर्शिद कुलीखाँ उड़ीसाका सूबेदार था। बंगालकी व्यवस्था कर चुकनेपर इसने सूबेदार तथा उसके दीवान मीर हबीबको उड़ीसासे निकाल बाहर किया। संभव है कि ऐसी अवस्थामें अपनी सहायताके लिए मीर हबीबने भास्करपन्तको निमंत्रण भेजा हो, और समयपर सहायता न मिलनेसे नवाबकी अधीनता मंजूर कर ली हो।

कर चुका है, * तब इसी नीतिको लक्ष्य करके भास्करपन्त अपने मालिककी राह न देखकर स्वयं ही १०–१२ हज़ार घुड़-सवारोंको लेकर गढ़ा-मण्डला प्रान्तको लूटते हुए बिहारके रास्तेसे बंगालपर चढ़ गया। वहाँके स्थानीय कर्मचारियोंमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वे मराठोंके आक्रमणको रोक सकें, इसलिए उसको बंगालकी राजधानी मुर्शिदाबाद तक पहुँचनेमें कोई रुकावट न हुई। राजनिवासके समीप पहुँचनेपर नवाबने ३–४ हज़ार घुड़-सवार और उतने ही पदातियोंकी एक सेना रोकनेके लिए भेज दी, किन्तु उसे कोई सफलता न मिली और मीर हबीब पकड़ा गया। (यही आगे भोंसलोंका विश्वासपात्र बन बैठा।) नवाबका प्रयत्न असफल होनेपर भास्करपन्तने राजधानीको अच्छी तरहसे लूटा † और कटवा(Cutwa) से लेकर मिदनापुरतक सारी भूमि भास्करपन्तकी 'रंगभूमि' बन गई। इस प्रकार उपद्रव करके भास्करपन्त रघोजीके पहुँचनेके पूर्व ही बरारमें लौट आया।

उधर बंगालके नवाबने दिल्लीके सम्राट् तथा पूनाके पेशवासे सहायताके लिए याचना की। सम्राट्ने अवधके वज़ीर और पेशवासे नवाबकी सहायताके लिए आग्रह किया। पेशवा अपना मतलब गाँठनेके विचारसे उत्तरमें पड़ा हुआ था और मन-ही-मन भोंसलेकी बढ़ती हुई शक्तिसे ईर्षा भी रखता था। इसलिए भोंसलेके प्रवाहको कुंठित करने और अपना स्वार्थ साधनेके लिए वह नवाबसे अपना इकरार कराने मुर्शिदाबाद जा पहुँचा। इधर रघोजी भी भास्करपन्तको साथ लेकर रायपुर, रतनपुरके रास्ते ×

† भोंसलोंकी बखरसे पता लगता है कि मुर्शिदाबादके जगतसेठ आलमचंदकी कोठी लूटनेसे भास्करपन्तको १ करोड़की सम्पत्ति मिली थी।

× मराठोंने ई० स० १७४२ में बंगालको लूटनेके लिए कूच किया। रास्तेमें रतनपुरका राज्य पड़ा। भास्करपन्त वहाँके राजा रघुनाथसिंहको हराकर और उसकी

बंगालपर चढ़ाई करनेके लिए रवाना हो गया था। कटवा और वरद्वानके समीप पहुँचनेपर उसे पेशवा और नवाबके समझौतेका समाचार मिला। तब रघोजीने आगे बढ़नेका विचार छोड़ दिया और पहाड़ी घाटियोंमें विपक्षियोंको गाँठना चाहा; किन्तु इस कार्यके पूर्व ही नवाबकी सेनाने भोंसलोंका पीछा किया। ठहरावके अनुसार पेशवाको भोंसलोंसे लड़ना पड़ा और इस कारण रघोजीने बहुत कुछ हानि सहकर शिकस्त खाई। इस पराजयको सहकर वह वापिस लौट आया और शीघ्र ही इस प्रकरणको दरबारमें पेश करनेके विचारसे उसने सताराके लिए प्रस्थान किया। उधर पेशवा भी मालवा होता हुआ सतारा पहुँच गया। (ई० स० १७४४)

आपसी स्पर्धा। इस समय दक्षिणकी राजनीतिक परिस्थिति बिगड़ रही थी और मराठा-साम्राज्यके विध्वंस होनेके चिह्न दृष्टिगोचर हो रहे थे। पेशवाका उत्कर्ष भोंसलेके समान प्रबलशाली सामन्तोंसे देखा नहीं गया, अर्थात् व्यक्तिगत स्वार्थके लिए ये लोग आपसमें लाग-डाँट रखने लगे। बाजीरावके जमानेसे रघोजीका प्रकट रूपसे विरोध चला आ रहा था। छत्रपति शाहूसे भोंसलेका भैयाचारेका और साढूपनका निकट सम्बन्ध था। उसका भीतरी अभिप्राय यही था कि (शाहूके संतान न होनेसे) वह नागपुर-वंशसे ही

जगह उसीके सम्बन्धी मोहनसिंहको सौंपकर आगे बढ़ा। उस समय उसने रायपुरवाली शाखाको नहीं छेड़ा; किन्तु ई० स० १७५०में राजिम, रायपुर, और पाटनके ताल्लुके अमरसिंहको देकर उसपर ७००० रु० वार्षिक कर बैठा दिया। वह ई० स० १७५३ में मर गया। उस समय उसका पुत्र शिवराजसिंह यात्राको गया था। मौका देखकर ये परगने भी ज़ब्त कर लिये गये। ई०स० १७५७में शिवराजसिंहको उसके पुरखोंके प्रत्येक गाँवके पीछे १) परवरिशके लिए लगा दिया और बरगाँव माफीमें दे दिया।

गद्दीके लिए उत्तराधिकारी निश्चित करे।* परन्तु पेशवा बाजीरावने महारानी ताराबाईको खड़ा करके यह कार्य फलीभूत न होने दिया और उसके (अज्ञात) नाती रामराजाको दत्तक दिलवा दिया।† जब तक यह उत्तराधिकारका निर्णय नहीं हुआ, तब तक पेशवाके ब्राह्मण कर्मचारी शाहूको बराबर घेरे रहे; यहाँ तक कि रघोजीको एकांतमें भेंट करना दुश्वार रहा। जान पड़ता है कि सतारा और नागपुरके भोंसलोंमें कुछ भिन्नताका भी बीज बोया गया था×। जो कुछ भी हो, नागपुरके वंशका वंशज, मराठा-साम्राज्यका कर्त्ता धर्त्ता नियत नहीं हो सका, इसका बदला भोंसलेने बाजीरावके मरनेपर पेशवाईका पद उसके पुत्रको न प्राप्त हो,

* ग्राण्ट डफने भी यही लिखा है:—Shao had no prospect of an heir. Raghoji may have contemplated the possession of the Maratha supremacy by being adopted as his son.

† शाहूके मराठी जीवनचरित्रसे पता लगता है कि गोविन्दराव चिटनवीसके मार्फत छत्रपति शाहूने अपनी सालीके पुत्र मुधोजीको दत्तक लेना निश्चित किया था। इसकी चर्चा भी सारे शहरमें फैल गई थी; किन्तु जब चाची महारानी ताराबाईने अपने नाती रामराजाका रहस्य प्रकट किया, तब यह विचार रद्द कर दिया गया।

× There is a tradition of their having been rivals in an hereditary dispute which may have been invented to prejudice the Rajas of Satara aganst the Bhonslas of Nagpur and prevent their desire to adopt any member of that powerful family. It is a point of honour to maintain the hereditary difference.

Grant Duff, page 424, Vol. 2

इसके लिए भरसक यत्न करके चुकाया; किन्तु उसके दोनों प्रयत्न फलीभूत न हो सके।

बाजीरावके मरनेपर भी यह विरोध कभी कभी देखा जाता था। बंगालको लूटकर जिस समय रघोजी धनसंपन्न बन रहा था, उस समय पेशवाकी साम्पत्तिक स्थिति बिगड़ रही थी; यहाँ तक कि सैनिकोंके वेतनके लिए भी उसे साहूकारोंसे याचना करनी पड़ती थी। आगे चलकर बालाजीने बंगालके नवाबका पक्ष लेकर भोंसलेके प्रति अपना विरोध भाव प्रकट किया। कहनेका मतलब यह है कि उस समय भी ब्राह्मण और अब्राह्मणोंका झगड़ा किसी न किसी रूपमें वर्तमान था।

इस प्रकारकी स्पर्धासे किसी प्रकारके लाभकी संभावना न थी। इसलिए ई० स० १७४४ में छत्रपति शाहूने बीचमें पड़कर पेशवा और भोंसलेके कार्यक्षेत्रोंकी सीमा बाँध दी। इस निर्णयके अनुसार भोंसलोंको बरारसे लेकर कटक तकके सम्पूर्ण प्रान्तोंसे चौथ, सरदेशमुखी आदि करोंको वसूल करनेकी स्वतंत्रता मिल गई, साथ ही उन्हें सूबा लखनौ, पटना, ढाका, मुर्शिदाबाद, बेतिया आदि अन्य रजवाड़ोंसे भी चौथ लेनेका हक़ प्राप्त हो गया।

नागपुर भोंसला-राजधानी। जिस समय रघोजीने अकबरशाह और बुरानशाहको नागपुरमें लाकर बसाया, देवगढ़-वंशकी स्वतंत्रता तो उसी समय जाती रही; फिर भी कुछ दिनोंतक उक्त दोनों भाई मिलकर काम-काज देखते रहे। ई० स० १७४३ के लगभग दोनोंमें फूटका संचार हो गया। गोंड़ोंने अकबरशाहका साथ दिया और तब बुरानशाहने अपनी सहायताके लिए पुनः रघोजीको बुलवाया। रघोजीने वहाँ पहुँचकर गोंड़ोंका नाश किया और

अकबरशाह हैदराबादकी ओर भाग गया, जिसे फिर कभी अपनी जन्मभूमिके दर्शनका सौभाग्य न मिला। इस समय रघोजीने अपनी छावनी भामसे उठाकर नागपुरमें कायम की और बुरानशाह परतंत्रताकी बेड़ीसे जकड़ दिया गया। पहले तो रघोजी बुरानशाहके नामसे* (उसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे) राजकाज करता रहा और जबतक सम्पूर्ण देवगढ़पर अधिकार न हो गया, तबतक उसने अपनी राज्यसम्बन्धी बाह्य स्वतंत्रता प्रकट न की; किन्तु ई० स० १७४५ में देवगढ़का राजा केवल संस्थानिक पेंशनर रह गया। हाँ, उसका 'मान-मर्तबा' ज्योंका त्यों कायम रहा। यहाँ तक कि गद्दीनशीनीके अवसरपर भोंसलोंका प्रारंभिक राजतिलक गोंड़ राजाके हाथसे ही होता रहा और यह प्रथा राज्य खालसा होनेतक कायम रही। इस प्रकार रघोजीने अपना 'ज़री-पटका' नागपुरके राजमहलपर फहरा दिया।

भास्करपन्तका मारा जाना। ई० स० १७४८ के लगभग दशहरा हो जानेपर रघोजीने २० हज़ार सेनाके सहित भास्करपन्तको बंगालपर आक्रमण करनेके लिए भेजा। सीमापर पहुँचते ही नवाब अलीवर्दीखाँने सुलहका बहाना बनाकर भास्करपन्त तथा उसके साथके प्रमुख सामन्तोंको 'जाफ़त' के लिए निमंत्रित किया और इसके लिए बड़े बड़े

---

* **गोंड़-राजवंश।** बुरानशाहके ६ पुत्र थे—१ अनवरशाह, २ बहरामशाह, ३ आज़मशाह, ४ फिरोजशाह, ५ सुलेमानशाह और ६ सिकन्दरशाह। सुलेमानशाहका पुत्र निजामशाह और पौत्र सुलेमानशाह था। सुलेमानशाह द्वितीयको पाँच पुत्र थे—१ भोजशाह, २ चाँद सुलतान, ३ फतेहशाह, ४ रहमानशाह, ५ आज़मशाह। राजा आज़मशाहके पुत्र सुलेमान शाह थे, जिनकी पुत्री मानमोतीने वर्तमान आज़मशाहको सुलेमानशाहका उत्तराधिकारी बनाया था।

शामियाने खड़े करके सुन्दर व्यवस्था की। भास्करपन्तने अपने २१ † साथियोंके सहित इस भोजमें भाग लिया और यही 'जाफ़त' उनके लिए 'आफ़त' हो गई। अर्थात् जिस समय ये लोग भोजनमें मग्न हो रहे थे, उस समय शामियाने गिरवाकर उनपर अचानक आक्रमण कर दिया गया और वे सबके सब वहीं मारे गये। केवल राघोबा गायकवाड़ छावनीमें प्रबंधके लिए रह जानेके कारण बच गया और सेनाको लेकर वापस लौटा तथा रास्तेमें अनेकों कष्ट सहता हुआ किसी प्रकार नागपुर पहुँच गया।

इस दुःखद समाचारके पाते ही रघोजीने बदला लेनेके लिए चुने हुए घुड़सवारोंको लेकर बंगालपर पुनः आक्रमण किया। पहले उड़ीसाकी राजधानी कटकपर धावा करके वहाँके सूबेदार दुर्लभरामको पकड़कर उससे तीन लाख रुपये वसूल किये। परन्तु यहाँसे ज्यों ही वह आगे बढ़ा, त्यों ही उसे यह खबर मिली कि देवगढ़में चाँदाके राजाकी सहायतासे दीवान रघुनाथसिंह गोंड़ोंको एकत्रित करके विद्रोह मचा रहा है। इसलिए आगे बढ़नेका विचार छोड़कर वह नागपुरको वापिस लौट आया; किन्तु कटक प्रान्तको अपने राज्यमें मिलाकर वहाँका प्रबंध शिवभट साठेको सौंप आया।

---

† **भास्करपन्त और उसके २१ साथी।** १ यशवन्तराव गूजर, २ अलकिलवार (?), ३ नीलकंठ मोहिते, ४ दाजीबा भोंसले, ५ शाह मुहम्मदखाँ, ६ बापूजी महाडिक, ७ मानाजी भोंसले, ८ निंबालकर, ९ मेहकरकर, १० व्यंकट भाऊ, ११ दाजीबा पाटनकर, १२ नारायण भोंसले, १३ कदम, १४ शिर्के, १५ जाधव, १६ शिवाजीराव, १७ सुभानराव, १८ बख्शी, १९ सेलूकर, २० ज्योतिबा, २१ संभाजी भोंसले।

[भास्करपन्त कोल्हटकरके मारे जानेपर उसकी स्त्री ताराबाईको भोंसलेकी ओरसे बरारमें जागीर दी गई थी, जिसका प्रबंध कृष्णाजी गोविन्द करता था और ताराबाई स्वयं काशीमें रहती थी।]

चाँदा सर करना। ई० स० १७४९ में रघोजीने देवगढ़पर आक्रमण करके दीवान रघुनाथसिंहको मार डाला और वहाँकी व्यवस्था कर चुकनेपर चाँदाके राजा नीलकंठशाहपर चढ़ाई कर दी। उस समय चाँदाके दरबारमें अव्यवस्थाका राज्य था और इसलिए कहा जाता है कि वहाँके दीवान महादेव वैद्य आदि कई कर्मचारियोंने गुप्त रीतिसे भोंसलेको सहायता पहुँचाई। राजाने १० हज़ार गोंड़ और पठान सैनिकोंको लेकर ोंसलोंसे सामना किया, किन्तु हार जानेपर उसने रघोजीसे सुलह कर ी। सुलहके अनुसार उसने चाँदाके राजस्वसे ⅓ हिस्सा रघोजीको देना ंजूर कर लिया। चाँदा-राज्यकी आयका बँटवारा* इस प्रमाणसे तय िया गया—

रघोजी भोंसले	रु०,	आ०,	पा०	नीलकंठशाह	रु०,	आ०	पा०
ंका हिस्सा—	३७	८	०	संस्थानिक	३७	८	०
न—	२५	०	०				
ेशमुखी—	१०	०	०	कुल जोड़	११०	०	०

छत्रपति शाहूका अंतकाल। ई० स० १७४९ में छत्रपति शाहूका वकाल¶ हो जानेसे सतारेमें अव्यवस्था मच रही थी। पेशवाने भोंसे सतारेमें आनेका आग्रह किया; क्योंकि उस समय कई बातोंका य करना आवश्यक था। सतारेकी गद्दीपर महारानी ताराबाईने राजाको अपना नाती प्रकट करके बिठलाया था; किन्तु कई सामन्त दत्तक-विधानके विरोधी थे। सामन्तोंको शक था कि वास्तवमें वह

---

* Jenkins's Report, page 48.

¶ शके १६७१ मार्गशीर्ष शुक्ल ३ को शाहूका स्वर्गवास हुआ।

उनका नाती नहीं है। इसलिए प्रायः सभी सामन्तोंकी आँख रघोजीकी ओर लगी हुई थी कि रघोजी किस करवट बैठता है। परन्तु सतारा पहुँचनेपर, उसने अपना मतलब सधता न देख कोई विरोध प्रकट नहीं किया; बल्कि वह पेशवाका समर्थक बन गया। किन्तु दत्तक पुत्रके विषयमें उसने संशय प्रकट करके यह शर्त पेश की कि महारानी ताराबाई स्वयं जाति-गंगाके सम्मुख एक थालमें उसके साथ भोजन करके उसे 'भोंसला' सिद्ध कर दें और जब ऐसा करनेमें कोई एतराज़ न किया गया, तब उसने अपना सन्तोष भी व्यक्त कर दिया।×

बंगालके नवाबसे सुलह। हैदराबादके निज़ाम-उल-मुल्कके उत्तराधिकारी नासिरजंगने * कर्नाटकपर जो चढ़ाई की थी, उसमें सहायता देनेके लिए रघोजीने अपने ज्येष्ठ पुत्र जानोजीको हैदराबादकी सेनाके साथ भेजा था। ई० स० १७५० में जिस समय वह वापिस लौट आया, उस समय रघोजी भी सतारेसे लौट आया था। पेशवाने नवीन महाराजाके प्रतिनिधिकी हैसियतसे रघोजीको बरार, गोंड़वाना और बंगालके हक़ोंकी सनद प्रदान की। पूना इस समय साम्राज्यका केन्द्रस्थान बनाया गया।

× ग्राण्ट डफने भी यही लिखा है—He required in testimony of his being a Bhonsle, and the grandson of Rajaram, that Tarabai should first eat with him in presence of the court, deposing on food they ate together that Ram Raja was her grandson. On this being complied with in the most solemn manner Raghoji declared himself satisfied.

* निज़ाम-उल-मुल्कके ६ पुत्र थे—१ गाज़ीउद्दीन, २ नासिरजंग, ३ निज़ाम-अली, ४ मुहम्मद शरीफ, ५ सलाबतजंग, ६ मीर मुग़ल।

पूनासे आनेपर रघोजीने बंगालपर चढ़ाई करनेके लिए अपनी विशाल सेनाके साथ जानोजी और तुलजारामको भेजा।

भोंसलोंके बारम्बारके आक्रमणसे बंगालकी समस्त प्रजा त्रस्त हो रही थी और स्वयं नवाब मराठोंकी लूटमारके स्वप्न देखा करता था। अन्तमें सुलह करनेके अतिरिक्त उसके लिए दूसरा चारा ही न था। अतएव उसने पहले जानोजीसे इस सम्बन्धमें बात चलाई; किन्तु उसने सुलह करनेसे इन्कार कर दिया, तब नवाबने अपना प्रतिनिधि स्वयं रघोजीसे मिलनेके लिए नागपुर भेजा। इस वर्षका चौमासा जानोजीने बालेश्वरमें बिताया। इस सुलहकी खटपटमें मीर हबीब और मुसलिउद्दीन मुहम्मदखाँने प्रमुखतासे भाग लिया और उसके ¶ अनुसार बंगाल और बिहारकी चौथ बारह लाख रुपये पटानेका अलीवर्दीखाँने मंजूर किया।

¶ **रघोजी भोंसले और अलीवर्दीखाँकी सुलह निम्नलिखित शर्तोंपर हुई थी—** (इस शर्तनामेंकी नकलकी नकल रजाखाँने आगे चलकर गवर्नर जनरलको दी थी। इसका उल्लेख पर्शियन कलेंडर, जिल्द २, पृष्ठ १२४४, ४५, ४६, ४७ में है।) "रघोजीने श्री सदाशिव खंडेराव (कुलदेवता), जगन्नाथ आदि देवताओंको साक्षी रख कर तथा गंगोदक लेकर प्रतिज्ञा की कि—१ हम अपने पुत्र जानोजी मुधोजीके सहित नवाब अलीवर्दीखाँ, उत्तराधिकारी दामाद शाहमतजंग और नाती सिराजुद्दौलासे मित्रताका रिश्ता सदैव कायम रक्खेंगे और उनके शत्रु या मित्र हमारे शत्रु या मित्र होंगे। २ हम इसके अनुसार चौथके १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष लेकर (रामराजाकी सनदके अनुसार) सन्तुष्ट रहेंगे। ३ मैं स्वयं या मेरे वंशज या अन्य मराठा सरदार नवाबके राज्यमें नहीं रहेंगे। ४ सताराके छत्रपतिका कोई भी सामन्त उनके राज्यमें नहीं आने पावेगा। ५ आवश्यकता पड़नेपर हमारी (भोंसलेकी) सेना नवाबकी सहायता करेगी और उसका खर्चा नवाबको देना होगा। ६ काम हो जानेपर हमारी सेना प्रजाको किसी तरहकी तकलीफ न देते हुए वापिस लौट आयगी।" [**रघोजी भोंसलेकी मुहर छाप।**] इसी प्रकार नवाबने पैगंबरकी शपथ लेकर प्रतिज्ञा की कि—१ मैं स्वयं अपने हक़दार शाहमत-

चाँदा, गाविलगढ़ और नरनालापर अधिकार । ई०स० १७५१ में रघोजीने सम्पूर्ण चाँदा राज्य खालसा कर लिया और वहाँके राजाको वल्लालपुर तथा उसके आसपासकी जमींदारी और कुछ पेंशन दे दी । उधर हैदराबादके नवाब और पेशवासे झगड़ा शुरू हो जानेसे रघोजीको अपना मतलब गाँठनेका एक और अच्छा अवसर मिल गया । उसने नवाबके गाविलगढ़, नरनाला और माणिकदुर्ग आदि किलोंपर अपना अधिकार जमा लिया । उस जमानेमें ये किले जिसके अधिकारमें रहते थे, वही बरारका असली मालिक समझा जाता।

जंग और सिराजुद्दौलाके सहित यह इकरार करता हूँ कि मैं छत्रपति रामराजाको बंगाल, बिहार और उड़ीसाकी चौथ १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष पटाया करूँगा । २ भोंसलोंसे मित्रताका सम्बन्ध निवाहता रहूँगा । ३ बंगाब्द ११५७ आश्विन मासकी १८ तारीखसे (सम्राट् मुहम्मदशाहके राज्याभिषेकका वर्ष ४, जिल्काद ९ से) प्रति ६ मासमें मैं जगतसेठ या महाराजा स्वरूपचंदके द्वारा दो किश्तोंमें १२ लाख रुपये बनारसमें पटाऊँगा; किन्तु भोंसले या उनके अन्य मराठा सरदारोंके इस राज्यमें प्रवेश करते ही यह हक जाता रहेगा । ४ मेरे आश्रित जमीदारोंसे भोंसले किसी प्रकारका सम्बन्ध न रक्खेंगे । ५ आवश्यकता पड़नेपर मैं भोंसलेकी सहायता लूँगा और ऐसी अवस्थामें प्रति सैनिकके लिए प्रतिदिनके हिसाबसे १ रु० दिया करूँगा और जिस रोजसे सेनाको वापिस जानेकी आज्ञा दूँगा, उस रोजसे खर्चा बन्द किया जायगा । ६ सेनाके आने जानेमें प्रजाको सैनिकोंद्वारा किसी प्रकारका कष्ट न होने पावे । " **[नवाबकी मुहर छाप ।]**

[सुलहके अनुसार भोंसलोंको उड़ीसापर हक स्थापित करनेका अधिकार न था; किन्तु भोंसलोंके हाथमें शक्ति होनेसे नवाब अलीवर्दीखाँ विना किसी एतराजके १२ लाख रुपये दिया करता था । संभव है कि सुलहनामेमें उड़ीसाका नाम न हो; नकल करनेवालेने उस प्रान्तको अपनी ओरसे घुसेड़ दिया हो । क्योंकि सुलहनामेकी असली प्रति (रजाखाँके कथनके अनुसार) कहीं गुम गई थी । कुछ इतिहासकारोंके मतसे नवाबने उड़ीसा प्रान्तके सहित चौथका हक मंजूर किया था ।]

था। भोंसलोंने आसपासके प्रान्तपर अपना अधिकार जमाकर मुसलमानी थाने उठवा दिये।

बरारसे पेशवाका सम्बन्ध। ई० स० १७१९ में साताराके छत्रपतिने पेशवा बालाजी विश्वनाथको दो गाँव इनाममें दिये थे। बाजीरावके समयमें यह खासगी इलाका वृद्धिंगत होता गया। ई० स० १७४१ में बाबाजीके समयमें ३० गाँवोंकी जागीर पेशवाके अधिकारमें थी। बरारपर भोंसलेका अधिकार हो जानेसे उसके सम्बन्धमें पेशवा अपने कर्मचारियोंको जो हुक्म भेजते थे, उनकी एक नकल भोंसलेके यहाँ भी भेजी जाती थी। इसी प्रकार कई अन्य कर्मचारियोंको भी बरारमें कुछ गाँव दिये गये थे। ई० स० १७५२ में खंडेराव, काशी न्यायाधीश, के अधिकारमें भी कुछ मुकासा गाँव थे। इसी प्रकार छत्रपतिके खासगी मौज़े भी यहाँपर थे। इन खासगी मौज़ों तथा परगनोंके सम्बन्धमें कभी कभी भोंसलेके कर्मचारियोंसे झगड़ा हो जाया करता था। उस समय पूना और सतारासे भोंसलेको आज्ञापत्र (हिदायतपत्र) भेजे जाते थे। इस तरह इन मौज़ोंके सम्बन्धके झगड़े पूने तक जाते थे।

नागपुर-राज्यकी सीमा। ई० स० १७५४ के अन्त तक नागपुर राज्यकी सीमा बढ़ानेके लिए रघोजीका यत्न जारी रहा था और स्वर्गवासके पूर्वतक निम्नलिखित राज्योंपर उसका प्रभुत्व हो गया था—१ गोंडवाना (देवगढ़, चाँदा और सिवनीका इलाका) मय जमींदारोंके, २ छत्तीसगढ़ मय आश्रित ज़मीदारों तथा रियासतोंके, ३ सम्बलपुर राज्य और वहाँकी जमींदारी, ४ कटकका सूबा बालेश्वर बन्दरगाह और ज़मींदारीके सहित, ५ बरारका इलाका (गाविलगढ़ और नरनालाके किले)। मुगलाई बरारका प्रबंध इलिचपुरके नवाबके अधिकारमें था।

मरनेके पूर्व रघोजीने इस विशाल राज्यका बँटवारा अपने चारों पुत्रोंमें इसलिए कर दिया था कि वे आगे चलकर आपसमें झगड़कर विनाशको न प्राप्त हो जायँ। नागपुर-राज्यकी मालकियत जानोजीको सौंपी गई। मुधोजीको चाँदाका इलाका, साबाजीको दारव्हा और बरार और बिंबाजीको छत्तीसगढ़ सौंपा गया। ई० स० १७५५ के फरवरी मासकी १४ तारीखको सेनासाहब सूबा रघोजी भोंसलेका अन्तकाल हो गया। कहते हैं कि उस समय उसकी १३ रानियोंमेंसे ८ सती हो गईं।

नागपुरमें भोंसला-राज्यका स्थापनाकर्त्ता यही था, जो कि महान् रघोजीके (Raghoji the Great) के नामसे प्रसिद्ध हुआ। अपने पराक्रमसे उसने अपना राज्य बंगालकी खड़ी तक फैलाया। कहते हैं कि उसका रहन सहन सिपाहियाना था और १५ हजार घुड़सवारोंकी सेना अपने साथ तैयार रखता था। रघोजीकी मुहरमें निम्नलिखित श्लोक अङ्कित है—

शाहूराजपदांभोजभ्रमरायितचेतसः
बिंबात्मजस्य मुद्रेयं राघवस्य विराजिते।

जानोजी भोंसले। (ई० स० १७५५-७३)

रघोजीके स्वर्गवास हो जानेपर उनके ज्येष्ठ राजकुमार जानोजीने* दीवान कान्हेरराम और त्रिंबकजी राजेको 'सेनासाहब सूबा'का परिधान

---

* रघोजीके १३ रानियाँ थीं, जिनमेंसे सालूबाई नामक रानीसे २ पुत्र (मुधोजी और निंबाजी) और १ कन्या और बालाबाईसे १ कन्या और २ पुत्र (जानोजी और साबाजी) हुए। जानोजी और मुधोजी एक ही रोज पैदा हुए थे; किन्तु जानोजीका जन्म सुबह हुआ था और मुधोजीका शामको, इसलिए वह जेठा कहलाया।

प्राप्त करनेके लिए नियत किया। यद्यपि पेशवाने नज़राना लेकर उस पदको सौंप दिया, तथापि पेशवाकी हार्दिक इच्छा भोंसलेकी शक्तिको कम करनेकी थी। इसलिए आगे चलकर मुधोजी और जानोजीके बीच जो हक़ सम्बन्धी झगड़ा खड़ा हुआ, उसमें पेशवाकी ओरसे मुधोजीको प्रोत्साहन मिला।

आपसी झगड़े। मुधोजीको यद्यपि चाँदाका राज्य दिया गया था, तथापि उसका विचार नागपुरकी गद्दी प्राप्त करनेका था; इसलिए वह अपना पक्ष प्रबल करता रहा। उसके सरदार रघोजी करांडे, मोरोपन्त, फड़नवीस, महीपतराव दिनकर×ने सैन्यबल बढ़ानेका उद्योग किया, जिसके फलस्वरूप कहते हैं कि कुंभारीके युद्धके अवसरपर मुधोजीकेपास ३५ हजार सेना तैयार हो गई थी। उस समय देवाजीपन्तने※ पिराजी नायक निंबालकर नामक एक सरदारको उसकी ६ हजार सेना सहित और महीपतरावके चचा उमाजी नायकको भी जानोजीके लिए नौकर रख लिया था। मुधोजी और जानोजीका अन्तिम संग्राम अमरावतीके निकट नाँदगाँव रहाटगाँवमें हुआ। इस युद्धमें जानोजीने विजय संपादन किया, किन्तु आपसी झगड़े चलते रहे। अन्तमें इस प्रकरणका निपटारा भी पेशवाके द्वारा हुआ और उस समय मुधोजीको 'सेना-

---

× महीपतराव दिनकर चाँदाका किलेदार तथा मुधोजीका विश्वासपात्र सेवक था।

※ देवाजीपन्त चोरघड़े, चिमूरका रहनेवाला कान्हेरराम उमरेड़करका कर्मचारी था। आगे चलकर भोंसलेके राजनीतिक कार्योंमें इसने बड़ा नाम कमाया। महाराष्ट्रके **'सख्या देवा विठ्ठला'** नामत्रयमें द्वितीय पद देवाजीपन्तका था। महाराष्ट्रके आगे लिखे हुए ३॥ राजनीतिज्ञ पुरुषोंमें इसकी भी गणना थी—१ पूना दरबारका सखाराम बापू, २ देवाजीपन्त, ३ निजामका दीवान विठ्ठल सुन्दर (प्रतापवन्त) और आधा नाना फड़नवीस।

धुरंधर 'की पदवीके सहित चाँदाका इलाका दिया गया। जानोजीने पेशवासे यह इक़रार किया कि वह प्रतिवर्ष ९ लाखका नज़राना भेजा करेगा और मराठा-साम्राज्यकी सेवाके लिए १० हजार सेनासहित तत्पर रहेगा।

उधर रामराजाकी आजी महारानी ताराबाईसे पेशवाका उत्कर्ष देखा नहीं जाता था। वह स्वयं राज-काजको अपने हाथमें रखना चाहती थी, इसलिए उसका पेशवासे झगड़ा खड़ा हो गया था। उस समय बिंबाजी भोंसले ताराबाईके साथ था, क्योंकि उसका विवाह (ताराबाईके निकटके सम्बन्धी) मोहितेके घरानेमें हुआ था। किन्तु उपयुक्त निर्णय होजानेपर जानोजी बिंबाजीको साथ लेकर नागपुर लौट गया।

ई० स० १७५८ में हैदराबादके सलाबतजंगका पक्ष लेकर जानोजीने वाशिमके समीप निजाम अलीपर आक्रमण किया; किन्तु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तब उसने राज्यप्रबंधकी ओर अपना ध्यान दिया। उधर मुधोजीपर ऋणका बोझ बढ़ता ही गया और अन्तमें साहूकारोंको चाँदा सौंपकर वह स्वयं (पेशवा) रघुनाथरावके साथ उत्तर भारतकी ओर चला गया। ई० स० १७६० में उदगीरकी सुलहसे बरारका दक्षिणी प्रान्त (मेहकर आदि) पेशवाको प्राप्त हो गया। (इस प्रान्तमें निजामसे मिली हुई तीन जागीरें इस समय भी भोंसलोंके अधिकारमें हैं— सुलतानपुर, किनगाँव और भुमरालें।)

ई० स० १७६० में अहमदशाह अब्दालीने भारतपर पुनः आक्रमण किया। उस समय भारतकी रक्षाके लिए बालाजीराव पेशवाने सदाशिवराव भाऊ और विश्वासरावके सेनापतित्वमें एक विशाल सेना भेजी। जिस समय यह सेना पानीपतकी समरभूमिमें फँसी हुई थी, उस समय उसकी सहायताके लिए पेशवा पूनासे रवाना हो चुका था और रास्तेमें

बुरहानपुरके समीप जानोजी भोंसले दस हजार सैनिकोंके सहित पेशवासे जा मिला था; किन्तु उसी समय पानीपतके अपयशका समाचार मिल जानेसे पेशवा अत्यंत व्याकुल होकर पूनाकी ओर लौटा और रास्तेमें ही उसका देहान्त हो गया। पानीपतसे बचे हुए सरदारोंके लौट आने पर पेशवाका पद माधवरावको प्रदान किया गया।

साठ चालीसका प्रबन्ध। जानोजीने अपने शासन-समयमें हैदराबादके निजामसे 'साठ चालीस' की सुलह की थी ¶, जिसके अनुसार बरारके प्रबंधका भार निजामके इलाकेके सहित भोंसलेपर था, अर्थात् बरारकी 'बहिबटदारी' भोसलोंको मिली थी। उसके एवज़में भोंसलेको सैकड़ा पीछे ६० रुपये मिलते थे और बाकी ४० रुपये निजामको दिये जाते थे। इन ६० रुपयोंमें भोंसलेके सभी हक सम्मिलित थे, अर्थात् २५ रुपये चौथ, १० सरदेशमुखी और २५ फौजी खर्च घासदाना आदि। इसी प्रबंधका दूसरा नाम 'दो-अमली' है।

निजामसे मित्रता। पेशवा बाळाजीरावके जमानेमें मराठे इस बातका उद्योग कर रहे थे कि हैदराबादका अधिकांश राज्य हड़प लिया जाय। इतना ही नहीं वरन् उन्होंने हैदराबाद तक शह दे दिया था; किन्तु

¶ प्रसिद्ध फ्रांसीसी बुसीके समयमें हैदरजंग और पेशवाका जो झगड़ा चला था, उसमें जानोजी, पेशवाकी सहायताके लिए पहुँचा था। उस समय बरारका प्रबंध रघोजी करांडाके अधीन था। इसी गड़बड़में निजाम अलीने भोंसलोंकी हुकूमतको बरारसे उठा देना चाहा; किन्तु करांडाकी दक्षतासे उसका मनोरथ पूर्ण न हो सका। जानोजीके वापिस लौटनेपर करांडाने सारा वृत्तांत कह सुनाया। तब उसने बरारका संपूर्ण राजस्व वसूल कर लिया और निजामको एक छदाम भी न दी। इससे निरुपाय होकर निजामअलीने भोंसलेसे 'साठ चालीसका' इकरारनामा किया।

माधवरावके जमानेमें उनकी संवशक्ति टूट गई और इससे निजाम अलीने कभी भोंसलेका पक्ष ग्रहण किया और कभी पेशवाका। अर्थात् उसने रुख देखकर बर्ताव किया और इससे पूरा लाभ उठाया। पूना और नागपुर दरबारोंमें जो आपसी कलह वर्तमान था, उससे लाभ उठानेमें उसने ज़रा भी लापरवाही नहीं की।

राक्षसभुवनका युद्ध। माधवराव पेशवाके विरुद्ध निजामअलीने भोंसलेसे सुलह कर ली। इस समाचारके पाते ही पूनाके कर्त्ता धर्त्ता नाना फड़नवीसने सिंधिया, गायकवाड़ आदि अन्य मराठे सरदारोंको साथ लेकर हैदराबादपर चढ़ाई कर दी। उधर जानोजी भोंसलेने निजामअलीका पक्ष ग्रहण किया, क्योंकि कहा जाता है कि स्वयं भोंसले पेशवा बनना चाहता था। भोंसले और निजामने मिलकर अन्य मार्गसे पूनापर आक्रमण किया। उस समय पेशवाकी सेना हैदराबादकी ओर रवाना हो चुकी थी, इसलिए उनको राजधानी खाली मिली। उन्होंने वहाँ पहुँचकर पूनाको लूट लिया और आग लगवा दी। वहाँसे लौटकर पुरंदरसे होते हुए ये लोग गोदावरी तटपर ठहर गये। उधर पेशवाकी सेनाने भी हैदराबादकी वही दशा की जो कि भोंसले और निजामने मिलकर पूना की थी। ज्यों ही पेशवाकी सेना वापिस लौटी, त्यों ही राक्षसभुवन नामक स्थानमें दोनों पक्ष लड़नेके लिए उद्यत हो गये। निजामअली स्वयं तो नदी पार करके औरंगाबाद चला गया और भोंसलेने लालचवश होकर निजामका साथ छोड़ दिया। इसलिए अकेले विट्ठल सुन्दर*को पेशवासे लड़ना पड़ा और उस युद्धमें वह १० हजार सैनिकोंके सहित मारा गया। अन्तमें निजाम-

* विट्ठल पण्डित। इसकी गणना महाराष्ट्रके ३॥ राजनीतिज्ञ विद्वानोंमें थी। यह जातिका देशस्थ ब्राह्मण था और इसे प्रतापवन्तकी पदवी मिली थी।

अलीने ६० लाख रुपये आयका प्रान्त पेशवाको देकर सुलह कर ली। (ई० स० १७६५)

पेशवाका आक्रमण। औरंगाबादकी सुलहसे ३२ लाख आयका प्रान्त जानोजीको दिया गया था। रघुनाथराव दादाके प्रकरणमें¶ गायकवाड़के समान भोंसलेका भी हाथ था, इसलिए गायकवाड़से २३ लाख रुपये माधवरावने दंड लिया था। लेकिन वह जानोजीसे बदला लेनेका मौका देखता ही रहा, क्योंकि पूना जलानेकी घटनाको वह भूला नहीं था। हैदर अलीसे सुलह हो जाने पर पेशवाने गोंड़वानेपर आक्रमण करनेकी तैयारी की। निजाम अली भी विश्वासघातका बदला चुकानेकी ताकमें था, इसलिए उसने भी पेशवाकी सहायताके लिए रुकनउद्दौला और रामचंद्र जाधवको ७-८ हजार सेनाके साथ भेज दिया। पिराजी नायक निंबालकरने भी इस समय पेशवाका साथ दिया। इसप्रकार ६० हजार सेना एकत्रित करके पेशवाने वाशिम और कारंजाके रास्तेसे × बरारमें प्रवेश किया। उस समय भोंसलेके सूबेदारने बरारमें पेशवाको रोकना चाहा; किन्तु उसके मारे जानेपर उसका भतीजा विठ्ठल बल्लाल नागपुर चला गया।

¶ **रघुनाथराव**। यह पेशवा माधवरावका चचा था। बालाजीरावके मरनेपर चचा भतीजेका आपसी राज्यसम्बन्धी झगड़ा खड़ा हो गया था। माधवरावका पक्ष प्रबल होनेके कारण यह नाना फड़नवीसकी रायसे धोपड़के किलेमें (पूनाके निकट) नजरबन्द रखा गया था।

× ऐतिहासिक लेख-संग्रह भाग ३, लेखांक ७८१, ७८२। ई० स० १७६९ के जनवरी मासमें निम्नलिखित स्थानोंसे पेशवाका प्रवास हुआ था—बीड, पाथरी, नड़सी, बामनी, कलमनुरी (वाशिम), मंगरुल पीर, पिंजर, कारंजा, अमरावती, बरुड, आमनेर, भंडार, नागपुर और पांढरकवड़ा।

यह समाचार मिलते ही जानोजीने देवाजीपन्तको पेशवासे मिलनेके लिए भेज दिया, ताकि सुलह हो जाय; परन्तु पेशवाने देवाजीपन्तकी एक भी बात न सुनी, उलटा उसे बन्दी बनाकर अपने साथ रख लिया। फिर भी वह अपने मालिकको पत्र भेजकर बराबर सूचना देता रहा। जानोजी भी समय देखकर चारों भाइयोंको एकत्रित करके रामटेककी ओर चला गया और सारी सम्पत्ति तथा बालबच्चोंको उसने गाविलगढ़ भेज दिया। उधर रामटेकके समीप छत्तीसगढ़से आकर बिंबाजी भी मिल गया। पेशवाने बरार भरमें लूट-मार शुरू कर दी और वहाँ भोंसलेकी जो जागीर और हक थे उन सबको जब्त-कर लिया। उस समय ऐसा जान पड़ने लगा कि बरारसे भोंसलोंका अधिकार ही उठ गया है।

पेशवाके कर्मचारी गोपालराव और रामचंद्र गणेशने आमनेरका किला सर करके लूट लिया और फिर बरुड, भंडारा आदिको लूटकर नागपुरमें प्रवेश किया। पेशवाने नागपुरको लुटवाकर जलवा दिया। सारा नगर वीरान हो गया। वहाँसे पेशवाने पांढरकवड़ामें छावनी डालकर बीनीवालोंकी फोजको चाँदा सर करनेकी आज्ञा दी। इस समय भोंसले चाँदाका सारा भार महिपतरामको सौंपकर माहूरकी ओर चले गये थे। जानोजीका विचार था कि यदि पूनाको शह देनेका डर बताया जाय, तो संभव है कि पेशवा चाँदा छोड़कर उस ओर रवाना हो जाय। क्यों कि पेशवाको सबसे अधिक भय रघुनाथराव दादाका था। इसी समय देवाजी पन्तकी प्रेरणासे महिपतरावका एक बनावटी पत्र, जो देवाजीपन्तको भेजा गया था, चौकीपर पकड़वा दिया गया। उसका आशय यह था कि "जबतक भोंसले पूनाके समीप न पहुँचगे, तबतक दस पाँच दिन तक हम बराबर किलेको लड़ावेंगे। आप भी (देवाजी

पन्त) पेशवाको चाँदा हस्तगत करनेकी राय देते रहें, ताकि भोंसले निर्विघ्नतापूर्वक पूना पहुँचकर रघुनाथरावकी सहायता कर सकें । ”

इसी मौकेपर बरारसे भी पेशवाको समाचार मिला कि भोंसले पूनाकी ओर जा रहे हैं । बस काम बन गया । पेशवा और उसके सलाहकार घबड़ा उठे । सेनामें भी हुल्लड़ मच गया कि भोंसले पूनेको जलाकर रघुनाथरावको छुड़ावेंगे । पेशवाको यह भी भय था कि यदि वह छूट गया, तो परिस्थिति बिकट हो जायगी, क्यों कि उसे यह मालूम था कि सतारेके अन्य मराठा सामन्त और अँग्रेज तक उसकी सहायता करेंगे। इन विचारोंसे व्याकुल हो कर पेशवाने चाँदा सर करनेकी परवाह न करके गोपालराव और रामचंद्र पटवर्धनको २५ हजार सेनाके साथ भेज दिया और आप भी पीछे चल पड़ा ।

यह उत्तेजनापूर्ण खबर जिस समय पूनामें फैली, उस समय सारी प्रजा घबड़ा उठी । लोग बाल-बच्चोंको ले लेकर भागने लगे । कहते हैं कि लोगोंने इस समय एक एक मीलके लिए पन्द्रह पन्द्रह रुपये तक गाड़ी-भाड़ा चुकाया । नाना फड़नवीस स्वयं पेशवाके बाल-बच्चे तथा ख़ज़ाना सिंहगढ़ ले गया ।

चाँदाका घेरा उठते ही भोंसलोंने अपना रास्ता भी बदल दिया और मुगलाईमें (हैदराबाद राज्यमें) पेशवाकी सेनाको भुलावा दिया । अन्तमें जब दोनों पक्ष इस झगड़ेसे ऊब गये, तब देवाजीपन्तके द्वारा पेशवाने सुलह कर ली । इस सुलहको कनकापुरकी सुलह कहते हैं ।* (ई० स० १७६८–६९)

* (१) ई० स० १७६३में पेशवाने जानोजीको ३२ लाख रुपयेकी जागीर दी थी, जिसमेंसे ई० स० १७६६ में २४ लाखकी जागीर वापिस छीन ली गई थी । अब इस सुलहसे वह ८ लाखकी जागीर भी वापिस दे दी गई ।

बंगालकी राजनीति । जानोजीका अधिकांश समय गृहकलह और पेशवासे लड़नेमें बीता, इसलिए बंगालकी ओर वह उचित रूपसे लक्ष्य न दे सका और अँग्रेज कम्पनीको अपना मतलब गाँठनेका सुअवसर मिलता गया। यदि भोंसले सिराजउद्दौला-प्रकरणमें राजनीतिक दृष्टिसे कार्य करते, तो संभव है कि अँग्रेजोंकी परिस्थिति आज कुछ और ही होती। ई० स० १७५१ की सुलहसे बंगालके नवाबकी सहायता करनेका भोंसलेको हक़ था; किन्तु ई० स० १७७२ तक जानोजीको उस ओर लक्ष्य देनेका अवसर ही न मिला। अतएव लार्ड क्लाइवको अपना ध्येय सफल बनानेका मौका मिल गया।

कटकका सूबेदार शिवभट साठे चतुर था; किन्तु उसके पास नाममात्र सेना रहती थी। अलीवर्दीखाँके मरनेपर भोंसलेको १२ लाख

(२) अक्कलकोटके भोंसलेका (बरारमें) जो हक भोंसलेने जब्त किया था, वह वापिस किया जावे।

(३) सूबा औरंगाबाद तथा मुगलाईसे फौजीखर्च तथा घास दानेका हक भोंसले जबरदस्तीसे वसूल न करें। उसको पेशवाके कर्मचारी वसूल करके जानोजीको दिलावें। यदि उसके लिए मुगलाई राज्यसे कोई प्रतिबंध हो तो उस अवस्थामें भोंसले स्वयं उस हकको वसूल करें।

(४) आवश्यकतापर भोंसलेको सैनिकोंसहित पेशवाकी सेवामें आना होगा।

(५) भोंसलेकी सेना घटाना और बढ़ाना पेशवाकी रायसे होगा।

(६) षड्यंत्रकारियोंकी सहायता न की जाय।

(७) अन्य रजवाड़ोंसे सम्बन्ध करनेके अवसरपर भोंसले पेशवाकी राय लें।

(८) पेशवाको प्रतिवर्ष ५ लाखका नजराना दिया जावे।

(९) उत्तर भारतके लिए पेशवाकी सेना पूर्वपरम्पराके अनुसार जिस मार्गसे जाती थी, उसी मार्गसे आगे भी जावे।

(१०) भोंसलेके गृह-कलहमें पेशवाकी ओरसे प्रोत्साहन न दिया जाय।

(११) भोंसलेपर कोई परचक्र आजावे, तो उसका निवारण पेशवाकी ओरसे हो।

रुपये चौथका मिलना बन्द हो गया । यदि भोंसले इस ओर लक्ष्य रखते, तो संभव था कि मीरजाफरकी ओरसे जो हक कम्पनीको मिला था, वही हक जानोजीको आसानीसे मिल जाता । क्योंकि मीरजाफर स्वयं अँग्रेजोंसे ऊब उठा था । यदि किसी देशी रजवाड़ेकी सहायता मिलती, तो वह अँग्रेजोंको कदापि न बढ़ने देता । जिस समय उसको पदच्युत करके बंगालकी नवाबी मीरकासिमको सौंपी गई, उस समय भी भोंसलोंको 'चौथ' न मिली । शिवभट साठेके अधिकारमें बालेश्वर, कटक, पुरी इन परगनोंके साथ मयूरभंज, सिंहभूमि, बनई, संबलपुर आदि रियासतें थीं । ४ वर्ष बीत जानेपर भी जब चौथ न मिली, तब साठेने मिदनापुर और बरद्वानमें उपद्रव करनेका डर बताना चाहा, किन्तु कम्पनीकी ओरसे जानसन और कप्तान नाक्सके पहुँचते ही भटजी भागखड़े हुए × । क्योंकि उस समय उस इलाकेपर कम्पनीका अधिकार हो गया था । † भटजीकी कमजोरीको देखकर उसके आश्रित जमींदारोंने भी कम्पनीके प्रति निष्ठा प्रकट की । बंगालके नवाबकी दशा भी अच्छी न थी । कम्पनीके नियंत्रणसे वह हिल भी नहीं सकता था । भटजीके पास डर बताकर चौथ वसूल करनेकी सामग्री न थी, इससे उन्होंने केवल खरीतोंसे काम निकालना चाहा; किन्तु इस कलामें अँग्रेज लोग भटजी कईगुना बढ़कर थे ।

सुलहके अनुसार भोंसलेको उड़ीसापर हक प्रस्थापित करनेका अधिकार भले ही न रहा हो; किन्तु उनके हाथमें शक्ति थी, इस कारण उड़ीसा प्रान्तके विषयमें अलीवर्दीखाँ, सिराजुद्दौला और मीरजाफरने कोई आक्षेप नहीं किया और अँग्रेजोंके हाथमें अधिकार आनेके पूर्वतक चौथकी रकम

× Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1, page 884.

† Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1, page 900–8.

बराबर पटती रही। इसके बाद जब यह रकम न पटाई गई, तब जानोजीने मुसलिउद्दीनमुहम्मदखाँ और गंगानायकको चौथका तकाजा करनेके लिए कम्पनीके पास भेजा; परन्तु अँग्रेज कम्पनीको उस समय अकालका बहाना मिल गया और उसने उत्तर दिया कि इस अवस्थामें तकाजा न किया जाय।

कम्पनीकी प्रबल इच्छा थी कि उड़ीसापर अधिकार कर लिया जाय। मद्रास और बंगालके बीच कटकपर भोंसलेका अधिकार रहना उसके लिए असुविधाजनक था, इसलिए गवर्नर व्हन्सिटार्टने भोंसलेकी चौथसे मुक्ति पानेके लिए नवाब मीर कासिमको उड़ीसापर आक्रमण करनेकी सलाह दी।* किन्तु नवाबने कुछ कारण बतलाकर यह कार्य नहीं किया। आखिर ई० स० १७६३ के बीतते बीतते जानोजीने अपने गोविन्दराव नामके एक प्रतिनिधिके द्वारा गवर्नरके पास यह संदेशा भेजा कि "मैं पंतसचिवकी आज्ञासे शीघ्र ही बंगालपर आक्रमण करूँगा¶।" किन्तु जान पड़ता है कि इसी बीच पेशवासे झगड़ा छिड़ जानेसे जानोजी इस ओर लक्ष्य न दे सका।

शिवभटके पास सैनिक बल कम होनेसे उसका राजनीतिका बल दिन-पर दिन घटता ही गया और यहाँतक कि उसके मांडलिक जमींदार राजा सतरामरायने उसको परास्त करके कटक हस्तगत करनेके लिए गवर्नरसे सहायता माँगी; परन्तु दैवयोगसे इस समय कम्पनी मीर कासिमसे झगड़नेमें× लगी हुई थी, इसलिए गवर्नर इस प्रकरणमें कोई सक्रिय, सहानु-

---

* Grant Duff, I, page 650.

¶ Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1, 1536.

× मीर कासिमने जब देखा कि उसे बंगालमें कोई सहारा न रहा, तब वह कम्पनीके सहायक और अपने अंतस्थ शत्रु जगतसेठ महताबराय, राजा स्वरूपचंद राजा रामनारायण, राजा राजवल्लभ और उसके पुत्र उमीदरामको पटनेमें कत्लकरके कम्पनीसे लड़ झगड़कर अवधकी ओर भाग गया।

भूति न दिखला सका। यदि उस समय यह आपत्ति न होती, तो संभव था कि अँग्रेज कटक प्राप्त करनेके लिए उस राजाकी सहायता करते। लॉर्ड क्लाइवने कम्पनीके डायरेक्टरोंके पास ई० स० १७६७ में इस विषयपर जो मन्तव्य भेजा था, उसके अनुसार वह यहाँतक तैयार था कि १६ लाख रुपयेपर कटक और बालेश्वर प्रान्तकी जमींदारी प्राप्त कर ली जाय। ‡

ई० स० १७६४ के लगभग जानोजीने शिवभट साठेका सारा अधिकार भवानीपन्त काल्हको * सौंपनेकी आज्ञा दे दी, इसपर भटजीने

‡ लार्ड क्लाइवका मन्तव्य इस प्रकार था—We shall pay 16 lakhs upon condition that he should appoint the Company, zamindar of the Balasore and Cuttack countries which though at present are of little or no advantage to Janoji, would in our possession produce nearly sufficient to pay whole amount of the Chouth. Whatever the deficiency may be, it will be over-balanced by the security and convenience we shall enjoy of free and open passage by land to and from Madras, all the countries between the two presidencies being under our influence. But I would not by any means think employing force to possess ourselves of these districts; the grant of them must come from him with his own consent and if it cannot be obtained we must settle the Chouth upon the most moderate terms we can."

* भवानीपन्त काल्ह। यह वाशिमका निवासी था और पहले हैदराबाद रियासतका कर्मचारी था। इसकी चतुरता देखकर भोंसलेने इसे निजामसे माँग लिया था। जानोजीके समयमें यह उड़ीसाकी सूबेदारीपर तैनात था। वहाँसे वापिस

विद्रोह मचाना चाहा; किन्तु भवानीपन्तके पास काफी सेना होनेके कारण उसका कार्य फलीभूत न हो सका। कम्पनीकी ओरसे भी लार्ड क्लाइवने भटजीके विद्रोहको दबानेके लिए सक्रिय सहानुभूति दिखलाई। इसी समय जानोजीने चौथकी माँगके लिए रघुनाथपन्त नामक एक प्रतिनिधिको भेजा। गरज यह कि कम्पनी उड़ीसा प्राप्त करनेके लिए तड़प रही थी और जानोजी उड़ीसा न देकर चौथ प्राप्त करना चाहता था। इस अवसरपर गवर्नरने चौथकी माँगको यह कहकर टाल दिया कि मीर कासिमके झगड़ेमें सारा देश बरबाद हो गया है, इस कारण इस समय चौथकी माँग स्थगित कर दी जाय। ¶ भवानीपन्त पैसेसे तंग होने लगा, उसे बंगालकी चौथ मिलनेकी आशा न रही। ऐसी अवस्थामें उसने सैनिकोंका खर्चा उगाहनेकी नियतसे अपनी सेनाको बेटागढ़, नीलगिरि, मयूरभंज, हरिहरपुर, रामपुर आदि ज़मींदारियोंमें छोड़ दिया। इसका फल यह हुआ कि उड़ीसा प्रान्तके ज़मींदार भोंसलोंकी अधीनतासे ऊब उठे।

नवाब मीरजाफरके पश्चात् नज्मउद्दौला बंगालका नामधारी नवाब बन गया और कम्पनीको दिल्लीके सम्राटसे **बंगालकी दीवानी** मिल गई। ई० स० १७६५ के फ़रवरी मासमें गवर्नरने नायब नाज़िम नंदकुमारको पदच्युत करके मुहम्मद रजाखाँको उस पदपर नियत कर दिया। ई० स०

आनेपर इसपर १ लाख रुपये खा जानेका अभियोग लगाया गया; किन्तु साबाजी भोंसलेने इसका पक्ष लिया, इस कारण यह उस अभियोगसे बरी हो गया। साबाजीके शासनकालमें यह बख्शी (सेनापति) के पदपर तैनात हुआ और इसका पुत्र यशवंतराव दीवानके पद तक पहुँच गया। इस वंशके 'मोकाशा' हकके मौजे सीताबर्डीके युद्धके पश्चात् रेसीडेण्टने जब्त कर लिये हैं।

¶ Calendar of Persian Correspondence, Vol. 1-2434.

१७६५ के दिसंबर मासमें जानोजीने गवर्नरको एक पत्र* भेजा, जिसका आशय यह था—"यश और उत्कर्ष विश्वासयुक्त करारके पालनपर निर्भर है और कलिके इस चतुर्थ चरणमें खास करके यह गुण अँग्रेजोंमें देखा गया है। मीर कासिम जिस समय अपनी सम्पत्तिके सहित वज़ीरसे जा मिला था, उस समय हमने गवर्नरकी सूचनाके अनुसार अपनी नीति स्थिर रक्खी थी। मीर कासिमके सेवक हाथी, जवाहिरात और ३० लाखकी हुंडी देकर यह चाहते थे कि उन्हें उड़ीसामें आश्रय दिया जाय। क्योंकि उनका विचार था कि उड़ीसामें सेना एकत्रित करके बंगालपर पुनः आक्रमण किया जाय; किन्तु हमने मित्रताके लिए तथा गवर्नर व्हन्सिटार्टके अभिवचनपर विश्वास रखकर उनकी सहायता करनेसे इन्कार कर दिया। अँग्रेजोंको युद्धमें (बक्सरमें) विजय मिले दो वर्ष बीत रहे हैं; किन्तु हमारा हिसाब तय नहीं किया गया। दो लाख रुपये तक आपसे न भिजवाये गये और इस तरह आपसी करार तोड़ा गया। अनेकों लड़ाइयाँ, २२ सामन्तोंकी मृत्यु, ५० सहस्र सैनिकोंकी आहुति और १२ वर्षका अविश्रांत परिश्रम करनेपर चौथका हक हमने प्राप्त किया है; इसलिए वह हक़ हम यों ही नहीं छोड़ देंगे।"

इस प्रकार यह वर्ष भी बीत गया और लार्ड क्लाइव विलायत चला गया। इस समय जानोजीने जो पत्र भेजा था, संभव है कि वह व्हेरेल्स्ट गवर्नरको मिला हो। उसमें लिखा था कि "मीर कासिमको सहायता न देनेसे अँग्रेज हमारी चौथके जमानतदार हैं, यह समझकर हमने उड़ीसाके लिए (सैनिक व्ययके रूपमें) २० लाख रुपया कर्ज कर लिया है। दो वर्ष बीत जानेपर भी हमारे प्रतिनिधिको कुछ नहीं दिया गया। अभीतक हमने कम्पनीके विपरीत कोई हलचल नहीं की। हमारा प्रति-

* Calendar of Persian Correspondence, Vol. 2, 763.

निधि उदयपुरी गुसाँई* वहाँपर है। उसको जितनी रकम आप दे सकें दे दीजिएगा।"†

इस पत्रके पूर्व रघुनाथरावके वापिस लौट आनेसे वह पद उदयपुरीको दिया गया था। ई० स० १७६६ में कलकत्तेसे मीरझनले अब्दीन (?) जानोजीसे मिलनेके लिए नागपुर गया था। उसने गवर्नरको जो पत्र भेजा था उसका सार यही था कि जानोजी ४ वर्षकी चौथ माँगता है; किन्तु उड़ीसाके विषयमें कोई उत्तर नहीं दिया गया ×। यह भी वापिस कलकत्तेको लौट गया और कोई निर्णय नहीं हुआ। नवाब सैफुद्दौलाके कर्मचारी मुहम्मदरज़ाखाँने गवर्नरको सुलहकी नकलकी नकल बताकर यह विश्वास दिलाना चाहा कि उड़ीसेपर भोंसलेका कोई हक़ नहीं है। ई० स० १७६८ में भवानीपन्त कटकसे वापिस लौट गया और संभाजी गणेशको कटककी सूबेदारी सौंपी गई। उसने भी चौथके विषयमें गवर्नरको कई पत्र भेजे। जिस समय पेशवाने भोंसलोंपर आक्रमण किया

* उदयपुरी गुसाईं। यह एक धनिक सज्जन था। जानोजीके समयमें यह भोंसलेके प्रतिनिधिकी हैसियतसे गवर्नरके पास कलकत्ते भेजा गया था। मुधोजीके शासनकालमें इसने भोंसलेको ५० लाख रुपये कर्ज दिया था। रकम अधिक हो जानेके कारण मुधोजीने इस कर्जके पुरजेको किसी तरह हड़प लेना चाहा। इसके दो पुत्रों (चेलों) मेंसे एक शहरकी किसी वेश्यासे फँसा था। एक दिन वेश्या मार डाली गई और उसके मारनेका अभियोग उदयपुरीके पुत्रपर लगाया गया। मुधोजीने उसे पकड़ना चाहा; किन्तु वह अपने भाईके सहित इसका प्रतिरोध करते हुए सैनिकों द्वारा मारा गया। अभियुक्तने प्रकट रूपसे मुधोजीकी करतूतका विरोध किया था; इस बिनापर वह ५० लाखका पुरजा उदयपुरीसे जबरदस्ती छीन लिया गया। इस प्रकार धनहीन होकर वह नागपुरसे चला गया।

† Calendar of Persian Correspondence, Vol. 2

× Calendar of Persian Correspondence, Vol. 2, 221.

था, उस समय उन्होंने कम्पनीकी सहायता चाही थी; किन्तु गवर्नरने यह बात अनसुनी-सी करके टाल दी थी। ‡ कनकापुरकी सुलह हो जाने-पर जिस समय मि० कार्टर बंगालके गवर्नर थे, उस समय भी उनको जानोजीने एक पत्र भेजा था। उसका आशय यह था कि * "हमारे आपसी झगड़े मिट जानेसे हमें अब इस तरफ अधिक लक्ष्य देनेका अव-सर मिला है। परन्तु जब तक आपका स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक प्रक-टरूपसे हम शत्रुता नहीं कर सकते। शिरस्तेके अनुसार चौथका भेजना आपका कर्तव्य है। और यदि आप चौथ नहीं देना चाहते हैं, तो कृपया उदयपुरीको रुख़सत दे दीजिएगा; क्योंकि फिर उसके वहाँ रह-नेकी आवश्यकता ही क्या है? ईश्वरकी कृपासे १२ वर्षका उद्योग कदापि व्यर्थ न होगा।"

मॉटसाहबका भ्रमणवृत्तान्त। उपर्युक्त पत्रका भी उत्तर कुशल-ताके साथ दिया गया; किन्तु प्रत्यक्ष रूपसे चौथ न दी गई। ई० स० १७७२ में लार्ड वारेन हेस्टिंग कम्पनीका गवर्नर होकर आया और उसके द्वारा कम्पनीकी नींव भारतमें और भी मज़बूतीके साथ जम गई। मि० मॉटने× हीरोंकी खानके अन्वेषणके लिए सम्बलपुरकी ओर सफर की थी। ई० स० १७६६ में लार्ड क्लाइवने उसे जानोजीसे इस संबंधमें सलाह करनेके लिए

‡ When, therefore, the Peshva Madhaw Rao attacked Janoji Bhonsle in 1769 A. D. as already mentioned the British turned deaf ear to Janoji's appeal for help.

* Calendar of Persian Correspondence III, page 44.

× मि० मॉटके पूर्व गवर्नर व्हन्सिटार्टके शासन-समयमें मि० मलाक भी सम्बलपुरकी ओर गया था।

नागपुर भेजा था कि उड़ीसाकी ज़मींदारी किस शर्तपर प्राप्त होगी; किन्तु कटकके सूबेदार भवानीपन्तसे कोई आशाजनक उत्तर न मिलनेसे वह नागपुरको नहीं गया। उधर जानोजी भी निजाम और पेशवासे उधेड़-बुनमें लगा हुआ था। इस कार्यमें सफलता न मिलनेपर वह सम्बलपुरकी ओर गया। इस भ्रमणके सम्बन्धमें उसने जो कुछ लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है—२९ मई ई० स० १७६६ को मि० मॉट सम्बलपुरके निकट पहुँच गया था। उस समय वहाँके राजाका देहान्त हो गया था और उसका पुत्र अभयसिंह गद्दीपर बैठनेको था। उसने वहाँपर हीरोंकी जाँच की; किन्तु उसे यह माॡम हुआ कि व्यवसाय-दृष्टिसे यह कोई लाभप्रद व्यवसाय न होगा। क्योंकि जिन नदियोंके संगमके (महानदी और इबके (?)) निकट हीरे मिलते थे, वहाँपर व्यवसायके लिए विपुल माल मिलना असंभव था। अतएव इस कार्यमें असफल हो अनेकों कष्ट झेलता हुआ वह वापिस लौट गया और उसके दो अँग्रेज साथी रास्तेहीमें मर गये। उसके विवरणसे पता लगता है कि पूर्वीय प्रान्तोंकी प्रजा मराठोंके आक्रमणसे तथा उनकी प्रतिदिनकी लूट मारसे त्रस्त हो रही थी। सुवर्णरेखा और बालेश्वरके मध्य कोई १२ चौकियाँ थीं। जगन्नाथके यात्रियोंसे कर वसूल करनेका कार्य भी यहींपर होता था। जिस समय भोंसलेके सूबेदारको द्रव्यकी ज़रूरत होती थी, उस समय वह आश्रित ज़मीदारोंसे सैनिक-बलपर अपना काम निबाह लेता था। इसलिए यहाँके ज़मींदार प्रायः भोंसला-राज्यके भीतरी शत्रु बन गये थे। किसानोंपर तो सभीकी हुकूमत सवार थी। इसलिए भोंसलेशाहीके किस्से अब भी लोग कहते हैं।

जानोजीका पूना जाना। उड़ीसा तथा चौथके पत्रव्यवहारसे जानोजीके अंतसमयतक कोई फल नहीं निकला। अँग्रेज चौथके सम्बन्धमें

चुप्पी ही साधे रहे। ई० स० १७७१ में जानोजी स्वयं पेशवासे मिलनेके लिए पूना गया। उस समय उसने पेशवासे मुधोजीके ज्येष्ठ पुत्र रघोजीको अपना उत्तराधिकारी नियत करनेके विषयमें भी परामर्श किया, क्योंकि चार भाईयोंके बीच केवल मुधोजीके ३ पुत्र और ३ कन्याएँ थीं। इस प्रकार रघोजीका दत्तकविधान करनेका निश्चय करके जानोजी पूनासे नागपुरके लिए रवाना हो गया; किन्तु रास्तेमें प्रकृतिके बिगड़ जानेसे गोदावरीके तटपर तुलजापुरके निकट उसका देहान्त हो गया।* उस समय उसके साथ मुधोजी और उसका पुत्र रघोजी भी था। रघोजीराव (बापूसाहब) मुधोजीका ज्येष्ठ पुत्र था और व्यंकोजी (नानासाहब) मँझला तथा खंडोजी (चिमनाबापू) छोटा।

मुधोजी और साबाजी।

जानोजीके स्वर्गवासके पश्चात् उनकी पटरानी दर्याबाईकी रायसे सामन्तोंने साबाजीको उत्तराधिकारी बनानेके विषयमें पूनाके पेशवासे पत्रव्यवहार ज़ारी किया। उस समय माधवरावके स्वर्गवासी होनेसे नारायणराव पेशवाके सिंहासनपर बिठलाया गया था। दरबारके कार्यकर्त्ता नाना फड़नवीसने मुधोजीके विपरीत साबाजीका पक्ष लिया और साबाजीने भी कनकापुरकी सुलहके अनुसार राज-काज करनेका अभिवचन दिया।

अधिकतर चाँदामें रहनेके कारण नागपुर दरबारमें मुधोजीका कोई प्रभाव न था। जानोजीके समयमें मन्त्रिमण्डलने आपसी झगड़ेमें मुधोजीके विपरीत कार्य किया था, इसलिए उसे भय था कि कहीं हाथमें राज्यके आते ही वह अपना नया सलाहकार मण्डल कायम न करे। प्रारंभमें रानी भी दत्तकके विपक्षमें थी। इस लिए भी सामन्तोंने रानीके

* वैशाख शुक्ल १५ सम्वत् १८२९ (ई० स० १७७२)।

विपरीत कार्यवाही करना उचित न समझा। इस प्रकार साबाजी 'सेना-साहब सूबा'की गद्दीपर बैठ राज-काज करने लगा और इसे पेशवाने भी मंजूर कर लिया। ऐसी अवस्थामें मुधोजी चाँदा लौट गया और वहाँ रहकर उसने नागपुरके सामन्तोंको अपनी ओर खींचनेका यत्न किया। उधर पूनामें भी नारायणरावके विरुद्ध रघुनाथरावके षड्यंत्रमें वह सम्मिलित था। ई० स० १७७३ में आकोलाके निकट कुंभारीनामक स्थानमें साबाजी और मुधोजीमें युद्धका मौक़ा आगया था; लेकिन दोनों पक्षके सरदारोंने मिलकर यह तय कर दिया कि रघोजी मसनदपर बिठलाया जाय और दोनों मिलकर राज-काज करें। परन्तु यह व्यवस्था शीघ्र ही टूट गई; क्योंकि इसी समय हैदराबादकी सेना लेकर धबसा ¶ नामका एक सरदार आ पहुँचा। इसलिए साबाजीने भवानीपन्तकी सलाहसे मुधोजीपर आक्रमण करके अपने भाग्यका निबटेरा कर लेना चाहा। उस समय मुधोजीने इलिचपुरके नवाब इस्माइलखाँ × की सहायतासे हैदराबादकी सेनासे युद्ध किया; किन्तु इसी बीच यह समाचार पहुँचा कि रघुनाथरावकी प्रेरणासे नारायणराव पेशवा मार डाले गये। इससे साबाजी और उसके सहायक हतवीर्य हो गये; क्योंकि रघुनाथराव मुधोजीके अनुकूल था और उसने व्यंकटराव काशी नामक सरदारको रघुनाथरावसे गुप्त मन्त्रणा करनेके लिए पूना भेजा था। नारायणरावके मारे जानेपर* रघु-

---

¶ धबसा इब्राहीमबेग, हैदराबाद रियासतके अन्तर्गत नरवलका सूबेदार था।

× इस्माइलखाँ इलिचपुरका पहला नवाब था। इसके पिता सुलतानखाँ और चचा सरमसखाँ अफगानिस्तानसे आकर देवगढ़में बसे और फिर वहाँसे वे नौकरी छोड़ इलिचपुर चले गये। उस समय वहाँका मुगल नाजिम अली मरदानखाँ था। ई० स० १७५८ में इस्माइलखाँको इलिचपुरकी नवाबी सौंपी गई।

* जयनामसंवत्सरकी भाद्रपद त्रयोदशीको नारायणराव मारा गया।

नाथराव पेशवा हुआ और उसने मुधोजीको पूना बुलानेके लिए खास निमंत्रण भेजा। तदनुसार मुधोजीके वहाँ पहुँचनेपर उसके पुत्र रघोजीको रघुनाथरावने जानोजीका सम्पूर्ण हक़ सौंपकर स्वयं अपने हाथों उसका तिलक कर दिया।

पाँचगाँवकी लड़ाई। पूनासे बिदा होते समय नवीन पेशवाने मुधोजीके साथ उसकी रक्षाके लिए मुहम्मद यूसुफखाँके * नेतृत्वमें पाँच हजार सेना दी। ई० स० १७७४ की वर्षा बरारमें व्यतीत कर मुधोजी ई० स० १७७५ के जनवरी मासमें नागपुरके लिए रवाना हो गया। उधर साबाजी भी अपनी सेना लेकर आगे बढ़ा और दोनोंका मिलाप पाँचगाँवकी समरभूमिमें हुआ। यहींपर साबाजी मारा गया और उसका दीवान भवानीपन्त काळू घायल हो गया¶। तब नागपुरमें मुधोजीको रोकनेकी ताक़त किसीमें न रही। अतएव रघोजी द्वितीयका राज्याभिषेक आनंदके साथ संपन्न होगया।

मुधोजी और कम्पनी। जानोजीके समयमें बंगालकी चौथका झगड़ा ज्योंका त्यों पड़ा रहा। उसके बाद मुधोजी और साबाजी ई० स० १७७५ तक आपसमें लड़ते रहे। तब तक कम्पनीका बंगालपर पूर्ण स्वामित्व हो गया। ई० स० १७७३ में कटकके सूबेदार राजाराम मुकुन्दकी सलाहसे साबाजीने बेनीरामको अपने प्रतिनिधिके तौरपर वारेन हेस्टिंगके पास भेजा; परन्तु उसका भी कोई

---

* नारायणराव पेशवाके मारनेवालोंमेंसे एक था।

¶ भवानीपन्तने अमरावतीकर भोंसले शिवाजीकी सहायतासे बरारमें विद्रोह मचानेका यत्न भी किया था।

फल नहीं हुआ। पूनामें रघुनाथरावका ऐश्वर्य पुराने कर्मचारियोंसे न देखा गया। तब उन लोगोंने नारायणरावके पुत्र सवाई माधवरावको पेशवाईकी गद्दीपर बिठलानेका यत्न किया और उसमें वे कृतकार्य भी हुए। जब सारे मराठा सामन्तोंने रघुनाथरावका साथ छोड़ दिया, तब उसने बम्बईके अँग्रजोंकी सहायतासे अपना मनोरथ पूर्ण करना चाहा; किन्तु कलकत्तेके गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग इस नीतिके विरोधी थे। उन दिनों युरोपमें फ्रेंच और अँग्रजोंका युद्ध छिड़ गया था। इसलिए उसे यह भय था कि कहीं भारतके फ्रान्सीसी पूनाके मन्त्रिमण्डलसे अपना समझौता न कर बैठें। अतएव वारेन हेस्टिंगने मुधोजीसे मित्रताका बंधन दृढ़ करना चाहा; क्योंकि उस समय भोंसला-राष्ट्र भारतके बलशाली राष्ट्रोंमेंसे एक था×। १० जुलाई सन् १७७८ को हेस्टिंगसाहबने मुधोजी भोंसलेसे सुलहको दृढ करनेके लिए मि० अलेकजेंडर इलियटको प्रतिनिधिकी हैसियतसे भेजा। इतना ही नहीं, उसने मुधोजीकी महत्त्वाकांक्षा सतारेकी गद्दीके लिए (मराठा साम्राज्यके सर्वे सर्वा बननेके लिए) प्रज्वलित करनेका भी प्रयत्न किया।

× इस विषयपर ग्रान्ट डफ इस प्रकार लिखते हैं—

"It had for its object an alliance with Modaji agains the Poona ministers, for the purpose of attaining permanent place and complete security to the company's possessions, against the attempts of France, by establishing and upholding Modojee Bhonsle as Raja of all Marathas. Mr. Hastings, in the plan, was precisely adopting the scheme originally suggested by Vithalsunder the minister of Nizam Ally.

(History of Marathas, Vol. 2, pp. 3887.)

वारेन हेस्टिंगने इस अवसरपर जो मिनिट (Minute) लिखा था; उसमें भोंसले-विषयक नीतिका वास्तविक रहस्य प्रकट होता है। * अँग्रेज़ राजदूत अन्य सहकारियोंके सहित १० अगस्तको कटक पहुँचा और ११ वीं तारीखको नागपुरके लिए रवाना हुआ; परन्तु सारंगढ़ राज्यके निकट पहाड़ी आबहवाके कारण उसका अन्तकाल हो गया। उस समय आस-पासके राजाओंके प्रतिकूल होते भी सारंगढ़के राजा विश्वनाथ सहायने उदारतापूर्वक इलियटके शवको दफ़नानेके लिए स्थान दिया। ¶ इलियटकी

* वारेन हेस्टिंगने ९ तारीखको अपने मिनिटमें इस प्रकार लिखा था—

"A constant intercourse of letters and in some degree confidential, has been kept up between us. On false rumour of the death of Ram Raja, foreseeing the use which might be made of this diversion in the Maratha policy, I employed the agency of the Vakil to excite the ambition of Mudhoji to aspire the sovereign authority which such an event, then probable at least from the uniform state of Raja and the destructions at Poona, seemed to present to him; and I intimated the same advice in a letter which I wrote at the same time to Diwarkar Pandit, the minister of Mudhoji Bhonsle and the man whose counsels have long guided the affairs of that Government.

¶ इलियट। नंदकुमारके अभियोगमें २० वर्षकी अवस्थामें इसने दुभिषायाका काम किया था। यह फारसी और हिन्दुस्थानी भाषाओंसे पूर्ण परिचित था। ई० स० १७७७ में विलायतमें यह हेस्टिंगका प्राइवेट सेक्रेटरी था। १२ सितंबर १७७७ को २६ वर्षकी अवस्थामें इसका देहान्त हो गया।

अंतिम क्रिया करके मेसर्स रॉबर्ट कॅम्पबेल और अंडरसनने रतनपुर,लांजी, तिरोड़ा और थारसाके रास्ते नागपुरके लिए सफ़र की। कन्हानके तटपर पंडित बेनीरामने इनका स्वागत किया। उसी समय अँग्रेजोंद्वारा पांडीचेरीके हस्तगत होनेका समाचार आया। कर्नल लेसलीका देहान्त हो जानेसे वह पद कर्नल गोडार्डको दिया गया जिसकी छावनी होशंगाबादमें थी। कर्नलने× लेफ्टनेंट डानियलको मि० इलियटके स्थानपर नियुक्त करके भेजा था। दिसंबर तक ये लोक नागपुरमें रहे, किन्तु मुधोजीने हेस्टिंगकी सलाहकी ओर कोई लक्ष्य नहीं दिया और न उसने पेशवा सवाई माधवरावके विरुद्ध जाना चाहा। अतएव इस डेप्यूटेशनका कोई उपयोग न हुआ। संभव है कि जिस बुनियादपर हेस्टिंगने अपनी नीति खड़ी की थी, वह त्रुटियोंसे परिपूर्ण हो और उस बुनियादका रखनेवाला शायद मुधोजीका प्रतिनिधि बेनीराम हो।*

× लेफ्टनेंटने इस प्रकार लिखा है—

All business is managed by the Diwan (Diwarkar Pant)..........................There is even room to believe he may have entered into negotiation of very secret nature with the Poona Ministers, who are Brahmins like himself, nor do I imagine it can be his wish to see the power of the Brahmins totally annihilated which would be the inevitable consequence of placing a Rajput of the authority of Modhoji on the throne of Satara.

* Mudhoji's agents doubtless were responsible for misleading Hastings.

गुप्त मंत्रणा। बरारमें पेशवाके जो निजी महाल (जागीर) * थे, उनके हकके विषयमें भोंसले कुछ न कुछ झगड़ा किया ही करते थे। पेशवाके कमाविशदारोंसे भोंसलेको चौथ और घासदाना आदिका हक़ नहीं मिलता था, लेकिन पेशवाके अधिकारमें आनेके पूर्व यह हक उनको मिलता था। उनका आक्षेप यह था कि ये महाल स्वराज्यके अन्तर्गत नहीं हैं, इस कारण इनपर हमारा हक़ कायम रहना चाहिए, ये पेशवाकी निजी सम्पत्ति हैं। ई० स० १७९९ में देवाजीपन्तने पूना पहुँचकर यह हक़ पेशवासे मंजूर करा लिया था। उसी समय पेशवाने यह गुप्त मन्त्रणा की कि भोंसले, सिन्धिया, निज़ाम, हैदर आदि सारे प्रबल शासक मिलकर एकसाथ अँग्रेजोंपर आक्रमण करें और उन्हें भारतसे निर्वासित कर दें।† इस सम्बन्धमें पक्की लिखा पढ़ी भी हो गई।

बंगालपर चिमनाबापूकी चढ़ाई। इसी मशविरेके अनुसार ई० स० १७८९ में दशहरा हो चुकनेपर मुधोजीने ३०–४० हजार घुड़सवारोंके साथ चिमनाबापूको बंगालकी ओर भेजा। पूनाके नाना फड़नवीसका एक प्रतिनिधि (लाला सेवकराम) कलकत्तेमें रहा करता था। उसके दो

* पेशवाकी जागीर–उमरखेड़ (महाल) अमडापूर, खेरड़ा, मेहकर, सिंधखेड़ आदि परगने।

† कर्नल गोडार्डने बम्बई सरकारको (३० सितंबर स० १७७९ को) इस प्रकार सूचित किया था—

The Ministers (at Poona) and Sindia in conjunction with Haider, Nizam Ali and Mudhoji Bhonsle mean to make a general attack upon the English at their several settlements and have entered into, and sealed, written agreements for the purpose.

पत्र उपलब्ध हुए हैं,× जो नानाफड़नवीसको भेजे गये थे। उनसे इस प्रकरणका बहुत कुछ खुलासा हो जाता है।

पहला पत्र है १० अक्टूबर सन १७८० का। उसका अनुवाद इस प्रकार है—"भोंसलेके प्रतिनिधि बेनीरामपन्त तथा रघुनाथरावके वकील (प्रतिनिधि) ने बड़े साहबको (हेस्टिंगको) दक्षिण प्रान्त प्राप्त करनेकी ओर आकृष्ट किया है। उनका मानस किसी प्रकार दक्षिणमें प्रवेश करनेका है। सरकारके (पेशवाके) सामन्तोंकी सुस्ती और विरोधको देखकर गतवर्ष २॥ करोड़ रुपये जलमार्गसे कर्नल गाडर (गोडार्ड) के पास गुजरातपर अधिकार जमानेके लिए भेजे गये थे। राजेश्री चिमनाबापू भोंसले ज्येष्ठमासमें ३० हजार सैनिकोंके सहित कटक पहुँच गये थे। उनके पहुँचनेपर बड़े साहबने बेनीरामसे पूछा था कि भोंसलोंकी सेना यहाँ क्यों कर आई है; वे तो हमारे मित्र हैं? इसके प्रत्युत्तरमें उसने कहा था कि वे पेशवाकी आज्ञासे यहाँपर आये हैं; किन्तु वे किसी प्रकारका उपद्रव न करके वापिस लौट जायँगे। इतनेपर भी खबरदारीके लिए बड़े साहबने जॉन आपटन, मेगफरसन और अन्य दो कर्नलोंके साथ ७ पलटनें रवाना कर दी हैं। ये लोग मिदनापुर और जलेसरकी ओर गये हैं और बालेश्वर तक भोंसलेकी छावनी है। कर्नल बेली तीन लाखकी हुंडी लेकर उनके पास गया है; किन्तु चिमनाजी राजी नहीं हुआ है। इसपर बड़े साहबके पत्रके साथ बेनीरामने अपना पत्र भोंसलेके पास इसलिए भेजा है कि वह यहाँपर किसी प्रकारका उपद्रव न करे। वरद्वान और मकसूदाबादके निवासी भोंसलेके आगमनसे भाग रहे हैं।

× ये पत्र निर्णयसागर प्रेस बम्बई द्वारा प्रकाशित मराठी 'इतिहाससंग्रह' में छप चुके हैं।

(इसके आगे हेस्टिंग और फ्रांसिसके आपसी झगड़ेका वर्णन है।) १ माससे यहाँपर बराबर सलाह हो रही है; उसमें बेनीराम भी है। चिमनाजीने बेनीरामपन्तको अपने पास बुलवाया है और बड़े साहब भी उसे तसफिया करानेके लिए भेजना चाहते हैं। लेकिन ९ दिन हो चुके, वह नहीं गया और उसने भाई विश्वंभरपन्तको भेजनेका प्रबन्ध किया है। देखें आगे क्या होता है। ”

दूसरा पत्र ३ जुलाई सन् १८८१ का मिला है। इसमें भी भोंसलोंके सम्बन्धका पूरा विवरण मिलता है। “ फाल्गुन कृष्ण तीजको जो पत्र कासिदके द्वारा भेजा गया था, उससे सारा वृतान्त आपको प्रकट हो गया होगा। वर्तमान समाचार यह है कि विश्वंभरके साथ चिमनाजीके दो खिदमतदार बड़े साहबके लिए पोशाक, जवाहिरात, और दो घोड़े नजरानेमें लाये थे। इसके उपलक्षमें बड़े साहबने उनको ८० मुहरोंके ४ कड़े, ४ दुशाले और २०० रुपये नक़द इनाममें दिये। बेगलसाहब, इन्द्रसेन, और विश्वंभरपन्त आदि फाल्गुनकी सप्तमीको भोंसलेके पास गये थे।...चंद्र ११ को यहाँपर यह समाचार पहुँचा है कि चिमनाजीने ढेकानाल व नीलगिरिकी पहाड़ियोंको लाँघकर और बालेश्वरमें पहुँचकर चार हजार सैनिकोंद्वारा जलेसर परगनेके ९–१० मौज़ों और सम्पूर्ण मिदनापुरको लूट लिया है जिससे बरद्वान और मकसूदाबादके लोग भाग रहे हैं। कलकत्तेमें भी हलचल मच गई है। नवाब मुबारकउद्दौला, नवाब मुजफ्फरजंग, साहूकार जगतसेठ और अन्य कई जमींदारोंने चिमनाजीके पास यह संदेश भेजा है कि यदि आप बंगालपर आक्रमण करेंगे, तो हम लोग कम्पनीके विरुद्ध उनका साथ देंगे। बड़े साहबने कलकत्तेमें जबरदस्तीसे बेगारियोंको पकड़कर कर्नल पियास (पियर्स) के साथ भेजा है।

" भोंसलेकी सेना यदि बंगालपर चढ़ाई करती, तो बड़े साहब दीन बनकर सुलह कर लेते, किन्तु मुधोजी भोंसले और देवाजीपन्तने चिमनाजी और उसके दीवान भवानीपन्त काल्हको पत्रद्वारा सूचित किया है कि वे अँग्रेजोंसे छेड़छाड़ न करें। इसी कारण सेनाके २—४ सैनिकोंके हाथ पैर काटकर यह ताकीद की गई है कि वे अँग्रेजोंके मुल्कमें दखल न दें। साहबने अँग्रेजोंसे सलाह करके विश्वंभरके साथ जो खरीता भेजा था, उसके अनुसार चिमनाजीने कटकके सूबेदार राजारामपन्तको अँग्रेज प्रतिनिधियोंके साथ कलकत्ते भेजा है और वे लोग चैत्र कृष्ण १२ को यहाँपर पहुँच गये हैं।...

" राजारामपन्तने भोंसलेकी ओरसे जो कराररनामा तय्यार किया था, उसपर बड़े साहबने हस्ताक्षर कर दिये हैं। पाँच दिनके पश्चात् बड़े साहबने २० लाख रुपये नकद, २ हजार कहार (बेगारमें), ५०० तिलंगे (सिपाही) भोंसलेके नजरानेमें दिये हैं। १२ दिनतक आनंद-पूर्वक वार्तालाप होनेपर राजारामने अँग्रेजोंसे पाँच हजार सवारोंकी माँग पेश की है और उसे मंजूर करके बड़े साहबने प्रतिमास दो लाख रुपयेके हिसाबसे पाँच मासका हिसाब चुकता कर दिया है। बातचीतमें यह भी तय हुआ है कि भोंसले हैदरसे लड़नेमें कर्नल पियासकी सहायता करेंगे।

" वैशाख कृष्ण २ को बड़े साहबने राजारामपन्तको सिरपेंच, जवाहिरात, मोतीका कंठा, चौगड़ा, हाथी, २० हजार नकद तथा २५ हजारका अन्य सामान देकर बिदा कर दिया है। भोंसलेको अँग्रेजों द्वारा ४० लाख रुपये नकद, १० लाखके जवाहिरात, हाथी, विलायती तोप आदि सामान प्राप्त हुआ है। अब चिमना बापू भोंसले बालेश्वरसे कटककी ओर चले गये हैं और वहाँसे वे शीघ्र ही नागपुरके लिए प्रस्थान करेंगे। "

इसी विषयपर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगके लेखसे * भी बहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। मुधोजी और दिवारकरपन्त दोनों अँग्रेजोंसे लड़ना नहीं चाहते थे। पूनाके मन्त्रिमण्डलने अँग्रेजोंपर जो सामुदायिक आक्रमणकी व्यवस्था की थी, उसकी सूचना तक हेस्टिंगको मुधोजीके द्वारा मिल गई थी। इतना ही नहीं वरन् भोंसलेकी सेना दशहरेके मुहूर्त्तपर रवाना हो चुकी थी और वे दो मासमें बंगालके निकट पहुँच सकते थे; किन्तु इस प्रकरणमें ढिलाई करके तथा बहुतसा समय रास्तेमें ही नष्ट करके यह सेना वर्षाके आरंभमें कटकके निकट पहुँची थी। जूनके प्रारंभमें वर्षा शुरू हो जानेसे उस समय कोई कार्यवाही या हलचल नहीं हो सकती थी। गवर्नर जनरलने चिमनाबापूसे मशविरा करनेके लिए डेविड अंडरसनको २२ जनवरीको बालेश्वर भेजा था। चिमनाबापू ढेंकानालके क़िलेको हस्तगत करके कटककी ओर पहुँच रहा था। हैदरअलीसे युद्ध शुरू हो जानेके कारण कम्पनीको बंगालसे मद्रासके लिए सेना भेजना आवश्यक था और सरल रास्ता उड़ीसा प्रान्तके भीतरसे था। इस अवसरपर कर्नल पियर्सकी सेनाको उड़ीसा प्रान्तमेंसे ले जानेके लिए चिमनाबापूने कोई एतराज़ नहीं किया। हेस्टिंगने चिमनाबापूके साथ कुछ राजनीतिक दाँव खेलनेका यत्न किया था; किन्तु वह फलप्रद न हो सका। †

* देखो–Nagpur in the 18th Century, Chap. V.

† गवर्नर जनरल हेस्टिंगने इस प्रकार लिखा था—

"In the meantime," Hastings continues "it is possible that some advantage may be made of the particular and personal views of the young Raja himself (Chimanaji). As the immediate heir of his father

२६ मार्च स० १७८१ को नागपुर दरबारका प्रतिनिधि गवर्नर जनरलसे मिलने गया और उसने बंगालकी चौथके सम्बन्धमें ५० लाखकी माँग पेश की; किन्तु बहुत कुछ चर्चा होनेपर हेस्टिंगने कवल १३ लाख रुपये देना मंजूर किया और १० लाख रुपयेका कर्ज दिलवाना। इस समय यह भी तय हुआ कि भोंसले दो हज़ार घुड़सवारोंद्वारा हैदरसे लड़नेके लिए अँग्रेजोंकी सहायता करें; जिसका खर्च देना भी मंजूर किया गया। इसी प्रकार गढ़ामण्डला प्राप्त करनेमें भोंसलोंकी सहायता करनेका गवर्नर जनरलने अभिवचन दिया। अन्य बातोंका तसफिया दीवान देवाजीपन्त स्वयं गवर्नर जनरलसे बनारसमें मिलकर कर लें, किन्तु देवाजीपन्तका शीघ्र ही स्वर्गवास हो जानेसे यह मिलाप-कार्य नहीं हो सका।

सालबाईका सुलहनामा होनेके पूर्व गवर्नर जनरल हेस्टिंगने मुधोजीके मार्फ़त पूना दरबारसे समझौता करा लेनेका यत्न किया था और उसी

---

he has pretentions to the succession of the sovereign authority of the Maratha State (the whole Maratha Confideracy) and it seems tc be the only provision which can be made for him to secure his future independency. Without this his father's death will leave him at the mercy of his brother and without a resource, for it is not likely that his brother should expend the wealth or hazard the power, of his own state to promote his interest and raise him to a dignity superior to his own."

"But I recommend that you seek an opportunity to send Chimnaji himself upon it............................... Avail yourself of it to inspire him with hopes of Raj."

सम्बन्धमें मि० च्यापमेन नामक एक अँग्रेज कर्मचारी २२ जनवरी १७८२ को नागपुर पहुँचा था। लेकिन कर्नल गोडार्डने इस कार्यको सिन्धियाके मार्फ़त साध लिया, जिसका फल १७ मई १७८२ का सुलहनामा था।

टीपूसे युद्ध। ई० स० १७८५ में मुधोजी चिमनाबापूके सहित पेशवासे मिलनेके लिए पूना गया। सुलतान टीपूसे विरोध हो जानेके कारण पेशवाके कर्मचारी-मण्डलने साम्राज्यके सामन्तोंको एकत्रित करके उसपर चढ़ाई करनेकी व्यवस्था की। उस समय भोंसले (पितापुत्र) भी सम्मिलित थे। बदामीके घेरेमें कहते हैं कि चिमनाबापूने ही सवारोंको लेकर सबसे प्रथम किलेपर अपना 'जरी-पटका' चढ़ाया था, जिसकी प्रशंसा नानाफड़नवीसने की थी। बदामीके हस्तगत करनेपर मुधोजी ई० स० १७८६ की वर्षाके पूर्व नागपुर लौट गया और चिमनाबापूको टीपूसे लड़नेके लिए पेशवाकी सेनाके साथ छोड़ गया। टीपूपर विजय प्राप्त करनेपर पेशवाकी ओरसे चिमनाबापूको सेनाबहादुरका खिताब और गढ़ामण्डला प्रान्तकी सनद प्रदान की गई।

भोंसले-राज्यके सम्बन्धमें मि० फारेस्टरका वृत्तान्त। ई० स० १७८६ के सितंबर मासमें लार्ड कार्नवालिस भारतका गवर्नर जनरल होकर कलकत्ते आया। उसकी नीति Defensive Alliances की थी। इसलिए उसने टीपूके विरुद्ध निज़ाम और मराठोंसे सम्बन्ध रखना आवश्यक समझा। उसके अनुसार उसने जार्ज फारेस्टर (सिविल सर्वंट) को नागपुरमें मुधोजीके पास भेजा। वह १५ जनवरी सन १७८८ में नागपुर पहुँचा। उसके विवरणसे भोंसले राज्यकी स्थितिका खासा परिचय मिलता है। "उस समय राज्यकी आय ६० लाख रुपये थी।

सेनामें ६००० के लगभग घुड़सवार थे और ४०० हिन्दुस्थानी सैनिक राज्यकी भीतरी व्यवस्थाके लिए तैनात थे; उनकी पोशाक असुन्दर लाल वर्दी थी और उनके पास फ्रेंच ढाँचेकी बन्दूकें थीं। सैनिकोंका वेतन समयपर नहीं दिया जाता था। मुधोजी हमेशासे साहूकारोंका कर्जदार था और वह अक्सर अपने साहूकारोंके प्रति अनुचित व्यवहार करता था। इसके प्रमाणस्वरूप एक उदाहरण उदयपुरी गुसाईंका हम पहले दे चुके हैं। इस समय मुधोजीकी अवस्था ५० से ६० वर्षके भीतर थी। नागपुरका गोंड़राजा बुरानशाह भी ६० वर्षके लगभगका था। मुधोजी स्वयं उसे 'राजा' कहकर आदरके साथ सम्बोधित करता था और मौक़ेपर 'अहेर' भी देता था।

रतनपुरके बिंबाजीने * चिमनाबापूको गोद लिया था। दीवानके कार्यालयका प्रबंध व्यंकोजीके हाथमें था। देवाजीपन्तके पश्चात् भवानी-काळू दीवान कहलाता था, जो इस समय ७० वर्षका वृद्ध था। महादजी लश्करी (खासगी) समाचारोंका सुनानेवाला था। परराष्ट्रीय विभागका मुंशी भवानी नागनाथ भी ८० वर्षका बूढ़ा था। चिटनवीस और खजा-नचीका प्रभाव मन्त्रिमण्डलमें नाममात्रका था। किन्तु जानरावकी सलाह मुधोजीके लिए आवश्यक थी। शेख मुहम्मद अली फ़ारसीका आलिम

* बिंबाजी भोंसले ई० स० १७५७ में शासन करनेके लिए रतनपुर आया था, तब उसने शिवराजसिंहको उसके पुरखोंके हरएक गाँव पीछे एक रुपया परवरिशके लगा दिया लिए। यह प्रबंध ई० स० १८२२ तक कायम रहा। उसके पश्चात् गाँव पीछे रुपया देना बन्द किया गया और उसके एवजमें ४ गाँव माफीमें दिये गये, जो अब तक उसी वंशके अधिकारमें हैं। ई० स० १७८७ में बिंबाजीका अन्त-काल हो गया, तब १ वर्ष तक उसकी रानी आनंदीबाईने काम चलाया और पश्चात् सूबे नियत किये गये।

और राजाका खुशमशखरा था। मुहम्मदअली नागपुरका न्यायाधीश था; किन्तु संगीन मामले स्वयं मुधोजी ही करता था। इस समय भोंसले राज्यकी आय इस प्रकार थी—

नागपुर और उसके आसपासके इलाकेकी आय	१८	लाख	रुपये
बरारसे	१०	,,	,,
गंगथडीसे	२	,,	,,
कटकसे	१७	,,	,,
रतनपुरसे	३	,,	,,
मुलताईसे	२	,,	,,
अन्य जरियोंसे	७	,,	,,
कुल	५९	लाख	रुपये

व्ययकी बड़ी रकमें इस प्रकार थीं।—

बुरानशाहकी पेंशन	३	लाख	रुपये
जागीरदार सिवनीकी ग्रांट	३	,,	,,
बरारका फौजीखर्च	३	,,	,,
कटकका ,,	७	,,	,,
कुल	१६	लाख	रुपये

मुधोजीके पास २० हजार बारगीर घुड़सवार सरकारी, ४७०० सिल्लेदारोंके घुड़सवार (नागपूर और उसके आसपासकी छावनीमें), २०० असुंदर पोशाकके हिन्दुस्थानी सिपाही, ३०० घुड़सवार सिवनीके जागीरदारके पास, कटकमें २००० घुड़सवार और गंगथड़ीमें १५०० घुड़सवार थे। इसके अतिरिक्त किलेदारोंके पास भी नियमित सेना रहती थी। भोंसलेके तोपखानेमें २ अँग्रेज, १ फ्रान्सीसी और कई पोर्तुगीज़ गोलंदाज़ थे।

रघोजीराव भोंसले (द्वितीय)।

मुधोजीके छोटे भाई बिंबाजीका ई० स० १७८७ में* और मुधोजी‡का ९ मई स० १७८७ को अन्तकाल हो गया। इसने भी मरनेके पूर्व अपने पिताके समान राज्यका बँटवारा अपने पुत्रोंमें कर दिया था। चिमनाबापूको बिंबाजीने दत्तक लिया था, इसलिए उसे रतनपुरका इलाक़ा सौंपा गया; किन्तु वह वहाँ नहीं गया और अकस्मात् नागपुरमें ही मर गया, तब छोटे पुत्र व्यंकोजी (नानासाहबको) चाँदाकी सूबेदारी सौंपी गई। मुधोजीके मरते ही रघोजीको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। उधर गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस यह जानता था कि कटकप्रांत भोंसले यों ही अँग्रेजोंको नहीं सौंप देंगे। मि० फॉरेस्टरके पत्रोंसे पता चलता है कि भोंसलेकी राजनीतिसे कम्पनी सरकारको कोई लाभ नहीं होगा, यह समझकर वह बिना किसी लाभके कलकत्ते वापिस लौट गया था।

चिमनाबापूका अन्तकाल। २३ मार्चको रघोजी स्वयं नाना फड़नवीससे मिलनेके लिए पूना गया। कहते हैं कि इस समय वह टीपूसे लड़नेमें इसलिए सम्मिलित नहीं हुआ कि कहीं अधिक दिनों तक नागपुरसे बाहर रहनेसे चिमनाबापू स्वयं गद्दी न दबा बैठे। इसलिए उसके एवजमें १० लाख रुपये देना उसने मंजूर कर लिया और वह ७ मईको नागपुर वापिस लौट गया। इसी वर्षके अगस्त मासमें चिमनाबापूका अन्तकाल हो गया। कहा जाता है कि रघोजीने कटकसे ४ मांत्रिकोंको बुलवाया था और उनके द्वारा मंत्रसाधनासे

---

* भोंसलेकी बखरमें यह तिथि कार्तिक कृष्ण दशमी (संवत् १८४४) है।

‡ पूर्णिमा वैशाख (संवत् १८४५)।



सेनासाहब सूबा रघोजीराव भोंसले (द्वितीय) [पृ० १४०

चिमनाबापूको मरवाया था। उस रोज वह बुद्धूखाँ पठानके यहाँ नाचकी मजलिसमें शामिल हुआ था। वहाँसे आधीरातके समय लौटनेपर उसने खिचड़ी खाकर शयन किया और प्रातःकाल जब कि वह हिरणावन्त खिड़कीके पास बैठा हुआ था अकस्मात् कुर्सीपरसे गिरकर मर गया। संभव है कि इसी कारण रुष्ट होकर उसकी माता चिमाबाई अपनी पुत्री बालाबाईके यहाँ ३ मास तक रही हो।

मि० फारेस्टरका पुनः आगमन। ई० स० १७८९ में अँग्रेज और टीपू सुल्तानसे युद्ध शुरू हो गया। पेशवा भी इसमें सम्मिलित था। बंगालसे सहायता पहुँचानेका सरल रास्ता उड़ीसामेंसे था। भोंसलेकी ओरसे किसी प्रकारकी बाधा न पहुँचाई जाय, इसलिए लॉर्ड कार्नवालिसने ७ मार्च सन् १७९० को फारेस्टरको नागपुरके लिए पुनः भेजा; साथमें मि० लेकी भी था। जिस समय ये लोग कटक पहुँचे, उस समय वहाँका सूबेदार हिसाब समझानेके लिए नागपुर गया था। लेकीके विवरणसे पता चलता है कि कटक प्रान्तसे भोंसले सरकारको अधिकतर आय कस्टम और जगन्नाथके यात्रियोंसे होती थी। रेशमके प्रति बैलके बोझेपर ६ रुपयेके हिसाबसे कर लिया जाता था। जगन्नाथपुरीकी यात्राको जो लोग दक्षिणसे जाते थे, उन्हें फी आदमी ६ रुपये कर देना पड़ता था और धनिक होनेके कारण बंगालियोंसे ८ रुपये लिया जाता था। ३ जूनको यह प्रतिनिधिदल नागपुर पहुँचा। रास्तेमें जिन जिन प्रान्तोंसे इन लोगोंने सफ़र की, उनका भी वर्णन लेकीने किया है। १५ जूनको राजाने फारेस्टरसे मुलाक़ात की। उस समय उसने कम्पनीकी सहायताके लिए आठ हजार घुड़सवार भेजनेकी इच्छा प्रदर्शित की और प्रतिसैनिक ४०० रुपये वार्षिक खर्चेकी सूचना भी कर दी। किन्तु अभाग्यवश ५ जनवरीको नागपुरेंम मि० फारेस्टरका देहान्त हो गया। उस समय उस पदपर कोई

नियुक्त नहीं किया गया। तब फारेस्टरके साथीदारोंको भोंसलोंने व्यवस्थाके साथ कलकत्ते पहुँचवा दिया।

खर्डाकी लड़ाई। ई० स० १७९५ में निजाम और पेशवाके विरोधके फलस्वरूप खर्डाका* भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्धमें रघोजी स्वयं बरारके सूबेदार विठ्ठलपन्तके † साथ १५ हजार सैनिकोंके सहित सम्मिलित था। इस युद्धमें भोंसलेक घुड़सवारों और तीरंदाजोंने × अपूर्व रणकौशल दिखलाया और सवाई माधवरावकी सेनाने निजामके पठानोंको त्राहि त्राहि कराके रणक्षेत्रसे भगा दिया। ‡ (इस सम्बन्धके कई प्राचीन

---

* खर्डा नामक स्थान बम्बईसे ६१ मीलपर है।

† विठ्ठल बल्लालके विषयमें मराठीका एक पद इस प्रकार है—

भोंसल्याचे खासे विठ्ठल पंडित पठान।
भले मर्द शिपाई रणामधिं भिड़े जैसा पंचानन॥

× 'पेशव्यांची बखर'में भोंसलेके तीरंदाजोंका उल्लेख किया गया है। "त्या समयास एक प्रहरपर्यंत लढ़ाई मोठी शरतेची झाली। त्यांत भोंसले यांजकडील सरदार एक दोन जायां झाले। भोंसले याजकडील मार कठीण, एक बाणानें पांच सात असामी घेत।"

‡ केला हल्ला सवाई मधुरिपुकटकें या तऱ्हे मार दिल्ला।

....

नाहीं गल्ला न पाणी यवन तळमळे, या नबी यार अल्ला।
बोले सल्ला करोजी अबहि गलिमको चाहे सो देव जिल्ला॥ १॥

....

मेंढ्यांचे परि कांपिति लटलटां लेंड्याचि तैं गाळिती॥

....

शेंड्यांचा अभिमान देव धरुनी लांड्यांस दंडी स्वयं॥ २॥

पद्य मराठीमें मिलते हैं।) इस युद्धमें निज़ामके हार जानेपर पेशवाको सुलहके अनुसार जो धन तथा राज्य (इलाक़ा) मिला, उसमेंसे २९ लाख रुपया और बरारका पुसद तालुका, जिसकी आय ३ लाख रुपये थी, रघोजीराव भोंसलेको प्राप्त हुआ तथा बरारपर निज़ामका स्वामित्व नाममात्रके लिए रह गया।

बाजीरावकी गद्दीनशीनी। खर्डामें विजय प्राप्त करनेपर रघोजी भी अन्य सरदारोंके सहित पूना गया। उस अवसरपर पेशवाने अन्य सामन्तोंके सहित पूनामें जुलूसके साथ प्रवेश किया। यह विजयोत्सव पूनामें कई दिनों तक होता रहा। वर्षाके समाप्त होनेपर रघोजीने पेशवासे नागपुर जानेकी आज्ञा माँगी। उस समय भोंसलेको खास मिजवानी दी गई और नर्मदाके दक्षिणी प्रान्तपर तथा होशंगाबादपर अधिकार जमानेका हक़ पेशवाने सनदद्वारा प्रदान किया। पूनासे वापिस होते हुए रास्तेहीमें जालनाके मुकामपर रघोजीको पेशवाकी आत्महत्याका समाचार मिला (२२ अक्टूबर), तब उसने मातमपुर्सीके लिए अपने कर्मचारियोंको पूनाको रवाना किया और आप नागपुर चला गया। ई० स० १७९६ के मार्चमें होशंगाबाद नगरपर भोंसलेका अधिकार हो गया। इसी अवसरपर बाजीरावकी गद्दीनशीनीका निमंत्रण भोंसलेको भेजा गया, अतएव उत्तरीय जिलोंपर अधिकार जमानेका कार्य स्थगित करके रघोजी स्वयं पूना गया। वहाँपर नवीन पेशवाने भोंसलेसे जो नया करारनामा किया, उसका आशय यह था कि "२६ लाखका नजराना और चौरागढ़का क़िला भोंसलेकी ओरसे पेशवाको दिया जाय। पेशवाकी तैनातीमें भोंसलेके ३ हजार घुड़सवार रहेंगे। जिस शर्तपर गढ़ामण्डला प्रान्त सेनाबहादुर

चिमनाबापूको सौंपा गया था, उसी शर्तपर रघोजी भोंसलेको सौंपा गया *"

गढ़ामण्डला प्राप्त करना। पूनासे लौट आनेपर ई०स० १७९८ में रघोजीने 'गढ़ामण्डला' प्रान्तपर अपनी हुकूमत कायम की और १७९९ के फरवरी मासमें चौरागढ़के किलेको अपने अधिकारमें कर लिया। इसी समय मीरखाँ¶ पिंढारीने सागरके पण्डितरावपर आक्रमण किया था, इसपर रघोजीने अपने घुड़सवार भेजकर सागरवालोंकी सहायता की। इसके उपलक्ष्यमें सागरके सूबेदारने भोंसलेको सागरका 'तेजगढ़' परगना सौंप दिया।

---

* इस सुलहके सम्बन्धमें ग्राण्ट डफ साहब इस प्रकार लिखते हैं—

"3 Crores of Rupees were promised on account of arrears of revenue and expenses of the war; besides which, by a separate agreement, Nizam Ally ceded territory yielding 3,18,000 Rupees in lieu of Raghoji's claims for "ghasdana" in Gangthuree estimated at 3½ lacs annually. Nizam Ally likewise promised to pay up the arrears due to Raghoji, amounting to 29 lacs and to collect their respective shares of revenue in Berar, according to ancient usage, for which the Peshwa afterwards became Raghoji's guarantee."

¶ **मीरखाँ पिंढारी।** मुगल-साम्राज्यके नष्ट होते ही डाकुओंके बड़े बड़े दल तैयार हो गये थे और ये लोग पिंढारी कहलाते थे। इनका मुख्य कार्य लूटमार करके गाँवोंको उजाड़ देना था। मध्यभारतमें इनका अधिक प्रभाव था। क्योंकि ये लोग सिंधिया और होल्कर-राज्योंमें आश्रय पाते थे और उनकी प्रेरणासे आस-पासके राज्योंपर आक्रमण करते थे। होल्करशाही पिंढारियोंका मुखिया मीरखाँ था, जिसने आगे चलकर टोंकमें अपना राज्य स्थापित किया।

बाजीराव पेशवा। यद्यपि बाजीरावको पेशवाका पद प्राप्त हो गया था, तथापि नाना फड़नवीस और उसके पक्षके सामन्तोंकी राय थी कि सवाई माधवरावकी स्त्रीको एक लड़का दत्तक दिलवाया जावे; किन्तु उनकी यह योजना सफल न हो सकी। उस समय पूना-दरबारमें दौलतराव सिन्धियाका सबसे अधिक प्रभाव था। नाना फड़नवीसने राजकाजसे हाथ खींच लिया और मरनेके कुछ दिनों पूर्वतक वह बाजीरावकी कैदमें रहा। तुकोजीराव होल्करका स्वर्गवास हो जानेसे उसके काशीराव, मल्हारराव, विठोजी और यशवंतराव इन चारों पुत्रोंमें दो पक्ष हो गये। काशीरावके विपक्षमें अन्य तीनों भ्राता थे। सिन्धियाने काशीरावकी सहाता की और मल्हारराव लड़ाईमें मारा गया। विठोजीको पेशवाने पूनामें बुरी तरहसे मरवा डाला। रहा यशवंतराव, सो वह भागकर नागपुर पहुँचा; परन्तु रघोजी भोंसलेने उसकी सहायता करना तो दूर रहा, उसका माल असबाब ज़ब्त करके उसे क़ैद कर लेना चाहा, *तब वह वहाँसे भागा और महेश्वरमें पहुँचकर सेना एकत्रित करने लगा। उसने सिन्धिया और पेशवा दोनोंको तंग करना शुरू कर दिया।

अँग्रेज़ राजदूत मि० कोलब्रुक। ई० सन् १७९१ से ९८ तक गवर्नर जनरलने अपना कोई प्रतिनिधि भोंसलेके यहाँ भेजना आवश्यक नहीं समझा था। इस अवधिमें लार्ड कार्नवालिस और सर जान शोअरका शासनकाल बीत चुका था। ई० स० १७९८ के मई मासमें गवर्नर जनरलका पद रिचर्ड वेलेस्लीको सौंपा गया। उस समय अँग्रेज़ोंको सिंधिया और टीपूके विरुद्ध अन्य रजवाड़ोंको अपने अनुकूल करना था। इसलिए जिन शर्तोंपर निजाम और पेशवाने अँग्रेजोंसे सुलह की थी, उन्हीं शर्तोंपर रघोजी भोंसलेसे भी सम्बन्ध करनेके लिए गवर्नर जनरलने मि०

* देखो ‘ नागपुरकर भोंसल्यांची बखर ’ नामक मराठी ग्रंथ।

कोलब्रुकको भेजा और वह १८ मार्च १७९९ को नागपुर पहुँचा। ७ मई सन् १७९९ को श्रीरंगपट्टमके युद्धमें टीपू मारा गया, इस लिए लगभग १ वर्ष तक यह मामला यों ही पड़ा रहा और गवर्नर जनरलने कोलब्रुक साहबको कोई सूचना नहीं दी।

नाना फड़नवीसके स्वर्गवाससे रघोजी स्वयं अपनी स्वतंत्रताके लिए शंकित था; क्योंकि उस समय दौलतराव सिंधिया ही पूना-दरबारका कर्त्ता धर्त्ता था। ऐसी अवस्थामें कम्पनी यह चाहती थी कि नागपुरके भोंसले कम्पनीकी सहायक फौज़ (Subsidiary Force) अपने यहाँ अन्य रज-वाड़ोंकी भाँति रक्खें। अर्थात् सहायक फौजका खर्चा नागपुर राज्यसे दिया जावे और हुकूमत कम्पनीकी रहे। १६ अप्रेल सन् १८०० को गवर्नर जनरलने कोलब्रुकको पुनः सूचित किया; किन्तु रघोजीने अपनी सैनिक स्वतंत्रता फोर्ट विलियमके सूत्रधारको सौंपना उचित न समझा। प्रारंभमें कोलब्रुकको यह आशा थी कि नागपुरका राजा उनकी बातोंमें आ जायगा; किन्तु उसकी राजनीतिक चालोंको देखकर उसे निराशा हो गई। जब गवर्नर जनरलने देखा कि यह कार्य रघोजीकी जीवित अवस्थामें फलप्रद न हो सकेगा, तब उसने कोलब्रुकको वापिस बुलवा लिया। मि० कोलब्रुक १८ मई सन् १८०१ को कलकत्ते वापिस लौट गया।

वसईकी सुलहका परिणाम। ई० स० १८०१ के अन्तमें बाजीराव पेशवाके निमंत्रणके अनुसार रघोजीने श्रीधर पण्डित (मुंशी) और कृष्णराव (चिटनवीस) को पूना भेजा। उधर सिंधिया और होल्करके झगड़ेमें नागपुरवाले तटस्थ रहे। ई० स० १८०२ के अक्टू-बरमें यशवंतराव होल्करने पूनाके निकट पेशवा और सिंधियाकी सेनाको

परास्त कर दिया। तब बाजीरावने भागकर अंग्रेजोंकी शरण ली और ३१ दिसंबरको वसई नामक स्थानमें सुलह करके अपनी रक्षाके लिए ब्रिटिश सहायक फौज रख ली। पूनाकी स्वाधीनता नष्ट होनेका अंतिम दिवस यही था। पेशवाने अपनी स्वाधीनता—जिसपर कि समस्त मराठा-साम्राज्य अवलंबित था—स्वयं अपने हाथों कम्पनीको सौंप दी। इस समाचारके पाते ही सिंधिया, होल्कर और भोंसलोंने प्रतिवाद किया, इतना ही नहीं वरन् सिंधिया और भोंसलोंने मिलकर अँग्रेजोंसे युद्ध करनेकी घोषणा कर दी तथा यशवंतरावने भी देवलगाँवसे पत्र भेजकर संगठित आक्रमणका समर्थन किया; किन्तु न जाने क्यों वह उस समय पृथक् ही रह गया।

लार्ड वेलेस्लीने सिंधिया और भोंसलोंको सूचित किया कि वे वसईकी सुलहसे नहीं बँध सकते। ३ अगस्तको सिंधिया दरबारका अँग्रेज़ प्रतिनिधि छावनीसे वापिस लौट गया। यही युद्धकी प्रारंभिक सूचना थी। सिंधियाके तोपखानेका प्रमुख कर्मचारी जनरल पेरन एक फ्रांसीसी था। जनरल वेलेस्लीने उसे अपनी ओर खींचनेका यत्न किया; किन्तु उस वीरने पद त्याग करनेसे इंकार कर दिया। ४ जूनको मलकापुरमें रघोजी और सिंधियाकी भेंट हुई और बादमें उसने भी टोंके नामक ग्राममें अपनी छावनी डाल दी तथा रामचंद्र वाघ, माधवराव नीलकंठ और व्यंकोजी भोंसलेको बरारमें सैन्य एकत्रित करनेकी आज्ञा दे दी।

मराठोंका द्वितीय युद्ध। २२ अगस्तको युद्ध प्रारंभ हो गया। इस युद्धकी दो मुहीमें हुईं। एक बरारमें और दूसरी उत्तर भारतमें। एक तो युद्ध प्रारंभके अवसरपर मराठोंके पास जो युरोपियन कर्मचारी थे, उन लोगोंने अपने अन्नदाताका साथ छोड़ विश्वासघात किया और

दूसरे दौलतराव और रघोजीकी प्रकृति भिन्न होनेसे सेना-संचालनमें भी गड़बड़ी होने लगी। इससे जब २३ सितंबरको दोनों दलोंकी मुठभेड़का मौक़ा वसईके मैदानमें आया, तब जनरल वेलेस्लीने सिंधियाको परास्त कर दिया। वसईसे हार खाकर सिंधियाने खानदेशमें एरंडोलका मैदान गाँठ लिया; क्योंकि उसे यह भय था कि यदि अँग्रेज़ोंने असीरगढ़ और बुरहानपुरपर अपना अधिकार जमा लिया, तो सारा गुड़ मिट्टी हो जायगा। उधर राजूरका घाट लाँघकर भोंसलेसे मुकाबिला करनेके लिए वेलेस्ली आकोटकी ओर गया और उसी समय कर्नल स्टीव्हनसन बालापुरके निकट उससे आकर मिल गया। २९ नवंबरको वेलेस्ली, स्टीव्हनसन, निजामका सेनापति महीपतराम, इलिचपुरका नबाब नामदारखाँ, पेशवाकी सेनाका सेनापति तथा मैसूरके विष्णप्पा सबने एकत्रित होकर भोंसलेकी सेनापर आक्रमण करनेकी योजना तय की। वेलेस्लीने अपनी व्यवस्था करके प्रथम ही मराठोंपर आक्रमण करके उन्हें भगा दिया। उस समय कई तोपें, हाथी तथा ऊँटोंपर लदा हुआ सामान उसके हाथ लगा।

इस युद्धके पश्चात् वेलेस्लीने गाविलगढ़ लेनेका निश्चय किया। उससमय वहाँका किलेदार बेनीसिंह था। ५ दिसंबरको वेलेस्ली इलिचपुरसे होता हुआ ७ तारीखको देवगाँव पहुँच गया। इस मुल्कका परिचय करानेके लिए इलिचपुरका नवाब साथमें था। वेलेस्लीने स्टीव्हनसनको उत्तरकी ओरसे आक्रमण करनेके लिए दूसरे रास्तेसे भेज दिया और आप दक्षिणकी ओर रह गया। स्टीव्हनसनने ५ दिनमें ३० मीलका पहाड़ी रास्ता तय किया। १२ दिसंबरको लबाडा ग्राममें पहुँच कर उसी रोज उसने उत्तरीय द्वारपर तोपें लगवा दीं। दक्षिणके पीरफत्ते द्वारपर वेलेस्लीने आक्रमण किया; किन्तु सफलता न हुई। लेकिन स्टीव्हनसनको अच्छा स्थान आक्रमण करनेके लिए मिल गया था और कहते

हैं कि यह स्थान किसी गोंड़ने बता दिया था। १४ दिसंबरको किलेका उत्तरीय भाग टूट गया। तारीख १५ को १० बजेसे स्टीव्हनसन और मद्रासी पलटनके सेनापति केनीने किलेमें प्रवेश करनेका कार्य शुरू कर दिया। वेलेस्लीने इस समय चामर्सको वायव्य द्वारपर आक्रमणके लिए भेज दिया। दोनों ओरसे बराबर हमले जारी थे। उस समय वायव्य द्वारसे किलेके सैनिकोंने बाहर निकलनेका यत्न किया; किन्तु वहाँपर चामर्स पहलेसे ही पहुँच चुका था। उधर केनीके भेजे हुए सैनिक भी चामर्सको आकर मिल गये थे। यद्यपि अँग्रेजी सेना किलेमें प्रवेश कर गई, तथापि भीतरी किलेके दिल्ली दरवाजेपर स्वयं बेनीसिंह उनके आक्रमणको रोक रहा था। इस युद्धमें केनी मारा गया और मुख्यद्वारपर किलेदार बेनीसिंह भी मारा गया। किलेपर अधिकार होते ही वहाँकी सम्पत्तिपर वेलेस्लीने अपना अधिकार जमा लिया। गाविलगढ़के जाते ही रघोजी भोंसलेने सफलताकी आशा त्यागकर सुलहकी बातचीत चलाई।

देवगाँवकी सुलह। १७ दिसंबरको देवगाँवमें कम्पनी तथा भोंसलोंकी सुलह हो गई। भोंसलेकी ओरसे यशवन्तराव रामचंद्र और कम्पनीकी ओरसे जनरल वेलेस्ली था। सुलहकी शर्तें नीचे लिखे अनुसार तय हुईं—

(१) कम्पनी सरकार तथा उसके मित्रोंसे भोंसले अपना सम्बन्ध मित्रताका रक्खें।

(२) सेनासाहब सूबा रघोजी भोंसले कम्पनी सरकार और उसके दोस्तोंको बन्दरगाहके सहित कटक प्रान्त और जिला बालेश्वर सौंप दें।

(३) वर्धा नदीके पश्चिममें जो प्रान्त (बरार) है और जिन प्रान्तोंकी सामयिक आय दक्षिणके सूबासे रघोजीको मिलती है, ये प्रान्त भोंसले कम्पनी सरकार और उसके मित्रोंको सौंप दें।

(४) दक्षिणके सूबा निजाम और रघोजी भोंसलेकी सीमा वर्धा नदी होगी। जिस पहाड़ीपर नरनाला और गाविलके किले हैं, उसपर भोंसलोंका स्वामित्व रहेगा। उसके दक्षिणमें जो प्रान्त है वह और वर्धाके पश्चिमी प्रान्तपर कम्पनी और उसके मित्रोंका अधिकार रहेगा।

(५) नरनाला और गाविलके दक्षिणी प्रान्तकी आयसे ४ लाख रुपये भोंसलेको मिला करेंगे।

(६) २, ३ और ४ नम्बरकी शर्तोंके अनुसार जो प्रान्त भोंसलोंने सौंपे हैं, उनपर और दक्षिणके सूबेपर स्वयं रघोजीका और उसके वंशजोंका हक़ नहीं रहेगा।

(७) दक्षिणका सूबा (निजाम) और राव पंडित प्रधान (पेशवा) से जो झगड़े चालू हैं या आगे हों, उनका फैसला कम्पनी सरकार करेगी।

(८) फ्रेञ्च, अन्य युरोपियन, अमेरिकन या ब्रिटिश प्रजाजन जिनका कम्पनीसे वैरभाव हो, फिर चाहें वे युरोपियन हों या भारतीय, उनको भोंसले अपने यहाँ नौकरीपर न रक्खेंगे। उसी प्रकार भोंसलेके बिरादरों, आश्रित राजाओं, जमींदारों या दंगा फ़साद करनेवाले प्रजा-जनोंको कम्पनी सरकार भी उत्तेजन या सहायता न देगी।

(९) आपसमें प्रेम और स्नेह वृद्धिगत करनेके लिए परस्परके दरबारमें विश्वासपात्र रेसीडेंट रक्खे जायँ।

(१०) कम्पनी सरकारने भोंसलोंके माण्डलिक राजाओंसे जो इक-रार किये हैं, वे मंजूर किये जायँ। गवर्नर जनरलकी मंजूरी आनेपर उसकी सूची सेनासाहबको दी जायगी। *

* मि० एचिसनके ग्रन्थमें लिखा है कि यदि भोंसले ये शर्तें नामंजूर करेंगे, तो यह सुलह रद समझी जायगी।

(११) कम्पनीपर आक्रमण करनेके लिए जो मराठा संघ स्थापित हुआ था, उसमें आगे रघोजी और उनके वंशज भाग न लें। यदि सिंधियासे पुनः युद्ध शुरू हो जावे, तो भोंसले उसके सहायक नहीं रहेंगे।

(१२) आजसे ८ दिनके भीतर रघोजीराव भोंसले सुलहनामा मंजूर फरमाकर वेलेस्लीको दे दें और साथ ही सुलहनामेमें वर्णित प्रान्त भी। वेलेस्ली गवर्नर जनरलकी मंजूरी दो मासके भीतर दिलवा देंगे।*

३० दिसंबर सन् १८०३ को दर्यापुर तालुकाके आंजनगाँवमें सिंधियाने भी अँग्रेजोंसे सुलह कर ली। इस सुलहसे भोंसलोंका बरारपरका स्वामित्व जाता रहा। कम्पनीने बरार इलाका निजामको सौंप दिया। १८०४ में अँग्रेज रेसीडेंट मि० एलफिन्स्टोन नागपुर दरबारमें नियत किया गया। ई० स० १८०० में रघोजीके अधीन १ करोड़ ११ लाख आयका एक बृहत राज्य × था; किन्तु इस युद्धसे केवल ६० लाख आयका इलाका रह गया।

मार्किस वेलेस्लीका वास्तविक उद्देश मराठोंकी सत्ताका सर्वथा अन्त करना था; किन्तु पेशवाके अतिरिक्त और कोई मराठा सामन्त सबसी-

---

* Ratified by the Governor-General in Council on the 9th Jan. 1804. ९ जनवरीको गवर्नर जनरलने इस सुलहको मंजूर किया।

× १ देवगढ़ प्रान्तकी आय (इसमें भंडारा, बालाघाट और छिन्दवाड़ाकी जमीदारियाँ थीं) ३० लाख रुपये, (२) गढ़ा मण्डला प्रान्तकी १४ लाख, (३) होशंगाबाद, सिवनी मालवा और चौरागढ़की ७ लाख, (४) मुलताईकी (जिसमें २१ महाल थे) २ लाख, (५) गाविलगढ़, नरनाला और बरारकी ३० लाख, (६) कटक और बालेश्वरकी १७ लाख, (७) चाँदा प्रान्तकी ५ लाख, और छत्तीसगढ़ (कांकेर, सिरगुजा, सम्बलपुर, बस्तर, कालाहंडी) की ६ लाख रुपये कुल आय १ करोड़ ११ लाख रु० थी।

डीयरी सन्धिके जालमें न फँस सका; फिर भी बरारका उपजाऊ इलाका उनके हाथसे जाता रहा। २४ मार्च १८०५ को गवर्नर जनरलने डायरेक्टरोंके नाम बरारके इन प्रान्तोंके विषयमें लिखा था—"राजाके उन हितकर शर्तोंको नामंजूर करनेसे राजा और उसके मंत्रियोंके बयानोंसे यह स्पष्ट है कि हमने जो प्रान्त राजासे ले लिये हैं, उन्हें वह अभीतक अपने साथ अन्याय और ब्रिटिश सरकारकी ओरसे विश्वासघात समझता है।"*

रेसीडेण्ट समय समयपर सहायक फौज रखनेके विषयमें भरसक यत्न करता रहा; किन्तु रघोजी अन्ततक इस बातको टालता ही रहा। ई० सन् १८०६ में गवर्नर जनरल सर जार्ज बार्लोने सम्बलपुर और कटककी सीमापर जो रियासतें थीं, उसको वापिस कर देनेकी अनुमति दे दी।×

अँग्रेजोंको इस बातका डर था कि भोंसले अपनी रही सही ताक़तसे

---

* It manifestly appeared not merely by the Raja's rejection of those beneficial articles, but by the general tenor of his declarations and those of his ministers that the Raja still considered the alienation of the Province in question to be an act of injustice and a violation of faith on the part of the British Government."

× २४ अगस्त १८०६ में सर जार्ज बार्लोने सम्बलपुर आदि परगने लौटा देनेका प्रस्ताव किया था। उसके अनुसार निम्नलिखित इलाके भोंसलोंको वापिस किये गये—(१) सम्बलपुर, (२) सोनपुर, (३) सारंगढ़, (४) खैरागढ, (५) शक्ति, (६) शिरकोल, (७) वेनविया, (८) वोनी, (९) कौतुकपुर, (१०) पट्टन, (११) खारा पट्टन, (१२) नवागढ, (१३) घुरिलंद, (१४) टोनागीर, (१५) वोरासांबा। (भोंसले राजा जुझारसिंहके राज्यमें हस्तक्षेप न करें। उसी प्रकार राजा भी उनके राज्यमें उपद्रव न मचावे। यदि राजाने न माना, तो वह राज्य भोंसलोंको सौंप दिया जायगा।)

कहीं यशवन्तराव होलकरका साथ न दें, क्योंकि मथुरामें बैठे हुए यशवन्तरावने रघोजी भोंसलेको अपनी ओर करनेका यत्न किया था। इसलिए मार्किस वेलेस्लीने रेसीडेण्टके नाम एक पत्र भेजकर चेतावनी भी दी थी, लेकिन रघोजी इस झगड़ेसे पृथक् ही रहा। ई० स० १८०७ में मि० एलिफिन्स्टनका तबादला हो गया और वह पद मि० जेकिन्सको सौंपा गया, जिसने आगे चलकर राजकाजमें दिलचस्पीके साथ सफलता प्राप्त की।

पिंढारियोंका उपद्रव। ई० स० १८०७ में रघोजीने होशंगाबाद और सिवनी-मालवापर अपना अधिकार जमा लिया था; किन्तु पिंढारियोंके उपद्रवके कारण इस नवीन प्रान्तसे कोई लाभ नहीं पहुँचा। १८०९ में होल्कर शाहीके अमीरखाँ पिंढारीने भोपालके नवाबसे मिलकर सारे होशंगाबाद और श्रीनगरमें (नरसिंहपुर जिलेमें) अपना आतंक फैला दिया था। श्रीनगरके किलेदारने किसी कदर अपनी रक्षा कर ली थी। जान पड़ता है कि जबलपुर जिलेमें भी कुछ उपद्रव मचाया गया था। इसपर पिंढारियोंके प्रबंधके लिए नवाब सिदिक अलीखाँको रघोजीने एक बृहत् सेनाके साथ नर्मदाकी घाटियोंकी ओर भेजा था। उसी अवसरपर गवर्नर-जनरलने भी पिंढारियोंको चेतावनी दी कि यदि वे भोंसलोंके राज्यमें उपद्रव मचावेंगे, तो परिणाम ठीक न होगा। इतना ही नहीं, वरन् लार्ड मिंटोने पिंढारियोंसे लड़नेके लिए कर्नल क्लोजके साथ एक सेना नर्मदाकी ओर भेज दी और उसके खर्चेकी एक पाई भी कम्पनीने नहीं माँगी। यह अँग्रेजोंकी एक राजनीतिक चाल थी। कम्पनी चाहती थी कि नागपुरका राजवंश भी अपने यहाँ अँग्रेजी सबसीडीयरी फौजको रख ले और यह वही अमीरखाँ था जिसको प्रलोभन देकर कम्पनीने बहुतसे काम लिये थे।

दिनपर दिन पिंढारियोंका उपद्रव बढ़ता ही गया। यहाँतक कि ई० स० १८११ के सितंबरमें उन्होंने नागपुरके आसपासके गाँवोंतकको जला दिया। पिंढारियोंके झुंडमें कभी कभी २० से २५ हजार तक लुटेरे रहते थे और उनका मुखिया 'लहबरिया' कहलाता था। जहाँ कहीं इनका झुंड पहुँचता था, वहाँके लोग घरद्वार छोड़कर भाग जाते या मजबूत गढ़ियोंका आश्रय लेते थे। इनकी क्रूरता हद दरजेकी थी। लाल गरम लोहेसे दागना, मसालोंसे जलाना, मिरचीसे भरे तोबरे मुँहमें लगाना, कपड़ोंपर तेल छिड़ककर जला देना, बालहत्या, स्त्रियोंपर बलात्कार आदि तो उनके नित्यके कर्म थे। अँग्रेज़ोंने ऐसे मौकेपर सबसीडयरी-सेना रखनेका आग्रह किया; किन्तु रघोजी इस विषयको टालता ही रहा।

गढ़ाकोटाकी लड़ाई। ई० स० १८१० में भोंसलेके बख्शीने गढ़ाकोटापर चढ़ाई की, * क्योंकि वहाँके राजाने अमीरखाँ पिंढारीसे मिलकर जबलपुर प्रान्तमें उपद्रव मचाया था। जिस समय भोंसलोंकी सेनाने गढ़ाकोटाको घेर लिया, उस समय वहाँके राजा मर्दनसिंहने बड़ी बहादुरी दिखलाई; किन्तु विस्तृत सेनाको जीतना अशक्य जानकर उसने अपने पुत्र अर्जुनसिंहको ग्वालियरके सिंधियाके पास सहायता माँगनेके लिए भेजा। इसपर सिंधियाने जॉन बापटिस्टके सेनापतित्वमें अपनी सेना सहायताके लिए भेजी, इसलिए नागपुरकी सेनाको हार खाकर लौटना पड़ा।

रघोजीका अन्तिम काल। ई० स० १८१० में रघोजीकी माता चिमाबाईका देहान्त हो गया। उधर उसके भाई व्यंकोजीका बनारसमें

* देखो गढ़कोटाका इतिहास।

स्वर्गवास हो गया, जिसका पुत्र आपासाहब था। ई० स० १८१३ में रघोजीने सिंधियासे मिलकर भोपाल हस्तगत करना चाहा; किन्तु जान पड़ता है कि उसे कोई सफलता नहीं मिली। ई० स० १८१६ को दशहरेके दिन उसे कुछ ज्वर आगया था; जो अच्छा हो गया और आगे फाल्गुन तक वह चंगा रहा; परन्तु फाल्गुन कृष्ण ५ को एकदम प्रकृति बिगड़ जानेसे उसका देहान्त हो गया *। उस समय उसकी अवस्था ५८ वर्षकी थी।

रघोजीके मरनेसे ब्रिटिश कम्पनीको अपना मतलब गाँठनेका मौका मिल गया। प्रिंसेपने साफ़ लिखा है—“उस समय दरबारमें जो साजिशें ज़ारी थीं और जो घटनाएँ हो रही थीं, उन सबसे यह आशा की जाती थी कि नागपुर राज्यके साथ सबसीडियरी सन्धि करनेके लिए जिस अवसरकी इतनी दिनोंसे प्रतीक्षा की जा रही थी, वह समय अब आ पहुँचा है।”

इधर रेसीडेण्टकी साजिशें बराबर जारी थीं। दरबारके प्रमुख कर्म-चारियोंको लोभ लालच देकर अपना मतलब गाँठनेमें कम्पनीने कोई मौक़ा हाथसे नहीं जाने दिया। भोंसलोंके यहाँके कई कर्मचारी ब्रिटिश-कम्पनीकी ओरसे मुशाहिरा पाते थे, जिनका मुख्य कर्तव्य यही था कि दरबारकी सूक्ष्मसे सूक्ष्म बातें रेसीडेण्टको बताया करें†। इन्हीं कर्मचारि-योंके द्वारा राजवंशमें फूट भी डाली जाती थी।

---

* २२ मार्च सन् १८१६।

† (1) “In answer to your letter of the 6th, I beg you will do whatever you think necessary to procure intelligence. If that Jaikisanram will procure it for you or give it to you, promise to recommend him to the Governor-General and to His Excellency on the subject.” *Colebrook.*

रघोजीकी प्रकृति। रघोजीकी प्रकृति साधारणतया कट्टर थी। वह कार्यसाधनमें अत्यंत निपुण था। धनसंग्रह करनेमें भी कुशल था, इस लिए लोग उसे बनिया-राजा कहते थे। वह प्रायः कर्मचारियोंके प्रति संशयी था। उसके चार रानियाँ थीं। परसोजीकी माताका अन्तकाल पहले ही हो चुका था। दूसरी रानी पतिसे रुष्ट होकर अलग रहा करती थी। तृतीय रानी भी कुछ दिनोंतक अलग रही थी। सबसे प्यारी रानी बकाबाई थी। कहते हैं कि चिमनाबापू और बकाबाईसे अन्ततक अन-बन रही थी। रघोजी अपनी माता चिमाबाईका विशेष आदर करता था। उसका बच्चोंपर भी विशेष प्यार था और विशेषतः छोटी लड़की-पर। उसके एकमात्र पुत्र परसोजी था, इसके सिवाय दो कन्याएँ थीं।

रघोजी स्वयं राजकाजके प्रत्येक विभागका निरीक्षण करता था। बही-खातेके काममें या लेन-देनमें वह स्वयं घंटों बैठा करता था। वह अपनेको अपने कर्मचारियोंसे अधिक होशियार समझता था, इसलिए कभी कभी कर्मचारी लोग उसको फँसाते भी थे। उसका अधिकतर समय काम-काजमें बीतता था। वह वैदिक कर्म नियमानुसार करता था। प्रथम रघोजीके समयसे उसके शासनमें अनाजका भाव महँगा हो गया था।*

(2) "Before Ramchandra went away he offered his services. I recommend him to you. He appears a shrewd fellow, he has certainly been employed by the Raja in his most important negotiations. I have recommended him to the Governor General for a pension of 6000/- Rs. a year. I think he will give you useful intelligence." *Ibid.*

* Sir J. Malcolm's Revenue Report on Malwa (1820) के अनुसार प्रथम रघोजीके समयमें १ रुपयेमें १ खण्डी (२०० सेर) ज्वार

भाई-बेटोंके प्रति उसका व्यवहार सराहनीय न था। कान्होजी भोंसलेके वंशज अमरावतीकर सखोजी भोंसलेकी जायदाद उसने जब्त कर ली थी और उसी समयसे सखोजीके वंशज † नागपुरमें आकर बस गये थे।

दरबारके प्रमुख कार्यकर्ता। ई० स० १८०४ में × रघोजी द्वितीयके दरबारमें निम्नलिखित प्रमुख कार्यकर्त्ता थे—

(१) प्रधान पदपर पण्डित श्रीधर बापू (मुंशी) था। (२) यशवंतराव रामचन्द्र देवगाँवकी सुलह करानेमें भोंसलोंका प्रतिनिधि था। पहले वह हैदराबाद और इंदोर दरबारमें रहा था। (३) जयकृष्णराव भोंसलेकी ओरसे रेसीडेन्सीके कामकाजपर था। वह सिंधियाके वकील बालाजी यशवंतके साथ २९ नवंबरको जनरल वेलेस्लीके साथ युद्ध बन्द करवाने गया था। (४) बाबाजी चिटनवीसकी नियुक्ति साताराके महाराजाके यहाँसे हुई थी। (५) गंगाधर नायक चिटनवीस, (६) भवानी काल्ह दीवान, (७) बाबाजी कालीकर प्रमुख कोषाध्यक्ष, (८) रामाजी कारू नागपुरका कलेक्टर तथा अदालतका प्रमुख कर्मचारी, (९) बापू हुद्दार गोंड़वानेका सूबेदार, (१०) महादजी अमृत राजाके परवानोंपर दस्तखत करनेवाला,

---

मिलती थी। जानोजीके समयमें एक रुपयेमें आधी खंडी, मुधोजीके समयमें ७५ सेर और रघोजी द्वितीयके समयमें ४० सेर मिलने लगी थी।

† Ranoji (The great grandfather of Sukhoji II) is the head of the famiiy called Amraotikar Bhonsle and has a small place of land at Amraoti in Berar. He used to receive large amount and occasional presents (see Jenkin's Report)

× List of Ministers at the Nagpur Court, submitted by the Hon'ble Mr. Elphinstone on 24th March 1804 A. D. एलीफिनिस्टनकी सूचीके अनुसार।

(११) शिवराम काका राजाके सम्मुख बहीखाते पेश करनेवाला, (१२) बालाजी नारायण जवाहिरातका हिसाब रखनेवाला, (१३) दुकाजी कोरके राजाका निजी खजानची, (१४) अलफुद्दीन ऊँटोंके महकमेंका प्रमुख, (१५) भवानराव भोंसले हाथियोंकी देखरेख रखनेवाला, (१६) धर्माजी भोंसले मुसाहिब, (१७) व्यंकोजी भोंसले मुसाहिब, (१८) संभाजी कासार पोतदार, (१९) रामचंद्र वाघ व्यंकोजी भोंसलेका मुसाहिब, (२०) चंदाजी भोंसले व्यंकोजीका मुसाहिब, (२१) सीताराम सदाशिव व्यंकोजीका दीवान, (२२) कृष्णराव व्यंकोजीका फड़नवीस, (२३) यशवंत खण्डेराव माँ साहबका दीवान, (२४) भिकाजी व्यंकोजीका चिटनवीस ।

परसोजी भोंसले ।

महाराजा रघोजीराव भोंसले द्वितीयका एकमात्र पुत्र परसोजी था, जो ३८ वर्षकी ही अवस्थामें अमर्याद भोग-विलासके कारण अंधा और लंगड़ा हो जानेसे राजकाजके लिए अयोग्य था । वह प्रायः नाना प्रकारके रोगोंसे ग्रसित रहता था । एक मात्र उत्तराधिकारीकी ऐसी अवस्थामें राजप्रबंध किसे सौंपा जाय, इसका ऊहापोह महलोंमें होने लगा । परसोजीकी सौतेलीमाँ बकाबाई राजप्रबंधको अपने हाथमें रखना चाहती थी; किन्तु व्यंकोजीका पुत्र मुधोजी (उर्फ आपासाहब) स्वयं इसके लिए इच्छुक था । क्योंकि परसोजीके अतिरिक्त इस वंशका वही एक मात्र दीपक था । इधर महारानी बकाबाईने दरबारके कुछ सामन्तोंको अपनी ओर मिलाकर स्वयं राजकाज करना शुरू किया । इससे उसका आपासाहबके प्रति क्या मत था, यह स्पष्ट हो जाता है । बकाबाईके प्रमुख सलाहकार गुजाबादादा गुजर और धर्माजी भोंसले थे ।

दरबारके कई अन्य प्रमुख सामन्त आपासाहबके पक्षमें थे, जिनमेंसे नारायणराव तथा नागोपण्डितका भीतरी सम्बन्ध रेसीडेण्टसे था। इनके द्वारा रेसीडेण्टने सबसीडियरी फौज रखनेके लिए उद्योग आरंभ कर दिया, और उन्हें हजारों रुपयोंका लालच दिखलाया। ऐसे ही लोगोंकी सहायतासे ई० स० १८१६ के अप्रेलमें बकाबाईसे आपासाहबने सारा अधिकार छीन लिया; परन्तु राज्य-सूत्रके प्राप्त हो जानेपर भी वह स्वस्थ न हो सका और हमेशा विरोधी स्वप्न देखने लगा। सैनिक व्यय दिनपर दिन बढ़ रहा था। ऐसी दशामें वह सैनिक व्यय भी घटा नहीं सकता था; क्योंकि वह डरता था कि कहीं बकाबाईके पक्षके लोग उसके विरुद्ध न हो जायँ। इस परिस्थितिमें रेसीडेण्टकी प्रेरणासे नागो तथा नारायण पण्डितने अँग्रेजोंकी सहायक फौज रख लेनेके विषयमें आपासाहबको राय दी; क्योंकि यह प्रश्न कई वर्षोंसे (मृत रघोजी द्वितीयकी जीवितावस्थासे) उठ रहा था। अपना मतलब गाँठनेके लिए रेसीडेण्टको आपासाहबके समान आदमीकी जरूरत थी। क्योंकि वह अभी राजनीतिक कार्योंसे अनभिज्ञसा था। उसकी भलाई या बुराईका सारा दारोमदार राज्य-संचालकोंके हाथमें था। वह तो केवल अपने मंत्रियोंके हाथका कठपुतला था; जो कि अँग्रेजोंसे घूँस खा रहे थे। उन मन्त्रियोंकी गुप्त मन्त्रणासे आपासाहब सबसीयरी फोर्स (सहायक-फौज रखने) की सुलहके लिए राजी हो गया। २८ मार्चको सुलहनामेका एक खरीता गुप्त रीतिसे तैयार किया गया और कहते हैं कि अर्ध रात्रिके समयमें उसपर आपासाहबसे हस्ताक्षर करवाये गये। नागपुरके भोंसलेकी स्वतंत्रता जानेका यही अन्तिम दिवस था। उस समय आपासाहबकी अवस्था केवल २२ वर्षकी थी। यद्यपि राज्यका अधिकारी परसोजी ही था; किन्तु राजकाजके लिए अयोग्य होनेसे ब्रिटिश कम्पनीने उसके प्रतिनिधिकी हैसियतसे आपासाहबसे उस खरीतेपर दस्तखत करा लिये।

उक्त सुलहनामेकी शर्तें इस प्रकार थीं—

(१) इस सुलहसे दोनों राज्योंकी स्वस्थता, एकता और मित्रभावकी वृद्धि होगी। एक राज्यका मित्र या शत्रु दूसरे राज्यका मित्र या शत्रु माना जायगा। इसके पूर्वकी सुलहकी शर्तें, यदि इसको प्रतिबाधक न हों, तो वे कायम समझी जायँगी।

(२) महाराजा परसोजी भोंसलेपर किसी कारणसे कोई राजा द्वेष या आक्रमण करेगा, तो उसका प्रबंध कम्पनी स्वयं अपना काम समझ-कर करेगी।

(३) कम्पनी सरकारने जिस प्रकार भोंसलेके लिए उसके शत्रुसे लड़नेका और नागपुर-राज्यकी रक्षाका भार अपने ऊपर लिया है, उसी तरह भोंसलेको अपने लिए या शत्रुओंसे लड़नेके लिए अपनी निजी सेना सौंपना चाहिए। इतना ही नहीं, बरन् कम्पनीके मित्रोंके लिए भी उन्हें यही व्यवहार करना होगा।

(४) भोंसलेके यहाँ कम्पनीकी (१ पलटन घुड़सवारोंकी, ६ पल-टनें पदाति सैनिकोंकी, १ युरोपियन गोलंदाज कम्पनी और १ टोली स्यापरस व मायनरसकी) सेना मय सामानके रहेगी। दो काली पलटनें महाराजाके संरक्षणार्थ नागपुरमें और बाकी सेना नर्मदाके दक्षिणी तट-पर रक्खी जावेगी। राज्यमें आने जानेकी रुकावट न रहेगी। नागपुरमें जो दो काली पलटनें रहेंगी, उनमेंसे एक पलटन नर्मदा तटकी छावनी-पर भेजी जा सकेगी; किन्तु एक पलटनसे कम किसी अवस्थामें भी न रहेगी।

(५) शर्त नं० ४ के अनुसार भोंसलेके लिए जो सेना रक्खी जायगी, उसके खर्चके लिए ७॥ लाख नागपुरी रुपये दो किश्तोंमें कम्पनी लेगी। पहली किश्त दिसंबरमें और दूसरी जूनमें।

(६) रकमके एवजमें भोंसले यदि कम्पनीको राज्यका कोई हिस्सा देना चाहेंगे, तो उसकी कमी या बेशी दोनोंकी रायसे होगी; किन्तु तबतक रकम बराबर पटती रहेगी। रकमकी अदाईमें विलंब या कोई अड़चन आ जावे, तो उस समय सारी रकमके एवजमें भोंसलेको राज्यका हिस्सा (जो दोनोंकी रायसे तय होगा) सौंपना पड़ेगा; किन्तु यदि रकम बराबर पटती रही तो कम्पनीको राज्यका हिस्सा माँगनेका अधिकार न रहेगा।

(७) शर्त नं० ४ में वर्णित सेनासे अधिक रखनेकी आवश्यकता हुई, तो कम्पनी अस्थायी सेना रक्खेगी; किन्तु उसका व्यय कम्पनी स्वयं सहेगी। इसके लिए भोंसलेकी ओरसे कोई रुकावट नहीं होगी।

(८) राज्यमें सैनिक सामग्री खरीदनेका प्रतिबंध न रहेगा। अन्न, वस्त्र, जानवर, घोड़े, ऊँट आदि जो सामान खरीदा जायगा, उसपर कर नहीं लगेगा। भोंसले तथा उनके वंशजोंका संरक्षण, विद्रोहकी शान्ति, या बाहरी शत्रुओंसे लड़ना ये कार्य यह सेना करेगी; किन्तु अन्य काम नहीं करेगी।

(९) भोंसले स्वयं कम्पनीके मित्र राजाओंसे द्वेष न रक्खें। यदि कोई झगड़ा हो जाय, तो कम्पनी उसका जो फैसला कर देगी; वह भोंसलेको मानना पड़ेगा।

(१०) महाराजाको अपने परिवार और आश्रितोंपर अधिकार चलानेकी पूर्ण स्वाधीनता होगी तथा अन्य भारतीय नरेशोंसे व्यवहार करनेके लिए कम्पनीकी अनुमति लेनी आवश्यक होगी।

(११) शर्त नं० ३ में महाराजाकी जो सेना रहेगी, उसमें निदान तीन हजार घुड़सवार और दो हजार पदाति सैनिक रहेंगे और आवश्यकतानुसार यह सेना बढ़ाई जा सकेगी।

(१२) उक्त शर्तके अनुसार सैन्य बढ़ानेके लिए रेसीडेण्टकी राय आवश्यक होगी।

(१३) शर्त नं० ११ की सेनाका उपयोग कम्पनी सरकार आस-पासके रजवाड़ोंमें भी कर सकेगी।

(१४) परस्परमें असंतोष या वैमनस्य फैलानेवाली व्यक्तियोंकी सहायता न की जायगी।

(१५) ४० दिनके भीतर गर्वनर-जनरलकी मंजूरी मिल जायगी और शर्त नं० ३ के अनुसार सेना जुटा दी जायगी।

आपासाहबकी ओरसे नागो पण्डित और नारो पण्डितने इस सुलहको सफल करानेमें प्रमुखतासे भाग लिया था। कहा जाता है कि उनको कम्पनीकी ओरसे २५ और १५ हजार रुपये पुरष्कार मिला था। इसके लिए स्वयं आपासाहब और उनका मन्त्रि-मण्डल दोषी माना जायगा। यदि भोंसलोंके दरबारमें कोई राजनीतिज्ञ कर्त्ता धर्त्ता पुरुष होता, तो वह अवश्य ही इस कार्यको रोक देता। "हाथी बुरा होता है हाथीवानके दोषसे"। महारानी बकाबाई, परसोजीकी रानी काशीबाई और गुजाबा-दादा गुजर इस सुलहसे नाराज थे; किन्तु ये लोग कर ही क्या सकते थे! अपंग राजा भी लाचार था। अँग्रेज रेसीडेण्टने जो कुछ किया वह अँग्रेजी साम्राज्यके लिए लाभकारी था।

सुलहकी चौथी शर्तके अनुसार १८ जूनको अँग्रेजी सेनाने इस राज्यमें प्रवेश किया। चौमासा बीतनेपर पिंढारियोंके उपद्रवको शान्त करनेके लिए यह सेना नर्मदाकी ओर भेजी गई। अँग्रेजी सेनाके आने-पर आपासाहब राजमहलमें रहना खतरनाक जानकर तेलंगखेड़ीके बागमें जाकर रहने लगे जहाँपर कि अँग्रेजी सेनाकी छावनी थी। उन्हें भय



आपासाहब भोंसले ।

था कि न जाने कब विरुद्ध पक्ष क्या कर बैठे; किन्तु जब उन्हें विश्वास हो गया कि अब व्यवस्था ठीक हो गई है, तब वह राजमहलमें वापिस आकर रहने लगे।

इस प्रकार ई० स० १८१६ भी बीत गया। नवीन वर्षके आरंभमें आपासाहब चाँदाकी ओर गये और १ फरवरीकी सुबहको परसोजी महलमें मरे हुए पाये गये। उनके इस तरह अकस्मात् मरनेका कारण मुधोजी या आपासाहबका षड्यंत्र बतलाया गया। परसोजीके शवके साथ उनकी रानी काशीबाई सती हो गई। सारे संस्कारोंकी समाप्ति हो चुकनेपर आपासाहब चाँदासे वापिस आये। नागपुरके वंशमें काशीबाई ही पतिके साथ सती हुई। जिस स्थानपर वे सती हुईं, इस समय वहाँ एक विशाल मन्दिर विद्यमान है। पुराने लोग बतलाते हैं कि परसोजीका अन्त उनके अंडकोषोंको दबानेसे हुआ था। यह सत्य है कि आपासाहबकी प्रेरणासे ही परसोजीका अन्त हुआ; क्यों कि वे परसोजीको नष्ट करनेपर स्वतंत्रतापूर्वक राजकाज करना चाहते थे।

आपासाहब भोंसले।

परसोजीके पश्चात् आपासाहब स्वतंत्रतापूर्वक राजकाज करने लगे और ‘ सेनासाहब सूबा ’ का परिधान प्राप्त करनेके लिए उन्होंने पेशवा बाजीरावके पास अपने कर्मचारी पूना भेजे। बाजीराव इस समय अँग्रजोंकी प्रभुता पूनासे दूर करनेके यत्नमें थे और इस प्रयत्नका पता उन्होंने रेसीडेण्ट एल्फिन्स्टन तकको नहीं लगने दिया था। २१ अप्रेलको आपासाहबने सार्वजनिक रीतिसे अपना राज्याभिषेक संपन्न कराया और साथ ही बाजीरावकी भाँति अँग्रेज कम्पनीसे युद्ध करनेका निश्चय किया।

इसी अवसरपर नवंबर मासमें नर्मदाकी ओर पिंढारियोंके प्रबंधके लिए नागपुरसे सेना भेजी गई। यह तय हुआ कि आपासाहब भी अपनी सेना कम्पनीकी सहायतार्थ भेजें; परन्तु उन्होंने सेना न भेजी और नवीन भर्ती जारी कर दी। आपासाहबकी खासगी सेनामें आठ हजार घुड़सवार और उतने ही अन्य सैनिक तैयार थे। उनमेंसे आधेसे अधिक अरब थे। १४ नवंबरको नागपुरमें यह समाचार पहुँचा कि पूनामें पेशवाने अँग्रेजोंपर चढ़ाई कर दी है। रेसीडेण्ट जेकिन्सको आपासाहबकी नीतिका भी कुछ कुछ पता लग चुका था; अतएव उसने कर्नल स्काटको सेनासहित नगरधनसे नागपुर बुलवा लिया और कर्नल गेहनको जो इस समय होशंगाबादकी ओर था, नागपुर आनेकी सूचना दे दी। जालनाकी छावनीमें साँड़नी-सवार भेजकर रेसीडेण्टने जनरल डोव्हटनको भी शीघ्र ही नागपुर पहुँचनेकी इत्तिला भेज दी। आपासाहबके इस षड्यंत्रका पूरा पता महारानी बकाबाईकी एजेन्सीसे ही रेसीडेण्टको मिलता था!

२४ नवंबरको बाजीरावकी ओरसे परिधान तथा जरी-पटका पहुँच गया। पेशवाने मराठा-संघके 'सेनापति' का पद भी आपासाहबको समर्पण किया था। दूसरे ही दिन नागपुरके निकट सकरदरेपर बड़े समारोहके साथ परिधान धारण करनेका उत्सव मनाया गया। रेसीडेण्टको भी उपस्थित रहनेका निमंत्रण दिया गया। रेसीडेण्टने आपासाहबको सब तरहसे समझाया; किन्तु उसका कोई फल न हुआ। शामको आपासाहबने स्वयं टाकलीकी छावनीमें पहुँचकर अपनी सेनामें मराठा-संघके सेनापति होनेकी घोषणा जाहिर की और दूसरे दिनसे रेसीडेण्टसे पत्रव्यवहार करना बन्द कर दिया।

सीताबर्डीका युद्ध। इस परिस्थितिको देखकर रेसीडेण्टने अपनी

रक्षाके लिए कर्नल स्काटको सम्पूर्ण फौजी व्यवस्था सौंप दी। स्काटने अपने सैनिकोंको लेकर सीताबर्डीकी पहाड़ीपर अपना अधिकार जमाकर वहींपर अपना मोर्चा लगा दिया। इसी टेकड़ीपर अरब पलटनने अपना मोर्चा लगाना चाहा था; किन्तु राजाकी आज्ञामें विलंब हो जानेसे स्काटको वहाँ पहुँचनेका अवसर मिल गया। यदि अरब उस टेकड़ीपर अपना अधिकार जमा लेते, तो रेसीडण्टको और उसके सैनिकोंको अपनी रक्षा करना कठिन हो जाता। किलेके पूर्वकी ओर अरब सैनिकोंकी छावनी थी। २५ तारीखकी रात्रि मनभट और गणपतराव परांजपेने वहींपर व्यतीत की। कॅप्टन सॅडलर २४ वीं पलटनके ३०० सैनिकोंके सहित किलेके उत्तरीय कोनेपर और बाकी ८०० सैनिक दक्षिणी पहाड़ीपर थे। घुड़सवार रेसीडेन्सीको घेरकर खड़े थे।*

२६ नवंबरके ३ बजेसे अरब सैनिकोंने पहाड़ीपर आक्रमण करके कुछ हानि तो पहुँचाई; लेकिन वे उसपर अधिकार न जमा सके। तब उन्होंने ३६ तोपें मोर्चेपर लगा दीं। ५ बजेके समय २४ वीं पलटनके सैनिक थक गये थे; किन्तु उन्होंने किसी कदर वह दिन पूरा किया। दूसरे दिन सूर्योदयके समय युद्ध जारी हो गया। ९ बजेके लगभग उत्तरकी ओरसे पहाड़ीपर अरब सैनिक चढ़ने लगे; किन्तु दैवयोगसे बारूदखानेमें आग लग जानेसे जो धुआँ फैला, उससे अँग्रेज सैनिक घबरा गये और उनके पास जो तोप थी, उसे अरबोंने छीन लिया। दक्षिणी हिस्सेमें जो सैनिक थे, वे उत्तरीय सेनाकी दशा देखकर घबरा गये। कई अरब सैनिक अँग्रेज घुड़सवारोंकी झोपड़ियोंको जलानेमें लग गये और यह निश्चय

* Reprint of Document regarding the action at Sitabuldi on 26th November 1817 and the subsequent operation near Nagpur.

हो गया कि अब रेसीडेन्सीपर अरबोंका अधिकार हो जायगा। ऐसी दशामें रेसीडेन्सीके पास जो घुड़सवार खड़े थे, उनको लेकर कॅप्टन फिटजरा-ल्डने अपनी जिम्मेदारीपर (कर्नल स्काटकी अनुमति न होने पर भी) भोंसलेके सैनिकोंपर आक्रमण किया और रेसीडेन्सीके निकट जो सैनिक पहुँच रहे थे उनको भगाकर तोपखानेपर हमला किया। इसका परि-णाम अच्छा हुआ। अरब सैनिक निराश होकर भागने लगे और दो तोपें अँग्रेज़ोंके हाथ लगीं। यह कार्य देखते ही पहाड़के सैनिकोंको भी जोश आ गया; किन्तु बारूदखानेमें आग लग जानेसे अरब घबराकर किलेसे उतर गये। अरबोंने फिरसे सँभलकर दुबारा किलेपर आक्रमण किया; किन्तु अँग्रेजी घुड़सवारोंने उन्हें पीछे हटा दिया। दोपहरके बीतनेपर युद्धका जोश कम हो गया। इस समय तक कम्पनीके ३६७ सैनिक मारे गये; जिनमेंसे १२ युरोपियन कर्मचारी थे। रेसीडेण्टका फर्स्ट असिस्टंट मि० सोथबे मारा गया। यह छोटासा युद्ध ७ प्रहर तक हुआ।

इसी समय आपासाहबने नारायणरावके द्वारा यह संदेशा कहलाया कि इसमें मेरा कुछ कसूर नहीं है और मैं रेसीडेण्टसे सुलह करना चाहता हूँ। बकाबाईके द्वारा यह वृत्तान्त इसके पूर्व ही जेन्किन्सके पास पहुँच गया था।× रेसीडेण्टके पास सैन्यबल कम था, इससे वह भी सुलह करना चाहता

* Government Gazette, Thursday Jan. 1, 1818 Immediately after the action of the 27th Baca, the widow of Raghoji Bhonsle, dispatched a message to Mr. Jenkins soliciting his protection and denying all concurrence in the conduct which had brought on the breach of tranquility that has taken place.

था; इसी समय उसे यह संदेश मिला। २९ तारीखको होशंगाबादसे सेना लेकर कर्नल गेहन नागपुर पहुँच गया और ५ दिसंबरको निजामकी सेना लेकर लीली पहुँच गया। इसके एक हफ्ते बाद जनरल डोव्हटन पाँच काली पलटनें, बंगालके घुड़सवारोंकी एक पलटन, रायल पलटनकी दो टुकड़ीं और एक तोपखाना लेकर नागपुर आ पहुंचा। अब रेसीडेण्टने अपना विराट्-स्वरूप प्रकट किया।

१५ तारीखको रेसीडेण्टने आपासाहबके पास यह संदेशा भेजा कि वह बिना किसी शर्त्तके हमारे स्वाधीन हो जावे और राज्य हमें सौंप दे। यदि वह इसे मंजूर करेगा तो उसका राज्य वापिस दे दिया जायगा। इसका उत्तर उसी रोज ४ बजे तक माँगा गया था; परन्तु दूसरे दिन प्रातःकालके ६ बजे यह कहा गया कि सैनिक मुझे बाध्य कर रहे हैं, इसलिए ३ दिन का समय और दिया जावे। इसपर रेसीडेण्टने कहला भेजा कि ३ घंटेसे अधिक समय नहीं दिया जा सकता और इस बीचमें आपासाहबको स्वयं आकर रेसीडेण्टकी शर्त्तोंका पालन करना चाहिए। अन्यथा सेनाको आगेकी कार्यवाहीकी आज्ञा दी जायगी।

इस प्रकारका संदेशा पाते ही आपासाहब घबराकर विनायकरावको साथ लेकर रेसीडेन्सीपर गये। देर हो जानेके कारण जो अँग्रेजी सेना तैयार थी, उसे तोपखानेपर अधिकार जमानेकी आज्ञा दे दी गई थी। उस समय गणपतराव और मनभटने तोपख़ाना देनेसे इन्कार करके मार चालू कर दी; जिसमें अंग्रेजोंके १४१ सैनिक काम आये। कुछ देर तक युद्ध करके तोपखाना छोड़कर अपने सैनिकों सहित मनभट शहरके परकोटेके भीतर चला गया और गणपतराव अपनी सेनाको लेकर पेशवाकी सहायता लानेके लिए चौंदाकी ओर रवाना हो गया।

यह छोटासा युद्ध नाग नदीके तटपर हुआ था। शहरमें पहुँचकर मनभट तथा अरबोंने अपनी लड़नेकी व्यवस्था की। उस समय शहरमें ५ हजार हिन्दुस्थानी और ६ हजार अरब सैनिक लड़नेके लिए तयार थे। उनसे रेसीडेण्टने हथियार रख देनेके लिए कहा; किन्तु उनके इन्कार करनेपर ता० २४ को जनरल डोव्हटनको शहर खाली करानेकी आज्ञा दे दी गई। जुम्मा दरवाजेके आक्रमणके समय डोव्हटन स्वयं उपस्थित था। तुलसीबागकी ओरसे कर्नल स्काटने हमला किया था। यहाँपर अँग्रेजोंके २६९ सैनिक काम आये; किन्तु सफलता न मिली। उस समय आपासाहब अँग्रेजी छावनीमें रक्खे गये थे। सैनिकोंने जब देखा कि राजा और उनके सलाहकार तक उनका विरोध करते हैं; तब उन्होंने कुछ शर्तोंपर शहर खाली करनेके लिए संदेशा भेजा। रेसीडेण्टने उनके मुखियोंको बातचीतके लिए अपने यहाँ बुलवाया। उस समय अरबोंका मुखिया पीरजादा कुछ सैनिक लेकर जेन्किन्ससे मिला। रेसीडेण्टने यह शर्त मंजूर कर ली कि वे लोग अपने बाल-बच्चे तथा सम्पत्ति लेकर अन्यत्र चले जायँ। इस शर्तके अनुसार वे लोग शहर खाली करके अन्यत्र चले गये। इस प्रकार ३० दिसंबरको नागपुरके राजप्रासादपर अँग्रेजी झंडा फहराया गया, जिसका उल्लेख स्वयं डोव्हटनने अपने पत्रमें किया है—

"British flag is now flying on the old palace."

अरब सैनिकोंको बाल-बच्चोंसहित मलकापुर तक पहुँचानेकी व्यवस्थाका भार एक अफसरपर सौंपा गया।

समझौतेकी शर्तें। सब प्रकारकी व्यवस्था हो जानेपर ६ जनवरी १८१८ को आपासाहबसे निम्नलिखित शर्तें मंजूर कराई गईं—

(१) गवर्नर जनरलके निर्णय तक आपासाहब निम्नलिखित शर्तोंपर गद्दीपर बिठलाया जावेगा।

(२) सहायक फौजके लिए नर्मदाके दोनों तटका इलाक़ा, बरारका इलाका (जो इस समय तक नागपुर राज्यके अन्तर्गत रह गया है), गाविलगढ़, सिरगुजा और जसपुर प्रान्त आपासाहब कम्पनीको सौंप दे।

(३) नागपुर-राज्यके जो कर्मचारी कम्पनीके विश्वासपात्र हैं, वे रेसीडेण्टकी रायसे कार्य करेंगे। राजा राजमहलमें रहेगा और उसका संरक्षण कम्पनीका रिसाला करेगा।

(४) गवर्नर जनरलके अंतिम निर्णय तक पूर्वके अनुसार सहायक फौजका खर्चा बराबर पटाया जावे।

(५) राज्यका जो किला कम्पनी चाहेगी, उसे आपासाहबको सौंपना होगा।

(६) जिन कर्मचारियोंने १६ दिसंबरको या उसके पश्चात राजाकी आज्ञाकी अवहेलना की है, उनको आपासाहब दंड देवें या कम्पनीको सौंप देवें।

(७) सीताबर्डीकी दोनों पहाड़ियोंपर, आसपासकी भूमिपर और बाजारपर कम्पनी सरकारका अधिकार रहेगा।

आपासाहबका षड्यंत्र। ३ रोजके पश्चात् ९ तारीखको स्वयं रेसीडेण्टने आपासाहबको महलमें ले जाकर पुनः गद्दीपर बिठलाया। उस समय महलके चारों ओर ब्रिटिश सैनिकोंका कड़ा पहरा था। युद्ध होनेके पूर्व ही आपासाहबने अपना खज़ाना भंडाराकी ओर भेज दिया था; किन्तु १९ जनवरीको वह ब्रिटिश सैनिकोंकी निगरानीमें पुनः नागपुर लाया गया। २२ तारीखको जनरल डोन्हटन नागपुरसे सेना लेकर दक्षिणकी ओर चला गया और रास्तेमें उसने आपासाहबकी आज्ञा लेकर गाविलगढ़ और नरनालाके क़िलोंपर अपना अधिकार जमा

लिया। रेसीडेण्टने भोंसलेसे जो इकरार नामा किया था, उसे गवर्नर जनरलने मंजूर कर लिया* ।

१५ जनवरीको मॉक मोरिनने श्रीनगरके क़िलेपर अपना कब्जा कर लिया; केवल धामोनी, चौरागढ़ और मण्डलाके किले प्राप्त न हो सके। कहते हैं कि यहाँके क़िलेदारोंको राजाने यह भीतरी हुक्म दिया था कि वे क़िले अँग्रेज अधिकारियोंको न सौंपें; यहाँ तक कि यदि प्रकट रूपसे आज्ञा दी जावे, तो भी वे उसकी अवहेलना करें । यह बात कहाँ तक सत्य है, यह नहीं जासकता ।

इतना सब होनेपर भी आपासाहबके ढंग पूर्ववत् ही रहे और उनकी सच्ची-झूठी रिपोर्ट महलोंके गुप्तचरोंसे बराबर रेसीडेण्टको मिलती रही। इस एजेन्सीकी मुखिया महारानी बकाबाई स्वयं थीं। आपासाहबको बकाबाई गद्दीपर बैठे देखना नहीं चाहती थीं, इस लिए जान पड़ता है कि आपासाहबपर आगे चलकर षड्यंत्रका जो अभियोग लगाया गया उसमें बकाबाईने आहुति डालनेमें कमी नहीं की। जिस समय किसीका मत किसीके विपरीत होता है, उस समय छोटीसे छोटी बात भी भयंकर माऌम होती है । संभव है कि रेसीडेण्टकी विपरीत आशंकाको दृढ़ करानेमें बकाबाईने ही अधिक भाग लिया हो; क्योंकि वह चाहती थीं कि आपासाहब गद्दीसे उतारा जावे और परसोजीकी द्वितीय रानी दुर्गाबाईको अपनी पुत्रीका पुत्र गोद दिलवाकर उसे राज्याधिकारी बनाया जाय ।‡

* 1859 Administration of the Nagpur Province, page 21. [This provisional engagement was confirmed by the Governor-General]

‡ इसका समर्थन केप्टन बेलके मेमोरंडमसे होता है जो कि उसने १६ अक्टूबर स० १८५६ में भारत-सरकारके पास भेजा था—

Chief part she took in those palace counterplots which twice led to arrest of Appa Saheb.

अभाग्यवश १५ मार्चके लगभग बाजीराव पेशवा वर्धा नदीके किनारे-तक पहुँच गया। उस समय आपासाहब नागपुरसे भागकर पेशवासे मिलना चाहते थे, इसी अभियोगपर दूसरे दिन रेसीडेण्टने महलमें जाकर आपासाहबको नागोपण्डित और रामचंद्र वाघके सहित गिरफ्तार कर लिया। रेसीडेण्टने अपनी रिपोर्टमें लिखा है कि उन लोगोंने अपने दुष्कृत्य स्वीकृत भी कर लिये थे। ×

वर्धाके किनारे पहुँचते ही रेसीडेण्टने पेशवाकी सेनाको रोकनेके लिए कर्नल स्कॉटको सेनासहित भेज दिया था। १७ अप्रेलको कर्नल अडाम्सने जो पेशवाका पीछा करता आ रहा था, चाँदाके निकट पेशवाको फिर हराया और २ मईको चाँदा हस्तगत कर लिया। अतएव पेशवाका आगे बढ़नेका मार्ग रुक गया और उसे वापिस लौट जाना पड़ा।

आपासाहब और उसके साथीदार पकड़कर किलेमें रक्खे गये और उनके भविष्यके विषयमें रेसीडेण्टने पत्रद्वारा गवर्नर जनरलकी राय माँगी। उसके उत्तरमें यह आज्ञा दी गई कि आपासाहब साथीदारोंके सहित अलाहाबाद भेज दिया जावे। २ मईको आपासाहबने कैदी बनकर नाग-पुरसे अंतिम बिदाई ली। रास्तेमें जबलपुरके निकट रायचूर नामक स्थानमें १३ मईको पहरेदारोंको लोभमें फँसाकर आपासाहब महादेव पहाड़की ओर भाग गये। कहते हैं कि वहाँ पिंढारियोंके प्रमुख अगुआ चीतूसे उनकी भेंट हो गई थी। वहाँपर कुछ उपद्रव मचाकर फ़रवरी मासमें आपासाहब असीरगढ़के किलेमें जा रहे; किन्तु १८ अप्रेल

× Jenkins Report 1827, page 61. "The Raja and his ministers Nagu Pandit, now confessed the whole of the plans. The guilt, also, of Appasahab in the murder of his relation and sovereign, Parsoji, had at this period come to light."

स० १८१९ में असीरगढ़के किलेपर अँग्रेजोंका अधिकार हो गया और फिर आपासाहबका पता नहीं चला। कुछ वर्षोंके पश्चात् मालूम हुआ कि आपासाहब जोधपुरमें हैं और अन्ततक वे वहीं रहे। ¶

बाजीराव अर्थात् रघोजीराव भोंसले (तृतीय)।

आपासाहबके भाग जानेपर नागपुरका सम्पूर्ण राज्य रेसीडेण्टके हाथ आ गया और महारानी बकाबाईकी महत्त्वाकांक्षा सफल हुई। तब रेसीडेण्ट मि० जेकिन्स तथा राजमाता बकाबाईके परामर्शसे मृत महाराजा परसोजी भोंसलेकी द्वितीय रानी दुर्गाबाईने बाजीरावको* मराठी परम्पराके अनुसार दत्तक लिया। यह उत्सव २६ जून १८१८ को मनाया गया। बाल राजाकी अवस्था १० वर्षकी थी, इस लिए गवर्नर-जनरलकी रायसे¶ राज्यका मुल्की इंतजाम रेसीडेण्टको सौंपना आवश्यक था।

¶ जोधपुरकी ख्यातमें लिखा है कि " नागपुरका राजा अंग्रेजी सरकारका डरसुं दो चार आदमियांसुं महामन्दिर छानो आयो । श्री हजुर मालम हुई तरे शरणें राख लियो । महामन्दिररा महलां मांय डेरो करायो । अंग्रेज मांगियो पण दियो नहीं, घणा बरसां पीछे अठे महा मंदिरमें हीज चालियो । "

* बाजीराव महाराजा रघोजीराव भोंसले द्वितीयकी कन्या पणूबाईका पुत्र था। गद्दीपर बैठनेके समय उसका नाम रघोजीराव (तृतीय) रक्खा गया।

¶ Governor General has resolved upon the establishment of, the grandson of the late Raja Raghoji Bhonsle by his daughter, Balasahib in the dignity of Raja.

" The territory conquered from Appasahib by the British arms will be conferred upon the new Rajah, after such deductions as the British Government may think proper to make. "

" Accordingly on the 18th June 1818, the Resident was thus addressed:—'you are apprised that the



सेनासाहब सूबा रघोजीराव (बाजीराव) भोंसले
और रेसिडेंट मि० जेन्किन्स

[पृ० १७२

उस समय मैसूरके दीवान पूर्णय्याके समान राजनीतिज्ञ दीवान नागपुर-दर्बारमें एक भी न था, साथ ही राज्यका शासन भी बिगड़ रहा था । इस लिए राजाकी नाबालिगी खत्म होने तक प्रबंधका भार रेसीडेण्टको और राजमहल तथा राजवंशके प्रबंधका भार महारानी बकाबाई और गुजाबा दादाको सौंपा गया ।

रीजेंसी कायम हो जानेपर रेसीडेण्टने नागपुर-दर्बारके सभी विभागोंकी (Departments) जाँचके लिए एक अँग्रेज कर्मचारी नियत किया और देवगढ़, चाँदा और छत्तीसगढ़ प्रान्तोंके शासनके लिए अँग्रेज सुप्रिटंडेण्ट मुकर्रर किये गये। राजमहलके निजी-खर्चमें कमी करनेकी गुंजाइश थी; क्योंकि इस विभागकी बहुतसी रकमें महलके कामदारोंके जेबमें जाती थीं। इसलिए खासगीका खर्च चुकानेके लिए भी एक अँग्रेज अधिकारी तैनात कर दिया गया जो कि महारानी बकाबाईके गुमाश्तेके तौरपर काम करने लगा। आगे चलकर यह पद गुजाबा दादा गूजरको सौंपा गया ।

राज्यका सैनिक प्रबंध रेसीडेण्ट और उसके पर्सनल असिस्टेण्टके हाथमें था। अदालतका काम यद्यपि राज्यके पुराने कर्मचारियोंको सौंपा गया था;

Governor-General contemplated elevating to the Mansad of Nagpur the infant son of Nana Gujar by a daughter of the late Raja Raghoji Bhonsalah and you will have been prepared to give effect to that resolution. Should you not already have done so, under the geneal sanction deducible from the former instruction, you will be pleased to proclaim the young prince Raja of Nagpur and to invite Baka Bai to exercise the office of Guardian of the young Rajah and regent of the state."

किन्तु उसकी निगरानीपर भी एक अँग्रेज़ अफ़सर नियत था, जो शहरका पुलिस-प्रबंध भी करता था। सर्वोच्च न्यायालयका निर्णय गुजाबा दादा और असिस्टेंट रेसीडेण्ट करता था, जिसकी अपील रेसीडेण्टके पास हो सकती थी।

टकसाल और खजानेका प्रबंध पुराने कर्मचारियोंको ही सौंपा गया। रेसीडेण्टने प्रत्येक अँग्रेज़ कर्मचारीको इस बातकी सख्त चेतावनी दी थी कि वह पुराना प्रबंध ज्योंका त्यों कायम रक्खे। किसानोंसे नियत जमाबन्दीके अलावा कोई भी रकम वसूल न की जाय और कलेक्टरोंका वेतन निश्चित कर दे। ग्रामसंस्थाओं और पंचायतोंकी रक्षा की जावे। धार्मिक मामलोंमें वह तटस्थ रहे। छोटे छोटे दीवानी और फौजदारी मुकद्दमोंके फ़ैसले देशी कर्मचारियोंसे कराए जावें; किन्तु संगीन मामलोंका निर्णय स्वयं अँग्रेज़ अफ़सर करे। इन मामलोंकी अपील रेसीडेण्टके पास हो। फाँसीके दण्डसे ब्राह्मण तथा स्त्रियाँ वरी रहें। इसके अलावा अँग्रेज़ कर्मचारी अपने इलाकोंमें दौरा करके देशकी हालतकी सूक्ष्म जाँच करके उसकी रिपोर्ट रेसीडेण्टके पास भेज दिया करे। इस तरह रेसीडेण्टने पुराना राज्यशासन ज्योंका त्यों कायम रक्खा। ई० स० १८१९-२० में राज्य भरमें ति-साला बन्दोबस्त (Settlement) किया गया और उसकी मियाद खतम होनेपर पाँच-साला बन्दोबस्त किया गया।

१० सालकी अवस्थामें बाजीराव गद्दीपर बिठलाया गया। उस समय उसके लिखाने-पढ़ानेका भार रेसीडेण्टने अपने शरिस्तेदार गुंडेरावके पुत्र बचावरावको सौंपा और उसकी निगरानी वह स्वयं करने लगा। राजाको अदालत तथा अन्य विभागोंका काम काज सिखलानेकी भी व्यवस्था की गई।

ई० स० १८२६ में मि० जेकिन्सने विलायत जानेके लिए भारत सरकारसे आज्ञा माँगी; किन्तु रघोजीको राज्याधिकार सौंपनेका समय निकट ही होनेसे रेसीडेण्टकी प्रार्थना अस्वीकृत की गई। गवर्नर-जनरलकी रायसे राजाके अधिकार नवीन सुलहके द्वारा मर्यादित किये गये, जिसका मसविदा ५ अगस्तको गवर्नर-जनरलके पास मंजूरीके लिए भेजा गया। यह मसविदा कुछ तरमीमोंके साथ १ दिसंबरको नागपुरके भरे दरबारमें रघोजीराव भोंसले (तृतीय) को सुनाया गया और उसपर राजाने अपने दस्तखत कर दिये।

(१) ता० २७ मई स० १८१६ की सुलहकी जो शर्तें इस सुलहके विपरीत न हों, वे कायम रहेंगी।

(२) सतारा तथा अन्य महाराष्ट्रीय राजाओंकी किसी किस्मकी अधीनता या सम्बन्ध रघोजीराव न रक्खेंगे। सेनासाहब सूबाका खिताब कायम रहेगा।

(३) गत सुलहकी १० वीं शर्तके अनुसार महाराजाने यह मंजूर किया कि वे विना रेसीडेण्टकी सलाहके अन्य भारतीय रजवाड़ोंसे पत्रव्यवहार नहीं करेंगे और न किसी दरबारमें अपना प्रतिनिधि भेजेंगे।

(४) सन् १८१६ की सुलहकी चौथी शर्तके अनुसार सहायक फौज यहाँपर भी रहेगी, किन्तु अब इस शर्तके अनुसार सहायक फौज राज्यके किसी भी हिस्सेमें रक्खी जायगी और उसके घटाने या बढ़ानेका अधिकार कम्पनीके अधीन रहेगा।

(५) सहायक फौजके खर्चेके लिए साढ़ेसात लाख रुपये आपासाहबने कम्पनीके खजानेमें पटाना मंजूर किया था और यह भी शर्त थी कि नक्द रकमकी एवजमें उतनी ही आमदनीका प्रान्त कम्पनीको दे सकेंगे; किन्तु अब इस शर्तके अनुसार नीचे दर्ज किया हुआ राज्यका

हिस्सा * सदा सर्वदाके लिए कम्पनीके पास रहेगा। उसपर महाराजाका किसी प्रकारका हक नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त अन्य प्रान्त सौंपनेकी जिम्मेदारी कम्पनीपर रहेगी।

(६) सौंपे हुए प्रान्तमेंसे एक प्रान्तके बदले कोई दूसरा प्रान्त सुविधाके लिए नागपुर-दरबारसे लिखा पढ़ी करके कम्पनी परिवर्तन करा सकेगी; किन्तु उस प्रान्तकी उचित आय प्रथम ही निश्चित की जायगी।

(७) महाराजा रघोजीरावकी नाबालिगी खत्म होनेपर निम्नलिखित शर्तोंपर राज्यप्रबंध कम्पनीने उन्हें सौंप दिया है।

(८) नागपुर राज्यकी सेना कम्पनीके अधिकारमें रहेगी और उसका योग्य व्यय राजकोषसे लिया जायगा। लवाजमेके लिए सिपाही तथा सवार, शहर-प्रबंधके लिए पुलिस और वसूलीके लिए सिपाही रेसीडेण्टकी रायसे महाराजाको रखना होगा।

(९) देवगढ़, चाँदा, छत्तीसगढ़, लांजी आदि जिले जिनकी आय १७ लाख रुपये है, अँग्रेज कर्मचारीकी देखरेखमें तबतक रहेंगे जबतक कि महाराजाको सौंपे हुए प्रान्तका शासन समाधानपूर्वक न होगा।

(१०) राज्यप्रबंधमें रेसीडेण्टकी सलाहपर महाराजाको अवश्य लक्ष्य रखना होगा और वे जो जो कानून बनानेकी सलाह देंगे, उन्हें बनाना होगा। कम्पनीके विश्वासपात्र कर्मचारियोंके द्वारा राज्यकी व्यवस्था की जावेगी। महाराजाकी नाबालिगीमें कम्पनीके मुख्तारोंने जमींदार पटेल या प्रजासे जो करार कर लिये हैं या आगे करेंगे, उनको महाराजा मंजूर करेंगे। राज्यके आय-व्ययका चिट्ठा जाँचनेका अधिकार भी रेसीडेण्टको होगा।

---

* उक्त सुलहके द्वारा निम्नलिखित जिले कम्पनीको सौंपे गये थे—१ मण्डला, २ जबलपुर और वहाँकी जमींदारियाँ, ३ सिवनी—छपारा, ४ चौरागढ़, ५ रीवाँका सीमाप्रान्त, ६ वैतूल तथा मुलताई, ७ संबलपुर और वहाँकी जमींदारियाँ, ८ पटना तथा वहाँकी जमींदारियाँ।

(११) किसी कारणसे युद्धके समयपर महाराजाके संरक्षणके लिए जो अधिक व्यय होगा, वह भी राजकोषसे लिया जायगा।

(१२) यदि महाराजाने सौंपे हुए जिलोंका प्रबंध उत्तमतासे न किया, तो उसका कोई हिस्सा या पूरा भाग रेसीडेण्ट प्रबंध करनेके लिए अपने अधिकारमें कर लेगा।

(१३) यदि उक्त शर्तके अनुसार व्यवस्था करनेका मौका आया, तो उसकी सूचना महाराजाको रेसीडेंण्टके द्वारा दी जायगी और उस समय दस दिनके भीतर महाराजाको वे जिले सौंप देने होंगे। अन्यथा कम्पनी अपने उत्तरदायित्वपर यह काम करेगी। उसका हिसाब महाराजाको दिखाया जायगा; किन्तु पाँचवें हिस्सेसे कम आय महाराजको कदापि न दी जायगी।

इस सुलहकी आगेकी १४, १५, १६ और १७ नम्बरकी शर्तें महत्त्वकी नहीं हैं।

२९ दिसंबरको मि० जेकिन्सने रेसीडेंसीका सारा चार्ज कप्तान हेमिल्टनको सौंपकर विलायतके लिए प्रस्थान किया। १२ अप्रैल १८२७ को नागपुरकी रेसीडेन्सी मि० वाइल्डरको सौंपी गई। २१ मईको महाराजा रघोजीरावका विवाह धूमधामसे संपन्न हुआ। पश्चात् शीघ्र ही १८२६ का सुलहनामा मय खिलतके गवर्नर-जनरलकी ओरसे महाराजाको प्रदान किया गया। ६ दिसंबर १८२८ को रेसीडेण्टने भोंसला-राज्यके सम्बन्धमें जो रिपोर्ट भेजी थी, उससे पता लगता है कि राज्यकी दशा उत्तम थी और प्रजामें अमन-चैन था। In the year 1828 matters went on very favourably and generally happy contended condition of people was highly satisfactory but the savings were not quite so large as in the former years.

गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग चाहते थे कि अन्य भारतीय राजवंशोंके समान नागपुर-राजवंशका दर्जा स्थित किया जावे, इसलिए उन्होंने सन् १८२६ की सुलहकी ८ वीं तथा ९ वीं शर्तें हटानेकी आज्ञा दे दी। इसपर रेसीडेण्ट मि० वाइल्डरने यह सिफारिश की कि रक्षित जिलोंकी मियाद (जिनका प्रबंध अँग्रेज कर्मचारियोंके अधीन था) ३० जून सन् १८३२ तकके लिए बढ़ा दी जावे, क्यों कि पाँचसाला बंदोबस्त (Five years settlement) उस समयपर खत्म होता था। लेकिन लॉर्ड विलियमके आग्रहसे ७ शर्तोंका एक नया सुलहनामा तैयार किया गया और उसपर २९ दिसंबर सन् १८२९ को महाराजाने हस्ताक्षर कर दिये। उसकी शर्तें इस प्रकार थीं—

(१) गत सुलहकी ८ वीं और ९ वीं शर्त रद की गई। राजा साहबको ८ लाख रुपये प्रतिवर्ष बाबत सहायक फ़ौजके चार किश्तोंमें पटाना होगा। कम्पनीने जो प्रान्त अपने कब्जेमें रक्खे हैं, वह वापस सौंपे जायँगे। ९ जून १८३० से सब अँग्रेज कर्मचारी वापस बुला लिये जायँगे। सहायक फौज क्रमशः घटा दी जायगी। राजा साहब प्रजाकी रक्षाके लिए सहायक फौज रख लें।

(२) कम्पनीने जिससे जो कुछ करार किया है, उसे राजा साहब स्वीकृत करें।

(३) कम्पनी राजा साहबको व्यवस्थाके विषयमें सलाह देगी। यदि अव्यवस्था मचेगी, तो कम्पनी अपने एजेण्टोंद्वारा व्यवस्था करेगी।

(४) राजा साहब एक हजारसे कम सैनिक न रख सकेंगे। ये समस्त कर्मचारी भारतीय होंगे। मौकेपर उस फौजको कम्पनीकी सहायता करनी होगी जिसका भत्ता कम्पनी देगी।

इस सुलहसे रघोजी भोंसलेको बहुत कुछ स्वतंत्रता मिल गई ।

नवीन सुलहके अनुसार रक्षित जिलोंका प्रबंध भोंसला सरकारको सौंप दिया गया । इसी समय स० १८४१ में निजाम-राज्यकी सीमापर एक बनावटी नामधारी आपासाहबने कुछ सेना एकत्रित करके उपद्रव मचानेका यत्न किया । उसके प्रबंधके लिए नागपुरसे एक पलटन लेफ्टनेंट कर्नल डमकरके साथ भेजी गई । उधर निजामके लेफ्टनेंट जानसनके द्वारा उस विद्रोहका अगुआ बुह्रानी पकड़ लिया गया और अन्य सहायक खिसक गये । इस प्रकार यह विद्रोह जहाँका तहाँ शान्त कर दिया गया ।

ई० स० १८३७ के सितंबर मासमें कम्पनी सरकारकी सूचनाके अनुसार सती होनेकी पृथा कानूनन बन्द कर दी गई । रेसीडेण्ट अपनी रिपोर्टमें लिखते हैं कि मैं नागपुरमें जबतक रहा, तब तक केवल एक स्त्रीके सती हो जानेकी रिपोर्ट छत्तीसगढ़से आई थी । १८३८ में रघोजीराव बनारस, गया आदिकी यात्राके लिये गये । उस समय उनकी रक्षाके लिए केप्टन फिट्रजराल्ड मद्रासी पलटनके सहित साथमें थे । महाराजाकी इस ७ मासकी अनुपस्थितिमें राज्य-प्रबंधका सारा भार वृद्ध राजमाता बकाबाईके हाथ रहा ।

मि० वाइल्डरके पश्चात् कर्नल बिग्ज, मि० कव्हेंडिश, मेजर विल्किन्सन तथा लेफ्टनेंट कर्नल स्पियरने समय समयपर नागपुर राज्यके सम्बधमें गवर्नर-जनरलसे पत्रव्यवहार किया । ई० स० १८४८में रेसीडेण्ट रामसेने भी राजाके सम्बन्धमें बहुत कुछ शिकायतें कीं ।¶ उसने यहाँ

---

* पदच्युत महाराजा आपासाहबका अन्तकाल १५ जुलाई सन् १८४० को जोधपुरमें हुआ था । उस समय उनके अन्तकालकी सूचना वहाँके पोलिटिकल एजेंट मेजर लडलोके द्वारा नागपुर भेजी गई थी ।

¶ "It is competent to the British Government

तक लिख डाला कि राजा जबतक वर्तमान सलाहकारोंके गोलमें रहेगा, तबतक राज्य-प्रबंधके सुधरनेकी आशा करना ही व्यर्थ है। ई० सन् १८२९ की सुलहकी शर्तके अनुसार यह तय हुआ था कि ब्रिटिश सरकार अपने प्रतिनिधिकी ओरसे महाराजा या उनके उत्तराधिकारियोंके राज्य-प्रबंधके विषयमें जो राय प्रकट करेगी, उसे राजाको कार्य रूपमें परिणत करना होगा। उसके अनुसार जब कि रामसेने राजाका ध्यान उस ओर आकृष्ट कराया, तब राजाने रेसीडेण्टसे साफ कह दिया कि वह उस अधिकारका प्रमाणपत्र दिखलावे कि उसे हक़ है या नहीं। इस बातका विस्तृत विवरण ८ जुलाईको रेसीडेण्टने भारत सरकारके पास पत्र नं० १९ द्वारा भेजा। उक्त पत्रके प्रत्युत्तरमें २९ जुलाईको गवर्नर-जनरलकी ओरसे महाराजाको एक खरीता भेजा गया जिसका सार यह था कि केप्टन रामसे सरकारके विश्वासपात्र कर्मचारी हैं, इसलिए राज्यसम्बन्धी उनकी सलाह मानना आपके लिए आवश्यक है।* यही खरीता ८ अगस्तको केप्टनने महाराजाके सम्मुख पेश किया। महाराजाको उसके अनुसार कार्य करना आवश्यक था। रेसीडेण्टने निम्नलिखित सुधारके लिए राजापर दबाव डाला था—"महाराजासाहब अपना निजी व्यय कम करके निजी कर्जकी अदाई करते रहें। राज्यके प्रमुख विभाग विश्वासपात्र कर्मचारियोंको सौंपे जायँ। रेसीडेन्सी वकील माधवराव, नाना चिटनवीस, दादा फड़नवीस, बंडोजी चिटनवीस तथा अन्य कुछ कर्मचारी दर्बारसे हटा दिये जायँ।

---

through it's local Representative to offer advice to the Maharaja, his heirs and successors, on all important matters relating to the internal administration of the Nagpur territory or to external concerns, and Maharaja shall be bound to act in conformity thereto."

क्योंकि उनके विषयमें बहुतसी शिकायतें रेसीडेंसीमें आई हैं ।" कई हफ्ते बीत जानेपर भी महाराजाने कोई व्यवस्था न की; लेकिन रेसीडेण्टका तकाज़ा बराबर जारी रहा । १७ फरवरीको नाना फड़नवीसकी सलाहसे खासगी-खजानेसे २० लाख रुपये कर्ज अदाईके लिए निकाले गये और साहूकारोंको बुलाकर उनका हिसाब साफ़ किया गया । रेसीडेण्टने इसपर दर्बारके वकीलके जरिये महाराजाको कहला भेजा कि इस आनंददायक समाचारकी सूचना भारतसरकारको शीघ्र ही दी जायगी ।

भंडारा और चाँदाके सूबेदारोंको महाराजाने नौकरीसे निकाल दिया था । लेकिन मि० मनशील रेसीडेण्टके आग्रहसे ई० स० १८५२ में वे पुनः उच्चपदपर नियत किये गये । उस समय शासन-विभागके प्रत्येक अफसरको रेसीडेंसीमें जाकर रेसीडेण्टके सामने सारी व्यवस्थाका परिचय कराना पड़ता था । अर्थात् रेसीडेण्टके कृपापात्र कर्मचारी ही उस समय दरबारके मुख्य कर्त्ता धर्त्ता थे । रेसीडेण्टोंके कर्तव्योंके विषयमें लॉर्ड हेस्टिंग लिखते हैं—

"देशी नरेशोंके साथ संधियाँ करते समय हम उन्हें स्वाधीन नरेश स्वीकार कर लेते हैं । फिर हम उनके दरबारमें अपना रेसीडेण्ट भेजते हैं । ये रेसीडेंट बजाय केवल राजदूतका कार्य करनेके दर्बारपर अपना ही अनन्य अधिकार जमा बैठते हैं । वहाँके नरेशके तमाम निजी कारबारोंमें दखल देने लगते हैं । प्रजाके विद्रोही लोगोंको राज्यके विरुद्ध भड़काते हैं और अपने अधिकारका जोरोंके साथ प्रदर्शन करते हैं । फिर अँग्रेज सरकारकी सहायता प्राप्त करनेके लिए कोई न कोई नया झगड़ा खड़ा कर लेते हैं और उसपर इस प्रकारका रंग चढ़ाते हैं कि अँग्रेज सरकार पूरे बलसे उस मामलेको हाथमें ले लेती है । न केवल उस एक बातपर

ही बल्कि रेसीडेण्टके समस्त व्यवहारपर—अपने रेसीडेण्टकी हर एक बातका अँग्रेज सरकार पूरी तरह पक्ष लेती है।" +

महाराज रघोजीराव भोंसले (तृतीय) के शासन-कालमें ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जिसका विस्तारकें साथ उल्लेख करना आवश्यक हो। किन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि इस राजाका शासन बड़ी ही शांतताके साथ बीता। ई० स० १८५३ के अगस्त मासमें महाराजाकी तबीयत ज्वरके कारण कुछ खराब हो गई, जो हकीम फजलखाँके औषधोपचारसे जल्दी अच्छी हो गई। लेकिन हकीमके मना करनेपर भी एकदिन उन्होंने स्नान कर लिया। क्योंकि बकाबाई विना राजाके स्नान किये रामटेक नहीं जा सकती थीं। पश्चात् आठ दिनतक प्रकृति ठीक रही। इसी बीचमें परहेज न करनेके कारण कफ और ज्वरने आकर पुनः घेर लिया। दो दिनतक हकीम फजलखाँने और चार दिनतक अब्दुल हकी-

---

+ In our treaties with them we recognise them as independent sovereigns. Then we send a Resident to their courts. Instead of acting in the character of ambassador he assumes the functions of a dictator; interferes in all their private concerns; countenances refractory subjects against them, and makes the most ostentative exhibition of his exercise of authority to secure to himself the support of our government; he urges some interest which, under the colour thrown upon it by him, is strenuously taken up by our council; and the Government identifies itself with the Resident not only on the single point but on the whole tenor of his conduct. "—*Private Journal of Marquiss of Hastings.*"

मने दवा की, किन्तु लाभ न हुआ । तब शहरके प्रमुख हकीम इनायतअली, अबदुल कादिर, सिकंदर और अब्दुल हकीम बुलवाये गये। उस समय नब्ज देखकर सिकंदर हकीमने दो रत्ती 'लुब्बुल कहर' नामक दवा देनेकी राय दी । चार दिनतक इस दवाके देनेपर भी जब लाभ न हुआ, तब सब हकीमोंने सलाह करके 'शरबत दीनार' तैयार करवानेकी आज्ञा दी। १० तारीखकी रात्रिको उक्त दवा १० माशे दी गई; परन्तु पेशाब बन्द हो गया। तब रेसीडेन्सीसे डाक्टर बुलानेकी सलाह हुई; लेकिन डाक्टरोंका इलाज करानेसे स्वयं राजाने इन्कार कर दिया। आखिर ११ तारीखको सुब्रह ४ बजे राजासाहबको काला दस्त होनेसे बेहोशी आ गई और सूर्य निकलनेके पूर्व ही उनका अन्तकाल हो गया ।

नागपुरमें अँग्रेज़ी राज्य ।

११ दिसंबर स० १८५३ के प्रातःकालके ६ बजे नागपुरके महाराजा रघोजीराव भोंसलेका ४७ वर्षकी अवस्थामें अन्तकाल हो गया । उस समय नागपुर तथा कामठीमें ब्रिटिश रेसीडेण्टकी ओरसे दुःख प्रदर्शनार्थ ४७ तोपें दागी गईं । हकीम फजलखाँकी जबानी मालूम हुआ कि मरनेके एक दिन पूर्वतक महाराजाने पुलाव खाया था, हाँ शराब अवश्य ही ३ दिनके पूर्व बन्द कर दी थी । दो प्रहरके समय मृत महाराजाके शवकी रथी निकाली गई । उस समय रेसीडेण्ट स्वयं उपस्थित था। रेसीडेण्टने १४ दिसंबरको भारत सरकारको जो पत्र भेजा था, उसमें उसने लिखा था—“राजाका स्वभाव और व्यवहार चित्ताकर्षक था । रेसीडेण्ट तथा अन्य कर्मचारियोंके प्रति भी उनका व्यवहार सराहनीय था। शहरके प्रमुख लोगोंके यहाँ पहुँचकर वे प्रेम बढ़ाते थे। जान पड़ता था कि मानों किसी प्रजासत्ताक (Republic) राज्यके अध्यक्ष हैं। कुश्ती,

पतंग, ताश, गाने तथा नाचके वे विशेष प्रेमी थे। जानी नामक रखेलीके संसर्गसे ८ वर्षसे उनकी सुरापानकी मात्रा बढ़ गई थी। इन्हीं कारणोंसे राज्यप्रबंधकी ओर ध्यान देनेकी उन्हें फुरसत नहीं मिलती थी। इसके लिए कई बेर चेतावनी दी गई थी; लेकिन महलकी चहार-दीवारीके भीतर पहुँचते ही वे फिर ज्योंका त्यों हो जाते थे।"

राजमहलकी हलकी रखेलियोंके कारण उन्हें कई घातक आदतें पड़ गई थीं। उनका अधिकांश समय उन्हींमें व्यतीत होता था। ई० स० १८५०की ३० वीं मार्चको मि० डेविडसनने लिखा है कि "उन्हें बरसों तक राज-काजकी ओर लक्ष्य देनेका समय नहीं मिला। अपने शासनके अन्तिम पादमें उन्होंने तथा उनके मंत्रियोंने खासगी आय अच्छी बढ़ा ली थी। करीब दो लाख रुपये नजर, दंड तथा लावारिसोंकी जायदादसे वसूल होता था और न्याय नफ़ेके तराजूसे तौला जाता था।"

"राजाके ४ रानियाँ अन्नपूर्णाबाई, दर्याबाई, आनंदीबाई और कमरधाबाई हैं। उनके न कोई पुत्र या पुत्री है और न होनेकी संभावना है। न किसीको दत्तक लिया गया है। दो वर्षसे रेसीडेण्ट इस सम्बन्धमें समझानेका यत्न भी कर रहे थे। सतारा-प्रकरणसे दरबारके सामन्तोंमें इस विषयके विचार घुल रहे थे, लेकिन राजाने इस विषयपर मौनवृत्ति धारण की थी। क्योंकि राजाके मुँहलगे जगदेव नामक महल-दारोगाने सलाह दी थी कि यदि कोई लड़का गोद लिया गया, तो वह रेसीडेंटका कठ-पुतला बन जायगा और गद्दी खाली करनेतककी नौबत आ जायगी।"

"इस समय राज्यका कोई औरस हक़दार नहीं रहा है। ८ फरवरी सन् १८३७ को रेसीडेण्ट मि० कव्हेंडिशने भारत सरकारको लिखा था कि राजाको गोद लेनेका अधिकार ही नहीं है। ई० स० १८४० में मि०

विल्किनसनने यह राय प्रकट की थी कि अन्य स्वतंत्र नरेशोंकी भाँति नागपुरवंशकी विधवा रानियोंको गोद लेनेका अधिकार है ।"

"रघोजी द्वितीयकी रानी इस समय ७५ वर्षकी होनेपर भी राजकाजके लिए सर्वथा योग्य हैं । यदि महारानीका चुनाव सरकार मंजूर न करे, तो गद्दीके लिए मैं नाना अहेररावके पुत्र यशवंतरावके लिए सिफारिश करूँगा । दरबारके सामन्त भी इसी चुनावको सहर्ष स्वीकृत करेंगे । "

गवर्नर-जनरल लॉर्ड डलहौसीने बिना युद्धके आठ भारतीय राज्योंका अस्तित्व नष्ट कर दिया । इस नीतिके अनुसार इनमेंसे ७ राज्यों अर्थात् नागपुर, सतारा, झाँसी, सम्बलपुर, जैतपुर, तंजावर और कर्नाटकको अँग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया। इस नीतिको अँग्रेजीमें लेप्स कहते हैं। लेप्सका अर्थ यह है जिन राजाओंने कम्पनीके साथ मित्रताकी सन्धियाँ कर ली थीं, उनमेंसे किसीके मर जानेपर यदि उसके कोई पुत्र न हो, तो उसके समस्त राज्यपर कम्पनीकी हुकूमत और कब्जा हो जाता था। यह नीति वास्तवमें ई० स० १८३४ से प्रारंभ हुई । उस वर्ष कम्पनीके डायरेक्टरोंने भारत सरकारको लिखा कि जब कभी किसीके गोद लेनेकी क्रियाको मंजूर करना या न करना अपने हाथोंमें हो, उस समय बहुत ही कम मंजूरी देनी चाहिए; आम तौरपर नहीं। और यदि कभी मंजूरी दी जावे, तो वह आपका अनुग्रह समझा जाना चाहिए । *

इसी नीतिके अनुसार लॉर्ड डलहौसीने नागपुर-राज्य खालसा कर-

* Whenever it is optional with you to give or to withhold your consent to adoption, the indulgence should be the exception and not the rule, and should never be granted but as a special mark of approbation.
—*Court of Directors of the East India Company 1834.*

नेका निश्चय किया । २८ जून १८५४ को डलहौसीने ३८ पैरोंका एक मिनिट (Minute) लिखा, जिसका सार इस प्रकार है—

"भोंसला राज्यका हक निम्नलिखित हकदार पा सकते हैं—(१) मृत रघोजीका पुत्र, (२) राज्यसंस्थापकका वंशधर, (३) मृत राजाका दत्तक पुत्र और (४) मृत राजाकी महारानीद्वारा लिया हुआ दत्तक पुत्र । किन्तु इस समय कोई ऐसा हकदार नहीं है और न संतान होनेकी संभावना ही है। रघोजी भोंसले प्रथमसे पैतृक सम्बन्ध रखनेवाला आपासाहब ही अन्तिम था। १८४० की ३० जूनको मेजर विल्किन्सनने लिखा था कि नागपूरमें भोंसला कहलानेवाला एक भी हकदार नहीं है । कन्या पक्षके लोग वर्तमान हैं; किन्तु उनका गद्दीपर कोई हक नहीं है। रेसी-डेण्ट सर जेकिन्सने साफ़ लिखा है कि राज्यके लिए कन्या या उसकी संतानोंको कोई हक नहीं है। Exclusive of females or their issue."

"मृत रघोजीका कोई दत्तक पुत्र भी नहीं है। रेसीडेण्ट दो वर्ष तक आग्रह करता रहा, फिर भी मृत राजाने कोई राय प्रकट नहीं की और न उनकी बड़ी रानीने ही किसीको गोद लिया। हिन्दू-कानूनके अनुसार विधवा बिना पतिकी आज्ञाके गोद नहीं ले सकती । The Majority of the schools have hold that according to Hindoo law, no widow can adopt without having received the consent of her husband to do so.

"ई० स० १८१८ के कागजातसे यह सिद्ध नहीं होता कि मृत महाराजाका हक दत्तक-विधानद्वारा प्रस्थापित किया गया था; क्यों कि मृत राजाको गद्दीपर बिठलानेके कई दिन पश्चात् गोदकी रस्म पूरी हुई थी । सरकारने उसे दानके तौरपर Free gift सौंपा था; न कि

भोंसला-वंशमें दत्तक लेनेके कारण। It bestowed the sovereignty upon the person whom it thought best, and it conferred the gift upon him under the influence of no consideration whatever but it's own free will and pleasure."

"इस समय मृत राजाका कोई वारिस नहीं है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरोंने सतारा-प्रकरणके अवसरपर निर्णय देकर भारत सरकारके लिए भावी मार्ग बता दिया है। मैं इस निर्णयपर पहुँच गया हूँ कि नागपुरकी गद्दीके लिए दत्तक-विधान अस्वीकृत किया जावे। यहाँपर सादा सवाल यह है कि ई० सन् १८१८ में नागपुर-राज्य जिस प्रकार गूजर-वंशको सौंपा गया था; उसी प्रकार इस समय भी सौपा जाय या नहीं? इस बातका निर्णय शासन-नीतिसे ही होगा। Policy along must decide the question."

"नागपुरका राज्य अँग्रेजी राज्यमें मिला लेनेसे वहाँकी प्रजाका तथा भारतका साधारण हित और विलायतके प्रति लाभ किस नीतिसे होगा? नागपुर-राज्यकी प्रजा वर्तमान शासनकी अपेक्षा अँग्रेजी शासन अधिक पसंद करेगी; क्योंकि जेन्किन्सके जमानेमें वह उसका सुख पा चुकी है और इस लिए वहाँकी प्रजा अबतक उसे 'डंकिन साहबका राज्य' के नामसे उल्लेख करती है। केवल दरबारके कुछ सामन्त और मानकरियोंको यह पसंद न होगा।"

"गत ५० वर्षोंमें मैसूर, सतारा और नागपुरमें देशी राजाओंको कायम करके देखा गया; किन्तु वह प्रयत्न असफल रहा। नागपुरका राज्य जिस समय मृत राजाको बालिग अवस्थामें सौंपा गया, उस समय प्रबंध सराहनीय था। बराबर समयपर वेतन पानेवाली बलवती सेना, धनसे भरा खजाना और सुशासित प्रजा उसके हाथ सौंपी गई

थी; किन्तु २० वर्षमें जब वह मरा तब मनुष्य और राजत्व दोनोंके विरुद्ध अपना हीन आचार और अपकीर्तिका नमूना छोड़ गया। वह रिश्वत लेकर न्याय बेचता, शराब पीकर मतवाला हो जाता और भोग विलासमें मग्न रहता था। ऐसे राजाका उत्तराधिकारी किसी अन्य पुरुषको बनानेसे इस बातका क्या प्रमाण है कि वह भी वैसा न होगा? यदि मान लिया जाय कि वह वैसा न होगा, तौ भी सरकारमें प्रजाकी भलाईका जो सामर्थ्य है, उससे वह हाथ क्यों खींचे?"

"नागपुरका राज्य ब्रिटिश राज्यमें मिला लेनेसे इंग्लैण्डकी एक कमी पूरी हो सकती है। इस कमीको पूरा कर देनेसे इंग्लैण्डकी व्यापारी नीति ठीक तौरसे जम सकती है। इंग्लैंडकी व्यापारिक उन्नति कई तरहके कच्चे मालसे हो सकती है, जिसमें लंबे तारकी रुई प्रधान है। यदि नियमसे इंग्लैंडको रुई मिलती रही, तो उससे व्यापारिक उन्नति हो सकती है। भारत और इंग्लैंडके राजकाजमें जो लोग भाग लेते हैं, वे उसका अनुभव करते हैं और मैं भी १० वर्ष राजनीतिक क्षेत्रमें काम करके इसे अच्छी तरह समझ गया हूँ। जिस समय मैं इंग्लैंडसे भारतके लिए रवाना होने लगा था, उस समय मेंचेस्टरकी व्यापारिक समितिने Chamber of Commerce ये बातें कहीं थीं। पीछेसे इंग्लैंडके प्रधान मंत्रीने भी अपने पत्रोंमें बार बार इंग्लैंडके व्यापारकी ओर ध्यान रखनेकी सूचना दी है। यदि इंग्लैंडको ये चीजें बराबर मिलती रहीं, तो उसे किसी अन्य देशका मुँह न ताकना पड़ेगा। बरार और उसके आसपासकी भूमि कपासके लिए मशहूर है। हाउस ऑफ कॉमन्सकी सिलेक्ट कमेटीके सन्मुख इजहार देते हुए कॅप्टन रेनॉल्डने यह बतलाया था कि गोदावरी और सतपुड़ाके मध्यका भाग कपासके लिए उत्तम है, और वह इंग्लैंडकी कमीको पूरा कर सकेगा। यह प्रान्त निजाम और भोंसलोंके

अधिकारमें है। गतवर्ष बरार निजामसे सुलहके द्वारा ले लिया गया है। इन मध्यवर्ती प्रान्तोंका माल समुद्र तटपर ले जानेके लिए कोर्ट आफ डायरेक्टरोंने रेल्वे लाइन ले जानेकी इच्छा प्रकट की है। उसका सर्वे भी हो गया है और आशा है कि वह कार्य फलप्रद होगा।"

"नागपुरका राज्य ब्रिटिश राज्यमें मिला लेनेसे जो सेना कभी हमारे दुःखका कारण होती, वह भी हाथ आ जायगी और उसके साथ ८० हजार वर्गमील भूमि, ४० लाख रुपयेकी वार्षिक आय तथा ४० लाख आबादीकी प्रजा हमारे हाथ आ जायगी। यह राज्य जोड़नेसे निजाम-राज्यके चारों ओर ब्रिटिश शासन हो जायगा और शासन-कार्यमें सुविधा होगी। कलकत्तेसे बम्बई तकका सारा प्रान्त अँग्रेजी राज्यमेंसे होकर जायगा। इससे सैनिक और व्यापारिक बल बढ़ जायँगे।"

इस प्रकार गवर्नर-जनरल लार्ड डलहौसीने 'लेप्स' की नीतिके अनुसार राज्य खालसा करनेका निश्चय किया, जिसका समर्थन उसके सहकारी कौन्सिलर मि० डारिन और मि० हालिडेने किया; हाँ मि० लोने इसका विरोध किया। मि० लोने अपनी मिनिटमें लिखा है कि "सुलहकी शर्तों तथा राष्ट्रके जनरल कानूनसे मैं समझता हूँ कि भोंसला-वंशका हक़ छीना नहीं जा सकता। वह अपनी इच्छा तथा रिवाजके अनुसार गोद ले सकता है।"

"मैं दावेके साथ कहता हूँ कि नागपुरका भावी अँग्रेजी शासन जेकिन्सके समान आम पसन्द न होगा; क्योंकि हम अपने हितके लिए राजस्वका अधिक भाग विदेश भेजेंगे। हमें अपने लाभ और सुभीतेके लिए परिवर्तन करना होगा, जो कि वहाँके निवासियोंको पसंद न होगा।"*

* One party to a treaty can not be allowed to introduce subsequent restrictions.

" सुलहकी शर्तोंके अनुसार मृत राजाके परिवारको गोद लेनेका अधिकार न होता, तो उसका उल्लेख सुलहमें स्पष्ट रहता, जैसा कि मुझे स्मरण है कि भारतके पश्चिमीतटके एक छोटेसे कुलाबा राज्यके राजासे तय हुआ था कि यदि कुलाबाका राजा पुत्ररहित मर जावे, तो उस समय दत्तक लेनेका हक़ देना या न देना सरकारपर अवलंबित रहेगा। मुझे स्मरण है कि मालवे और राजपूतानेके राजवंश राजाके मरनेपर दत्तकपुत्रको गद्दीपर बिठलाकर उसकी सूचना गवर्नर-जनरलके एजेंटको देते हैं; ताकि सरकार उसे मंजूर करे; किन्तु ऐसी स्थिति नागपुरमें नहीं है। वहाँपर राजाके मरते ही रेसीडेण्टने राज्यप्रबंध अपने हाथमें ले लिया है और विद्रोह खड़ा न हो जाय, इसलिए ब्रिटिशसेनाको होशियार कर दिया गया है। संभव है कि इससे वे लोग आगेकी कार्रवाई करनेसे रुक गये हों। मेरा विचार रेसीडेण्टको दोष देनेका नहीं है; क्योंकि उसने हुक्मकी तामीली की है। मेरा मतलब यही है कि भोंसला-वंश जो अपना हक़ पेश नहीं कर सका है, इसका कारण यह है कि ब्रिटिश प्रतिनिधिने उसे साफ़ तौरसे सलाह नहीं दी है। "

" राजाने दत्तकके विषयमें कोई राय प्रकट नहीं की; किन्तु खयाल रखना चाहिए कि मरनेके समय उसकी कोई अधिक अवस्था न थी जिससे वह मान लेता कि अब उसे पुत्र न होगा; क्योंकि संसारमें ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं कि उससे अधिक अवस्थावालोंके पुत्र हुए हैं। भारतके उच्च घरानोंमें ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे। दूसरे राजा स्वयं यह जानता था कि मरनेके पश्चात् उसकी बड़ी रानी गोद ले सकती है, जैसा कि मि० जेकिन्सने लिखा है। क्या रेसीडेण्टने कभी राजाको यह सूचित किया था कि यदि वह गोद न लेगा तो उसका राज्य जाता रहेगा? और राजाने भी कभी नहीं कहा कि मैं गोद नहीं लेना चाहता। यदि राजाने ऐसा कहा

होता, तो हमारे लिए रास्ता साफ था। मान लिया जावे कि रेसीडेण्टने राजाको दत्तकके विषयमें कोई सलाह नहीं दी और अच्छी तन्दुरुस्तीमें वह अचानक या घोड़ेंपरसे गिरकर मर गया, तो उस समय कानूनसे जो हक़ गोद लेनेका था वही हक़ इस समय भी लागू हो सकता है।"

"रेसीडेण्टके खासगी पत्रसे मुझे ज्ञात हुआ कि दरबारके सामन्त दत्तक लेनेके लिए इच्छुक हैं। लेकिन इस विषयमें उसने अपनी रिपोर्टमें कुछ भी नहीं लिखा है। रिपोर्टमें इस बातका खुलासा करना आवश्यक था। संभव है कि लोगोंने अनुमान किया हो कि जिस तरह आपासाहबके पदच्युत करनेपर मि० जेकिन्सने मृत राजाको गद्दीपर बिठलाया था, उसी प्रकार इस समयपर भी कलकत्तेसे मंजूरी आनेपर हो।"

"महारानी बकाबाईने रेसीडेण्टसे यह साफ कहा था कि राजवंश ज्योंका त्यों कायम रक्खा जावे। अन्तमें मेरा यही कथन है कि हमें नागपुरका राज्य खालसा करनेका कोई हक़ नहीं है।"*

११ फरवरी सन् १८५४ को मि० जे० लोने उपर्युक्त आशयका वक्तव्य गवर्नर-जनरलके सम्मुख पेश किया। २० फ़रवरीको एक छोटेसे मिनिट (लेख) द्वारा कौन्सिलर मि० हालिडेने लार्ड डलहौसीकी नीतिका समर्थन किया। २२ फ़रवरीको लॉर्ड डलहौसीने मि० लोकी टिपण्णीका उत्तर देते हुए यह साफ प्रकट कर दिया कि नागपुरका राज्य खालसा किया गया। ये सब कागजात ४ मार्चको गवर्नर-जनरलने कोर्ट आफ डायरेक्टरोंकी मंजूरीके लिए विलायत भेज दिये, जिनका उत्तर ११ जूनको कलकत्ते पहुँचा और उसमें विलायतकी कोर्टने लार्ड डलहौसीकी लेप्स नीतिका समर्थन किया।

---

* Which he did not express in that treaty.

इधर ७ मार्चको गवर्नर-जनरलके मंत्री मि० ग्राण्टने रेसीडेण्ट मि० मनशीलको यह सूचित किया कि नागपुरका राज्य खालसा किया गया। इस नवीन राज्यके कमिश्नरका पद रेसीडेण्टको सौंपा गया और साथ ही यह भी सूचित किया गया कि वह मि० जेकिन्सकी नीतिका अवलंबन करें जैसा कि मार्किस आफ हेस्टिंगने कहा था:—Establishing plain, simple and efficient regulations on basis of ancient usages and laws of the country"

यशवन्तराव अहेरराव (जानोजी) मैनाबाईका पुत्र था, जो कि राजमहलमें रहा करती थी। १४ अगस्त ई० स० १८३४ को उसके एक पुत्र हुआ जिसकी खुशीमें २१ तोपें चलाई गई। उसी मासकी २५ तारीखको अर्थात् १२ वें रोज नागपुरके प्रधान सरदार तथा रेसीडेण्ट इस उत्सवमें सम्मिलित थे। गूजर वंशके इसी बालकके जन्मपर राजमहलमें उत्सव मनाया गया था। यह राजकुमार विशेष कर्मचारीकी देखरेखमें राजमहलमें ही रक्खा गया था। दरबारमें और रेसीडेण्टसे मिलते समय यह बालक मृत राजाके साथ एक ही गद्दीपर बैठा करता था, अर्थात् मृत रघोजीको यह आशा थी कि उसका उत्तराधिकारी यही कुमार होगा।

रघोजी तृतीयने यशवन्तरावको गोद नहीं लिया था; किन्तु मरनेके पश्चात् बड़ी रानी अन्नपूर्णाबाई दत्तक लेनेके लिए तैयार थीं और आगे चलकर यह संस्कार हुआ भी। मालिकके मरनेके पश्चात् उसकी पत्नी द्वारा लिया हुआ गोद जायज माना जाता है। कई अवसरोंपर कम्पनीने ऐसे विधानको जायज माना था। ई० स० १८१८ में सिंधियाकी रानीने जो दत्तक लिया था, वह जायज माना गया था। ई० स० १८३६ म महाराजा जनकोजी सिन्धियाकी रानीने जो दत्तक लिया था; उसपर भी ब्रिटिश सरकारने आपत्ति नहीं की थी। ई० स० १८३४ में धारकी

महारानीने और १८४१ में कृष्णगढ़की रानीने गोद लिया। इन मौकोंपर भी सरकारने चुप्पी साधी थी। ऐसे उदाहरणोंके रहते हुए भी ई० स० १८५३ में नागपुरकी महारानियोंको दत्तक लेनेका हक क्यों नहीं दिया गया? यदि यह मान भी लें कि विधवाको गोद लेनेका हक नहीं था, फिर भी यह प्रश्न होता है कि झाँसीका राज्य क्यों कर खालसा किया गया? इसका एकमात्र उत्तर यही है कि लॉर्ड डलहौसीने 'लेप्स' नीति इख्तियार की थी। किसी एक इतिहासलेखकने लिखा है कि नागपुरका राज्य खालसा करनेमें मैंचेस्टरकी मिलोंके लिए आवश्यक रुईने ब्रिटिश न्यायके कान बन्द करके उसे बहरा कर दिया और आँखोंमें पड़कर अंधा कर दिया!

नागपुर-राज्य खालसा होनेका समाचार ज्यों ही महलोंमें पहुँचा; त्यों ही चारों ओर सन्नाटासा छा गया और १७ जुलाई सन् १८५४ को महारानी बकाबाईने (जो मृत महाराजाकी मातामही थीं) गवर्नर-जनरलको इस आशयका एक निवेदन-पत्र भेजा—

"भारत सरकारके निर्णयका समाचार पाते ही सारे वंशपर जो सदमा पहुँचा है उसे प्रकट करनेमें लेखनी असमर्थ है। हमारे हाथसे कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ, जिससे सुलहकी शर्तोंमें बाधा पहुँचे। हमने रेसीडेण्टसे भी बहुत कुछ कहा; लेकिन उत्तर मिला कि तीन मासके भीतर समाधानकारक उत्तर मिलेगा। १५ मार्चको मि० क्रिचटनने महलोंमें आकर यह वृत्तांत सुनाया कि हमें सरकारसे २५ हजार रुपये मासिक पेंशन तथा जवाहिरातका कुछ हिस्सा दिया जायगा। यदि यह हम मंजूर न करें, तो हमपर आपत्तियोंका पहाड़ टूट पड़ेगा और यदि सरकारी निर्णय न माना गया, तो उसके लिए रेजीमेण्टकी दो पलटने काफी हैं।

अन्तमें मैं लार्ड महोदयसे प्रार्थना करती हूँ कि वे नागपुरकी गद्दी पूर्ववत् कायम रक्खें।"

१४ सितंबरको गवर्नर-जनरलने रानियोंको यही उत्तर दिया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टरोंकी अनुमति आ जानेसे प्रार्थनापर विचार नहीं किया जा सकता। इधर रानियाँ बारबार गिड़गिड़ाती थीं कि मृत महाराजाके वारसान न होनेसे गवर्नर-जनरलने राज्य खालसा किया है, यह बात गल्त है। क्योंकि परिवारके रिवाज तथा हिन्दू शास्त्रके अनुसार मृत महाराजाके वारसान मौजूद हैं। इसलिए परस्परके इकरारनामेंके अनुसार हमारा यह हक़ नहीं छीना जा सकता। महारानियाँ पहले भी और अब भी गोदके लिए उत्सुक हैं। पर सुनता था कौन? इतिहासके पाठकोंको यह भली भाँति अवगत होगा कि कहाँपर और किस राजवंशके साथ ईस्ट इंडियाके कर्मचारियोंने अपनी सहृदयताका परिचय दिया है। लॉर्ड डलहौसीने जो फैसला लिखा था, उसमें जान-बूझकर सत्य बातें छिपानेका यत्न किया गया था। उसने यहाँ तक लिख मारा था कि राजाने कभी भी उत्तराधिकारी या दत्तकके विषयमें रेसीडेण्टसे बातचीत तक नहीं की। इसी बुनियादपर महारानियोंने लार्ड साहबसे बातचीत करनेके लिए दो प्रतिनिधि भेजे थे। उनमेंसे हनुमंतरावने २० सितंबरको जो मेमोरियल ¶ गवर्नर-जनरलके सन्मुख पेश किया था, उसमें भी इन्हीं बातोंका उल्लेख था।

¶ "The matter I refer to, and now submit for your Lordship's consideration, is that the late Maharaja, before his decease, frequently represented to the Resident that there is no probability of his having any issue, and that therefore he should be permitted to adopt a son as successor to the Raj and territory of Nagpur, according to that treaty, and according to the custom of the family.



राजा बहादुर जानोजीराव भोंसले (द्वितीय:) [पृ० १९५

यशवंतराव अहेरराव (जानोजी भोंसले) का दत्तक-संस्कार राजाके मरते ही महारानियोंके द्वारा हो चुका था और बादके सब संस्कार उसीके द्वारा संपन्न कराये गये थे। लेकिन इस संस्कारका सार्वजनिक स्वरूप महारानी बकाबाईने इसलिए ही रुकवा दिया था कि प्रथम सरकारकी अनुमति ले ली जावे। यही बात कमिश्नरके असिस्टेंट केप्टन इव्हान्स बेलने भी साफ शब्दोंमें लिखी है।* हनुमंतरावको भारत सरकारकी ओरसे यही उत्तर मिला कि महारानीके वकीलसे सरकार पत्रव्यवहार नहीं कर सकती और जो कुछ कहना हो, वह कमिश्नरके जरिये कहा जावे। भारत-सरकारकी आज्ञाके अनुसार कमिश्नरने राजाकी सारी जायदादपर अपना अधिकार जमा लिया और खजानेपर मोहरछाप लगाकर अँग्रेजी पहरे तैनात कर दिये। मि० स्पेन्स नागपुरके डिप्टी कमिश्नर नियत किये गये। कमिश्नरके सहकारी केप्टन क्रिचटन तथा जमालुद्दीन खाँ थे। नागपुर-नगरका प्रबंध केप्टन क्रिचटनके अधिकारमें था। इसी बीचमें मि० मनशीलका तबादला हो जानेसे वह पद मि० इलियटको सौंपा गया।

राजमहलके खासगी विभागका व्यय बहुत ही बढ़ा चढ़ा था। इसलिए कमिश्नर उसे तोड़कर रानियोंके लिए जो पेंशन नियत हुई थी उसके

---

* As I have shown by his descent having actually been selected for it by the Ranees on the day of the Rajah's death, and having performed all the essential duties of a son at the Rajah's incremation and at the subsequent ceremonies, according to the Hindoo law of inheritance, the legal effect of which in ordinary cases we invariably respect and uphold ....It is notorious that the formal ceremony of public adoption was only delayed by the Baka-Bai's pertinacious adherence to her idea of taking no steps without the official sanction of Government.

भीतर लानेका यत्न कर रहा था। ३ सितंबरको राज्यके जानवरोंके नीलामका इश्तिहार कमिश्नरके आफिसमें लगाया गया और नगरमें उसकी मुनादी करा दी गई। ४ सितंबरसे यह कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसपर ८ सितंबरको महारानी बकाबाईने नागपुरके डिप्टी जजके पास एक दरखास्त दी जिसमें लिखा था कि "हमने गवर्नर-जनरलके पास ३ मेमोरियल भेजे हैं। उनका उत्तर अभी तक नहीं आया है। इसी बीचमें कमिश्नरने हमारे जानवरोंको नीलाम करना शुरू कर दिया है, जिसमें सौ सौ रुपया कीमतकी बैल-जोड़ी पाँच पाँच रुपयेमें बिक रही है। इस विषयमें बातचीतके लिए हमने अपने कर्मचारियोंको (शिवराव बख्शी और नरसोबा जामदार) कमिश्नरके पास भेजे; परन्तु उन्हें धमकाकर सजा देनेका डर बतलाया गया। इतना ही नहीं वरन् इलियट साहबने रोजकी खानेकी चीजोंका हिसाब चुकाना बन्द कर दिया है। कमिश्नर साहबको हमने कहलाया था कि आप ऐसा न करें, इसमें हमारा अपमान है—परन्तु उसका कोई फल न हुआ। अब आप मेहरबानी करके योग्य निर्णय दें" इसी प्रकारका एक निवेदनपत्र हनुमंतरावने भी कलकत्तेमें गवर्नर-जनरलके सन्मुख पेश किया था; किन्तु अन्तमें कमिश्नरकी ही कार्रवाई उचित समझी गई।

रानियोंके विरोध करनेपर भी कमिश्नरने नीलामका कार्य पूर्ववत् जारी रक्खा।* दशहरा हो जानेपर कमिश्नरने खजानेकी सम्पत्तिको सीताबर्डीके

* कौन कौन जानवर कितने कितनेमें नीलाम हुए, उसकी सूची—

		रु०	आ०
४ सितंबर	४७ बैल	३४३	०
५ ,,	१३५ ,,	१६७५	८
६ ,,	५४ घोड़े १० बैल	१३९५	४
७ ,,	५० घोड़े	६४२	४

किलेपर लानेकी मि० क्रिचटनको आज्ञा दी । उस समय महारानी बकाबाईने क्रोधमें आकर यह प्रकट किया कि यदि सम्पत्ति हटानेका यत्न किया गया, तो वे महलोंमें आग लगवा देंगी । इसलिए कमिश्नरने कर्मचारियोंको होशयारीसे काम करनेका इशारा दे रखा था । जमालुद्दीन† ज्यों ही महलके चाँदनी चौकमें पहुँचा त्यों ही उसपर मार पड़ने लगी; किन्तु क्रिचटनने पहुँचकर लोगोंको शान्त कर दिया। सारे शहरमें हलचल थी। महलके चारों ओर नगरनिवासी एकत्रित हो रहे थे और वे लोग जोशसे भरे थे । यह समाचार पाते ही १० बजेके लगभग कमिश्नरने सीताबर्डीके कमाण्डिंग अफसर मि० अशेको ५०० सैनिकोंके सहित शहरमें जानेकी आज्ञा दी । कामठीसे घुड़सवार बुलवाये गये । आखिर १२ बजेके लगभग चारों ओर शांति हो गई । इसी गड़बड़में युरोपियन अफसर समझकर मि० हिस्लाप नामक मिशनरीका पीछा किया गया था; लेकिन मेजर मानाजीने उसे बचा लिया ।

८	सितम्बर	५० ऊंट	१३६२	०
९	,,	५० ,,	१७७६	०
११	,,	६ हाथी और हौदे	८४३	४
१३	,,	४९ घोड़े	६७८	०
१९	,,	४ हाथी	१२५५	०
२२	,,	९ हाथी	१२९०	०
२३	,,	४६ घोड़े और टट्टू	८०९	०
२४	,,	४ हाथी	८०९	०
९	अक्टूबर	३ हाथी	७८५	०
			१३१५२	४

† जमालुद्दीनखाँ नवाब सिद्दिक अलीखाँकी बहिनका पुत्र था ।

उसी रोज शाम होते होते जवाहिरातकी १३ पेटियाँ भरकर किलेमें लाई गईं और दूसरे दिन २९। राजमहलके जनानखानेमें गड़ी हुई सम्पत्ति १३६ पोतोंमें भरकर सीताबर्डीके खजानेमें जमा की गई। उनमें ३,९९,२९४ नागपुरी रुपये थे। चाँदीका टेबिल, कुछ कुर्सियाँ, कोचें तथा पैर रखनेका स्टूल महलमें रहने दिया गया। कुछ रुचिकर गहने रखनेके लिए रानियोंसे कहा गया। महारानी अन्नपूर्णाबाईके महलमें १० हजार मुहरें रक्खी थीं। उनपर भी सरकारने अपना अधिकार जमा लिया। इसके लिए कमिश्नरने यह भय दिखलाया था कि यदि मुहरें न दी गईं, तो उतनी रकम उनकी पेंशनसे काट ली जायगी। इसलिए महारानी बकाबाईने इसमें लाभ न जानकर उन्हें १० बदरोंमें भरकर त्रिबंकराव और दादा शिर्केके द्वारा कमिश्नरके पास भिजवा दिया। कहते हैं कि नागपुरके राजमहलके जनानखानेमें नागपुरी रुपये ४,१६,६६३, ईस्ट इंडिया कम्पनीके सिक्के (रुपये) २,७६,२८२ तथा मुहरें ९,९९८ थीं। असलमें यह मृत महाराजाका निजी खजाना था, जिसका हिसाब १० सालसे एक पृथक् कर्मचारीके अधीन था। कम्पनीने यह भी कर्ज अदाई करनेके निमित्त जप्त कर लिया! जिस समय इंग्लैंडके परराष्ट्र-विभागके मंत्री पोलेण्डके कुछ सम्भ्रांत घरानोंकी सम्पत्ति लेनेके संदेहमें रशियाको धिक्कार रहे थे, उसी समय ब्रिटिश कम्पनी मित्रराज्य नागपुरकी असहाय विधवाओंका धन नीलाम कर रही थी! इस घटनाको कड़े राजनीतिक शब्दोंमें डकैती कहें, तो अनुचित न होगा। डलहौसीकी इस नीतिकी निंदा अँग्रेज इतिहास-लेखक टॅरेंस अरनोल्ड और बेल आदिने की है।

कमिश्नरके पास गिड़गिड़ानेपर जब रानियोंकी सुनवाई नहीं हुई, तब उन्होंने कलकत्ते और विलायतमें पैरवी करनेके लिए अपने प्रतिनिधि भेजे। विलायतमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टरोंके पास मि० ई० लांगले, सैयद इब्राहिम तथा ग़ुलाम कासिमने पैरवी की; किन्तु फल कुछ न निकला। उल्टा कमिश्नरने रानियोंको धमकाया कि तुम लोग वकीलोंको भेजकर गुप्त सलाह करती हो। संभव है कि इससे कुछ उपद्रव हो जाय, इस लिए महलोंमें नहीं रहने पावोगी।† इसपर महारानी बकाबाईका वक्तव्य मनन करने योग्य है। वे लिखती हैं कि "ये शब्द अँग्रेज सरकारसे हमारी जो पुरानी मित्रता रही है उसके योग्य न थे; किन्तु यह हमारा भवितव्यता है। हमारा वकील भेजनेका उद्देश यही था कि मृत राजाका नाती वर्तमान है, यह असली हकदार करार दिया जाय। क्योंकि हमसे कहा गया है कि हकदार न होनेसे राज्य खालसा किया गया। पश्चात् हमें आज्ञा दी गई कि वकीलोंको वापिस बुला लो, हमने बुला लिया और जो कुछ कहना हो कमिश्नरके जरिये कहा करो, तबसे हम वैसा ही कर रहीं हैं। हमें विश्वास है कि सरकार न्यायी है और जब हमारा मामला उसकी समझमें आ जायगा, तब हमारा दुःख दूर हो जायगा। मैं इस समय लगभग ८० वर्षकी हूँ और अब अधिक दिन जीनेकी मुझे आशा नहीं है; केवल जानोजीको गद्दीपर बैठा देखनेकी अभिलाषा है।" गर्वनर-जनरलकी रायके अनुसार नागपुरके खजानेके जवाहिरातका नीलाम करना कलकत्तेमें निश्चित

† You cannot be allowed to remain in the Palace and make plans for sending Wakeels, for by sending Wakeels, it becomes evident that you are intent upon making a disturbance."

किया गया। १८ अक्टूबर सन् १८५५ के मॉर्निंग क्रानिकलमें इस नीलामका विज्ञापन भी निकाला गया। सरकारी कागजपत्रोंके देखनेसे पता चलता है कि भोंसलोंकी कुल सम्पत्ति नीलाम करनेसे २० लाख रुपये वसूल हुए, जो कि भोंसला-फंडके नामसे अलग रख दिये गये। राज्य खालसा करनेका निर्णय हो जानेपर रानियोंके लिए निम्न लिखित पेंशन नियत की गई:—

महारानी बकाबाईको	१,२०,०००	रुपये	वार्षिक
रानी अन्नपूर्णाबाईको	५०,०००	,,	,,
अन्य तीन रानियोंको	७५,०००	,,	,,
आपासाहबकी रानीको	१०,०००	,,	,,
जनानखानेकी औरतोंके लिए	२०,०००	,,	,,

इतनी पेंशन नियत किये जानेपर भी राजमहलका खरचा पूरा नहीं होता था। राजमहलमें १७०० नौकरोंके लिए ७ हजार रुपये मासिक देना आवश्यक था। मानमरातबके लिए घोड़े, ऊँट, हाथी आदिका खर्चा १६०० रुपये मासिक था। मासिक भोजन-व्यय तीन हजार रुपये था। सालाना २५ हजार रुपये महलोंकी मरम्मतमें खर्च होता था। इसके अलावा और भी कई खर्चे थे जिनकी पूर्तिके लिए रानियोंको कर्ज लेनेके या बचे बचाये जवाहिरात बेंचनेके अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही न था। सरकारसे जो पेंशन मिलती थी, वह व्ययके लिए काफ़ी न थी। केप्टन बेल अन्य काम-काजोंके अलावा राजमहलका भी काम-काज देखता था। रानियोंकी ऐसी दुर्दशा उससे न देखी गई, इसलिए उसने कमिश्नरपर इस परिस्थितिको सुधारनेके लिए जोर डाला। साथ ही दत्तक उत्तराधिकारी जानोजी (यशवंतराव अहेरराव) का हक स्वीकार कर लेनेके लिए भी। उस समय नागपुर-प्रान्तके कमिश्नर मि० प्लौडन थे।

उन्होंने जब बेलका कहना न माना; तब मि० बेलने उस विषयपर रानियोंका बयान लेकर भारत सरकारके फॉरेन मंत्रीके पास भेज दिया और उसकी नकल कमिश्नरके पास भी भेज दी। इसपर प्लौडन साहब चिढ़ गये और मि० बेलको आज्ञा दी कि भविष्यमें यदि वे रानियोंसे मुलाकात करेंगे, तो ठीक न होगा। साथ ही रानियोंको भी धमका कर कहा गया कि भविष्यमें वे मि० बेलसे कोई सरोकार न रक्खें। लेकिन यह मामला इतनेपर ही शान्त नहीं हुआ। इन्हीं बातोंसे नाराज होकर कमिश्नर मि० प्लौडनने कॅप्टन बेलको नौकरीसे सस्पेंड करके इसके निर्णयके लिए भारत-सरकारको लिखा।

ई० स० १८५७ में उत्तरीय-भारतमें जो विद्रोह मचा, उसकी आँच नागपुर तक पहुँच चुकी थी; किन्तु नागपुरके राजवंशके कारण वह आग न आगे बढ़ने पाई। इसका वर्णन नागपुरके भूतपूर्व डिप्टी कमिश्नर मि० आर० एस० इलियसके शब्दोंमें इस प्रकार है—" सन् १८५७ में भारतीय सेनाने जो विद्रोह मचाया था, वह बहुत भयंकर था। उस समय नागपुरकी परिस्थिति गदरके लिए अनुकूल थी। जून, जुलाई और अगस्त मास तो अफसरोंके लिए विशेष चिन्ताजनक थे। ब्रिटिशोंकी रक्षाके लिए केवल कामठीकी मद्रासी रेजीमेण्ट थी। उस समय महारानी बकाबाईके एक शब्दसे बगावत फैल सकती थी, जिसकी आग नागपुरके राजमहलसे लेकर हैदराबाद और सतारा तक फैल जाती। सारे दक्षिणके लोग उसे जानते थे। पूना, सतारा, सोलापुर और अहमद नगरके जिलोंमें भोंसलोंकी जायदाद थी। नागपुर गदर करनेके रास्तेमें ही था, यहाँ तक कि इस षड्यंत्रके नेताओंने अपना दल अच्छी तरह संगठित कर लिया था। सीताबर्डीका खजाना तथा कमिश्नरीको लूटना एक सरल काम था। मद्रासी सैनिकोंके भाई-बन्द हैदराबादमें भी थे।

उनमें भी उत्तेजना फैलनेमें देर नहीं लगती। पूना, सतारा, बेलगाँव, करनूल और कुडप्पा आदिमें भी यह आतंक अवश्य ही छा जाता। यह केवल मनः कल्पित नहीं है। नागपुरके षड्यंत्रमें भूतपूर्व मुसलमान सैनिक अफसर थे, जिनका भंडा फूटनेमें मूल कारण महारानी ही थीं। इस लिए जितना कि हम निजामका उपकार नहीं मान सकते, उससे ज्यादा हमें बकाबाईका मानना चहिए। उस वृद्ध महारानीने सार्वजनिक रीतिसे उपद्रवकी उगमें दबा दीं और अपने महलमें आश्रित मानकरी, तथा शहरके प्रमुख ब्राह्मण, मराठ और मुसलमानोंको बुलवाकर जो कमसे कम ५०० होंगे ऐसे कामोंसे अलिप्त रहनेके लिए ज़ोर दिया और जो अपराधी थे, उनकी आम तौरसे निर्भर्त्सना की। उसने उस समय यहाँ तक कहा था कि 'यदि मेरा नाती (जानोजी) भी ऐसा करेगा, तो मैं उसे दंड देनेके लिए कमिश्नरको सौंप दूँगी।' इस प्रकार वह १ मास तक नगरके लोगोंको प्रतिदिन बुलाकर हिदायतें करती रहीं। ऐसा महान् उपकार जिसने ब्रिटिश राज्यपर किया, उसके दत्तक लिए हुए नातीके सम्बन्धमें भारत सरकारसे योग्य प्रबंध करानेमें कमिश्नरने लापरवाही की। इतना ही नहीं, वरन् अभिवचन देकर भी कमिश्नर मि० प्लोडनने यहाँकी महत्त्वपूर्ण घटनाकी सूचना तक नहीं दी।"

गदरके पश्चात् शीघ्र ही अर्थात् ८ अगस्त सन् १८५८ को महारानी बकाबाईका ७७ वर्षकी अवस्थामें अन्तकाल हो गया। मरनेके एक दिन पूर्व महारानीने नाना अहेररावके द्वारा कमिश्नरको मुलाकातके लिए महलमें बुलवाया। कमिश्नरके साथ मेजर स्पेन्स (डिप्टी कमिश्नर) और सिविल सर्जन न्यूड भी थे। उस समय महारानीने जानोजीको बुलवाकर उसका हाथ कमिश्नरको सौंपते हुए कहा कि "इस बच्चेको

आप अपना ही समझें और मुझे विश्वास है कि सरकार किसी न किसी दिन इसका हक अवश्य ही मंजूर करेगी।" उस समय भी कमिश्नरने अभिवचन दिया कि इसके लिए कोई बात उठा नहीं रक्खूँगा। कमिश्नरने ११ सितंबरको जो पत्र भारत-सरकारके पास भेजा था, उसमें इस बातका विस्तृत वर्णन है। दूसरे दिन महारानीकी रथीके साथ पर्सनल असिस्टेंटके सहित कमिश्नर भी दुःख-प्रदर्शनार्थ उपस्थित थे। महारानीका सिद्धान्त कमिश्नरके शब्दोंमें इस प्रकार था—

She was firmly attached to the British alliance sand the ruling principal of action was to take no stef contrary to the wishes, or without the permission of the British Government.'

ई० स० १८५६ में रानी अन्नपूर्णाबाईकी मृत्युके कारण ५० सहस्रकी वार्षिक पेंशन बन्द हो ही गई थी, अब १,२०,००० की पेंशन महारानी बकाबाईके देहान्तके बाद बन्द हो गई। केवल ८५,००० वार्षिक पेंशन जारी रही।

ई० स० १८५५ की १९ जूनको नागपुर कमिश्नरीका पद मि० प्लौडनको सौंपा गया था; किन्तु उसके कार्यसे गवर्नर जनरल केनिंग संतुष्ट न हुए; क्योंकि भारत सरकार जो रिपोर्ट कमिश्नरसे मागती थी, उसका कमिश्नरकी ओरसे कोई समाधानकारक उत्तर नहीं मिलता था। आखिर ई० स० १८५९ में भारतसरकारने मि० प्लौडनको बंगाल सरकारकी मातहतीमें रखकर कमिश्नरीका पद मि० इलियटको सौंप दिया, जो आगे चलकर मध्यप्रान्तके प्रथम चीफ कमिश्नर नियत हुए।

महारानी बकाबाईके मरनेपर १२ फरवरी स० १८५९ को दर्याबाई आनंदीबाई, और कमरधाबाई रानियोंने कमिश्नरको जो दरख्वास्त दी थी,

उससे रानियोंकी अवस्थाका पता लगता है। वे लिखती हैं कि—"ई० स० १८५७ के गदरमें हमने अपनी ताकतके अनुसार पुरानी मित्रता निबाहनेका पूरा पूरा यत्न किया है। आप स्वयं, कॅप्टन क्रिचटन तथा कॅप्टन बेलने जो अभिवचन दिये थे उनके अनुसार अभी तक कोई प्रबंध होता नहीं दीखता। हमारी दशा दिनपर दिन खराब हो रही है, यहाँ तक कि तेल न होनेसे राजमहलोंमें अंधेरा रहता है और हमारे नौकर उपवास करके काम करते हैं। हमारी कई अर्जियोंका उत्तर भी हमें अभी तक नहीं मिला है। इसके अलावा असिस्टेंट एजेंटने एक कायस्थ कर्मचारीके मार्फत यह कहला भेजा है कि केवल ७ हजार रुपये मासिक दिया जायगा। उसने यह संदेश सुनानेके अवसरपर अनादरयुक्त व्यवहार किया है। इससे जान पड़ता है कि अब तक हमारा जो आदर था, उसपर भी आघात होने लगा है।"

इसके बाद बहुत कुछ लिखा पड़ी होती रही, अन्तमें मि० इलियटकी सिफारिशसे भारत सरकारने जानोजीराव भोंसलेका कुछ हक़ मंजूर किया और इस अवसरपर पेंशनका नवीन स्केल निश्चित किया गया—

जानोजीराव भोंसले	९०,०००	रु० वार्षिक
रानी दर्याबाई	४५,०००	,,
रानी आनंदी बाई	४५,०००	,,
रानी सावित्री बाई (आपासाहबकी रानी)	१५,०००	,,
जनानखानेकी स्त्रियाँ	१८,०००	,,
भोंसलोंकी आश्रित वारकरनी—	२०,०००	,,
	२,३३,०००	,,

सतारा जिलेके अन्तर्गत देऊरगाँवकी जागीर (जो इस वंशके अधिकारमें १२५ वर्षसे थी) जानोजीराव तथा उनके हक़दारोंको (Begotten or adopted) सदैवके लिए राजाबहादुरके खिताबके साथ सौंपी गई जिसकी सनद गवर्नर जनरलके हस्ताक्षरसे ई० स० १८६२ में दी गई।

गदर शान्त होते ही ब्रिटिश राज्यशासनमें परिवर्तन किया गया। भारतका शासन ईस्ट इंडिया कम्पनीसे महारानी विक्टोरियाने अपने हाथमें ले लिया। कोर्ट आफ डायरेक्टरोंकी समिति उठा दी गई और उनके एवजम भारत मंत्री और उसकी कौन्सिल काम करने लगी। भारतके गवर्नर-जनरल वाइसराय कहलाने लगे। शासनकी दृष्टिसे ई० स० १८६१ का साल महत्त्वका है। नर्मदा और सागर विभागको नागपुर तथा छत्तीसगढ़ (सम्बलपुर) विभागमें जोड़कर १८ जिलोंका एक नया प्रांत बनाया गया, जो कि मध्यप्रदेश कहलाता है और जिसके प्रथम चीफ कमिश्नर ई० के० इलियट थे।



इतिहासके अपूर्व ग्रन्थ ।

भारतके प्राचीन राजवंश ।

(दूसरा भाग)

प्राचीन इतिहासकी सामग्रीके इस भाण्डारमें महाभारतके समयसे लेकर भारतपर राज्य करनेवाले शिशुनाग, नन्द, ग्रीक, मौर्य, शुङ्ग, कण्व, आन्ध्र, शक, पल्हव, कुशान, गुप्त, हूण, वैस, मौखरी, लिच्छवि, ठाकुरी, आदि राजवंशोंका सिलसिलेवार इतिहास दिया गया है। इसके सिवाय और भी अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों—यशोधर्मा, विक्रमादित्य, कालिदास, आदि—के विषयमें प्राप्त हुई सामग्री भी यथास्थान उद्धृत की गई है। इसी प्रकार भारतीय लिपि और प्रत्येक वंशके सिक्कोंका पूरा पूरा वर्णन भी जोड़ दिया गया है। पृष्ठसंख्या ४५० से ऊपर है। इसके सिवाय लिपिचित्रों, नकशों और सिक्कोंके चित्रों आदिसे पुस्तकको सर्वोपयोगी बनानेमें बहुत परिश्रम और धन व्यय किया गया है। पुस्तककी छपाई सुन्दर, कागज बढ़िया और जिल्द नयनाभिराम है। मूल्य ३) सजिल्दका ३।।)

इसके रचयिता 'सरदार म्यूजियम' जोधपुरके सुपरिण्टेण्डेण्ट साहित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेउ हैं, जो इतिहासके गण्यमान्य पण्डित हैं। काशीकी सुप्रसिद्ध नागरी प्रचारिणी सभाने इस ग्रन्थको सर्वोत्कृष्ट समझकर लेखकको २००) का 'जोधसिंह-पुरस्कार' और 'राधाकृष्णदास-पदक' भेट किया है। बंगाल एशियाटिक सोसायटीके वाइस प्रेसीडेण्ट महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री जैसे इतिहासज्ञने भी जब लिखा है कि 'इस ग्रन्थसे मुझे भी सहायता मिलेगी और मैं इसे अपने पुस्तकालयमें रक्खूँगा,' तब यह समझानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह ग्रन्थ किस श्रेणीका है। सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ पं० गौरीशंकर हीराचन्दजी ओझाके मतसे यह ग्रन्थ हिन्दी जाननेवालोंके लिए विन्सेण्ट स्मिथकी 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया' से कम महत्त्वका नहीं है। भारतीय पुरातत्त्वविभागके डि० डायरेक्टर जनरल डा० ब्रनर्ड स्पूनर, डा० एल० पी० टैसीटोरी, ढाका यूनीवर्सिटीके लेकचरर बाबू राधागोविन्द बसाक एम० ए०, प्रो० वेणीप्रसाद एम० ए०, डॉ० एल० डी० बरनेट, प्रो० केशवलाल ध्रुव आदि इतिहासज्ञ विद्वानोंने तथा प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रोंने इसकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है।

नोट—राजवंशके प्रथम भागकी प्रतियाँ नहीं रही हैं। परन्तु उसके बिना इस ग्रन्थको अधूरा न समझना चाहिए। क्योंकि इस ग्रन्थके तीनों भाग स्वतंत्र और अपने आप सम्पूर्ण हैं। एकका दूसरेसे कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिए पहलेके न होनेपर भी दूसरा तीसरा भाग खरीदनेमें किसीको संकोच न होना चाहिए। पहले भागमें चौहान, पाल, परमार, कलचुरि, सेन और क्षत्रप, वंशोंका वर्णन था।

तीसरा भाग।

इसमें प्रारंभसे लेकर आजतकके राष्ट्रकूटोंका (राठोड़ों और गहड़वालोंका) विस्तृत इतिहास संग्रह किया गया है। अर्थात् जिस समय पहले राष्ट्रकूटोंने दक्षिणमें अपना राज्य कायम किया था, उस समयसे लेकर कन्नौज होते हुए मारवाड़में आकर राजस्थान मालवा और महीकांठा आदिमें उनके वंशजों द्वारा स्थापित किये हुए राज्योंका—मान्यखेट, लाट, सौंदत्ति, हस्तिकुंडी, धनोप, कन्नौज, जोधपुर, बीकानेर, ईडर, सैलाना, रतलाम, सीतामऊ, अमझरा, किशनगढ़, अहमदनगर, झाबुआ, आदिका—अब तकका पूरा पूरा इतिहास दिया गया है। इस भागकी रचना भी पहलेके दो भागोंके समान ही सप्रमाण है। इस रचनाकी खूब ही कदर की गई है और इसका सबसे बड़ा सुबूत यह है कि इसके उपलक्ष्यमें ग्रन्थकर्त्ताको लगभग दो हजार रुपया पुरस्कार मिला है। हिन्दीमें अबतक इतना पुरस्कार किसी भी इतिहास-ग्रन्थको नहीं मिला है। इतिहासज्ञों और साहित्य-सेवियोंने भी इसकी यथेष्ट प्रशंसा की है। कुछ सम्मतियाँ देखिए—

"पुस्तक बड़ी खोजसे लिखी गई है। 'पुस्तकालयों'में इसका प्रचार अवश्य होना चाहिए।" —माधुरी।

"इसकी रचनाके विषयमें केवल इतना ही लिखना काफी होगा कि राजपूतोंके सच्चे और प्रामाणिक इतिहासमें इसका स्थान अवश्य उच्च होगा। किसी भाषामें ऐसा उत्तम व प्रामाणिक इतिहास राठोरोंका नहीं छपा है।

—राजपूत।

मिलनेका पता—

संचालक—हिन्दीग्रन्थ-रत्नाकर-कार्यालय

हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई।


हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय
हीराबाग
बम्बई